बुधवार, 2 मई 1985

2 वैशाख, 1907 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

LIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 35, गुरुवार, 2 मई, 1985/12 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1
*तारांकित प्रश्न संख्या : 670 और 673 से 677	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19
तारांकित प्रश्न संख्या : 669, 671, 672 और 678 से 688	19-25
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4899 से 4995 और 4997 से 5060	25-125
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	132
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	134
दिल्ली क्लाथ मिल्स के प्रबन्ध-व्यवस्थापकों के अपनी कपड़ा मिलों को बन्द करने के कथित प्रयास, जिसके परिणाम स्वरूप कई हजार कर्मकार बेकार हो जायेंगे	134
श्री सुरेश कुरूप	134
श्री टी० अंजैया	138
श्री बसुदेव आचार्य	139
श्री अब्दुल गफूर	140
श्री ललित माकन	141
श्री जैनुल बशर	148
नियम 377 के अधीन मामले	150-152
(एक) राजस्थान में सिद्धमुख और नोहर नहर परियोजना को शुरू करने के लिए स्वीकृति देने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	150
(दो) किसानों को बढ़िया बीज, उर्वरक और सिचाई के साधन उपलब्ध कराने और उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे सुमन	150
(तीन) केरल में सामाजिक आवास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कमजोर वर्गों और निम्न आय-वर्गों के लोगों को बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री के० कुन्जम्बु	150
(चार) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता तथा वहां विद्यमान गम्भीर स्थिति को देखने हेतु केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की मांग	
श्री जैनुल बशर	151

*किसी नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

(पांच) पटना और उत्तर बिहार के बीच रद्द की गयीं सीधी रेलगाड़ियों को पुन: चालू करने की आवश्यकता

श्री राम भगत पासवान 152

(छः) राजस्थान टैनरीज को बन्द होने से बचाने के लिए उसे सयुक्त क्षेत्र में लाने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल बेरवा 152

(सात) केरल में वन-भूमि में बसे हुए लोगों को हकनामे देने के लिए केरल सरकार को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० मोहनदास 152

अनुदानों की मांगें (सामान्य) — 1985-86 153-220

(एक) कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय [जारी —समाप्त]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 153-168

(दो) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय [चर्चा असमाप्त]

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी 169

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 174

डा० वल्लल पेरुमन 179

श्री बनवारी लाल बेरवा 181

श्री वी० सोभनाद्री सवरा राव 184

श्रीमती किशोरी सिंह 186

कुमारी डी० के० तारा देवी 190

श्री अनादि चरण दास 192

डा० वी० वेंकटेश 193

श्री अजय मुशरान 197

श्रीमती उषा रानी तोमर 199

श्री लाल विजय प्रताप सिंह 200

श्री श्रीहरि राव 202

श्री मूल चन्द डागा 206

श्रीमती जयन्ती पटनायक 209

श्रीमती मनोरमा सिंह 213

प्रो० पी० जे० कुरियन 215

श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य 217

श्री राम रतन राम 220

लोक सभा

गुरुवार, 2 मई, 1985/ 12 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, वापसी पर आपका स्वागत है ।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप बहुत जल्दी आ गए ।

अध्यक्ष महोदय : सात दिन का काम ढाई दिन में ही पूरा कर दिया ।

श्री भागवत झा आजाद : आपके बिना सदन सूना लगता है ।

श्री बालकवि बैरागी : बच्चों के लिए क्या लाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इतना बड़ा खिलौना ठीक नहीं है ।

[अनुवाद]

प्रो० एन०जी० रंगा : महोदय, आपका वापसी पर पुनः स्वागत है । उपाध्यक्ष महोदय ने आपकी अनुपस्थिति में काफी अच्छा कार्य किया ।

अध्यक्ष महोदय : वह अच्छे आदमी हैं । उन्होंने अच्छा कार्य किया है । महासचिव सदस्य को शपथ लेने के लिये पुकारें ।

11.01 म०पू०

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री आर० धनुषकोडी अतिथन (तिरुचेंडूर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मेडिकल कालेज, त्रिचूर (केरल) को मान्यता प्रदान करना

[अनुवाद]

*670 **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, त्रिचूर (केरल) ने भारतीय चिकित्सा परिषद् से अपनी डिग्रियों को मान्यता देने की मांग की है तथा केरल सरकार ने कालेज की ओर से इस प्रकार की मान्यता प्रदान करने की मांग किस तारीख को की है;

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि परिषद् ने मान्यता देने से मना कर दिया है, तो कर्मचारियों, उपस्करों अथवा प्रयोगशाला सम्बन्धी सुविधाओं में क्या कमियां पाई गई हैं तथा जिन कारणों से मान्यता देने से मना कर दिया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केरल सरकार ने 26 अप्रैल, 1984 को राजकीय मेडिकल कालेज, त्रिचूर में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को कालीकट विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त एम०बी०बी०एस० डिग्री को मान्यता देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को लिखा था। परिषद् ने कालेज के अधिकारियों को सूचित किया कि अप्रैल, 1985 के पहले सप्ताह में कालेज का निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, केरल तथा प्रिंसिपल, राजकीय मेडिकल कालेज, त्रिचूर ने इस आधार पर निरीक्षण के काम को 3-4 महीने तक स्थगित करने का अनुरोध किया कि जिला अस्पताल त्रिचूर के जिस भवन में मेडिकल कालेज के लिए क्लीनिकल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह एक आश्चर्यजनक उत्तर है। लम्बे समय से चली आ रही मांग के परिणामस्वरूप केरल सरकार ने त्रिचूर में यह मेडिकल कॉलेज खोला था। अब छात्र अन्तिम वर्ष में आ गए हैं। प्रथम वर्ष में छात्रों के पहले बैच को अनैटॉमी, फीजियोलॉजी तथा बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती होती है तथा इस बैच ने इन विषयों के लिए बिना किन्हीं प्रयोगशाला सुविधाओं के ही ये पाठ्यक्रम पूरे कर लिये। अतः मुझे मालूम नहीं है कि उनकी परीक्षाएं किस ढंग से हुई। केरल विधानसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता—इस उत्तर से यह माना जाता है कि पहले इस मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने से इन्कार किया गया था और अब इसमें कहा गया है कि कालेज में मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसी कोई इमारतें नहीं हैं जिनकी मरम्मत की जानी है। उनकी मुलुगुनता काबू के निकट त्रिचूर के उपनगरों में भवनों और अस्पतालों के समूह की बृहत योजना थी।

प्रो० मधु दण्डवते : वे पहले मरम्मत करवा सकते हैं और बाद में इमारतें बनवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पूर्वानुमानित मरम्मत।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : परन्तु ऐसा हुआ नहीं है। अब छात्रों को पैथोलोजी और माइक्रो बायोलॉजी की परीक्षाएं देनी हैं और इन दोनों ही विषयों के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है। यह हालत है। जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, कालीकट अथवा त्रिवेन्द्रम से यहां नियुक्त किए गए अधिकतर कर्मचारी छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि न तो वहां क्वार्टर हैं और न ही और कोई सुविधाएं। इसलिए छात्रों को अपना प्रबन्ध आप करने के लिए छोड़ दिया गया है। यह सरकार द्वारा छात्रों को धोखा देने के समान है और मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि मंत्री महोदय भी, यह कह कर कि मरम्मत कार्य चल रहा है, इसके पक्षकार बन रहे हैं। प्रश्न के दूसरे भाग से यह

पूरी तरह स्पष्ट है कि उन्होंने परिषद् द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए 3 या 4 महीने का और समय मांगा है । अतः, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की क्या नीति है जो चिकित्सा परिषद् और उसके कार्यकरण के लिए, केवल त्रिचूर कालेज के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु समूचे भारत में तेजी से खुल रहे विभिन्न अन्य कालेजों, जो घटिया दर्जे की चिकित्सा शिक्षा दे रहे हैं और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, के लिए भी संसद में उत्तरदायी है । अत: मैं नीति के बारे में जानना चाहूंगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है, अर्थात्, इस समय हम किसी नये मेडिकल कालेज को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं । उसके बावजूद, विभिन्न राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों ने देश के कुछ भागों में मेडिकल कालेज खोलने शुरू कर दिए हैं...

प्रो० एन०जी० रंगा : क्योंकि इसकी मांग है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी हां, इसकी मांग है । इसका यह भी एक कारण हो सकता है । परन्तु यह कालेज नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा; उन्होंने कहा है कि यह अस्पताल का भवन है, जहां मरम्मत चल रही है और जिसका वे क्लिनिकल कामों के लिए उपयोग करेंगे । अत: उन्होंने 3 या 4 महीनों का समय मांगा है । परन्तु जैसा कि मैंने कहा, भारत सरकार की यह नीति है कि देश में किन्हीं और कालेजों, विशेषकर मेडिकल कालेजों को प्रोत्साहन न दिया जाए ।

प्रो० एन०जी० रंगा : परन्तु वे उन पर रोक नहीं लगा सकते हैं ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : मेरे दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध पहले प्रश्न से होगा । मंत्री महोदय का कहना है कि ऐसी नीति नहीं है; परन्तु उन कॉलेजों के बारे में क्या कहना है जो पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं ? यहां आपकी एक समस्या है, अर्थात् इन छात्रों को घटिया दर्जे की चिकित्सा शिक्षा दी जा रही है और उनको यह मालूम नहीं है कि क्या होगा, क्या उनकी डिग्रियों को मान्यता दी जायेगी ताकि वे प्रैक्टिस कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने फिर इसे आरम्भ कैसे किया ?

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : वास्तव में प्रश्न यही है । उनको अनुमति कैसे दी गई ? किसी मेडिकल कॉलेज को स्वीकार करने अथवा मान्यता देने के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित किया है; और यदि यह उन्हें पूरा नहीं करती है तो क्या भारत सरकार एक असहाय दर्शक बनी रहेगी; अथवा यह राज्य सरकार या जो कोई भी मेडिकल कालेज अथवा अन्य संस्थाएं चला रहे हैं उन पर दबाव डालेगी कि वे कतिपय मानकों के अनुरूप कार्य करें ? **(व्यवधान)** व्यावसायिक शिक्षा में कतिपय मानकों का पालन करना होता है । अन्यथा, आप उन लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे जिन्होंने इस आशा से दाखिला लिया है कि उनकी डिग्रियों को मान्यता दी जाएगी । क्या आपकी ऐसी कोई नीति है ? क्या आप इस कॉलेज तथा अन्य कालेजों को कोई अनुदेश देंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में यह बात बहुत स्पष्ट है । भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत यह कहा गया है कि भारत में किसी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था, जो प्रथम अनुसूची में सम्मिलित है, द्वारा दी

जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं को इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु चिकित्सा अर्हताओं के रूप में मान्यता दी जायेगी ।

अत: जो मान्यता-प्राप्त हैं वे अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं। यदि वे प्रथम अनुसूची में हैं तो मान्यता-प्राप्त हैं। यदि वे मान्यता-प्राप्त नहीं हैं या वे अधिनियम की प्रथम अनुसूची में नहीं हैं तो धारा 11(2) के अनुसार उनको आवेदन करना होता है। तत्पश्चात् भारतीय चिकित्सा परिषद् इसका निरीक्षण करती है। यदि सभी मानकों से वे उचित पाये जाते हैं तो मान्यता दी जाती है। परन्तु कतिपय विश्वविद्यालयों के मामलों में, उदाहरणार्थ, कालीकट विश्वविद्यालय के मामले में—यह कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय के अधीन है—यह विश्वविद्यालय स्वयं इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में है। अत: इस कॉलेज को मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं है। यह तो पहले से ही मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है जो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा पहले से मान्यता-प्राप्त है। मान्यता विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है न कि किसी विशेष कॉलिज को। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज को सम्बद्ध करने से पहले कालेज का स्तर और हर बात देखी जाती है। अत: यह निर्णय लेना विश्वविद्यालयों का काम है कि उसे सम्बद्ध किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

कालीकट विश्वविद्यालय ने अपने विवेकानुसार इस कॉलेज को सम्बद्ध कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें निश्चित रूप से यह मानना होगा कि वहां कतिपय सुविधाएं उपलब्ध हैं। परन्तु जब हम वहां जायेंगे और निरीक्षण करेंगे तो हम सभी मानकों की दृष्टि से इस पर ध्यान देंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सुविधाएं वहां उपलब्ध हों और ये वहां नहीं हैं तो हम विश्वविद्यालय और कॉलिज को कहेंगे कि वे उनके अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जैसी कि स्थिति है, आज कोई भी व्यक्ति या कोई एजेंसी मेडिकल कॉलिज खोल सकती है, बशर्ते कि विश्वविद्यालय उसे मान्यता दे दे। उन्होंने ऐसा ही कहा है। परन्तु एम० बी० बी० एस० डिग्री की स्वीकृति के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को मान्यता देनी होती है। केवल त्रिचूर मेडिकल कालेज के मामले में नहीं अपितु ऐसे अन्य मेडिकल कालेज भी हैं जहां छात्रों ने भारी प्रवेशार्थ-शुल्क देकर दाखिला लिया है, वे दो-तीन वर्षों तक अध्ययन करते हैं और उसके बाद उनको मालूम पड़ता है कि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा डिग्री को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी है। मैं कालेजों के नाम भी बता सकता हूं। आप ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते जिसके द्वारा कोई विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा परिषद से स्वीकृति लेने के बाद ही मेडिकल कालेज खोल सकता है ? आप ऐसे कालेजों के बनने की अनुमति क्यों देते हैं जो विश्वविद्यालय की तथाकथित मान्यता-प्राप्ति से बने हों तथा जो चिकित्सा पहलू या उपकरण या भवन या अन्य पहलुओं का ध्यान नहीं रखते हैं ? अत: एक ऐसी शर्त लगाई जानी चाहिए कि कोई मेडिकल कालेज और इसी तरह कोई इंजीनियरिंग कालेज केवल तभी खोले जा सकते हैं जब वे सम्बन्धित केन्द्रिय प्राधिकारी से स्वीकृति ले लें। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : पहली बात तो यह है कि प्रो० कुरियन स्वयं भ्रम में हैं। डिग्री मेडिकल कालेज द्वारा नहीं दी जाती है; यह सदैव उस विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है जिसके

साथ वह कालेज सम्बद्ध होता है और विश्वविद्यालय को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दी जाती है न कि किसी कालेज विशेष को। मैं आपको भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 11 (1) और (11) (2) के बारे में पहले ही बता चुका हूं। अतः विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्यता दी जाती है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है जो समूच देश में कालेजों की संख्या में तेजी से वृद्धि तथा उनके स्तर में गिरावट के बारे में है, यह स्थिति सरकार के ध्यान में है। इस अधिनियम में संशोधन करने और उसके उपबन्धों को कठोर बनाने के काम में लगे हुए हैं ताकि ऐसा काम कोई नहीं कर सके। परन्तु जहां तक इस समय लागू कानून का सम्बन्ध है, यह ऐसा ही बना हुआ है और वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि विश्वविद्यालय डिग्री को मान्यता देता है। परन्तु मैं उन्हें याद दिलाऊं कि चिकित्सा परिषद द्वारा कालेज को स्वीकृति दिये जाने के बाद ही विश्वविद्यालय डिग्री को मान्यता देगा। सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव था कि संस्था के वास्तविक रूप से आरंभ होने से पहले उस संस्था को स्वीकृति मिली हुई होनी चाहिये। क्या वह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं नीति के बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं और मैं माननीय सदस्य को पुनः जानकारी देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन स्वायत्त हैं, और किसी कालेज को सम्बद्ध करना विश्वविद्यालय का काम है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि वह कालेज सभी प्रकार के स्तर बनाये रखें और जब हम निरीक्षण के लिए जाते हैं तो हम ऐसा करते हैं। परन्तु वह स्थिति तब आती है जब वे हमारे पास आते हैं; यदि वे हमारे पास न आयें तो आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि हम निरीक्षण के लिए भी नहीं जाते क्योंकि यह हमारी अधिकारिता में नहीं है; हम ऐसा नहीं कर सकते बल्कि हम तो बेबस हैं। अतः मैंने कहा कि हम इस अधिनियम में संशोधन करेंगे।

श्री मुकुल वासनिक : कोई मेडिकल कालेज या इंजीनियरिंग कालेज खोलने से पहले क्या तकनीकी आवश्यकता या अन्य पहलुओं के बारे में चिकित्सा कार्मिकों के बारे में कोई जन-शक्ति योजना होती है या क्या उनको केवल यह कह कर कि उनको और अधिक तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है, ऐसे ही कालेज खोलने की अनुमति दी जा रही है अथवा क्या यह काम इस बारे में बनाई गई किसी योजना पर विशेष रूप से आधारित होता है? क्या यह बात भारत सरकार के ध्यान में है कि महाराष्ट्र सरकार का विचार राज्य में कुछ नये गैर-सरकारी मेडिकल कालेज खोलने का है; यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : वही प्रश्न अनेक रूपों में आ रहा है। मैं पहले ही सरकार की नीति स्पष्ट कर चुका हूं कि कानून के अनुसार जो आज क्या स्थिति है उसके अनुसार जो नये कालेज खुल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सम्बन्ध है, मुझे यह जानकारी नहीं है कि क्या वह नये कालेज खोल रही है या नहीं। किन्तु जब वे इन्हें खोलेंगे, तो हमें भी मालूम हो जायेगा और माननीय सदस्य भी जान जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिलीप सिंह भूरिया ···अनुपस्थित।

डा० जी० विजय रामाराव अनुपस्थित।

लोको शेडों और ट्रांशिपमेंट शेडों में काम कर रहे लोडरों को रेल कर्मचारियों के रूप में मान्यता देना

673. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

श्री मानिक सन्याल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम, दक्षिण और मध्य रेलवे के एक भाग में लोको शेडों में राख साफ करने सहित कोयला लादने और उतारने वाले और ट्रांशिपमेंट शेडों में माल लादने और उतारने के कार्य में लगे व्यक्तियों को रेल कर्मचारी के रूप में माना जाता है जबकि अन्य रेलवे में उन्हें इस रूप में मान्यता नहीं दी जाती है;

(ख) क्या बहुत पहले अर्थात् वर्ष 1977 में रेल सलाहकार बोर्ड ने इन नौकरियों को स्थायी नौकरियां घोषित किया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है और इसमें कब सुधार किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग). रेलों पर लोको शेडों में राख की उठाई सहित कोयला के लदान तथा उतराई का कार्य तथा यानान्तरण शेडों में माल के लदान तथा उतराई का कार्य सामान्यत: प्राइवेट ठेकेदारों/श्रमिक ठेका सहकारी समितियों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, सिवाय मध्य, दक्षिण मध्य, पश्चिम तथा दक्षिण रेलों पर कुछ मामलों को छोड़कर जहां यह कार्य विभागीय तौर पर किया जाता है । रेल प्रशासन द्वारा विभागीय् रूप से नियोजित व्यक्ति रेल कर्मचारी हैं जबकि ठेकेदारों/श्रमिक ठेका सहकारी समितियों द्वारा नियोजित व्यक्ति रेल कर्मचारी नहीं हैं ।

माननीय सदस्य संभवत: केन्द्रीय. सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड का हवाला दे रहे हैं जो कोयला तथा राख सम्हलाई के कार्यों में लगाये गये ठेका-श्रमिकों द्वारा किये गये कार्यों की स्थाई प्रकृति के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था । तथापि, उक्त बोर्ड काफी विचार-विमर्श करने के बाद इस आम राय पर पहुंचा था कि इंजन शेडों में कोयला तथा राख सम्हलाई कार्य में ठेका श्रमिक पद्धति समाप्त कर दी जाये, यद्यपि रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों का इससे मतभेद था । रेलों पर यानान्तरण शेडों में माल के लदान तथा उतराई से सम्बन्धित मुद्दे पर 1977 में इस बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया था ।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : दिये गये विवरण से मुझे कुछ आश्चर्य हुआ है । भाग (ग) का तो बिलकुल उत्तर ही नहीं दिया गया । इसे बड़ी सुगमता से उत्तर दिये बिना ही छोड़ दिया गया है । मैंने पूछा है, "यदि हां, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जाना है और इसमें कब सुधार किये जाने की सम्भावना है ? और इसका बिलकुल उत्तर नहीं दिया गया है ।

महोदय, विवरण में बताया गया है कि सलाहकार बोर्ड किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है । यदि यह बात ठीक है, तो मैं यह आरोप लगाती हू कि बोर्ड को रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि ने ऐसे निष्कर्ष न निकालने के लिए राजी कर लिया होगा क्योंकि 1972 में ही मियां भोय अभिकरण ने सुझाया था कि कोयले का लदान करने तथा उसे उतारने का काम स्थायी स्वरूप

का है और इसलिए ठेका श्रमिक तो क्या नैमित्तिक श्रमिकों को भी नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतः, नये सिरे से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है। निष्कर्ष तो सामने था, जो बहुत पहले निकाला जा चुका था। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि मियां भोय अधिकरण ने यह रवैया अपनाया था ? रेल प्रशासन पूंजीपतियों की तरह बर्ताव कर रहा है। जब भी वे ऐसा चाहते हैं तब वे श्रमिकों को निकाल देते हैं और उनकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। 16 से 20 वर्ष तक काम करने वाले हजारों श्रमिकों को निकाला जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मुझे प्रश्न बनाने दीजिए। इसका संबंध रेलवे के हजारों श्रमिकों से है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रणघाट लोको शैड में ठेका श्रमिक लगे हुये हैं। ये सभी लोग 15 से 20 वर्ष से काम कर रहे हैं और उन्हें कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है इसलिए मेरा प्रश्न है (**व्यवधान**)। मैं प्रश्न बना रही हूं।

सर्वप्रथम, क्या मियां भोय अधिकरण ने भी कहा था कि यह स्थायी स्वरूप का काम है और इसके लिए किसी नैमित्तिक श्रमिक को नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मेरे प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मेरे पास मंत्रालय का वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन है। इसमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के बारे में कहा गया है और इसमें बताया गया है :

"केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों ने ठेका श्रम पद्धति के प्रश्न पर विचार किया है और वे इस समय भी विचार कर रही हैं।"

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप अपना विशिष्ठ प्रश्न पूछिये।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मैं इसे पूछ रही हूं।

इसमें बताया गया है, कि "ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 का लक्ष्य ठेका श्रम पद्धति का उत्सादन करना तथा उन स्थानों पर वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करना है जहां ठेका श्रम पद्धति का उत्सादन करना सम्भव नहीं है।"

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मैं यह प्रश्न पूछ रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न खो जायेगा।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को देखते हुए, क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि रेल मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने से रोका था ? यह मेरा प्रश्न सं० (ख) है तथा एक और प्रश्न भी है ...

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई (क) और (ख) प्रश्न नहीं है। आप अपना प्रश्न खो बैठेंगी। आप घाटे में रहेंगी।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : विवरण में बताया गया है कि कोयले के लदान और उतराई के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में सामान्य मतैक्य हो गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : मेरे प्रश्न का अन्तिम भाग यह है कि क्या सरकार श्रमिकों को छंटनी से बचाने के लिए इस सामान्य मतैक्य के अनुसार तत्परता से तथा शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री ए० चार्ल्स : प्रश्न संख्या 681 भी इसी विषय से सम्बन्धित है । (**व्यवधान**) ।

श्री माधव राव सिंधिया : क्या मैं माननीय सदस्या से प्रश्नों को दोहराने का अनुरोध कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप सही प्रश्न पूछिये ताकि आपको उसका उत्तर मिल सके । अधिक प्रश्नों में आप अपना मुख्य प्रश्न खो बैठेंगी । आप केवल एक ही प्रश्न पूछिये ।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : जी नहीं । मैंने भाग (1), भाग (2) और भाग (3) के बारे में कहा है । भाग (1) मियां भोय अधिकरण के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले भाग में एक प्रश्न पूछिये और अनुपूरक प्रश्न में प्रश्न का दूसरा भाग पूछिये ।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : नहीं, प्रश्न (क), (ख) और (ग) हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैडम, मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : आप ने कई बार अनुमति दी है । हमेशा अनुमति दी जाती है । मैं इन सभी वर्षों से देख रही हूं कि इसकी अनुमति दी जाती रही है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । तब हम प्रयास कर सकते हैं कि क्या वह आपके प्रश्नों को समझ सकते हैं और उनका उत्तर दे सकते हैं ।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : मेरा प्रथम प्रश्न मियां भोय अधिकरण के बारे में है । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या 1972 में इस अधिकरण ने कहा था कि कोयले के लदान तथा उतराई के लिये नैमित्तिक श्रमिकों को न लगाया जाये ?

भाग (ख) क्या 1978-79 में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के सन्दर्भ में श्रम मंत्रालय के प्रतिवेदन में ठेका श्रम पद्धति पर विचार किया गया था और क्या यह रेल मन्त्रालय ही था जिसने श्रम मंत्रालय को अधिसूचना जारी न करने के लिए राजी किया था ?

भाग (ग) क्या अब सरकार ऐसे काम पर ठेका श्रमिकों को न लगाये जाने के सम्बन्ध में सामान्य मतैक्य के अनुसार कोई शीघ्र कार्यवाही करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : और (क) आप किस भाग का उत्तर देंगे ?

श्री माधव राव सिंधिया : आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि जिस ढंग से यह प्रश्न पूछा गया है, मैं निश्चय ही थोड़ा सा भ्रम में पड़ गया हूं । और यदि मैं कोई गलत उत्तर दे बैठूं तो आप मुझे गलत न समझियेगा ।

रेल श्रम अधिकरण ने 1969 में लोको शैडों में कोयले के लदान और उतराई का काम करने के लिए नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों को मजूरी का भुगतान करने के प्रश्न पर विचार किया था । किन्तु नैमित्तिक श्रमिक रेल मन्त्रालय द्वारा सीधे नियोजित किए जाते हैं । जबकि यह प्रश्न वास्तव में ठेका श्रमिकों से संबंधित है । यह बात सच है कि इस रेल श्रम अधिकरण विशेष ने यह अवश्य कहा था कि लोको शैड में इंजनों, आदि में कोयले के लदान के ऐसे कार्य के लिए नैमि-

त्तिक श्रमिकों को नियोजित किया जाता है, जो विरामी और मौसमी तरह का प्रतीक नहीं होता है और इसलिए यह नैमित्तिक श्रम की धारणा की परिधि में नहीं आ सकता है। किन्तु यह रेल मन्त्रालय द्वारा नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों के संबंध में था और ठेका श्रम के सम्बन्ध में नहीं था जिसका उल्लेख इस प्रश्न में है।

प्रश्न का भाग (ग) केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड द्वारा गठित त्रिपक्षीय समिति के बारे में था, जिसमें रेल मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि थे। इस त्रिपक्षीय समिति ने ठेका श्रम पद्धति का उत्पादन करने के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। रेल मन्त्रालय के प्रतिनिधियों की इस बारे में कुछ आपत्तियां थीं। यह मामला केन्द्रीय ठेका श्रम बोर्ड के सामने गया था और दिसम्बर 1977 में उन्होंने ठेका श्रम पद्धति को उत्साहित करने की सिफारिश की थी, यद्यपि रेल मन्त्रालय के प्रतिनिधियों ने आपत्तियां की थीं। यह सच है कि श्रम मन्त्रालय ने यह मामला रेल मन्त्रालय के पास भेजा था जिसने श्रम मन्त्रालय को परामर्श दिया था कि रेल मन्त्रालय विभिन्न कारणों से लदान तथा उतराई के लिए ठेका श्रम पद्धति के उत्पादन को वांछनीय नहीं समझता है।

अध्यक्ष महोदय : एक सीधा तथा सरल प्रश्न पूछना ही सदैव बेहतर होता है ताकि इसका उत्तर दिया जा सके।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मेरे मूल प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैडम, यह अनुचित है और मैं आप से अनुरोध करता हूं कि भविष्य में भी आप निश्चित प्रश्न पूछा कीजिये ताकि उसका उत्तर दिया जा सके। हर समय प्रश्नों का समूह नहीं हो सकता है। कृपया बैठ जाइये।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : अब मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछती हूं। 24-2-82 को दिए गये एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कर्मकारों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिये और ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 की धारा 25 (2) (V)(6) के अनुसार ठेका श्रमिक उतना वेतन पाने के हकदार हैं जितना अन्य रेलों में एक समान काम के लिये स्थाई कर्मचारियों को मिलता है। रेल प्रधान नियोजक है और मैं जानना चाहती हूं कि क्या वे इस बात का सुनिश्चय कर रहे हैं कि ठेका श्रमिक को एक समान काम के लिए अन्य स्थानों पर रेलों के स्थाई कर्मचारियों के समान ही वेतन मिले।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय महिला सदस्य ने कहा है कि उनके प्रश्न में खंड (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने अपने प्रश्न के खंड (ख) में पूछा है। "रेलवे सलाहकार बोर्ड द्वारा कौन-कौन से कार्य स्थायी प्रकृति के घोषित किए गए हैं।" रेलवे सलाहकार बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है और मैंने सोचा कि आपका अभिप्राय केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड से है और हमने प्रश्न का उत्तर यह मानकर दिया है कि आपका अभिप्राय उससे ही है।

जहां तक ठेका श्रमिक का विधि की परिधि के अन्तर्गत होने का सम्बन्ध है, ठेकेदारों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा में इस बात का कड़ा उपबन्ध किया गया है कि उसे विधि के अनुसार काम करना है और उसे ठेका श्रम विधि के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सुविधायें देनी होंगी।

श्री मानिक सान्याल : महोदय, माननीय रेल मन्त्री ने अपने उत्तर में इसकी पुष्टी की है कि कुछ क्षेत्रों में ऐसे कार्यों को विभागीय तौर पर किया जाता है, परन्तु कुछ क्षेत्रों में वैसे ही कार्यों को ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है। यह भेदभाव वाली नीति है और यह बिल्कुल ही भेद-भावपूर्ण है क्योंकि श्रमिक एक ही रेल प्रशासन के अधीन काम कर रहे हैं और प्रश्न यह है कि रेल प्राधिकारियों द्वारा यह भेद-भाव क्यों बरता जा रहा है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करना चाहती है तो रेल प्राधिकरण इसे क्यों जारी रखना चाहता है। यह एक ही प्राधिकरण के अधीन विरोधात्मक स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने पहले ही दे दिया है।

श्री मानिक सान्याल : महोदय, इसका उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, वह इसका ठीक उत्तर चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मानिक सान्याल : इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि इस कार्य को विभागीय तौर पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस पर लम्बी चर्चा की आवश्यकता है।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, रेल मन्त्रालय विभिन्न कारणों से माल लादने तथा उतारने के कार्य में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करना वांछनीय नहीं समझता है क्योंकि जहां तक इन लोको शेडों में कार्य के बोझ का सम्बन्ध है, उसमें बहुत ही भारी कमी-बेशी होती रहती है **(व्यवधान)**। कार्य में कमी-बेशी होने के कारण अनेक बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग फालतू बेकार बैठे हैं। इसी प्रकार कभी-कभी भारी मांग हो सकती है और श्रमिक उस कार्य को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते। अतः यह हमेशा देखा गया है कि इसे विभागीय तौर पर करने के बजाय ठेका श्रमिकों को देना ज्यादा अच्छा रहता है। कर्षण प्रणाली में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाप के इन्जनों का स्थान डीजल तथा बिजली इंजन ले रहे हैं। गेज परिवर्तन का काम भी प्रगति पर है जिससे यानान्तरण के स्थानों पर कार्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है क्योंकि यानान्तरण स्थान बराबर बदलते रहते हैं। अतः किसी को यह पता नहीं होता कि फालतू श्रमिकों का क्या किया जाए। इसी प्रकार स्टीम लोको शेड भी बन्द हो रहे हैं। अतः ऐसी भारी कमी-बेशी की स्थिति में यह कार्य विभागीय तौर पर कराने के स्थान पर ठेका श्रम प्रणाली के माध्यम से कराना अधिक कार्य-कुशल समझा गया।

डा० दत्ता सामन्त : महोदय, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम तो है। लेकिन संघ को यह अधिकार नहीं है कि वह ठेकेदार से मजदूरों को स्थायी करने के लिए कहे। तथापि मैं इसमें सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। यहां, यद्यपि कार्य स्थायी प्रकृति का है, कर्मकार 10 अथवा 15 वर्षों से ठेका श्रम के आधार पर काम कर रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्रालय यह परामर्श देने जा रहा है कि ठेका श्रमिकों को स्थायी किया जाय।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है……

अध्यक्ष महोदय : आप इतने सारे प्रश्न एक साथ क्यों पूछना चाहते हैं ? मैंने श्रीमती गोस्वामी को भी एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है । मैं आपके दूसरे प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं । मन्त्री महोदय, आप केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दें ।

डा० दत्ता सामन्त : यह मेरा अन्तिम प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बहुत ही सख्ती बरतने जा रहा हूं ।

डा० दत्ता सामन्त : महोदय, मेरा प्रश्न यह है । ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम के अनुसार ठेका श्रमिक स्थायी श्रमिक के बराबर मजदूरी पाने का हकदार है । ठेका श्रम अधिनियम में इसकी स्पष्ट उपबंध है । क्या सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि इन ठेका श्रमिकों को स्थायी मजदूरों के समान मजदूरी मिले, चाहे ठेकेदार कोई हो ?

श्री माधवराव सिंधिया : मैं पहले कह चुका हूं कि ठेकेदार जो कुछ भी करता है वह विधि के अन्तर्गत किए गए करारों से बंधा है ।

रेल प्रशासन लगाये गए ठेका श्रमिकों के रोजगार की दशा की रक्षा करने की दृष्टि से ठेका की सामान्य शर्तों में अपेक्षित उपबंध किया गया है, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित ठेकेदार से अपेक्षा की गयी है कि वह मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के सांविधिक उपबंधों का पालन करे ।

डा० दत्ता सामन्त : मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट है । चूंकि रेल विभाग प्रधान नियोजक है, इसलिए क्या वे ठेकेदारों को निदेश देने जा रहे हैं अथवा नहीं ?

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : इस पर चर्चा की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं । कृपया बैठ जाइए । अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० वी० वेंकटेश ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निदेश देने का कोई प्रश्न ही नहीं है । मैंने अगला प्रश्न ले लिया है । मैं उत्तर से संतुष्ट हूं ।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

अनर्ह डाक्टरों द्वारा प्रैक्टिस

*674. **श्री डा० वी० वेंकटेश :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने, भारत में अनर्ह डाक्टरों द्वारा प्रैक्टिस किए जाने के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या सर्वेक्षण से यह पता चला है कि देश में चार लाख फर्जी डाक्टर हैं;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में अनर्ह डाक्टरों को प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 में इस आशय की दाण्डिक व्यवस्थाएं पहले से ही मौजूद हैं कि राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज चिकित्सकों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा और जो भी व्यक्ति इन उपबन्धों का उल्लंघन करेगा उसे एक वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती हैं । भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे इन दाण्डिक व्यवस्थाओं को लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सा व्यवसाय में किसी भी तरह से कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति शामिल न हो पाए ।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, इस ग्राम-प्रधान देश में नीम-हकीम तथा अनर्ह डाक्टर हमारे देश की निरक्षर जनता का शोषण कर रहे हैं । वे गांवों में जाकर बड़े सर्जनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसाकि आपको अच्छी तरह मालूम है उन्होंने विषाक्त दशाओं में अनेक लोगों के उदर खोले हैं और आंखें खोली और निकाली हैं ।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार का विचार इस देश में नीम हकीमी की बुराई को दूर करने हेतु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने का है अथवा क्या सरकार चिकित्सा व्यवसाय का उच्च स्तर बनाये रखने तथा ग्रामीण जनता को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा कालेजों द्वारा भारी दान लेने की प्रथा को समाप्त करने हेतु कोई विधान बनाने जा रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य का यह एक सुझाव है जिसे मैं ध्यान में रखूंगा, यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री वी० वेंकटेश : क्या सरकार का विचार सादा डाक्टरों को रखने तथा उन्हें पारम्परिक औषधियों में, जो ग्रामीण गरीब लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हैं, प्रशिक्षित करने का है ताकि नीम हकीमों के शोषण को समाप्त किया जा सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम भारतीय चिकित्सा पद्धति, विशेषकर आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी पद्धति को लोकप्रिय बना रहे हैं और इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में प्रशिक्षित अनेक डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत हम एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों में स्वास्थ्य निर्देशकों (हैल्थगाइड) की व्यवस्था भी कर रहे हैं । उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी हैं । इस देश में चिकित्सीय देखभाल के लिए एक तंत्र उपलब्ध है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए और अधिक व्यवस्था की जाएगी ।

श्री कमलनाथ : ग्रामीण क्षेत्रों में ही केवल अप्रशिक्षित अथवा नीम-हकीम अथवा नकली डाक्टरों का प्रश्न नहीं है, बल्कि शहरी क्षत्रों में भी यह बुराई देखी जा रही है और यह मामला

इस सभा तथा राज्य सभा में भी आ चुका है। हमने देखा है कि ऐसे अनेक डाक्टर यौन रोग दूर करने का दावा करते हैं और पुरुसत्व तथा ताकत बढ़ाने की बात करते हैं। मुझे उनके बारे में बताया गया है, मैं उनके बारे में नहीं जानता। मैं उनके पास कभी नहीं गया हूं। यह समस्या न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी है। यह हमारे नियंत्रण से बाहर है।

अतः, सरकार इन नकली डाक्टरों और नकली व्यवसायियों के बारे में क्या कर रही है?

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य कहते हैं कि वह उनके पास कभी नहीं गए और फिर भी वह कहते हैं कि वे नकली डाक्टर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उनके पास जाने के लिए कहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मन्त्री या तो इसकी पुष्टि करें अन्यथा इसे इन्कार करें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य, अपने मित्र को ऐसे डाक्टरों के पास न जाने की सलाह दूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मन्त्री का अनुभव बहुत प्रामाणिक होना चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैंने पहले कहा था सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी सभी तीनों के अधिनियमों के अन्तर्गत दंड का प्रावधान है और हमने राज्य सरकारों को पहले ही उनका पता लगाने और इस अभिशाप को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

श्री के० वी० शंकरगौडा : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने अधिनियमों का उल्लंघन किया है और उनको क्या दंड दिया गया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है परन्तु 1970 के आरम्भ में कुछ अनुमान लगाया गया था कि देश में 80,000 से 1 लाख तक गैर-पंजीकृत अथवा ऐसे प्रेक्टिशनर हैं जिनके पास कोई प्रमाण-पत्र नहीं है।

परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सुव्यवस्थित सर्वेक्षण के बगैर कुछ कहना बहुत कठिन है और यह राज्य सरकार का काम है। हम राज्य सरकारों से महाराष्ट्र की तरह एक कानून बनाने या वहां पहले से काम कर रहे डाक्टरों को प्रशिक्षण देने का अनुरोध कर रहे हैं।

बंगलौर में तकनीकी विश्वविद्यालय

*675. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार को एक ज्ञापन सितम्बर, 1984 में भेजा था;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्नाटक राज्य में 40 इंजीनियरी कालेज और बड़ी संख्या में पौलीटैक्नीक हैं सरकार बंगलौर में तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने पर सहमत हो गई है; और

(ग) क्या तकनीकी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 1985-86 से आरम्भ किया जायेगा?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : तकनीकी विश्वविद्यालयों के संबंध में सरकार की नीति क्या है और तकनीकी विश्वविद्यालय स्वीकृत करने के लिए मापदंड क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कर्नाटक सरकार के संदर्भ में है, जो एक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। मेरे विचार से इसका नाम तकनीकी विश्वविद्यालय के स्थान पर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन दोनों में एक तकनीकी अन्तर है। इसलिए, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित, एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना राज्य सरकार के अधिकारों में है। इसे संविधान के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त हैं और इस मामले में उसके लिए केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है। परन्तु उसे अपने स्वयं के संसाधन सुनिश्चित करने होते हैं। वास्तव में, कर्नाटक सरकार ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक परियोजना भेजी थी, परन्तु वह योजना आयोग में चली गई। हमें सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी; उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वे इसे अपनी योजना में शामिल कर सकते हैं या नहीं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : जहां तक कर्नाटक का संबंध है, यह एक तकनीकी या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक बहुत ठोस मामला है क्योंकि कर्नाटक में 40 इन्जीनियरिंग कालेज और 100 से अधिक पोलीटेकनिक हैं और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर बनाए रखने की दृष्टि से एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करना अत्यधिक आवश्यक है। यह कहा गया है कि राज्यों को ऐसा करने के अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश वहां संसाधनों की कमी है। जो दो विश्वविद्यालय वहां आरम्भ भी किए गए थे, आपको पता है कि उनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदान जारी नहीं किया है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देने का आश्वासन दे दे तो राज्य सरकार निश्चय ही यह कार्य आरम्भ कर सकती है। कर्नाटक की विशेष स्थिति को देखते हुए—किसी भी अन्य राज्य में इतने इंजीनियरिंग कालेज और पोलीटेक्निक नहीं हैं, जितने कर्नाटक में हैं—क्या सरकार जब कर्नाटक सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जब भी अनुदान के लिए कहे, तो अनुदान स्वीकृत करने पर विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे मित्र कहते हैं कि राज्य में 40 इंजीनियरिंग कालेज और बड़ी संख्या में पोलीटेकनिक हैं। यह ठीक है। परन्तु पोलीटेकनिक विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध नहीं हैं। पोलीटेकनिकों की संख्या का, वास्तव में, कोई प्रश्न नहीं उठता है। कुछ विश्वविद्यालयों के पास कुछ पोलीटेकनिक हो सकते हैं, परन्तु आम तौर पर पोलीटेकनिक राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इंजीनियरिंग कालेजों को विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध करने का प्रश्न पूरे देश का प्रश्न है। सामान्य विश्वविद्यालयों, अर्थात सामान्य पाठ्यक्रम वाले विश्वविद्यालय,

से इंजीनियरिंग कालेज भी सम्बद्ध हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बम्बई, दिल्ली आदि जैसे विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग विभाग अथवा इंजीनियरिंग कालेज विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग के रूप में सम्बद्ध हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कहीं पर बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कालेज हैं तो वहां प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का होना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता पर उसके गुण-दोष के आधार को ध्यान में रख कर विचार किया जाना होगा।

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना

*676. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों को उच्च शिक्षा देने के लिए देश के विभिन्न भागों से नए विश्वविद्यालय खोलने की जोरदार मांग की जा रही है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस बारे में सरकार से अनुमति मांगी है और प्रत्येक राज्य ने कितने विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति मांगी है;

(ग) क्या सरकार को एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उड़ीसा से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) देश के विभिन्न भागों से नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए समय-समय पर मांग की जाती है। सरकार का यह विचार है कि नये विश्वविद्यालयों की स्थापना केवल ठोस शैक्षिक आधारों पर और जब पर्याप्त संसाधन उपलब्ध किए गए हों, तभी की जानी चाहिए।

(ख) राज्य सरकारों को नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में अपने-अपने प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चिन्तामणि जेना : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि नए विश्वविद्यालय ठोस शैक्षिक आधारों पर स्थापित किए जाने चाहिएं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि वे ठोस शैक्षिक आधार क्या हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक कालेजों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कितनी है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह विचार है कि वह नए स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता के रूप में वित्त पोषण नहीं करेगा और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : पिछले प्रश्न से आरम्भ करते हुए मैं यह कहूंगा कि इस सभा द्वारा, इससे पारित एक कानून के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संविधान के अन्तर्गत अपेक्षित उच्च शिक्षा के स्तर की निगरानी करने को कहा गया है। इसलिए उसके 1972 में कानून बन जाने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी संस्थान को इन अनुदानों के योग्य पाने पर ही अनुदान देता है। इसलिए, 1972 के बाद स्थापित होने वाले नए संस्थानों को अनु-

दान लेने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जांच में खरा उतरना होगा। यही कारण है कि सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को स्वतः अनुदान नहीं दिए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मामले की जांच करता है। मामले की जांच करते समय शिक्षा के स्तर और उपलब्ध भौतिक सुविधाओं, नियुक्त किए गए अध्यापकों की संख्या, उस स्थान विशेष में किए संस्थान की आवश्यकता जैसे अन्य सभी आधारों पर विचार किया जाता है।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या यह सच है कि उड़ीसा में उत्कल विश्वविद्यालय के अधीन 200 से अधिक मान्यता-प्राप्त कालेज हैं और बहुत से कालेजों को सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप कालेजों में अत्यधिक भीड़-भाड़ और कुप्रबंध है और परीक्षाएं आयोजित करने में अव्यवस्था की स्थिति दिखाई देती है। यदि हां, तो क्या भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बालासोर के आसपास चार जिलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए बालासोर में एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु अपनी सहमति देगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : महोदय, मुझे इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों की ठीक-ठीक संख्या की जानकारी नहीं है, परन्तु इस मामले पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। किसी कालेज को मान्यता देना या सम्बद्ध करना विश्वविद्यालय का काम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संबंध तो किसी विश्वविद्यालय अथवा कालेज को अनुदान देने का है। उस स्थिति में संसद का अधिनियम लागू होता है। अथवा यदि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो केन्द्र उसमें अन्तर्गस्त होता है। यदि राज्य सरकार यह महसूस करती है कि उस क्षेत्र में और विश्वविद्यालय होना आवश्यक है, तो मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।

प्रो० एन०जी० रंगा : जहां तक मेघालय और असम के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने, उन चार-पांच राज्यों, जो बहुत कम विकसित हैं, के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव किया था। परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी कारणवश इस प्रस्ताव को कोई प्रोत्साहन देने का इच्छुक नहीं था। क्या सरकार का वहां पर ऐसा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : कृषि विश्वविद्यालयों का काम कृषि मंत्रालय देखता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इसमें शामिल है परन्तु मुख्य प्रशासनिक निर्णय कृषि मंत्रालय द्वारा ही लिया जाता है।

श्री एस०एम० भट्टम : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक अथवा वैदिक विश्वविद्यालय अथवा संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : महोदय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का काम स्वास्थ्य मंत्रालय देखेगा। जहां तक वैदिक विश्वविद्यालय का संबंध है, यदि प्रस्ताव केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में है, तो केन्द्र उस पर विचार कर सकती है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या मैं यह जान सकता हूं कि गोवा में भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ? इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने में क्या प्रगति हुई है और इस विश्वविद्यालय की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक मुझे याद है गोवा के विधानमण्डल ने सम्बद्ध अधिनियम को पारित कर दिया है और वहां पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

श्री जी०जी० स्वैल : महोदय, माननीय मंत्री जानते हैं कि आज बड़ी संख्या में युवा वर्ग विश्वविद्यालय केवल इसलिए जाता है क्योंकि उनके पास इससे अच्छा कोई अन्य अवसर या काम नहीं होता है। इस परिणाम अत्यधिक दबाव होता है। इस प्रस्ताव को देखते हुए कि आप डिग्री को नौकरी से अलग कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि विश्वविद्यालय पर कम दबाव पड़ेगा; युवा वर्ग विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने की कम मांग करेगा? इसलिए, इस दृष्टि से क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या आप नए सिरे से नए विश्वविद्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं अथवा क्या भारत में विश्वविद्यालय की वर्तमान संख्या नहीं बढ़ायी जानी है जैसा कि हो रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : दोनों ही मुद्दे अच्छे हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि जहां आवश्यक नहीं है, उन नौकरियों के लिए जिनके लिए उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है, वहां हमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अतः, इन चीजों को अलग-अलग किया जाएगा। परन्तु इसमें अनेक जटिलताएं हैं। परन्तु फिर भी हम माननीय सदस्य द्वारा बताए गए कारण से ऐसा करेंगे।

उनके दूसरे प्रश्न पर—जो वास्तव में एक सुझाव भी है—मैं कहूंगा कि उच्च शिक्षा के लिए भारत में विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों की संख्या पर्याप्त है। 125 विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 7 केन्द्रीय क्षेत्र में हैं। सेकेंडरी स्तर पर पास करने वाले लगभग 11 लड़कों में से लगभग 9 लड़के उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। यह बहुत उच्च प्रतिशत है। अतः, बारीकी से देखने से, इस समय उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की संख्या पर्याप्त है। अतः, साधारणतया, (जब तक स्थानीय स्थिति की यह मांग न हो और जब तक उसके कुछ विशेष कारण न हों) मैं कहूंगा कि बारीकी से देखने से लगता है कि इस समय विश्वविद्यालयों की संख्या पर्याप्त है। परन्तु, हमारे देश के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाली किन्हीं विशेष स्थितियों पर विचार करना ही पड़ेगा।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : सर, मैं माननीन मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां पर राज्य सरकारें आर्थिक और वित्तीय साधनों की कमी के कारण इन स्कूलों को ज्यादा अच्छी तरह से चलाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची है, तो उसके लिए केन्द्रीय सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अध्यक्ष महोदय, अब राज्य सरकार की इस जिम्मेदारी को केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर नहीं ले सकती है। किसी संस्था को अगर राज्य सरकार ने चलाना है, तो राज्य सरकार को ही उसको चलाने के लिए जो साधन चाहिए, वे मुहैय्या करने पड़ेंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय बिश्वास : असम में कछार जिले के लोग कछार जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की लगातार मांग करते रहे हैं। वहां के छात्रों ने पहले ही एक आन्दोलन आरम्भ

कर दिया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का असम के कछार जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह समस्या तब खड़ी हुई थी जब डिब्रूगढ़ और गोहाटी इन दोनों विश्वविद्यालयों में असमी को शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया था। इसकी कछार में प्रतिक्रिया हुई। तभी से कछार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग हुई है। अब, फिलहाल, असम विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी को भी शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम के रूप में जारी रखने का निर्णय ले लिया है। बहरहाल, उस क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा और हमें सभी वर्गों को सन्तुष्ट करने का कोई तरीका ढूंढने का प्रयास करना है—चाहे वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हो अथवा किसी अन्य माध्यम से हो। हमें इस पर विचार करना होगा। मैं इस समस्या से अवगत हूं। हम संतोषजनक हल ढूंढने की भरसक कोशिश करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

*677. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में सात से दस गुना अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति औसत खपत कितनी थी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति खपत का रिकार्ड अलग-अलग नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) : अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है फिर भी सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं है कि शहरी व्यक्तियों को कितनी बिजली मिल रही है और देहात के लोगों को कितनी बिजली मिल रही है। इनके पास अलग-अलग कोई आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के बारे में अनभिज्ञ हूं, लेकिन फिर भी इतना जरूर समझता हूं कि शहर में 90 प्रतिशत तक कम से कम बिजली का विकास हुआ है, 90 प्रतिशत लोगों को बिजली का कनजम्पशन हो रहा है, लेकिन देहात में 2 प्रतिशत है। यह बहुत बड़ी विषमता है। क्या इस विषमता को दूर करने के लिए भारत सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां तो क्या है और उसके क्या डिटेल्स हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं इस बात से बिलकुल इंकार नहीं करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का उपभोग, विशेष रूप से घरेलू उपभोग, शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोग से बहुत ही कम है। यह सच है, परन्तु मेरे मित्र को यह भी याद रहना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत का लगभग 17 से 18 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के पंपसेट चलाने

के लिए चला जाता है। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी भी दे दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखने के लिए ग्रामीण विद्युतिकरण निगम है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसके पास पर्याप्त धन नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : देश में कुल 5.76 लाख गांवों में से लगभग 3.68 लाख गांवों को अर्थात लगभग 63.9 प्रतिशत का 31 मार्च, 1985 तक विद्युतीकरण किया गया था। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और केरल में शत प्रतिशत विद्युतीकरण पहले ही हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में शत प्रतिशत विद्युतिकरण होने वाला है। निःसन्देह अन्य कई राज्य हैं जो इस मामले में पिछड़ रहे हैं। विद्युत उपभोग को कृषि, घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि श्रेणियों में रखा जाता है। इन बातों के संदर्भ में ग्रामीण अथवा शहर वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत गांवों में अभी तक बिजली पहुंच चुकी है ? बिहार के देहातों में बिजली बिलकुल शून्य है, इसलिए इसके विकास के लिए आपकी भारत सरकार क्या करने जा रही है या आपने बिहार सरकार को कोई डायरेक्शन या ऐड दिया है ताकि यह बिजली लोगों को सुलभ हो सके।

अध्यक्ष महोदय : अगर बिजली ही नहीं है तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हृदय और अति उद्वेग के रोग

[अनुवाद]

* 669. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय तथा अति उद्वेग रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) सरकार का आम आदमी को सस्ती दवायें उपलब्ध कराके इन रोगों की रोकथाम और उपचार में-सहायता के लिए क्या करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विभिन्न प्रकार की दिल की बीमारियों और हाइपरटेंशन के उपचार के लिए कई कारगर और सस्ती दवाइयां उपलब्ध हैं। लेकिन ऐसे अधिकतर मामलों में दवाओं द्वारा पूरी तरह रोगमुक्त होना सम्भव नहीं है। सरकार ने मोटे तौर पर यह रास्ता अपनाया है कि इन रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा के उपाय बढ़ाये जायें जिससे ऐसी बीमारियों के होने की

सम्भावनायें कम से कम हो जायें और रोगियों को जल्दी से जल्दी यथासम्भव अपेक्षित चिकित्सा सहायता मिल जाए।

बिलासपुर और त्रिवेन्द्रम के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू करना

[हिन्दी]

* 671. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार बिलासपुर और त्रिवेंन्द्रम के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकों/सीरा सम्बन्धी कार्य

[अनुवाद]

* 672. **डा० जी० विजय रामाराव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान और विकास वैज्ञानिक मलेरिया और मैनिनजाइटिस सहित विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकों/सीरा पर कई दशकों से शोध कार्य कर रहे हैं और यदि, हां, तो इस दिशा में अब तक हुई उपलब्धियों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मैनिनजाइटिस के लिए अब आयात किए जा रहे टीकों का उत्पादन देश की उन पुरानी विभिन्न संस्थानों से अधिक प्रभावकारी तरीके से नहीं किया जा सकता था, जिनमें से कुछ संस्थान तो लगभग एक शताब्दी से अस्तित्व में हैं, और उनमें बड़ी संख्या में विदेशी अर्हता-प्राप्त शोधकर्ता नियुक्त है; और

(ग) क्या सरकार हमारे अनुसंधान संस्थानों का पुनर्निरूपण और पुनर्गठन करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) देश आज बहुत से वैक्सीनों का उत्पादन करने में स्वावलम्बी है, इनमें रोगप्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के लिए अपेक्षित वैक्सीनें भी शामिल हैं। यद्यपि मलेरिया रोधी वैक्सीन का विकास करने के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, तथापि इसका उत्पादन अभी इतना नहीं होने लगा है कि उसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जा सके।

शुद्ध पोलिसैकेराइड एण्टीजनों के बारे में जिनमें मेनिंगोकोकल वैक्सीन भी शामिल है, अनुसंधान करने और उन्हें तैयार करने की तकनोलॉजी विकसित करने के लिए मार्गदर्शी परि-योजना के रूप में एक कार्यक्रम चलाने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) यह कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों को जल्दी छुट्टी देना

* 678. **श्री अनादि चरण दास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जिन रोगियों के गुर्दे में पथरी होने जैसी गम्भीर बीमारी के लिए आपरेशन किया जाता है उन्हें भी केवल चार दिन की अवधि के अन्दर ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रोगियों को जोकि कमजोरी के कारण खड़े नहीं हो सकते, अस्पताल से इतनी जल्दी छुट्टी दिए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इस संस्थान ने सूचित किया है कि जिन रोगियों का आपरेशन किया जाता है उन सभी को अस्पताल में तब तक रखा जाता है जब तक आपरेशन के बाद की देख-भाल करने के लिए उन्हें वहां रखना आवश्यक समझा जाता है।

मैसूर रेल वर्कशाप का विस्तार और उसका दर्जा बढ़ाना

*679. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान मैसूर रेलवे वर्कशाप का विस्तार करने और उसका दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्कशाप में भारी मात्रा में मशीनें और अन्य उपस्कर बेकार हो गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) मैसूर रेलवे वर्कशाप का नवीकरण करने, दर्जा बढ़ाने और उसका विस्तार करने के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मशीनरी तथा संयंत्र की अधिकांश मदों की हालत संतोषजनक है। मशीनरी तथा संयंत्र की कुछ मदें ऐसी हैं जिनकी हालत अपेक्षित स्तर की नहीं है, लेकिन ये मदें भी इस्तेमाल के योग्य हैं।

(घ) रेल कारखानों में मशीनरी और संयंत्र का बदलाव वार्षिक मशीनरी एवं संयंत्र कार्यक्रम के माध्यम से आयु एवं हालत के आधार पर किया जाता है। धन का आबंटन समग्र संसाधनों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान मैसूर कारखाने के लिए लगभग 300.00 लाख रुपये के मूल्य की मशीनरी और संयंत्र के बदलाव की मंजूरी दी गई है।

विद्युतीकरण कार्यालय का नागपुर से इलाहाबाद को स्थानान्तरण

*680. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विद्युतीकरण कार्यालय को नागपुर से इलाहाबाद स्थानान्तरित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विद्युतीकरण के वर्तमान कार्यालय को नागपुर से हटाकर इलाहाबाद ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोको शेडों में ठेका-श्रमिकों की छंटनी

*681. **श्री अजय विश्वास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजलीकरण और विद्युतीकरण के कारण लोको शेडों में कार्यरत अधिकाधिक ठेका-श्रमिकों की छंटनी की संभावना है;

(ख) क्या ये ठेका श्रमिक ऐसी नौकरियों पर कार्य करते हैं जिन्हें रेल सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1977 में स्थायी नौकरियां माना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें रेल कर्मचारी के रूप में मान्यता देने का है और उनके लिए रेलवे में ही वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (घ) रेलों पर भाप इंजन शेडों में सिंडर की उठाई तथा राखगर्त की सफाई सहित कोयले के लदान तथा उतराई का कार्य सामान्यत: प्राइवेट ठेकेदारों/श्रमिक ठेका सहकारी समितियों द्वारा नियोजित श्रमिकों के माध्यम से किया जाता है । ठेके सामान्यत: एक अथवा दो वर्ष की सीमित अवधि के लिए दिये जाते हैं । उन मामलों में जहां डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप परिचालनिक तथा प्रशासनिक कारणों से भाप इंजन शेड बन्द किये जाते हैं, वहां प्राइवेट ठेकेदारों अथवा श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को दिये गये ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं । चूंकि प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिक रेल कर्मचारी नहीं होते हैं, अत: ठेकेदारों द्वारा की गई ठेका श्रमिकों की छंटनी से संबंधित कोई सूचना रेलों द्वारा नहीं रखी जाती है ।

माननीय सदस्य सम्भवत: केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड का हवाला दे रहे हैं जो कोयला तथा राख सम्हलाई कार्यों में नियोजित ठेका-श्रमिकों द्वारा किये गये कार्यों की स्थायी प्रकृति के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था । तथापि उक्त बोर्ड काफी विचार-विमर्श के बाद इस आम राय पर पहुंचा था कि इंजन शेडों में कोयला तथा राख सम्हलाई कार्य मे ठेका श्रमिक पद्धति समाप्त कर दी जाये, यद्यपि रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों का इससे मतभेद था । लेकिन सरकार इस सिफारिश को स्वीकार नहीं कर सकी, क्योंकि कोयला तथा राख सम्हलाई के कार्य भार में कमी-बेशी होती रहती है । यह न तो मात्रा के हिसाब से बारहमासी किस्म का होता है और न ही अधिकांश कामगारों के लिए पूर्णकालिक रोजगार प्रदान कर सकता है ।

कोयला तथा राख सम्हलाई कार्य के लिए ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगार रेल कर्मचारी नहीं होते हैं और प्रत्यक्षत: भाप इंजन शेडों के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार के फालतू घोषित श्रमिकों के लिए रेल प्रशासन वैकल्पिक कार्य की व्यवस्था नहीं कर सकता ।

केरल की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

*682. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में लम्बित पड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से अनुरोध करने पर विचार करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केरल में विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने संबंधी केवल एक प्रस्ताव है जो लोअर पेरियार जल विद्युत परियोजना के लिए है। इसमें लोअर पेरियार हाईपावर केन्द्र (3460 मेगा०) का निर्माण, 220 के० वी० डबल सर्किट पारेषण लाइनों की लगभग 413 किमी० तक प्रतिष्ठापना और कोचीन, कोझीकोडे एवं कन्नानोरे के मुख्य भार केन्द्रों को फीड करने हेतु सम्बद्ध उप-केन्द्रों का निर्माण तथा अनुषंगी पारेषण तथा वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण शामिल है। विश्व बैंक ने दिसम्बर, 1984 में इस परियोजना का मूल्यांकन किया है ।

पोलावरम और इन्चम्पल्ली सिंचाई परियोजनायें

*683. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम और इन्चम्पल्ली सिंचाई परियोजनाओं के लिए जिन पर 1500 करोड़ रुपए का खर्च होगा, केन्द्रीय सरकार से सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले पर इस बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि पोलावरम परियोजना का एक केन्द्रीय परियोजना के रूप में वित्त पोषण किया जाए ।

चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है अतः इस परियोजना की वित्त व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह विकास के किसी सेक्टर या परियोजना से जुड़ी नहीं होती है।

इन्चम्पल्ली परियोजना के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में खान-पान व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेना

*684. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में खान-पान की व्यवस्था गैर-सरकारी प्रबन्ध के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत गैर-सरकारी खान-पान व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर खान-पान की व्यवस्था की विभागीय तौर पर तथा लाइसेंसदार ठेकेदारों द्वारा भी की जा रही है।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 149 स्टेशनों पर खान-पान सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें से तीन बड़े स्टेशनों पर व्यापक विभागीय खान-पान व्यवस्था है। अन्य दो महत्वपूर्ण स्टेशनों पर दोनों प्रकार की अर्थात् विभागीय और लाइसेंसदार ठेकेदार द्वारा प्रबन्धित व्यवस्था है। शेष स्टेशनों पर तथा पांच जोड़ी मोबाइल यूनिटों में खान-पान की व्यवस्था लाइसेंसदार ठेकेदारों द्वारा की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्राइवेट प्रबन्ध के अन्तर्गत चल रही सभी खान-पान यूनिटों का अधिग्रहण करने की सरकार की नीति नहीं है।

पूर्व रेल सेवा आयोग के कार्यालय को दूसरे स्थान पर ले जाना

[हिन्दी]

*685. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी रेलवे के रेल सेवा आयोग के कार्यालय को पटना से हटाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसा करने का क्या औचित्य है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है (रेल सेवा आयोगों का नाम बदलकर रेलवे भर्ती बोर्ड रखा गया है)।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में श्रीसैलम में पन-बिजली परियोजना

[अनुवाद]

*686. **श्री वी० सोमनाद्री सवरा राव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने श्रीसैलम में जहां बांध का निर्माण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और मानसून महीनों के दौरान 1000 टी० एम० सी० पानी फालतू होने की आशा है, वहां परिवर्तनीय पम्प टरबाइन्स लगाने और लगभग 1000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की योजना की एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) श्रीसैलम बाया तट बिजली घर से संबंधित संशोधित परियोजना रिपोर्ट अप्रैल, 1985 में प्राप्त हुई थी, जिसमें 110-110 मेगावाट की 9 यूनिटें प्रतिष्ठापित करने की परिकल्पना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग इस रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में इस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रश्न पर विचार इस स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद किया जाएगा।

राष्ट्रीय पन-बिजली निगम का पुनर्गठन

***687. श्री हरीश रावत :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जल आयोग को समाप्त करने का है ताकि राष्ट्रीय पन-बिजली निगम का पुनर्गठन किया जा सके और उसको मजबूत बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बदरपुर ताप बिजली घर का कार्यचालन

***688. श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बदरपुर ताप बिजलीघर अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) इस ताप बिजलीघर द्वारा अपने अधिकतम स्तर पर बिजली पैदा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस ताप बिजलीघर में खराबियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संयंत्र द्वारा कब तक अपने अधिकतम स्तर पर बिजली पैदा करने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) (1) उपस्कर में कमियों, (2) अपर्याप्त कोयला हैण्डलिंग सुविधाओं और कोयले की घटिया गुणवत्ता (3) हाइड्रोजन लीकेज और (4) कार्मिकों से संबंधित समस्याओं के कारण बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत का उत्पादन संतोषजनक नहीं है ।

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से अतिरिक्त कोयला हैण्डलिंग सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । हाइड्रोजन लीकेज को रोकने के लिए एक नया स्टेटर प्रतिष्ठापित किया गया है । 28.71 करोड़ रुपये की लागत से संयंत्र का नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है । इन उपायों के क्रियान्वयन से जिसमें 2-3 वर्ष का समय लगेगा संयंत्र के कार्यनिष्पादन में पर्याप्त सुधार होने की आशा है ।

नेवेल्ली ताप संयंत्र को सुपर ताप संयंत्र में परिवर्तित करना

[अनुवाद]

4899. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने नेवेल्ली ताप संयंत्र को सुपर ताप संयंत्र में परिवर्तित करने की सिफारिश की है ताकि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्य, कर्नाटक में आणविक संयंत्र स्थापित करने के स्थान पर बिजली का बटवारा कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है;

(ग) क्या नेवेल्ली ताप संयंत्र को सुपर ताप संयंत्र में परिवर्तित करने की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है और उसकी जांच कर लीगयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार से नेवेली ताप विद्युत केन्द्र को सुपर ताप विद्युत केन्द्र के रूप में बदलने का सुझाव देने वाली कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। दूसरे माइन कट नेवेली ताप विद्युत केन्द्र की परिकल्पना दक्षिणी क्षेत्र में सभी राज्यों के लाभ के लिए एक क्षेत्रीय विद्युत केन्द्र के रूप में की गई है।

कार्निश बायलर की स्थापना

4900. **श्री एम० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्निश बायलर को, जो कि लगभग दो दशकों से बेकार पड़ा था, आखिरकार सफलता पूर्वक लगा दिया गया है और उसने काम करना शुरू कर दिया है और यदि हां, तो कब से;

(ख) "विशेषज्ञ समिति" की सिफारिशों के आधार पर निर्मित किये जाने वाली नई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गोलियां, तरल दवाएं बनाने वाले सेक्शनों की निर्माण क्षमता में वृद्धि करने हेतु अग्रेसर किन मशीनों की खरीद करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस डिपो में निर्मित वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण सरकार का विचार मशीनों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कार्निश बायलर ने 7 जनवरी, 1985 से सफलतापूर्वक कार्य करना आरम्भ कर दिया।

(ख) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित मदों को तैयार करने के लिए विचार किया जा रहा है :—

1. **गोलियां** : अनलजीन, पेरासिटामोल, आइसोनियलिड, डेप्सोन, सल्फा-औषधियां, कैल्सियम ग्लूकोनेट, डाइथियल, कार्बामाइजिन, एल्युमुनियम, हाइड्रोक्सइिट।

2. **तरल** : परासिटामोल, सिरप, विटामिन बी काम्प्लेक्स सिरप, बेनिड्रिल टाइप एक्सपेक्टोरेंट।

3. बाह्य उपयोग के लिए बेन्जिल बेन्जोएट जैसी दवा तैयार करना।

(ग) निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मशीनरी खरीदने का प्रस्ताव है :—

1. काडमेक डबल रोटरी टेबलेट मशीन।

2. काडमेक कोल्लाइड मिल।

(घ) और (ङ) स्टाफ में वृद्धि करना कार्यभार की वृद्धि पर निर्भर करता है।

खड़गपुर रेलवे टाउन में पानी की सप्लाई में कमी

4901. **श्री भोला नाथ सेन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खड़गपुर रेलवे टाउन में पानी की मांग और उपलब्धता में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो खड़गपुर में, विशेष रूप से अधिक गर्मी के मौसम के दौरान दैनिक औसत मांग और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कमी कब से चल रही है;

(घ) खड़गपुर की पानी की सप्लाई की समस्या हल करने के लिए रेलवे विभाग का क्या अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय करने का विचार है; और

(ङ) सुवर्णरेखा नदी से पानी लेकर उसे खड़गपुर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) खड़गपुर रेल परिसर के लिए पानी की दैनिक आवश्यकता 65 से 70 लाख गैलन के बीच है जबकि वर्तमान औसत दैनिक सप्लाई लगभग 45 लाख गैलन है ।

(ग) कमी 1970 से शुरू हुई है ।

(घ) रेलवे अतिरिक्त नल कूप लगाकर और खुले कुएं खोदकर पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है । इस समय 5 नल कूप और तीन कुओं की व्यवस्था करने के लिए कार्य चल रहा है । इनके पूरा होने पर प्रतिदिन लगभग 20 लाख गैलन पानी की अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था हो जायेगी । एक और नई योजना है जिसकी लागत लगभग 53.00 लाख रुपये है और जिसमें पानी भरने की ऊपरी टंकियों और पाइप लाइनों सहित 2 कुएं खोदने और चार नलकूप लगाने की व्यवस्था है । इससे प्रतिदिन लगभग 15 लाख गैलन पानी मिलने की प्रत्याशा है । इस योजना को भी चालू वित्त वर्ष के बजट में शामिल किया गया है ।

(ङ) सम्प्रति, स्वर्णरेखा नदी (36 कि. मी. दूर) से पानी लेकर एक जल सप्लाई योजना की संभावनाओं की दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जांच की जा रही है । अभी इस योजना का ब्यौरा तैयार नहीं हुआ है ।

जोगिन्दर नगर बिजली घर को हिमाचल प्रदेश को हस्तान्तरित करना

4902. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री**, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की जनता/सरकार ने जोगिन्दर नगर बिजली घर को पंजाब से हिमाचल प्रदेश को हस्तान्तरित करने की मांग की है क्योंकि उक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त मांग के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) जी, हां । 19 अप्रैल 1967 को तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के साथ नई दिल्ली में विचार-विमर्श के बाद जोगिन्दर नगर विद्युत घर पंजाब को आबंटित किया गया था ।

गुजरात को वैगनों का आवंटन

4903. श्री अमर सिंह राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैगनों के आवंटन के सम्बन्ध में गुजरात को प्राथमिकता "ई" की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) प्राथमिकता "ई" के अन्तर्गत गुजरात को प्रतिदिन कितने वैगन आबंटित किए जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि गुजरात को सप्लाई किए जाने वाले वैगनों की संख्या उसकी मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है और क्या गुजरात राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकता "ई" से "डी" में परिवर्तित करने के लिए तथा राज्य में खनिज उत्पादों की ढुलाई के लिए वैगनों की संख्या बढ़ाने का सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। अधिमान्य यातायात अनुसूची के उपबन्ध, जिनमें विभिन्न पण्यों के संचलन के लिए प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं, वे बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों के लिए एक समान लागू होते हैं।

(ख) प्राथमिकता "ङ" के अन्तर्गत जनवरी से मार्च, 1985 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य के स्टेशनों से प्रतिदिन बड़ी लाइन के औसतन 171 माल डिब्बे और मीटर लाइन के 64 माल डिब्बे लादे गए थे।

(ग) और (घ) जनवरी से मार्च, 1985 की अवधि के दौरान गुजरात में खनिजों का लदान इस प्रकार था :

(चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से)

प्राथमिकता "ग" और "घ"		प्राथमिकता "ङ"	
ब. ला.	मी. ला.	ब. ला.	मी. ला.
12499	1617	488	1981

31-3-1985 को ब. ला. के कुल 1085 माल डिब्बों और मी. ला. के 569 माल डिब्बों की मांगें बकाया रहने की सूचना मिली है। मार्च, 1983 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें गुजरात से खनिजों के संचलन के लिए प्राथमिकता का ग्रेड बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है गुजरात से खनिजों के थोक यातायात को पहले ही "ग" और "घ" उच्चतर प्राथमिकता दी जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति

4904. श्री एल. डेनिस : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त किए जाने थे,

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं, और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में लक्ष्य की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई। लक्ष्य में कमी का मुख्य कारण धन की कमी रही है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, संविदाकारी समस्याओं, श्रमिक और पुलों के निर्माण में आधार सम्बन्धी अज्ञात समस्याओं और अप्रत्याशित प्राकृतिक विपदाओं के कारण काम अस्त-व्यस्त होने आदि से कुछ मंजूरशुदा परियोजनायें भी सातवीं योजना में चली जायेंगी।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को वित्तीय सहायता

4905. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को गैर-योजना और योजनागत वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्रीय कालेज में संकायों और छात्रों की संख्या संबन्धी पिछले तीन वर्ष का ब्योरा क्या है और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) इस अवधि में केन्द्र सरकार ने प्रति छात्र होने वाले खर्च के समक्ष कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) सरकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसके क्षेत्रीय शिक्षा कालेज एक भाग हैं, को योजनेत्तर तथा योजनागत वित्तीय सहायता देती है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्ष के वास्तविक व्यय तथा ग्रीष्म स्कूल और प्रदर्शन स्कूलों के छात्रों सहित कालेजों में दाखिल छात्रों की संख्या के आधार पर प्रति छात्र व्यय निम्न प्रकार है—

1. क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर······ 4500 रु.
2. क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, अजमेर··· 4200 रु.
3. क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल··· 4950 रु.
4. क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर··· 5100 रु.

विवरण

चार कालेजों में से प्रत्येक कालेज में छः विभाग अर्थात शिक्षा, विज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और सामान्य शिक्षा हैं और प्रत्येक कालेज में अनुमोदित संकाय-स्टाफ निम्न प्रकार है—

कालेज	विभाग	प्रधानाचार्य	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार
1	2	3	4	5	6
क्षे० शि० कालेज अजमेर		1			
	विज्ञान		1	5	15
	शिक्षा		1	4	10
	प्रौद्योगिकी			2	2

1	2	3	4	5	6
	वाणिज्य			1	2
	कृषि			1	2
	सामान्य शिक्षा			1	12
क्षे० शि० कालेज भोपाल		1			
	विज्ञान		1	5	15
	शिक्षा		1	4	9
	प्रौद्योगिकी			1	1
	वाणिज्य			1	2
	कृषि			1	1
	सामान्य शिक्षा			2	12
क्षे० शि० कालेज भुवनेश्वर		1			
	विज्ञान		1	5	15
	शिक्षा		1	4	10
	प्रौद्योगिकी		1	1	4
	वाणिज्य			1	2
	कृषि			1	1
	सामान्य शिक्षा			2	14
क्षे० शि० कालेज मैसूर		1			
	विज्ञान		3	8	26
	शिक्षा		1	4	9
	प्रौद्योगिकी			2	2
	वाणिज्य			1	2
	कृषि			1	1
	सामान्य शिक्षा			2	15

प्रत्येक कालेज में नियमित छात्रों के वर्ष-वार दाखिले के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

कालेज	दाखिला		
	1982-83	1983-84	1984-85
क्षे० शि० कालेज, अजमेर	364	367	315
क्षे० शि० कालेज, भोपाल	374	399	223
क्षे० शि० कालेज, भुवनेश्वर	469	596	683
क्षे० शि० कालेज, मैसूर	501	561	562

प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा कालेज को धन का वर्ष-वार आवंटन निम्न प्रकार है—

		योजनागत		(लाख रुपये में)	
वर्ष	अजमेर	भोपाल	भुवनेश्वर	मैसूर	कुल
1982-83	6.35	13.30	18.60	13.85	52.10
1983-84	7.55	15.56	20.75	14.34	58.20
1984-85	15.55	20.25	27.45	21.65	84.90

		योजनेतर			
वर्ष	अजमेर	भोपाल	भुवनेश्वर	मैसूर	कुल
1982-83	57.25	54.60	69.35	64.05	245.25
1983-84	65.75	66.00	79.89	75.05	286.69
1984-85	76.15	78.90	88.04	92.22	335.31

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच समझौते के लिए लम्बित परियोजनाएं

4906. **श्री आर०एम० भोये :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच कुछ सिंचाई परियोजनाएं समझौते के लिए लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तत्संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ सहमति हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर इन्चमपल्ली बहुप्रयोजनी परियोजना आंध्र प्रदेश, महारष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है। इस संयुक्त परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है। गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण ने इस परियोजना के सम्बन्ध में कुछ निर्देश दिए हैं। इस परियोजना को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हेतु राज्यों में विचार-विमर्श चल रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में हैल्थ गाइड योजनाओं का मूल्यांकन

4907. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक हैल्थ गाइड योजनाओं का मूल्यांकन शुरू किया गया है और यदि हां, तो कौन से राज्यों में, और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसमें गुजरात का आदिवासी क्षेत्र भी शामिल है; और

(ग) इस कार्य में कितनी सफलता मिली है और इसे लोकप्रिय तथा ग्रामीण लोगों के लिए इसे और अधिक लाभदायक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह योजना ग्रामीण इलाकों में काफी लोकप्रिय है क्योंकि ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं। इस योजना को लोकप्रिय तथा अधिक लाभप्रद बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) स्वास्थ्य गाइडों को सतत शिक्षा देने की एक योजना अनुमोदित कर दी गई है जिससे स्वास्थ्य गाइडों का ज्ञान बढ़ सके और वे स्थानीय लोगों को यह सलाह दे सकें कि अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और अधिक कारगर ढंग से किस प्रकार निपटा सकते हैं।

(2) ग्राम स्वास्थ्य समितियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे कि वे गांवों के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अधिक रुचि लें।

(3) दवाइयों की समय पर और नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

समन्वित बाल विकास सेवा योजना शुरू करने का उद्देश्य

4908. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित बाल विकास सेवा योजना का ब्यौरा क्या है और इसके शुरू करने का क्या उद्देश्य है;

(ख) यदि इसके कार्यकरण में किन्हीं कमियों को पता लगा है तो क्या सरकार ने इन कमियों को देखते हुए इसके कार्यकरण की प्रगति की पुनरीक्षा की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई. सी. डी. एस.) 1975-76 में शुरू की गई थी। योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(1) 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषाहार तथा स्वास्थ्य में सुधार लाना,

(2) बच्चे के उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना,

(3) मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़े जाने की जाने की घटनाओं को कम करना,

(4) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना; और

(5) बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी जरूरतों की देखभाल के लिए उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमता बढ़ाना।

समेकित बाल विकास में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जाती हैं :—

1. पूरक पोषाहार
2. प्रतिरक्षण
3. स्वास्थ्य जांच
4. संदर्भ सेवायें
5. महिलाओं के लिए पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा; और
6. अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा (3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए)

(ख) और (ग) इस योजना के कार्यों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। 33 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया था। यह मूल्यांकन प्रायोगिक आधार पर 1975-76 में शुरू किया गया था। दूसरा मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से 1983 में किया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मार्गदर्शन में कुछ मेडिकल कालेज समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में बच्चों और माताओं की स्वास्थ्य और पोषाहार स्थिति पर वार्षिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने छोटे बच्चों की मृत्यु, अति कुपोषण के शिकार बच्चों, जन्म के समय ही कम वजन वाले बच्चों के बारे में विशिष्ट अध्ययन किया है। अध्ययनों से पता चला है कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में अति कुपोषणता का प्रभाव काफी कम हुआ है, प्रतिरक्षित बच्चों के अनुपात में वृद्धि हुई है, शिशु मृत्यु दर और जन्म दर में कमी आई है। समाज के कमजोर और निर्धन वर्ग के भारी सख्या में बच्चों को इस कार्य क्रम से काफी लाभ पहुंचा है।

इन अध्ययनों से प्रशिक्षण, संगठन और पूरक पोषाहार के क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयों का भी पता चला है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई है और उसमें सुधार किया गया है। कई नियम-पुस्तकें तैयार की गई हैं। पर्यवेक्षण और प्रबोधन के लिए राज्य-स्तर पर समेकित बाल विकास सेवा सैलों की स्थापना की गई है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि दूर-दराज समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों की महिला अधिकारियों को आवासीय स्थान प्रदान किया जाए और समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए तुरन्त खाने योग्य पोषाहार खाद्यान्न तैयार किया जाए।

डा० अम्बेदकर नगर टर्मिनल का विकास

4909. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि डा० अम्बेदकर नगर टर्मिनल का अभी तक विकास नहीं किया गया है और वहां रोशनी की व्यवस्था तथा तथा बसों को खड़ा करने की सुविधा और बस शैल्टर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिससे वहां यात्रियों को असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो वहां उक्त सुविधायें प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने डा. अम्बेदकर नगर में कोई टर्मिनल नहीं बनाया है। तथापि

दिल्ली परिवहन निगम सड़क पर गाड़ियों की भीड़ से बचाने के लिए डा. अम्बेद नगर डिपो के निकट फार्मेसी कालेज के सामने की खाली जमीन में अपने वाहनों को खड़ा करता है। चूंकि यह जमीन दिल्ली परिवहन निगम की नहीं है, इसलिए इस बारे में कोई कार्य नहीं किया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के विकास के लिए धन का प्रावधान

4910. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को छठी योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के विकास के लिए मंजूरी और सहायता के हेतु गृह मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा राज्य-वार किन-किन पुलों और सड़कों के लिए धन का प्रावधान किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी हां। जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है छठी योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1353.90 लाख रु० की लागत के 19 कार्यों को अनुमोदित किया गया है। इन कार्यों पर खर्च के लिए वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमश: 50 लाख रु० और 350 लाख रु० की धनराशि दी गई थी।

विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम और राज्य	मंजूरशुदा लागत (लाख रु० में)
1	2	3
	बिहार	
1.	राजनगर-सराय केला रोड	43.13
2.	सरवांवा-दरभंगा रोड पर पुलों के लिए	49.81
3.	भंडारिया-रामकंडा रोड पर पुलों के लिए	26.29
4.	घाट बाजार हुर्दा-ओर्गा रोड	14.04
	गुजरात	
5.	गुजरात के बडोदरा, भरूच, सूरत, बलसाद, पंचमहल, साबरकंठा और बानसकंठा आदि जिलों में पुलों तथा सड़कों के विकास के लिए	143.00
	हिमाचल प्रदेश	
6.	हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहुल स्पीति और चंबा आदि जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए	92.67
7.	हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले में कार्डिग और त्रिलोकनाथ गांव में लिंक रोड के निर्माण के लिए	7.68
	मध्य प्रदेश	
8.	अचनकमार-केंउची रोड	192.27

1	2	3
9.	मदवास-कुशमी सड़क पर पुलों (संख्या 6) का निर्माण	170.04
10.	मदवास-कुशमी सड़क का निर्माण	46.35
11.	रायपुर में घुटकल-बोराई कनेरा सड़क का निर्माण	5.89
12.	बस्तर जिले में दुधवा घोटियावाही और दवेना संपर्क रोड का निर्माण	13.91
	मणिपुर	
13.	ननधर-चिगाई रोड का निर्माण	89.06
14.	गमनोन-चन्नूर रोड का निर्माण	89.02
15.	सेनापति-चम्बर रोड का निर्माण	78.04
	उड़ीसा	
16.	कोरापुट जिले में फुलकोने से संसोरापल्ली तक सड़क निर्माण	98.00
17.	कोरापुट जिले में कुली से आन्ध्र प्रदेश की सीमा तक सड़क सुधार कार्य	98.44
	राजस्थान	
18.	बांसवाडा जिले के कलिंगगर-कुशलगढ़ सड़क की सतह को काला करने व मैटलिंग करने तथा 3 पुलों के निर्माण के लिए	51.26
	तमिलनाडु	
19.	साउथ आर्काट जिले में वेल्लीमलाई परिगाम सड़क की सतह को काला करने तथा मैटलिंग करने के लिए	45.00
	कुल :	1353.90

अनुसूचित जाति कल्याण संघ, नई दिल्ली से अभ्यावेदन

4911. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या शिक्षा मंत्री 23-8-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4576-ख के भाग एक, और (ग) में दिए गए उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मामले पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं और इसमें अन्तिम रूप से निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला गृह मन्त्रालय के पास भेजा गया था, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति को 30/- रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 90/- रुपये प्रति वर्ष करने तथा वर्तमान आय सीमा को 6000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति वर्ष करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गए हैं । गृह मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे वर्ष 1985-86 के लिए बजट सम्बन्धी आवश्यकताओं सहित अपेक्षित प्रस्ताव उक्त मन्त्रालय को भेज दें ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाड़मेर और बालोतरा से आरक्षण कोटे को दुगुना करना और बाड़मेर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस में अधिक यात्री डिब्बे जोड़ना

[हिन्दी]

4912. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के "टू टियर" और "थ्री टियर" यात्री-डिब्बों में बाड़मेर और बालोतरा के लिए शायिकाओं के आरक्षण का कोटा बहुत कम है और उसे कम से कम दुगुना करने की जरूरत है;

(ख) क्या यात्रियों की संख्या को देखते हुए उक्त रेलगाड़ी में दो अतिरिक्त यात्री डिब्बे जोड़ने की भी जरूरत है; और

(ग) यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा के लिए इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। यहां तक कि इन स्टेशनों को आबंटित वर्तमान कोटे का भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डूंगरपुर और बांसवाड़ा में केन्द्रीय विद्यालय

4913. **श्री प्रभु लाल रावत** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ये विद्यालय कब खोले जाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तब विचार किया जाता है जब वे किसी प्रयोजक प्राधिकारी से निर्धारित तरीके से प्राप्त हो जाते हैं और कक्षाएं चलाने के लिए भूमि, अस्थायी आवास आदि जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । केन्द्रीय विद्यालय संगठन को डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जाली रेल टिकट छापना

4914. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जाली रेल टिकट छापने वाले किसी मुद्रणालय का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में संलग्न व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मुद्रणालय द्वारा छापी गई टिकटों को देश में किन-किन रेल स्टेशनों, रेल बुकिंग कार्यालयों और ट्रेवलिंग एजेन्सियों द्वारा बेचा गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक इसमें 9 बाहरी व्यक्तियों और एक रेल कर्मचारी के शामिल होने का पता चला है।

(ग) यद्यपि कानपुर के एक छापाखाने से पकड़े गये जाली टिकट विभिन्न गंतव्य स्टेशनों के लिए हैं, तथापि, अभी तक पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, उक्त छापाखाने में छापी गयी टिकटों की बिक्री में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन तथा सिटी बुकिंग ऐजेंसी, फरुखाबाद के शामिल होने का संदेह है।

(घ) 11.4.1985 को एक मामला पुलिस स्टेशन, कोतवाली, कानपुर नगर में दर्ज किया गया है और पुलिस द्वारा 9 बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें गोविन्दपुरी स्टेशन के एक बुकिंग क्लर्क के शामिल होने का संदेह है जिसे निलंबित कर दिया गया है।

हिमसागर एक्सप्रेस में विजयवाड़ा और नई दिल्ली से यात्रियों को टिकट जारी न किया जाना

[अनुवाद]

4915. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तवी से कन्याकुमारी जाने वाली हिमसागर एक्सप्रेस आन्ध्र प्रदेश में 14 घंटे से अधिक समय चलती है;

(ख) क्या विजयवाड़ा से नई दिल्ली की दूरी 1750 किलोमीटर और यात्रा समय 24 घंटे होते हुए भी विजयवाड़ा से नई दिल्ली और नई दिल्ली से विजयवाड़ा आने जाने वाले यात्री इस गाड़ी से यात्रा नहीं कर पाते हैं क्योंकि रेलवे अधिकारी उन्हें टिकट जारी नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र सुधार करने का है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) यह समय 14 घंटे से मामूली सा कम है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैनिनजाइटिस के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा और इसके टीके का विकास

4916. **श्री जी० भूपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार मैनिनजाइटिस के दर्ज किए गये मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसकी रोकथाम के लिए अनुसंधान और विकास विभाग के वैज्ञानिकों ने इसका कोई उपयुक्त टीका विकसित करने और उसके उत्पाद की दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो प्राप्त/अपेक्षित परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार चिकित्सा अनुसंधान और प्रशिक्षण में सुधार करेगी और इसे देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाएगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार दर्ज किये गये मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) चिकित्सा और अनुसंधान वैज्ञानिकों के मैनिनगोकोकल मैनिनजाइटिस के लिए वैक्सीन विकसित करने का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया है ।

(ग) सरकार चिकित्सा अनुसंधान पर काफी बल दे रही है और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध किया गया है ।

विवरण

भारत में मेनिनगोकोल संक्रमण के मामले

	1982	1983	1984
	सी०	सी०	सी०
आन्ध्र प्रदेश	2018	1409	663
असम	1154	8.3	784
बिहार	67	195	112
गुजरात	733	185	79
हरियाणा	58	13	25
हिमाचल प्रदेश	1984	723	44
जम्मू और कश्मीर	+	907	10
कर्नाटक	3645	1797	1331
केरल	1780	449	+
मध्य प्रदेश	790	1235	2140
महाराष्ट्र	1346	1529	775
मणिपुर	661	61	+
मेघालय	3	7	—
नागालैंड	+	7	9
उड़ीसा	657	1086	270
पंजाब	707	1613	3958
राजस्थान	948	954	1160
सिक्किम	+	+	62
तमिलनाडु	306	419	538
त्रिपुरा	464	570	76
उत्तर प्रदेश	2703	1127	300
पश्चिम बंगाल	+	+	+
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	+	—
अरुणाचल प्रदेश	+	+	+
चण्डीगढ़	102	1	—
दादर और नगर हवेली	—	—	—

दिल्ली	63	98	196
गोवा	—	—	—
लक्षद्वीप	+	—	—
मिजोरम	6	2	51
पाण्डिचेरी	2	—	1
कुल	19597	15190	12584

मी०=रोगी, —=शून्य, +=उपलब्ध नहीं।

1984 के आंकड़े अधूरे हैं।

आंकड़े अनन्तिम हैं और दोषपूर्ण कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान डेसू में आरक्षण नीति

[हिन्दी]

4917. **श्री लाला राम केन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** दिल्ली प्रदाय संस्थान में भर्ती के बारे में 18 अप्रैल, 1985 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या में 3524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेसू में दिसम्बर, 1971 दिसम्बर, 1977 और दिसम्बर, 1984 में क्रमशः कुल कितने अधिकारी थे और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी-वार कितने अधिकारी थे;

(ख) क्या यह सच है कि डेसू ने आरक्षण नीति का हमेशा उल्लंघन किया है जिसके सम्बन्ध में मंत्रालय और डेसू के अधिकारियों का समय-समय पर ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आरक्षित पदों को अनारक्षित किया गया और उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में दिसम्बर, 1971, दिसम्बर, 1977 तथा दिसम्बर, 1984 में कुल अधिकारियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	डेसू में अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति से संबंधित अधिकारी
दिसम्बर, 1971	343	शून्य
1977	485	15
1984	749	58

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों का श्रेणी-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) डेसू के अनुसार, आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है।

(ग) डेसू द्वारा कोई पद अनारक्षित नहीं किया गया है।

विवरण

डेसू में कार्यरत श्रेणीवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारी

पद की श्रेणी	दिसम्बर-71 अनु.जाति	दिसम्बर-71 अनु.जनजाति	दिसम्बर-77 अनु.जाति	दिसम्बर-77 अनु.जनजाति	दिसम्बर-84 अनु.जाति	दिसम्बर-84 अनु.जनजाति
कार्यकारी अभियन्ता	—	—	—	—	1	—
सहायक कार्यकारी अभियन्ता	—	—	—	—	9	—
सहायक अभियन्ता	—	—	4	1	28	1
सहायक मुख्य लेखापाल/ सहायक वित्तीय अधिकारी	—	—	4	—	5	—
वरिष्ठ श्रम कल्याण अधिकारी	—	—	1	—	1	—
चिकित्सा अधिकारी/ महिला चिकित्सा अधिकारी	—	—	5	—	6	—
श्रम कल्याण अधिकारी	—	—	—	—	1	—
सहायक कार्मिक अधिकारी	—	—	—	—	4	—
वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी	—	—	—	—	1	—
कैमिस्ट ग्रेड-1	—	—	—	—	1	—
जोड़	शून्य	शून्य	14	1	57	1

धनुषकोटि और पियर स्टेशन रेलवे लाइन पुनः शुरू करना

[अनुवाद]

4918. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रामेश्वरम और रामेश्वरम रोड होकर धनुषकोटि और पियर स्टेशन के लिए पुरानी रेलवे लाइन पुनः शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो यह लाइन कब तक पुनः शुरू हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

व्यपगत और अप्रचालित हो चुकी मशीनों को बदलना

4919. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की उत्पादन यूनिटों में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी व्यपगत और अप्रचालित हो चुकी मशीनों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है जिनको बदले जाने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिशुद्धता और उत्पादन शीलता से वंचित ऐसी मशीनों को बदलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(घ) रेलवे की उत्पादन यूनिटों द्वारा व्यपगत और अप्रचालित हो चुकी अब तक की बकाया सभी मशीनों के कब तक बदल दिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गतायु मशीनों के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) गतायु नाकारा मशीनों का बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, जिसकी नियमित रूप से योजना बनायी जाती है । यद्यपि बदलाव की गति धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है । इसके अतिरिक्त चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन तथा सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर का आधुनिकीकरण भी चालू है जिसमें काफी संख्या में मशीनों का बदलाव अन्तर्ग्रस्त है ।

कलकत्ता पत्तन के फालतू श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए परेषितियों से अतिरिक्त प्रभार लेना

4920. **श्री विमल कान्ति घोष** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के फालतू श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए परेषितियों के अतिरिक्त प्रभार/शुल्क का भुगतान गोदी श्रमिक बोर्ड को करना पड़ता है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के पास उपलब्ध कार्य-शक्ति का उपयोग कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में अन्य प्रयोजनों के लिए करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना के अन्तर्गत गोदी श्रमिक बोर्डों के पंजीकृत/सूचीबद्ध श्रमिक कुछ न्यूनतम गारंटी प्राप्त दिनों की शर्त पर कार्य के दिनों के लिए मजदूरी के हकदार होते हैं । वे अवकाश के साप्ताहिक दिनों, कार्य पर आने के दिनों के लिए उपस्थिति भत्ते के भी हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें कार्य मजदूरी के साथ अवकाश/साप्ताहिक अवकाश, पेंशन, उपदान बोनस के बदले अनुग्रह राशि, छुट्टी यात्रा रियायत, मुफ्त चिकित्सा सुविधा आदि नहीं दी जाती है । इन लाभों की लागत को पूरा करने के लिए गोदी श्रमिक बोर्ड, इन्हें काम पर रखने वाले स्टेवीडोरों से मजदूरी की प्रतिशतता के रूप में लेवी लेते हैं । लेवी की दर में श्रमिकों की एक योजना से दूसरी योजना में और एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में विभिन्नता होती है । यह बात कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड, जहां मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों में फालतू मजदूर हैं, पर भी लागू होती है ।

(ग) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के फालतू कार्यबल को अधिकतम आवश्यकता की सीमा तक कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

(i) श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत 935 श्रमिक स्वेच्छया सेवा-निवृत्त हुए हैं।

(ii) 122 श्रमिकों को दीर्घावधि प्रतिनियुक्ति आधार पर श्रेणी iv स्टाफ के रूप में काम करने के लिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को स्थानान्तरित किया गया है।

(iii) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के श्रमिकों को, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 8-6-84 से, कार्गो हैंडलिंग और गैर-परिचालन कार्यों के लिए प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार तट पर भी रखा जाता है।

आदिवासी बोलियों और भाषाओं के विकास हेतु अनुदान

4921. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गयी भाषाओं से इतर भाषाओं और आदिवासी बोलियों के विकास के लिए अनुदान मन्जूर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन आदिवासी भाषाओं के क्या नाम हैं और छठी योजना के अन्त तक अनुदान की कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) इन भाषाओं का विकास करने के लिए राज्यों द्वारा की गई कोशिशों और दिए गए प्रोत्साहन का भाषावार और राज्यवार क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस सूचना को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जनजातीय भाषाओं सहित क्षेत्रीय भाषाओं की प्रोन्नति तथा उनके विकास की जिम्मेदारी चूंकि राज्यों की है, अतः राज्यों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वित किए जाने से सम्बन्धित सूचना उनके पास उपलब्ध होने की सम्भावना है।

विवरण

जनजातीय सहित भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के निम्नलिखित राशियां सस्वीकृत की गई हैं :

वर्ष	जनजातीय भाषा/बोली	संस्वीकृति राशि (रु० में)
1980-81	सोरा	10,000/-
1981-82	चकमा	2,403/-
	मुन्दरी	6,000/-
	उड़ीसा की 11 बोलियों का समूह	10,000/-
1982-83	सोरा	10,000/-
	सन्थाली	14,000/-
	उड़ीसा की 11 बोलियों का समूह	20,000/-
1983-84	बोरो	8,148/-
	उड़ीसा की 11 बोलियों का समूह	30,000/-
1984-85	उड़ीसा की 11 बोलियों का समूह	20,000/-
	सन्थाली	14,000/-
	कुल	1,44,551/-

डीजली करण के बाद बम्बई सेंट्रल-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस का यात्रा-समय

[हिन्दी]

4922. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सेन्ट्रल से दिल्ली होकर फिरोजपुर के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस में 1981 तक वाष्प इन्जन का प्रयोग हो रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी गति-सीमा 75 कि. मी. प्रति घंटा थी;

(ग) क्या वर्ष 1981 के बाद उक्त रेलगाड़ी डीजल इन्जन से चलाई जा रही है और इसकी गति-सीमा 90 कि. मी. प्रति घंटा निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलगाड़ी की गति-सीमा बढ़ाये जाने के बावजूद उक्त रेल गाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने हेतु उतना ही समय लेती है जो 1981 से पहले लेती थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या का कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) बम्बई-बड़ोदरा खंड को छोड़कर 23 डाउन/24 अप भाप कर्षण से चलायी जा रही थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) डीजली करण के बाद रफ्तार नहीं बढ़ायी गयी है। भाप इंजन से भी इन गाड़ियों की निर्धारित रफ्तार 90 कि. मी. प्रति घंटा थी। तथापि, डीजलीकरण से इन गाड़ियों में लगाये जाने वाली सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता मिली है।

दिल्ली में प्राइवेट बंगाली विद्यालय

[अनुवाद]

4923. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्राइवेट प्रबन्धकों के अधीन कितने बंगाली विद्यालय हैं;

(ख) उन विद्यालयों में कितने अध्यापक और विद्यार्थी हैं;

(ग) क्या इन स्कूलों के प्रबन्धकों ने शिकायत की है कि विभिन्न सरकारी परिवारों में निर्धारित कठिन और अधिक समय लेने वाली प्रक्रियाओं के कारण उन्हें नये अध्यापकों की नियुक्ति करने में बहुत कठिनाई होती है; और

(घ) क्या इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की जायेगी और उन्हें अल्पमत विद्यालयों के अधिकारों से संबंधित सैंट जेवियर्स स्कूल, अहमदाबाद बनाम गुजरात सरकार मामला, 1974 के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की पूरी पीठ के निर्णय के अनुरूप बनाया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार शैक्षिक सत्र 1984-85 के दौरान मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त बंगली स्कूलों की संख्या 8 थी, इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 9221 थी और कर्मचारियों की संख्या 337 थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पद्धतियां अपनाई जाती हैं।

बरहन से एटा तक शाखा लाइन

4924. **श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में बरहन से एटा तक की शाखा लाइन लाभ में चल रही है अथवा उसमें घाटा हो रहा है;

(ख) यदि यह रेल लाइन घाटे में चल रही हो तो रेलवे का प्रतिवर्ष कितना नुकसान हो रहा है;

(ग) क्या सरकार के पास इस शाखा लाइन को एटा से आगे तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और प्रस्तावित विस्तार कार्य को कब तक अन्तिम रूप दे कर पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) यह शाखा लाइन घाटे पर चल रही है।

(ख) 1983-84 के दौरान इस लाइन पर लगभग 60.58 लाख रुपए का घाटा हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1990 में बिजली की आवश्यकता

4925. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि वर्ष 1990 में देश में बिजली की कुल आवश्यकता कितनी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें पन-बिजली का कितना भाग होगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) बारहवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति के अनुसार देश में 1990 तक ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 269 बिलियन यूनिट होने का अनुमान है। जल विद्युत के अंश की जानकारी सातवीं योजना अवधि को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही पता लग सकेगा।

राज्य बिजली बोर्डों को हानि

4926. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन का राज्य-वार ब्योरा क्या है तथा हानि वाले वर्षों में उनमें कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन की केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। असम और मेघालय को छोड़कर 1982-83 के वर्ष के सम्बन्ध में निवेश तथा हानि के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं। बिजली सप्लाई अधिनियम के अन्तर्गत गठित किए गए 17 राज्य बिजली बोर्डों में से 12

को हानियां हुई हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान लाभ की दर, निवेश तथा हानियों के सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(ख) हानि की अवधि के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों में किया गया निवेश तथा उनका राज्यवार कार्य-निष्पादन

(करोड़ रुपयों में)

क्र० संख्या	राज्य बिजली बोर्डों का नाम	लाभ की दर (वर्ष 1982-83 के लिए प्रतिशतता)	31.3.1983 के अन्त में निवेश	1982-83 में हानि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	+ 10.30
2.	असम	22.9	373.2	— 10.30*
3.	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	+ 9.10
4.	गुजरात	10.1	1403.6	— 12.00
5.	हरियाणा	0.9	878.1	— 55.20
6.	हिमाचल प्रदेश	8.3	211.3	— 7.30
7.	कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	+ 28.50
8.	केरल	11.1	606.1	— 3.80
9.	मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	+ 2.00
10.	महाराष्ट्र	9.9	2847.2	— 20.00
11.	मेघालय	2.7	73.8	— 1.90**
12.	उड़ीसा	7.2	563.2	— 10.60
13.	पंजाब	9.8	1382.8	— 3.30
14.	राजस्थान	2.1	1142.1	— 31.50
15.	तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	+ 5.30
16.	उत्तर प्रदेश	9.9	3270.0	— 48.50
17.	पश्चिम बंगाल	1.5	1045.9	— 34.40

(*) असम 1981-82 के लिए कालम 2 तथा 4, 31.3.82 के अंत में कालम 3

(**) मेघालय—कालम 2 तथा 4—1980-81 के लिए, कालम 3—31.3.81 के अन्त में

महरौली (नई दिल्ली) स्थित टी० बी० अस्पताल में अनियमितताएं

[हिन्दी]

4927. **श्री विष्णु मोदी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में स्थित टी० बी० अस्पताल में अपनाये जा जा रहे भ्रष्ट तरीकों और गंभीर अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में टी० बी० अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार वहां के बीमार कर्मचारियों के इलाज के लिए प्रतिमाह पृथक धनराशि देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) महरौली टी० बी० अस्पताल में अपनाए जा रहे तथाकथित भ्रष्ट तरीकों और गम्भीर अनियमितताओं के बारे में किसी विशेष शिकायत के मिलने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) लाला राम स्वरूप टी० बी० अस्पताल, महरौली को आवर्ती सहायता-अनुदान दिया जाता है जिसका पिछले तीन वर्षों का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपये लाखों में
1982-83	12.25
1983-84	14.50
1984-85	16 66

(ग) और (घ) लाला राम स्वरूप टी० बी० अस्पताल, महरौली, केन्द्रीय सरकार के क्षयरोग से पीड़ित कर्मचारियों के इलाज के लिए मान्यता प्राप्त अस्पताल है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के खर्च के रूप में इस अस्पताल को निम्नलिखित धनराशियों का भुगतान किया गया है :—

महीना	धन राशि (रुपए)
जनवरी	1,46,533
फरवरी	1,36,178
मार्च	1,37,589
अप्रैल	1,31,644
मई	1,54,271
जून	1,73,477
जुलाई	1,96,526
अगस्त	2,16,218
सितम्बर,	2,13,170
अक्तूबर	2,01,522
नवम्बर	1,75,110
दिसम्बर	1,86,400

रेलवे के कब्जे में पेड़ लगाने योग्य भूमि

[अनुवाद]

4928. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कब्जे में पेड़ लगाने योग्य कुल कितनी भूमि है;

(ख) इसके कितने क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाये गये हैं;

(ग) उन पेड़-पौधों के पनपने की दर क्या है; और

(घ) रेलवे ने कितने लोगों को गैर-कानूनी रूप से पेड़ काटने के आरोप में पकड़ा है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) इस समय वृक्षारोपण के योग्य रेलवे भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 53,436 हेक्टेयर है ।

(ख) 22,484 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्ष लगाये जा चुके हैं ।

(ग) इन पेड़ पौधों के पनपने की दर लगभग 60 प्रतिशत है ।

(घ) गैर कानूनी रूप से पेड़ काटने के आरोप में रेलवे द्वारा चार व्यक्ति पकड़े गये हैं ।

गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, विजयवाड़ा ने स्नातकोत्तर विभाग की मंजूरी के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशें

4929. **श्री जंगा रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, विजयवाड़ा में 1984-85 के लिए स्नातकोत्तर विभाग की मंजूरी के लिए सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है;

(ख) भारत में आयुर्वेदिक कालेजों को केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के निर्धारित स्तर तक लाने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत में सभी कालेजों को कितनी राशि मंजूर की जानी है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार को, आन्ध्र प्रदेश सरकार से धन के आवंटन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, धन आवंटित करने के लिए क्या कारवाई की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी हां। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, विजयवाड़ा में दो स्नातकोत्तर विभागों के उन्नयन के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा यदि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विभागों के उन्नयन के लिए सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जाएगा। वैसे, 1985-86 के बजट अनुमानों में स्वीकृत रकम केवल वर्तमान योजनाओं के लिए ही पर्याप्त है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत आयुर्वेदिक कालेजों की सुविधाओं को बढ़ाकर उन्हें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाने के लिए धन आवंटित किया जा सके ।

(ग) जी हां। राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हैदराबाद तथा निजामिया तिब्बिया कालेज, हैदराबाद के दो विभागों जिनका उस राज्य में पहले ही दर्जा बढ़ाया जा चुका है, के लिए 1985-86 के बजट अनुमानों में 5.00 लाख रुपए की व्यवस्था की जा चुकी है ।

कांडी में रेल-एवं-सड़क बुकिंग सेवा

4930. **श्री अतीश चंद्र सिन्हा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कांडी सब डिविजन के विशेष रूप से खागरा-घट और बरहामपुर स्टेशनों से गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कांडी जिला मुर्शिदाबाद में रेल एवं सड़क बुकिंग सेवा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी नहीं। मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में एक आउट एजेंसी की स्थापना करने के प्रस्ताव पर इसके वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण न होने की वजह से विचार नहीं किया गया है।

बाल श्रम को रोकने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु माताओं को आर्थिक सहायता देना

4931. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाल श्रम को रोकने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु माताओं को आर्थिक सहायता देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार बच्चों के लिए ऐसे विशेष विद्यालय खोलेगी जहां पर वह पढ़ने के साथ-साथ कुछ पैसा भी कमा सकेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) (क) : जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

यमुना विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोला-जाना

4932. **श्री राजकुमार राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना विहार में उस तथ्य के बावजूद कि उसके 70 प्रतिशत निवासी केन्द्रीय सरकार की सेवा में हैं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो वहां ऐसा औषधालय खोलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा यह कब तक काम करना शुरू कर देगा ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) तीन किलोमीटर के दायरे में रह रहे केन्द्रीय सरकार के 2000—2500 कर्मचारियों के लिए सामान्यतया एक औषधालय खोला जाता है। जमुना पार क्षेत्र में रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 औषधालय हैं। फिलहाल यमुना विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

4933. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शिशु मृत्यु-दर कम करने हेतु ग्रामीण स्तर पर प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया;

(ग) क्या उक्त योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम का कार्यान्वित करने का क्या लक्ष्य रखा गया था और क्या उपलब्धि हुई ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए छठी योजना अवधि के दौरान उपकेन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर ग्रामीण स्तर पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के कार्यक्रम प्रदान करने के कार्यक्रम में तेजी लाई गई है।

(ख) और (ग) यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने हेतु उप-केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संबंधी राज्य वार लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-एक, विवरण-दो के रूप में संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1102/85**]

सातवीं योजना के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम

4934. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान उक्त पद्धतियों के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का सातवीं योजना के अवधि के दौरान स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी सुदृढ़ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है। छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की विभिन्न योजनाओं के लिए 29.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 14.08 करोड़ रुपए चार अनुसंधान परिषदों अर्थात आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, यूनानी चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के लिए रखा गया था। छठी

योजना के दौरान इन अनुसंधानों परिषदों ने देश के भिन्न-भिन्न भागों में कई अनुसंधान यूनिटें संस्थान खोले हैं। ये यूनिटें/संस्थान विशिष्ट बीमारियों पर अनुसंधान करने के अलावा बहुत से रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। छठी योजना के दौरान स्थापित किए गए दो राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कलकत्ता के अलावा दो और राष्ट्रीय संस्थान अर्थात राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे तथा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बंगलौर भी छठी योजना अवधि में स्वायतशासी संगठनों के रूप में रजिस्टर किये गये हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान अपने-अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदानकरने के लिए आदर्श संस्था के रूप में कार्य करेंगे। छठी योजना अवधि में आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी की प्रत्येक राष्ट्रीय फार्मूलरी का एक-एक खण्ड और होम्योपैथिक भेषज संहिता का एक खण्ड प्रकाशित किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विकास के लिए सातवीं योजना की योजनाओं पर सरकार पर विचार कर रही है जिसके लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 69.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

एन० सी० ई० आर० टी० के माध्यम से राष्ट्रीय एकता परियोजना के अन्तर्गत शुरू की गई योजना

4935. **श्री राम प्रकाश :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद माध्यम से राष्ट्रीय एकता परियोजना के अन्तर्गत एक योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना देश के सभी भागों में लागू कर दी गई है और वह वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल रही है?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) सामूहिक गायन जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर एक योजना शुरू की गई थी :—

(i) सामूहिक गायन से अपने देश के प्रति देश भक्ति और गर्व और तेजस्वी दाय के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए।

(ii) बच्चों को चाहिए कि वे सभी भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति आदर और प्यार करना सीखें जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के कवियों की कृतियों सहित भारत के ताने-बाने में आन्तरिक रूप से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार इससे राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ होगी।

(iii) बच्चों को चाहिए कि वे देश और इसके लोगों के सामान्य हितों पर अवश्य सोचना सीखें।

(iv) सामूहिक गायन से अनुशासन और सहकारी सहभागिता की प्रवृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए।

(v) इससे बहुत बड़ी संख्या के लोगों में इस समुदाय से सम्बन्धित होने में गौरव तथा कलात्मक स्वतः अभिव्यक्ति के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहिए।

(vi) विश्व शान्ति के काज के लिए भारत के सकारात्मक योगदान को प्रकाशित किया जाना चाहिए।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो मुख्य कार्यकलाप आरम्भ किए गए हैं उनमें अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिबरों का आयोजन, चुनिन्दा सामूहिक गीतों वाले कैसेट तैयार करना और उनका द्विलिप्यान्तरण प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले अध्यापकों के लिए कैसेट तथा टेप रिकार्डर निशुल्क सप्लाई करना, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों को टेप रिकार्डर तथा रिकार्ड किए गए कैसेट निःशुल्क सप्लाई करना, विभिन्न प्रकाशन प्रकाशित करना, सामूहिक गायन के क्षेत्र में अध्यापकों द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन आदि शामिल हैं।

(ग) जी, हां। इस योजना का देश के सभी भागों में प्रसार कर दिया गया है और इसमें वांछित परिणामों की उपलब्धि में प्रगति हो रही है।

दौराम माधेपुरा और सिंहेश्वर के बीच रेल लाइन

4936. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दौराम माधेपुरा रेलवे स्टेशन और सिंहेश्वर के बीच रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 1974-75 में, दौराम माधेपुरा से सिंहेश्वर अस्थान तक नयी मीटर लाइन के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया गया था। यह परियोजना अर्थक्षम नहीं पायी गयी थी।

(ख) संसाधनों की बेहद तंगी और पहले से हुई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक इस प्रस्ताव पर विचार करना लंबित रखा गया है।

केरल के लिए ताप विद्युत घर

4937. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में दो ताप विद्युत घर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस हेतु स्थलों का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त विद्युत घरों की स्थापना कब तक होने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) केरल राज्य में राज्य क्षेत्र के अन्दर 2×210 मेगावाट की प्रारम्भिक क्षमता का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। अभी तक स्थल का चयन नहीं किया गया है।

विकलांगों संबंधी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और इसकी वर्ष 1984-85 के दौरान हुई बैठकें

4938. **श्री के० राममूर्ति** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांगों संबंधी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) इस परिषद की वर्ष 1984-85 में कितनी बैठकें हुई हैं; और इन बैठकों में किए गए निर्णयों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) विकलांगों को रोजगार देने सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इस समिति ने वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विकलांगों को रोजगार देने हेतु आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुपालन की कितनी बार समीक्षा की है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष में कुल कितनी धनराशि है और इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया है और परिषद का पुनर्गठन किया जा रहा है। परिषद के, जिसकी स्थापना मार्च, 1983 में की गई थी, सदस्यों की सूची अनुबन्ध-1 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1103/85]

(ख) परिषद की पिछली बैठक 29 नवम्बर, 1983 में हुई थी और 1984 में कोई बैठक नहीं की जा सकी।

(ग) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है और इसका पुनर्गठन किया जा रहा है। अक्तूबर 1982 में स्थापित केन्द्रीय रोजगार परामर्श समिति के सदस्यों की सूची अनुबन्ध-2 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1103/85]

समिति की बैठक 20 मार्च 1984 में हुई थी और विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही अनुबन्ध-3 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1103/85]

(घ) राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष में 1.16 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध है। यह धनराशि तभी खर्च की जाएगी जब विकलांगों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यों की सहायतार्थ पर्याप्त धन संग्रह हो।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा कब्जे में लिए गए प्रतीक्षालय

4939. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में धनबाद रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी की अधिकांश शाय्याओं और कमरों और वातानुकलित श्रेणी के प्रतीक्षा कक्षों में अधिकांश समय विभिन्न रेलवे कर्मचारी कब्जा जमाये रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान रेलवे कर्मचारियों द्वारा कब्जा जमाए गए प्रतीक्षा कक्षों का माह-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) अधिकांश प्रतीक्षा कक्षों को रेलवे कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने के क्या कारण हैं जबकि ये कक्ष यात्रियों के प्रयोजन के लिए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) वर्तमान नियमों के अनुसार रेलवे अधिकारी ड्यूटी पर विश्राम कक्ष की सुविधाओं के पात्र हैं बशर्ते कि रेलवे विश्राम गृहों में स्थान उपलब्ध न हो और यात्री जनता से विश्राम कक्ष के लिए कोई मांग न हो।

इस समय धनबाद स्टेशन पर एक शयनागार सहित सात विश्राम कक्ष हैं जिनमें कुल 25 पलंगों की क्षमता है। सितम्बर, 1984 से फरवरी, 1985 तक की अवधि के छः महीनों के दौरान रेल कर्मचारियों तथा भुगतान करने वाले यात्रियों द्वारा इन बिस्तरों के महीने वार उपयोग का एक विवरण संलग्न है। विवरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि रेलवे अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाये गये कुछ बिस्तरों के बावजूद भी बहुत सारे बिस्तर भुगतान करने वाले यात्रियों के उपयोग के लिए भी उपलब्ध थे।

विवरण

सितम्बर, 1984 से फरवरी, 1985 तक धनबाद स्टेशन पर विश्राम कक्षों तथा शयनागारों में बिस्तरों की उपलब्धता तथा उपयोग

	महीने के दौरान उपलब्ध बिस्तरों की संख्या	जनता द्वारा उपयोग में लाये गये बिस्तरों की संख्या	रेल कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाये गए बिस्तरों की संख्या	खाली बिस्तरों की संख्या
सितम्बर, 1984	750	461	128	161
अक्तूबर, 1984	775	454	125	196
नवम्बर, 1984	750	485	134	131
दिसम्बर, 1984	775	479	125	171
जनवरी, 1985	775	539	122	114
फरवरी, 1985	700	471	115	114
	4525	2889	749	887

इण्डियन नर्सिंग कौंसिल की बैठकों के लिए संवैधानिक अपेक्षायें

4940. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के संविधान के अनुसार एक वर्ष में उनकी कितनी बैठकें आयोजित होनी चाहिए;

(ख) इसकी गत तीन वर्षों के दौरान कितने अन्तराल पर बैठकें हुई हैं;

(ग) कौंसिल के वर्तमान प्रेजीडेंट तथा अन्य सदस्यों और कार्य कर रहे अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या कौंसिल देश में नर्सिंग स्कूलों का निरीक्षण करती है और यदि हां, तो प्रत्येक स्कूल का कितनी अवधि के बाद निरीक्षण किया जाता है; और

(ङ) कौंसिल ने विगत बारह महीनों के दौरान स्कूलों को मान्यता के प्रमाण पत्र देने के लिए कितने स्कूलों का निरीक्षण किया अथवा प्रमाणित किया कि उनका कार्य अपेक्षित स्तर का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 के सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसरण में यह परिषद् सामान्यतया वर्ष में एक बार अपनी बैठक करती है। 1983 से 1985 के वर्षों के दौरान इस परिषद् की 3 बैठकें हुई अर्थात 1983 में 2 और 1985 में एक बैठक। 198- में होने वाली यह बैठक स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का दुःखद निधन हो जाने के कारण नहीं हो सकी।

(ग) इस परिषद् के सदस्यों का चुनाव/नामांकन भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 के विभिन्न खण्डों के उपबंधों के अन्तर्गत किया जाता है। परिषद् की कार्यकारी समिति के सदस्यों और परिषद् के स्टाफ के सदस्यों के नाम क्रमशः संलग्न विवरण एक और दो में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) यह परिषद् देश के नर्सिंग स्कूलों का निरीक्षण तीन वर्ष में एक बार करती है। 1984 के दौरान इस परिषद् ने 28 स्कूलों का निरीक्षण किया।

विवरण-एक

कार्यकारी समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं—

1. डा० डी० बी० बिष्ट, डी० जी० एच० एम०	अध्यक्ष
2. श्रीमती एच० चाबुक,	उपाध्यक्ष
3. डा० पी० के० पस्टरी	
4. डा० वी० प्रभाकर राव	
5. डा० (श्रीमती) एम० डीन	
6. श्रीमती गोविन्द कान्ति शर्मा	
7. श्रीमती रीना बोस	
8. श्रीमती पी० विश्वासवरी सिवारमन	
9. श्रीमती के० एस० शाह	

विवरण-दो

स्टाफ के सदस्यों के नाम

1. श्री जी० आर० धवन	सहायक सचिव, आई० एन० सी०
2. श्री अमर सिंह	सांख्यिकी सहायक
3. जे० डी० पुरोहित	लेखापाल-सह-रोकड़िया
4. श्री एस० सी० मल्होत्रा	उच्च श्रेणी लिपिक
5. श्री गोकल सिंह	—तदैव—
6. श्री सत्यापाल सिंह	—तदैव—
7. श्रीमती एम० डी० जोसेफ	—तदैव—
8. श्री दर्शन	अवर श्रेणी लिपिक

9. श्री एच० सी० भाटिया	—तदैव—
10. श्रीमती एस० चावला	—तदैव—
11. श्री बी० पी० शर्मा	आशुलिपिक-सह-टाइपिस्ट
12. श्री हरिन्दर सिंह	अवर श्रेणी लिपिक
13. श्री त्रिलोक सिंह	दफ्तरी
14. श्री बुधी बल्लभ	चपरासी
15. श्री नानक चन्द	चपरासी

नेशनल बुक ट्रस्ट को वर्ष 1984 में आबंटित राशि

4941. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-3-1985 को समाप्त हुए वर्ष में नेशनल बुक ट्रस्ट को पुस्तकों के प्रकाशन हेतु कुल कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पुस्तकों के प्रकाशन पर नेशनल बुक ट्रस्ट ने कुल कितनी राशि व्यय की ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) वर्ष 1984-1985 के दौरान पुस्तकों के निर्माण सहित प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को 77.84 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई थी। उसी अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में न्यास का कुल खर्च लगभग 70.42 लाख रुपए है।

बिहार में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और उन पर पुल

4942. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर पुलों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, हालांकि उनका निर्माण वर्षों पहले शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर छठी योजना से पहले के सिर्फ 5 ही निर्माण कार्य है जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इन निर्माण कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें होती हैं और इनको जल्दी पूरा करने के लिए कारंवाई की जाती है। इसके लिए राज्य सरकार अपेक्षित सहयोग देती है।

विवरण

बिहार में छठी योजना के पहले के राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क और पुल जिनका निर्माण पूरा नहीं हुआ है

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (लाख रुपए में)	दिसम्बर, 84 तक प्रगति	पूरा होने की निर्धारित तारीख
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर नवादा बाईपास का निर्माण	37.89	92%	जून, 1985
2.	हजारीबाग-रामगढ़ खण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 को चौड़ा करना और फिर से सडक बनाना	47.28	92%	जून, 1985
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पुन-पुन नदी पर ऊंचे पुल का निर्माण	53.50	45%	दिसम्बर, 1986
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मोहनिया बाईपास में रोड-ओवर-ब्रिज का निर्माण	29.07	91%	जून, 1985
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर नवादा में रोड-ओवर-ब्रिज का निर्माण	16.00	85%	जून, 1985

राजस्थान में सातवीं योजना के दौरान नई रेल लाइनें बिछाना और रेल पटरियों को चौड़ा करना

[हिन्दी]

4943. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य राजस्थान में रेल लाइनों की लम्बाई दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है, और यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय राजस्थान को अन्य राज्यों के बराबर स्तर तक लाने के लिए उस पर विशेष ध्यान देगा; और

(ख) क्या राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने का अथवा रेल लाइनों का बड़ी लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) राजस्थान में मार्ग किलोमीटर देश में अधिकांश बड़े राज्यों के सदृश हैं ।

(ख) राजस्थान में चल रही निम्नलिखित नई लाइन/बदलाव परियोजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू निर्माण कार्यों के रूप में जारी रहेंगी। उनका पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

		नाम	लंबाई	टिप्पणी
नयी लाइन	(1)	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच (अंशतः मध्य प्रदेश में)	221.76 कि॰मी॰	—
	(2)	मथुरा-अलवर (अंशतः राजस्थान में)	119.7 कि॰मी॰	—
बदलाव	(1)	सूरतगढ़-बीकानेर	182 कि॰मी॰	
	(2)	दिल्ली-अहमदाबाद (अंशतः राजस्थान में)	925 कि॰मी॰	संसाधनों की बेहद तंगी के कारण इस परियोजना को आयोग द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है।

कुष्ठ रोगियों द्वारा मुफ्त राशन के लिए धरना

[अनुवाद]

4944. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कुष्ठ रोगियों ने मुफ्त राशन की मांग को लेकर धरना दिया था;

(ख) उनकी अन्य मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार इनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया कि जगत माता कुष्ठ आश्रम, तिलक नगर, के लगभग 100 कुष्ठ रोगियों ने दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के समाज कल्याण निदेशालय के कार्यालय के सामने धरना और प्रदर्शन किया था।

(ख) उनसे कोई नहीं।

(ग) अन्य राज्यों से कुष्ठ रोगियों के आगमन को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने यह नीति-परक निर्णय ले लिया है कि मुफ्त राशन केवल उन्हीं कुष्ठ रोगियों को दिया जाए जो 1 जनवरी, 1981 से पहले दिल्ली आए हैं।

मेडिकल कालेजों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर खाली स्थानों को भरना

[हिन्दी]

4945. **श्री कल्याण सिंह सोलंकी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निर्णय किया है कि वर्ष 1985-86 के दौरान पूरे देश में राज्यों के सभी मेडिकल कालेजों में 30 प्रतिशत खाली स्थानों को अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर भरा जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बारे में अनारक्षण नीति का किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाएगा ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) समादेश याचिकाओं के एक बैंच के बारे में 22.6.1984 को दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था कि किए गए आरक्षणों की वैधता पर विचार करने के बाद कम से कम 30 प्रतिशत सीटों को जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण शामिल होगा। या तो राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर अथवा प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करना है। केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की एक प्रति पहले ही सभी राज्य सरकारों को अनुपालन के लिए भेज दी है। राज्य मेडिकल कालेजों में दाखिले के बारे में दिए गए फैसले के निर्देशों को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है।

छठी योजना के दौरान विद्युत उत्पादन

[अनुवाद]

4946. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजनावधि के दौरान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 13,840 मेगावाट से अधिक नहीं हो पाई जबकि योजना में निर्धारित लक्ष्य 19,666 मेगावाट था; यदि हाँ, तो विद्युत उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि प्रथम चार वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन 12,000 मेगावाट से कम था; और

(ग) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कारंवाई की गई ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान 19,666 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 14,226 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता चालू की गई थी। पहले चार वर्षों के दौरान 11,146 मेगावाट क्षमता में वृद्धि हुई थी।

लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी के मुख्य कारण ये हैं :— (1) निधियां अपर्याप्त उपलब्ध होना; (2) आर्डर देने में विलम्ब होना; (3) संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब होना; (4) सिविल कार्यों को पूरा करने में विलम्ब होना; (5) औद्योगिक संबंध मधुर न होना आदि।

अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के शीघ्र चालू करने के लिए सघन मानिटरिंग की जा रही है। मुख्य उपस्कर सप्लाईकर्ताओं के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्य में बाधाओं को दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्थलों का दौरा भी करते हैं।

कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ

4947. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) अवकाश यात्रा रियायत का लाभ संपूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध ऐसे सभी कालेजों के अध्यापकों को उपलब्ध है जिनके अनुरक्षण का खर्च केन्द्रीय सरकार देती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कहलगांव, तल्चेर और मुरादनगर स्थित ताप सुपर बिजली परियोजनाओं का अन्धकारमय भविष्य

4948. **श्री सत्येन्द्र पाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कहलगांव, तल्चेर और मुरादनगर स्थित तीन मुख्य सुपर ताप बिजली घरों को अन्धकारमय भविष्य का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि 7 अप्रैल, 1985 को इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) संसाधनों की बाधाओं को मद्देनजर रखते हुए कहलगांव, तल्चेर और मुरादनगर परियोजनाओं समेत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के लिए 1985-86 के दौरान निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। मामला योजना आयोग के साथ उठाया गया है। सातवीं योजना के दौरान नई परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराने के संबंध में स्थिति सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् स्पष्ट हो जाएगी

गठिया रोग के लिए नया उपचार

4949. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्लास्मा द्वारा गठिया रोग का एक नए ढंग का उपचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या यह उपचार बहुत ही मंहगा है और सभी लोग इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे, और यदि हां, तो उक्त उपचार को सस्ता बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) अभी परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी, हां। वैसे इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि उपचार में स्थानीय रूप से निर्मित महगे फिल्टर इस्तेमाल में लाए जाएं।

नए डिविजनों का गठन

4950. **श्री एम०बी० रत्नम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक नया डिवीजन बनाने का प्रस्ताव है जिसका मुख्यालय नांदेड में होगा;

(ख) इससे कौन-कौन से क्षेत्र सम्बद्ध किये गए हैं और किन मंडलों से;

(ग) अन्य डिवीजनों के विस्थापित कर्मचारियों की कठिनाइयां कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) एक नया डिवीजन बनाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) जी हां।

(ख) से (घ) हैदराबाद मंडल को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नांदेड में एक मंडल मुख्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। मंडल के औपचारिक रूप से खोले जाने के समय अधिकार—क्षेत्र के बारे में विनिश्चय किया जाएगा। कर्मचारी समस्याएं, यदि कोई हुई, तो मंडल की वास्तविक स्थापना के समय हल कर दी जायेंगी।

रेल विभाग के आशुलिपिकों के ग्रेडों का दर्जा बढ़ाया जाना

4951. **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परस्पर मान्य निर्णय और द्विपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप, ग्रेडों का दर्जा बढ़ाये जाने से रेल विभाग में आशुलिपिकों की कितनी श्रेणियों को लाभ मिला है, और श्रेणीवार तथा ग्रेडवार कितना लाभ मिला है;

(ख) श्रेणीवार/ग्रेडवार, ऐसे कितने पदों का दर्जा नहीं बढ़ाया गया जिनकी मांग की गई थी/दर्जा बढ़ाये जाने पर सहमति हुई थी और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आशुलिपिकों के पिछले ग्रेडों का दर्जा बढ़ाया जाने के कुछ बकाया मामले सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) विभिन्न कोटियों के रेलवे कर्मचारियों के लिए संवर्ग पुनर्संरचना की समीक्षा के लिए रेल मंत्रालय की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। यह समीक्षा संयुक्त परामर्श तन्त्र के अधीन विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करके की जाती है। ये समीक्षाएं अनिवार्यतः परामर्शों के रूप में होती हैं। सितम्बर 1983 में संयुक्त परामर्श तंत्र की विभागीय समिति में कर्मचारी पक्ष ने कुछ प्रस्ताव तैयार किए थे जिनके अन्तर्गत 330-560 रुपए के वेतनमान में लगभग 423 पदों, 425-700 रुपये के वेतनमान में 46 पदों तथा 550-900 रुपये के वेतनमान में 334 पदों का उच्चतर वेतनमानों में उन्नयन किया जाना था जिसके फलस्वरूप इतनी ही संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलता। चूंकि विभागीय परिषद में तैयार किये गये प्रस्तावों से केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों में अपनायी गयी वेतनमान संरचना की पद्धति से मूल भिन्नता आ जाती, इसलिए इस मन्त्रालय को मजबूरन ग्रेड उन्नयन के क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। इस मन्त्रालय ने फरवरी, 1985 में 550-900 रुपये के वेतनमान में 45 पदों तथा 425-700 रुपए के वेतनमान के 291 पदों का अगले उच्चतर ग्रेडों में उन्नयन करने की स्वीकृति दी है। आशुलिपिकों के संवर्ग के लिए और कोई पुनर्संरचना करना अपेक्षित नहीं है। वेतनमानों में किसी भी संशोधन अथवा सम्पूर्ण संवर्ग के लिए सामूहिक रुप से ग्रेड उन्नयन करने के सम्बन्ध में चौथे वेतन आयोग द्वारा जांच की जानी है जिसकी सरकार ने आशुलिपिकों की कोटि सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतनमानों इत्यादि की समीक्षा करने के लिये नियुक्ति की है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा नियंत्रित होम्योपैथी औषधालय तथा दवाइयों की कमी

[हिन्दी]

4952. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कितने होम्योपैथी औषधालय चलाये जा रहे हैं और इन औषधालयों के लिए हर साल कितने मूल्य की दवाइयां खरीदी जाती हैं;

(ख) इस वर्ष कितने मूल्य की दवाइयां खरीदी गईं तथा ये दवाइयां कहां से खरीदी गईं;

(ग) क्या इस प्रकार खरीदी गई दवाइयों का भण्डार सारे साल के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन औषधालयों में दवाइयों की कमी दूर करने हेतु क्या क़दम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय नगर पालिका द्वारा 8 होम्योपैथिक औषधालय चलाये जा रहे हैं। वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान होम्योपैथिक औषधियों की खरीद के लिए क्रमशः 75,000 रु०, 64,500 रु० तथा 1,90,000 रु० का व्यय किया गया है। इस वर्ष अर्थात 1985-86 में औषधियों की खरीद के लिए 2.00 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया है।

(ख) अब तक निम्नलिखित 4 फर्मों से 35,000 रु० की दवाईयां खरीदी जा चुकी हैं।

(i) मैसर्स बेक एण्ड कोल (प्रयोगशाला) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।

(ii) मैसर्स भण्डारी होम्यो प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।

(iii) मैसर्स इण्डियन ग्लास ऐजेन्सी, दिल्ली।

(v) मैसर्स आर० के० भण्डारी (होम्यो) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।

(ग) तथा (घ) नई दिल्ली नगर पालिका के औषधालयों में अब तक होम्योपैथिक औषधियों की कमी नहीं बतायी गई है।

इन्दिरा नहर

[अनुवाद]

4953. श्री मोहर सिंह राठौर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा नहर के निर्माण पर कितनी लागत आएगी और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और इस सम्बन्ध में अब तक कितना कार्य किया गया है; और

(ख) इन्दिरा नहर से कितनी भूमि में सिंचाई की जा सकेगी और उससे कितने गांवों और लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुमोदित कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके चरण-1 तथा 2 की लागत लगभग 700 करोड़ रुपये

है । राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चरण-1 का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा चरण-2 पर मुख्य नहर का लगभग 84% तथा वितरण प्रणाली का 9% कार्य मार्च, 1985 तक पूरा हो गया है । तथापि, राज्य ने हाल ही में परियोजना के चरण-2 के क्षेत्र में संशोधन किया है जिसे आठवीं योजना के अन्त तक पूरा किए जाने की संभावना है ।

(ख) अनुमोदित कार्यक्षेत्र के अनुसार परियोजना का 11.40 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लगभग 555 गांव तथा 12 लाख लोगों को सिंचाई से सीधा लाभ प्राप्त होगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्व यूनिवर्सिटी सेवा स्वास्थ्य केन्द्र

4954. **श्री जयपाल रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्व यूनिवर्सिटी सेवा स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा स्टामपाद की खराब गोलियों के सेवित किए जाने के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट को सही पाया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या औषधि नियंत्रक को उचित जांच करने के लिए और सप्लाई करने वाले के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचना भेजी गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो औषधि नियंत्रक अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) खराब औषधि की कब और कितनी मात्रा में खरीद की गई थी और इस औषधि के निष्प्रभावी होने की तारीख क्या थी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में अनधिकृत रूप से जंजीर का खींचा जाना

4955. **श्री पी० पेंचालैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की गाड़ियों विशेषकर मद्रास और हैदराबाद तथा मद्रास और हवड़ा के बीच चलने वाली गाड़ियों में अनधिकृत रूप से जंजीर खींचे जाने की घटनाओं में बड़े पैमाने में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गाड़ियां देरी से चलती हैं और असामाजिक तत्वों और बिना टिकट यात्रा करने वालों द्वारा इस प्रकार अनधिकृत रूप से अन्धाधुन्ध जंजीर खींचने की घटनाओं के कारण गाड़ियों के पहुंचने में देरी होती है; और

(ग) यदि हां, तो अधिकृत रूप से इस प्रकार अन्धाधुन्ध जंजीर खींचे जाने को रोकने रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) मद्रास और हैदराबाद तथा मद्रास और हवड़ा के बीच कुछ खंडों पर कतिपय लम्बी दूरी की गाड़ियों में अनधिकृत रूप से जंजीर खींचने की घटनायें होती हैं जिनकी वजह से गाड़ियों के समय पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

(ग) रेल प्रशासन ने चल टिकट परीक्षकों की, जिनके साथ रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा विशेष बल और राजकीय रेलवे पुलिस के कार्मिक होते हैं, अधिकाधिक संख्या में प्रभावित खंडों

पर तैनाती करके संगठित अभियान चलाये हैं। तथापि, उल्लेखनीय है कि यह मूल रूप से कानून और व्यवस्था की समस्या है तथा इस बुराई को दूर करने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

बी० टी० स्टेशन पर दोहरी लाइनों वाला प्लेटफार्म

4956. **श्री एम० जी० घोलप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में बी० टी० स्टेशन पर दोहरी लाइनों वाले प्लेटफार्म के निर्माण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत कितनी है और इस पर अब तक कितनी प्रगति हुई है और उसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) उक्त परियोजना के लाभ और हानियां क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) इसकी लागत 969 लाख रुपये है। इसकी प्रगति 14 प्रतिशत है और इसका पूरा होना आने वाले वर्षों में धन के आबंटन पर निर्भर करेगा।

(ग) यह यात्रियों की शीघ्र निकासी में सुविधा प्रदान करेगा और थोड़े-थोड़े अन्तराल से अधिक स्थानीय गाड़ियां चलायी जा सकेंगीं। इससे कोई हानि दिखाई नहीं देती।

मुरैना, मध्य प्रदेश में रेलवे ऊपरिपुल का निर्माण

4957. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना में रेलवे ऊपरिपुल का निर्माण शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाया संख्या 1 को छोड़कर सभी कालम तैयार हो गये हैं और कैपिंग बीम डाले जा चुके हैं। पाया संख्या 1 का कार्य रुका पड़ा है क्योंकि राज्य सरकार, न्यायालय के स्थगन आदेश की वजह से भूमि की सुपुर्दगी नहीं कर सकी है। मामले पर राज्य सरकार के साथ कार्रवाई की जा रही है।

शोरानूर-मंगलौर लाइन को दोहरा करना

4958. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे की शोरानूर-मंगलौर लाइन पर केवल एकल ट्रैक की सुविधा है और गाड़ियों का आवागमन केवल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस लाइन को दोहरा बनाने और गाड़ियों की गति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) शेरुवण्णूर से मंगलौर एक इकहरी लाइन खंड है, जिस पर शेरुवण्णूर-कालीकट और कालीकट-मंगलौर खंडों में गाड़ियां क्रमशः 90 से 100 कि. मी. प्रति घंटा की अधिकतम अनुमत रफ्तार से चल रही है। इस खंड की क्षमता बढ़ाने और गाड़ियों की औसत रफ्तार में आगे और सुधार करने के लिए, इस खंड पर लाइन क्षमता के कई

कार्य चल रहे हैं तथा इस खंड पर रेल पथ की पुनर्संरचना के लिए सर्वेक्षण कार्य भी जारी है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य आरम्भ करने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जायेगी।

पिछले 12 महीनों के दौरान दर्ज किए गए मलेरिया के मामले

4959. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले 12 महिनों के दौरान मलेरिया के कितने मामले दर्ज किए गए और यह आंकड़े उससे पूर्व के 12 महिनों की अवधि के आंकड़ों से किस प्रकार तुलनीय हैं तथा इन अवधियों के दौरान इससे कितने लोगों की मृत्यु हुई; और

(ग) इस बीमारी की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अप्रैल, 1977 से मलेरिया की संशोधित कार्य योजना शुरू हो जाने से केवल कुछेक इलाकों/पाकेटों को छोड़कर शेष स्थानों पर मलेरिया के प्रकोप में आम तौर पर कमी देखी गई। किन्तु उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से निश्चय ही 1984 में मलेरिया की घटनाओं में मामूली सी बढ़ोतरी देखी गई। वर्ष 1983 और 1984 के दौरान मलेरिया के रोगियों तथा मलेरिया के कारण हुई मौतों के संबंध में अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) समूचे देश में मलेरिया का नियंत्रण/उन्मूलन करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाये गये हैं—

1. ज्वर वाले रोगियों का पता लगाने, उनके रक्त लेप लेने और उनका अनुमानित उपचार करने के लिए निगरानी कार्यकर्ता हर पखवाड़े में प्रत्येक गांव का दौरा करते हैं।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालायें ज्वर वाले रोगियों के रक्त आलेपों की तुरन्त जांच करती है और जिन रोगियों में मलेरिया के लक्षण पाये जाते हैं उनका रेडिकल इलाज किया जाता है।

3. जिन देहाती क्षेत्रों में प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या के पीछे मलेरिया के दो अथवा अधिक रोगी पाये जाते हैं उन सभी क्षेत्रों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाता है।

4. गांवों में औषध वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो काम कर रहे हैं ताकि ज्वर वाले रोगियों को अविलम्ब दवाई उपलब्ध कराई जा सके।

5. लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस विषय पर स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करने का काम तेज कर दिया गया है।

6. पी० फाल्सीपरम के संक्रामण को, जिसके कारण प्रमस्तिष्कीय मलेरिया हो जाता है, रोकने के लिए देश में प्रभावित क्षेत्रों में पी. फाल्सीपरम नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

7. मलाथियन जैसी महंगी कीटनाशी, औषधियों की खरीद करने में राज्यों की कठिनाइयों को महसूस करते हुए भारत सरकार ने राज्यों को मलाथियन की समूची मात्रा देने का निर्णय किया है जिसकी पूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी।

विवरण

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 1983 तथा 1984 के दौरान मलेरिया के रोगियों तथा उससे हुई मौतों की संख्या

क्रम सं.	राज्य संघ शासित क्षेत्र का नाम	1983 रोगी	1983 मौतें	1984 रोगी	1984 मौतें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	36386	—	45635	—
2.	असम	48146	16	50186	20
3.	बिहार	30200	6	23009	10
4.	गुजरात	264486	—	237937	—
5.	हरियाणा	138600	2	146610	3
6.	हिमाचल प्रदेश	38947	—	27966	—
7.	जम्मू और कश्मीर	9901	—	18144	—
8.	कर्नाटक	61982	—	30753	—
9.	केरल	3725	—	3946	—
10.	मध्य प्रदेश	170833	13	95405	12
11.	महाराष्ट्र	82983	1	90675	—
12.	मणीपुर	1553	1	1284	—
13.	मेघालय	11116	1	16507	—
14.	नागालैंड	5538	—	4567	—
15.	उड़ीसा	217341	50	238949	49
16.	पंजाब	177265	41	216005	58
17.	राजस्थान	88332	—	89691	—
18.	सिक्किम	35	—	27	—
19.	तमिलनाडु	62899	—	66760	—
20.	त्रिपुरा	19256	13	12792	24
21.	उत्तर प्रदेश	285618	16	387154	—
22.	पश्चिम बंगाल	39910	4	41744	6
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6405	2	4054	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	31343	1	25382	—
25.	चंडीगढ़	23306	—	24292	—
26.	दादर व नगर हवेली	1660	—	1640	—
27.	दिल्ली	42107	52	38108	40
28.	गोआ	882	—	806	—

1	2	3	4	5	6
29.	लक्षद्वीप	5	—	3	—
30.	मिजोरम	14991	5	15125	6
31.	पांडिचेरी	434	—	544	—
32.	कोल्ड फील्ड	859	—	408	—
33.	डी एन के प्रोजेक्ट	9787	15	6106	18
	योग	1916881	239	1963190	247

आंकड़े अन्तिम.

ताप बिजली घरों का प्रदूषण नियंत्रण

4960. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप बिजली घरों के लिए प्रदूषण (वायु और जल दोनों ही) नियंत्रण के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों के साथ क्या विस्तृत अपेक्षायें पालन के लिए निर्धारित की गई हैं और जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित की गई हैं; और

(घ) इसके लिए कितनी विदेशी प्रौद्योगिकी और आयात की आवश्यकता है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक्टरों का केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में सरकारी नौकरी छोड़ना

4961. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में डाक्टरों ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अस्पतालों में सरकारी नौकरियां छोड़ दी हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केन्द्रीय सरकार की सेवा कितने डाक्टरों ने ग्रहण की है और कितनों ने छोड़ी है; और

(ग) सरकार का इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठानें का विचार है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन डाक्टरों ने केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों/संस्थाओं में सेवा शुरू की/छोड़ी, उनकी वर्षवार संख्या निम्नलिखित है—

वर्ष	जिन डाक्टरों ने सेवा शुरू की, उनकी संख्या	जिन डाक्टरों ने सेवा छोड़ी उनकी संख्या
1982	357	82
1983	648	70
1984	459	80

(ग) रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की गई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय की संख्या

4962. **श्री एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कुल कितने औषधालय हैं; और

(ख) तमिलनाडु में नगर-वार औषधालयों का ब्यौरा क्या है और उसकी संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में इस समय 200 एलोपैथिक, 27 आयुर्वेदिक और 29 होम्योपैथिक औषधालय/यूनिट कार्य कर रहे हैं।

(ख) तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मद्रास में चल रही है जिसमें 12 एलोपैथिक औषधालय, एक आयुर्वेदिक यूनिट और एक होम्योपैथिक यूनिट कार्य कर रहे हैं।

कोचीन शिपयार्ड में घाटा

4963. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में कोचीन शिपयार्ड घाटे में चल रहा है;

(ख) क्या एम० ई० मराठा मिशन में लगाया गया प्रोपेलर शैफ्ट क्षतिग्रस्त पाया गया था तथा इसके स्थान पर प्रयोग किया गया अतिरिक्त प्रोपेलर शैफ्ट भी क्षतिग्रस्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप 22 लाख रुपए की हानि हुई; और

(ग) इसे आर्थिक दृष्टि से सक्षम एकक बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां, कोचीन शिपयार्ड के घाटे में चलने के निम्नलिखित कारण हैं—

(i) स्थानीय तत्वों जैसे पावर बिजली में कटौती, श्रमिक समस्याओं आदि के कारण क्षमता का अपेक्षाकृत कम उपयोग होना।

(ii) जहाजों की कीमत का सरकारी फार्मूले के आधार पर निश्चित किया जाना, जिसका उत्पादन की लागत से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

(ख) प्रोपेलर शैफ्ट के क्षतिग्रस्त होने की घटना जहाज निर्माण उद्योग में कोई अनहोनी घटना नहीं है। तथापि इस क्षति के कारण कितना घाटा हुआ, यह मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही पता लग सकेगा।

(ग) 1984-85 में बिजली की सप्लाई और श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ है और क्षमता के उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1984-85 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। कीमत निश्चित करने वाले सिद्धांत की भी, सरकार के संबद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श कर समीक्षा की जा रही है।

मधुमेह रोग के पीड़ित लोग

4964. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारत में लगभग 3 करोड़ लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हैं जिसके कारण अन्धापन गुर्दे का कार्य न करना, गैंग्रीन और दिल का दौरा पड़ने जैसी विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोगों को अपनी इस बीमारी में अपनी देखभाल स्वयं करने सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मधुमेह एक अधिसूच्य रोग नहीं है और इस रोग से कितने व्यक्ति बीमार हैं, उनकी वास्तविक संख्या मालूम नहीं है। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1979-1981 के दौरान देश के विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों में मधुमेह से पीड़ित जिन व्यक्तियों का इलाज किया गया उनकी संख्या इस प्रकार है—

वर्ष	रोगियों की संख्या
1979	4,25,527
1980	2,08,482
1981	4,91,447

(ख) "मधुमेह नियन्त्रण कार्यक्रम" नामक एक नई योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में शामिल की गई है। इस योजना की मूल नीतियों में यह बात शामिल की गई है कि मधुमेह का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख कार्यक्रम का एक भाग होना चाहिए। स्वास्थ्य देख-रेख कार्मिकों को चाहिए कि वे रोगियों को मधुमेह रोग विशेषकर सामान्य, तीव्र और पुराने विकारों के बारे में वास्तविक जानकारी दें। इस मंत्रालय की सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक योजना आयोग की फाइनल क्लीऐरेंस नहीं मिली है।

श्रीपुर गांव के निकट रेल फाटक बनाने की मांग

4965. **श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सम्बलपुर झारसुगुडा रेल लाइन पर श्रीपुर गांव के निकट एक रेल फाटक बनाने की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) मांग नये समपार की व्यवस्था के लिए है। वर्तमान नियमों के अनुसार, नये समपारों के लिए प्रस्ताव इस आश्वासन के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित होना चाहिए कि वे इसकी लागत वहन करेंगे। श्रीपुरा गांव से पत्र प्राप्त होने पर उनको सूचित कर दिया गया है कि वे राज्य सरकार से सम्पर्क करें और आवश्यक प्रस्ताव प्रायोजित करायें।

लम्बित अन्तर्राष्ट्रीय बहुद्देश्यीय परियोजनाएं

4966. **श्री एन० डेनिस :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महत्व की अन्तर्राज्यीय बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं की वित्तीय समस्याओं को हल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) केन्द्र द्वारा मंजूर की गई ऐसी कितनी परियोजनाएं लम्बित अथवा अधूरी पड़ी हुई हैं जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य से वित्त न मिलने के कारण वित्तीय कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ऐसी परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता देने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) से (ग) देश में 13 अन्तर्राज्यीय बहुप्रयोजनी परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनकी वित्त व्यवस्था केन्द्र द्वारा दी जाने वाली ब्लाक सहायता सहित राज्यों के समग्र संसाधनों में से की जाती है। राज्यों की वार्षिक योजनाओं में ऐसी परियोजनाओं के लिए अपेक्षित परिव्ययों के निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

राज्यों में जनसंख्या सलाहकार समितियों की स्थापना करना

4967. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में जनसख्या सलाहकार समितियों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इनके उद्देश्यों के बारे में ब्योरा क्या है और इनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से अनुरोध है किया गया है कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक सलाहकार एवं पुनरीक्षा तन्त्र के रूप में काम करने के लिए जनसंख्या सलाहकार परिषदों का गठन कर लें। उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक केवल एक राज्य ने ही ऐसी समिति के गठन की सूचना दी है।

यात्री और माल भाड़े से प्राप्त आय

4968. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और रेलवे में स्थित स्टेशनों से प्रारम्भ होने वाली गाड़ियों के आधार पर वर्ष 1981-82 से 1983-84 के बीच की अवधि में रेलवे वार यात्री किराये और माल भाड़े के रूप में कितनी आय हुई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में भाग (क) की औसत क्या थी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) और (ख) रेलवे लेखे न तो प्रारम्भिक स्टेशनों के आधार पर बनाए जाते हैं और न ही उन्हें राज्यवार रखा जाता है। प्रारंभिक यात्री और माल यातायात से हुई आय के रेलवे वार आंकड़े मोटे तौर पर संलग्न विवरण में दिए गए हैं :

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	4 वर्षों के लिए औसत
मध्य	यात्री	131.52	157.03	184.59	220.31	173.36
	माल	169.63	235.08	360.87	429.16	298.68
पूर्व	यात्री	87.07	109.09	122.87	145.99	116.36
	माल	247.74	377.22	513.13	612.17	437.57
उत्तर	यात्री	179.10	224.62	256.58	298.22	239.63
	माल	187.31	262.02	334.36	326.05	277.44
पूर्वोत्तर	यात्री	50.21	54.30	60.93	75.44	60.22
	माल	24.88	26.27	38.81	41.27	32.81
पूर्वोत्तर सीमा	यात्री	24.12	28.98	32.86	37.04	30.75
	माल	32.63	51.35	75.46	87.13	61.64
दक्षिण	यात्री	89.74	111.37	134.17	147.81	120.77
	माल	123.89	171.17	191.67	189.54	169.07
दक्षिण मध्य	यात्री	62.34	76.45	91.25	105.58	83.91
	माल	112.01	164.57	215.16	248.68	185.11
दक्षिण पूर्व	यात्री	56.64	70.31	83.52	97.71	77.05
	माल	445.67	674.70	839.41	977.87	734.41
पश्चिम	यात्री	135.05	156.82	194.05	231.03	179.24
	माल	266.74	362.19	388.17	419.97	359.27

कोलम्बो के प्रमुख ट्रांसशिपमेंट केन्द्र होने से नौवहन उद्योग की समस्याएं

4969. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान फीडर सेना और ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था से, जिसमें कोलम्बो प्रमुख ट्रांसशिपमेंट केन्द्र है, भारतीय नौवहन उद्योग की समस्याएं बढ़ गई हैं तथा भारतीय नौवहन कम्पनियों के पोतों को भारतीय बंदरगाहों से लम्बी दूरी के लिए पर्याप्त माल मिलने की संभावनाएं कम हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा गत दो वर्षों के दौरान फीडर कंटेनर सेवा द्वारा भारत की विभिन्न बंदरगाहों से कितना माल उठाया गया तथा कोलम्बो में माल लेने की प्रतीक्षा में खड़े विशाल मुख्य पोतों को अन्तरित किया गया; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबे और सीधे नौवहन मार्ग के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति और माल चढ़ाने-उतारनें के लिए आधुनिकतम मशीनरी की सुविधा उपलब्ध होने से जहाजों के यहाँ से जाने में समय कम लगने के कारण कोलंबो एक प्रधान पारेषण पत्तन के रूप में उभर रहा है। अभी यह सटीक रूप में कहना कठिन है कि इसका भारतीय नौवहन पर कितना प्रभाव पड़ेगा।

(ख) जिन चार बड़े पत्तनों से कोलंबो तक सहायक नौवहन सेवाओं द्वारा माल ढोया जाता है उनके बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	पत्तन का नाम	कोलंबो तक सहायक नौवहन सेवाओं द्वारा ढोया गया माल (मीट्रिक टनों में) 1983-84 में	1984-85 में
1.	मद्रास	68592	84427
2.	बम्बई	116998	179617
3.	कलकत्ता	115000	125000
4.	कोचीन	उपलब्ध नहीं है।	58800

(ग) विदेशों को भारत से निर्यात होने वाले या विदेशों से भारत में आयात होने वाले माल के ढोने में कोलंबो पर कम निर्भर रहने और भारतीय नौवहन कम्पनियों को सहायता देने के लिए जो उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(i) भारतीय पत्तनों पर सुविधा में अपेक्षाकृत सुधार लाया जा रहा है। इस समय मद्रास एक ऐसा पत्तन है जहां कन्टेनरों को जहाज पर चढ़ाने-उतारने के लिए अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं और जो माल विदेशों को भेजा जाता है या विदेशों से मंगाया जाता है उसका अधिकांश इसी पत्तन से होकर जाता है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह आयात यथासंभव नौतल पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर और निर्यात लागत बीमा व भाड़ा आधार पर किया करें।

(iii) कंटेनरों में बन्द माल की ढुलाई करने के लिए भारतीय नौवहन निगम ने छह सेलुलर जहाज खरीदने का निर्णय किया है।

उड़ीसा में विभिन्न रेल स्टेशनों पर अपर्याप्त सुविधाएं

4970. श्री चिंतामणि जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सम्बलपुर, रायगढ़, केसीना, तालचेर, झारसुगुडा, चिलका और राजगंगपुर रेलवे स्टेशनों पर, प्रतीक्षालय, विश्रामकक्ष, शयनकक्ष, ढके हुए प्लेटफार्म, पीने के पानी आदि जैसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्थानों पर नए उद्योग और संस्थान पहले ही स्थापित हो चुके हैं और यात्री यातायात में तेजी से वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों पर जल्द-जल्द सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) इन सभी स्टेशनों पर बुनियादी यात्री सुविधाएं जैसे प्रतीक्षालय, पेयजल की सप्लाई आदि मौजूद हैं। इन स्टेशनों पर मौजूद प्रतीक्षालय, विश्रामालय, डोरमिट्री और छतदार प्लेटफार्मों से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

(ख) झारसुगुडा, राजगंगपुर और सम्बलपुर स्टेशनों पर यात्री यातायात में केवल मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) स्टेशनों पर अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था निधि की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकता के अनुसार एक कार्यक्रमबद्ध आधार पर की जाती है। इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने का फिलहाल कोई स्वीकृत प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

स्टेशन का नाम	प्रतीक्षालय, विश्रामालय, डोरमिट्री और छतदार प्लेटफार्म के सम्बन्धित वर्तमान सुविधाओं का ब्योरा	
सम्बलपुर	उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय	1
	छतदार प्लेटफार्म	3
रायगड़ा	उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय	1
	छतदार प्लेटफार्म	2
	डोरमिट्री	1
केंसिंगा	उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय	2
	छतदार प्लेटफार्म	2
तालचेर	उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय	1
	छतदार प्लेटफार्म	1
	डोरमिट्री	1
झारसुगुडा	प्रतीक्षालय	2
	छतदार प्लेटफार्म	4
	विश्रामालय	3
	डोरमिट्री	1
राजगंगपुर	छतदार प्लेटफार्म	2
	उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय	1

उड़ीसा में दावा कार्यालय की स्थापना

4971. श्री चिंतामणि जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे तमाम उड़ीसा राज्य के लिए कार्य करता है, परन्तु इसके दावा कार्यालय कलकत्ता में स्थित है, जिससे व्यापारियों को अपने दावे कलकत्ता कार्यालय को भेजने पड़ते हैं जिस कारण उनके निपटारे में विलम्ब होता है;

(ख) क्या माल/पार्सल आदि के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न होने वाले दावों के निपटान के लिए व्यापारियों की सुविधा हेतु उड़ीसा में दावा कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) यद्यपि दक्षिण पूर्व रेलवे का दावा कार्यालय कलकत्ता में स्थित है, इस कारण उड़ीसा क्षेत्र के दावों के निपटारे में कोई विलम्ब नहीं होता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना

4972. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छोटी रेल लाइनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) इन लाइनों को बदलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या इस बात की बड़ी मांग है कि बड़ी लाइन में बदले जाने तक वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत गति, कार्य क्षमता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए वर्तमान लाइन को सुदृढ़ बनाया जाए ताकि आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल सके ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) दो ।

(ख) से (घ) रूपसा-बांगरी पोसी छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए 1981 में एक टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना वित्तक्षम नहीं है । नौपाडागुनुपुर छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए निकट भूत में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । संसाधनों की बेहद तंगी तथा पहले से की हुई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

(ङ) इन लाइनों पर रेल पथ और पुलों का संतोषजनक ढंग से अनुरक्षण किया जा रहा है । रूपसा-बांगरी पोसी खंड के रफ्तार प्रतिबन्ध वाले भाग पर मौजूदा पुराने रेल पथ को धन की उपलब्धता के अनुसार 1986-87 तथा अनुवर्ती वर्षों में बदलने का प्रस्ताव है, ताकि रफ्तार को बढ़ाया जा सके ।

रेलवे में कुलियों की संख्या

4973. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में, जोन-वार, कुलियों की संख्या कुल कितनी है;

(ख) वर्ष 1982 से 1984 तक, उनकी संख्या का वर्ष-वार जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टेशनों पर कुली से सामान उठवाने के लिए कितनी मजदूरी निश्चित की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उसमें कितनी बार वृद्धि की गई है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में कुलियों की मजदूरी में वृद्धि करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ज) रेलवे द्वारा कुलियों को और क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ज) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पटना जंकशन पर सुविधाएं

[हिन्दी]

4974. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यात्रियों को पूर्व रेलवे के पटना जंकशन पर ऊपरि-पुलों के तंग होने के कारण एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आने जाने में तथा टिकट खिड़कियों की कमी होने के कारण टिकटों को खरीदने में कई घंटे लाइन में खड़ा होने के फलस्वरूप भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि आरक्षण काउंटर और सामान्य टिकटघरों के नजदीक पेयजल का प्रबन्ध न होने के कारण यात्रियों को प्यासा रहना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह कार्यवाही कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) यात्री यातयात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तीसरे ऊपरि पैदल पुल का निर्माण करने के लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। इसका निर्माण 1987 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है। वर्तमान बुकिंग काउन्टर पर्याप्त समझे जाते हैं।

प्रतीक्षालय में और प्लेटफार्मों पर नलों की व्यवस्था है। तथापि, आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों के समीप एक जल शीतक तथा नल की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

मेनिनजाइटिस के कारण हुई मौतें

[अनुवाद]

4975. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि प्रदूषण भी मेनिनजाइटिस ज्वर फैलने का कारण है और यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ख) सरकार का विचार इस खतरनाक रोग को फैलने से रोकने या प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय करने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं;

(1) इस रोग पर विशेषकर प्रभावित बस्तियों और तंग बस्तियों में निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

(2) अनुमानित क्लीनिकी निदान के आधार पर भी इस रोग का प्रारम्भ में ही निदान और उपचार किया जा रहा है।

(3) औषधियों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। सभी अस्पतालों और औषधालयों ने पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित एण्टीबायोटिक और सहायक दवाइयां रखी हुई हैं।

(4) आम जनता में जागरूकता पैदा करने और इन्हें इस रोग का प्रारम्भ में निदान और उपचार करने की जरूरत पर बल देने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्रों की सेवाओं का उपयोग भी किया जा रहा है।

(5) भारतीय आयुर्विज्ञान संघ ने रोगियों का उचित उपचार करने के बारे में अपने सदस्यों को अनुदेश जारी करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है।

(6) शरीर के जिन अंगों में यह रोग हो जाता है उनके उचित "टाइपिंग" के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे अनुरोध पर विमान द्वारा "सीरा" भेजा है।

(7) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस रोग के वाहकों और उनके नियंत्रण के लिए अध्ययन शुरू किए ताकि इस रोग का कारगर नियंत्रण करने के लिए इसकी महामारी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

(8) यह निर्णय लिया गया है कि पता लगाये गए अत्यधिक जोखिम वाले व्यक्तियों को टीका लगाया जाए।

(9) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान इस रोग के महामारी सम्बन्धी पहलुओं की जांच कर रहा है।

पुराने रेल डिब्बों को विश्राम कक्ष के रूप में उपलब्ध कराने की योजना

4976. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पुराने रेल डिब्बों को यात्रियों के लिए विश्राम कक्ष के रूप में उपलब्ध करने की योजना आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने लोगों के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है, कितने शहरों में उपलब्ध कराया गया है और इनके अधिभोग की दर क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी वर्गों के यात्रियों (गैर-रेल यात्रियों सहित) की सुविधा के लिए देशभर में बड़े पैमाने पर नियमित विश्राम कक्षों के लिए व्यवस्था करने का है; और

(घ) क्या सरकार खड़े डिब्बों को टर्मिनस स्टेशनों पर रात भर रुकने के लिए इस्तेमाल किए जाने के बारे में विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) और (घ) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विश्राम कक्षों की उन स्टेशनों पर व्यवस्था की जाती है जहां इनकी पर्याप्त मात्रा में मांग होती है और उनका निर्माण करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य होता है। यात्रियों और गैर-रेल यात्रियों के उपयोग के लिए भारी मात्रा में विश्राम कक्षों का निर्माण शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना

4977. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामीण भारत में कृषि के लिए "माइक्रो" सिंचाई सर्वोत्तम है और यदि हां, तो सरकार ने इस स्रोत का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सिंचाई प्रयोजन के लिए सौर ऊर्जा पी०वी० पम्पों के प्रयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान तथा विकास कार्य को युद्ध स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) (क) और (ख) जी, हां । सौर-पंपों पवन चक्कियों, छिड़काव तथा ड्रिप प्रणालियों, हाइड्रम्स, जल टरबाइनों तथा मानव तथा पशु चालित पम्पों जैसे माइक्रो सिंचाई उपकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 1982-83 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम संचालित कर रही है जिसके अन्तर्गत राज्यों को मैचिंग सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है । छठी योजना के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 2.69 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई थी ।

(ग) गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत विभाग, फोटो वोल्टीय पम्पों के प्रतिष्ठापन, प्रदर्शन तथा फील्ड परीक्षणों के माध्यम से सौर उर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रहा है । सौर एकांशों के निर्माण के लिए नई-नई सामग्रियों तथा तकनीकें, बेहतर फोटो वोल्टीय मापदण्ड अभिकल्प तथा जल पम्पिंग और अन्य तरीकों के लिए उत्कृष्ट प्रणाली के वास्ते विभाग अनुसंधान तथा विकास प्रयासों का वित्त-पोषण कर रहा है । इन कार्यक्रमों को सातवीं योजना के दौरान और तेज किए जाने का प्रस्ताव है ।

कोयले का आयात

4978. **श्री भोला नाथ सेन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तमिलनाडु में ताप विद्युत केन्द्र के लिए तूतिकोरिन बंदरगाह से एक यूनानी पोत में आस्ट्रेलिया से 32,000 मीट्रिक टन से भी अधिक कोयला की खेप का आयात किया गया है; तथा इस प्रकार कोयले की ऐसी और अधिक खेपों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विदेशों से कोयले के ऐसे आयात के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों का ब्योरा क्या है;

(ग) कोयले का आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि कोयला खानों के मुहानों पर कोयले का भारी अनबिका भंडार जमा हो जाने के कारण कोल इण्डिया लिमिटेड को उत्पादन में कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा है;

(घ) यूनानी पोत में माल का आयात किए जाने के क्या कारण हैं जबकि भारतीय नौवहन उद्योग माल की कमी के कारण कठिनाई अनुभव कर रहा है; और

(ङ) कोयले का आयात करने तथा इस प्रकार के आयात के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पोतों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की ढुलाई में बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से समुद्र मार्ग द्वारा हल्दिया बन्दरगाह के जरिए तत्कालीन उपाय के रूप में कोयले का आयात करने के लिए सरकार ने तमिलनाडु के अनुरोध पर कोयला विभाग से परामर्श करके सहमत हो गई है ताकि तूतीकोरिन में विद्युत के उत्पादन को हानि न हो और बफर स्टाक बनाया जा सके। धातु तथा खनिज व्यापार निगम को अब तक एक लाख टन कोयले का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। 4.4.1985 को एक ग्रीक जल पोत में तूतीकोरिन में 32,772 टन की पहली खेप पहुंची है। स्टीम कोयला के आयात के लिए कोई लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

(घ) अपेक्षित स्थिति में उस समय कोयले की ढुलाई की सुविधाओं से युक्त कुछ भारतीय जल पोतों में से कोई भी उपलब्ध न होने के कारण एक विदेशी जल पोत का उपयोग किया गया था।

(ङ) सामान्यत: कोकिंग-कोल के आयात की अनुमति है। विशेष परिस्थितियों में नान-कोकिंग कोयला के आयात की भी अनुमति दी जाती है। जल पोतों के उपयोग के संबंध में सरकार की नीति है कि भारतीय जल पोतों को प्राथमिकता दी जाए। जब अपेक्षित स्थिति में भारतीय जल पोत उपलब्ध नहीं होते हैं तब विदेशी जल पोतों का उपयोग किया जाता है।

वर्ष 1984-85 के दौरान चलाई गई नयी गाड़ियां और 1985-86 के दौरान चलाने का प्रस्ताव

4979. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान विशेषकर पश्चिम क्षेत्र में कितनी नई रेल गाड़ियां चलाई गई हैं;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान नई रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान भारतीय रेलों पर कुल 121 अनुपनगरीय तथा 186 उपनगरीय नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं। इनमें से 10 अनुपनगरीय तथा 15 उपनगरीय गाड़ियां पश्चिम रेलवे पर चलायी गई हैं।

(ख) और (ग) जी हां। 1-5-85 से 10 अनुपनगरीय तथा 24 उपनगरीय गाड़ियां चलाई गई हैं जिनमें से दो अनुपनगरीय तथा 15 उपनगरीय गाड़ियां पश्चिम रेलवे पर चलायी गयी हैं।

केन्द्र/राज्यों द्वारा आरम्भ की जाने वाली अनुमोदित विद्युत परियोजनायें

4980. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा किन-किन अनुमोदित विद्युत परियोजनाओं पर काम आरम्भ किया जाना है;

(ख) यह विद्युत परियोजनायें सरकार द्वारा कब मन्जूर की गई थीं तथा इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के संबंध में कुल कितना विलम्ब हुआ है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को आरम्भ किए जाने के समय तक इनकी अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र में दो अनुमोदित विद्युत परियोजनायें हैं। जिन पर अभी कार्य शुरू किया जाना है नामश: मेघालय में गारो हिल्स ताप विद्युत परियोजना तथा बिहार में कोइल कारो जल विद्युत परियोजना।

गारो हिल्स परियोजना 1981 में स्वीकृति की गई थी। मुख्य रूप से निधियों की कमी और परियोजना की लागत 43.20 करोड़ रु० से बढ़कर 106 करोड़ रु० हो जाने के कारण परियोजना का नए सिरे से मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता के कारण इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया गया है।

कोइल कारो परियोजना 391.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1981 में केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली गई थी। यद्यपि कुछ कार्य शुरू किया गया था परन्तु भूमि अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय लोगों के आंदोलनात्मक रवैये के कारण परियोजना पर अधिक प्रगति नहीं की जा सकी।

जब परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा उस समय लागत में वृद्धि तथा परियोजनाओं में हुए समस्त विलम्ब का पता लगेगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए धनराशि का आवंटन

4981. **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन करने हेतु प्रस्तावों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक संचालक दल गठित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उन सिफारिशों का ब्योरा क्या है जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) योजना आयोग में "देश में" स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित मौजूदा समग्र स्थिति/प्रगति/समस्या का विवेचनात्मक अध्ययन करने के लिए एक संचालन दल का गठन किया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1984 में प्रस्तुत कर दी थी जिसका अभिप्राय यह था कि सातवीं योजना तैयार करने में यह रिपोर्ट वर्किंग पेपर का काम देगी। सातवीं योजना पहले वर्ष के लिए 700 करोड़ रुपये का प्लान परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें से 200 करोड़ रुपये स्वास्थ्य के लिए और 500 करोड़ रुपए परिवार कल्याण के लिए रखे गए हैं। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद् और संसद द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किए जाने के बाद ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में आवंटित की जाने वाली राशि के बारे में अन्तिम निर्णय होगा।

प्रावेशिक शुल्क वसूल करने वाले मेडिकल कालेजों की डिग्रियों को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दिया जाना

4982. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रावेशिक शुल्क अथवा दान लेकर प्रवेश देने वाले मेडिकल कालेजों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और यदि हां, तो किन-किन कालेजों की डिग्रियों को मान्यता प्राप्त है;

(ख) ऐसे मेडिकल कालेजों द्वारा अपने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए क्या शिक्षा शुल्क और अन्य वार्षिक शुल्क वसूले जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार के व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश के लिए प्रावेशिक शुल्क/दान स्वीकार करने के बारे में कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह प्रणाली कब तक जारी रहेगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं की मान्यता को इस आधार पर वापिस ले लिया जाये कि कोई कालेज विशेष कैपीटेशन फीस अथवा दान ले रहा है। कैपीटेशन फीस/दान लेने वाले निम्नलिखित प्राईवेट मेडिकल कालेजों को एम० बी० बी० एस० डिग्री और कुछेक अन्य स्नातकोत्तर अर्हतायें देने के लिए मान्यता दी गई है जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है।

मेडिकल कालेज	विश्वविद्यालय
1. जे०जे०एम० मेडिकल कालेज, देवेनगेर	मैसूर विश्वविद्यालय
2 कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल, मंगलौर	मंगलौर विश्वविद्यालय
3. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, बैलगाम	कर्नाटक विश्वविद्यालय
4. एम० आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्गा	गुलबर्गा विश्वविद्यालय
5. दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना	पंजाब विश्वविद्यालय

(ख) इसके बारे में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह फीस प्रत्येक कालेज में भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) भारत सरकार मेडिकल कालेजों में छात्रों को दाखिला देने के लिए कैफीटेशन फीस लेने की पद्धति के विरुद्ध है और वह राज्य सरकारों को सलाह देती रही है कि वे कैपीटेशन फीस की पद्धति को छोड़ दें। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषदों के संयुक्त सम्मेलन की 7-9 जुलाई, 1983 को हुई बैठक में इस आशय का एक संकल्प पारित किया गया कि "सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को चाहिए कि वे मेडिकल कालेजों में छात्रों को दाखिला देने के लिए कैपीटेशन फीस लेने की पद्धति को समाप्त कर दें।

मेनिनजाइटिस और मलेरिया का खतरा

4983. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही के दंगों में हुई विधवाओं, जो अब तिलक नगर में रहती हैं, को मेनिनजाइटिस और मलेरिया का गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, जैसा कि 1 अप्रैल 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या करने का क्या विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार चिकित्सा दल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तथा वहां गलदाह/ज्वर से पीड़ित सभी रोगियों को सल्फाडाइजीन गोलियों के साथ रसाय-उपचार प्रदान कर रहे हैं । स्वास्थ्य की जानकारी देने के उपायों के तौर पर मेनिनजाइटिस के बारे में क्या करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, सभी परिवारों को पैम्फलेट बांटे गये हैं । मलेरिया रोगी उपायों को भी तेज किया गया है । इन क्षेत्रों में, दवाई छिड़काव का काम, लार्वा-रोधी उपाय तथा पाथरेथ्रिम का छिड़काव कार्य किया जा रहा है । समुदाय में मलेरिया के रोगियों का पता लगाने के लिए साप्ताहिक निगरानी कार्य किया जा रहा है ।

बंगलौर शहर में सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों में और अधिक डाक्टरों की तैनाती

4984. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में कितनी सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियां कार्य कर रही हैं;

(ख) बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी रह रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि विद्यमान सी० जी० एच० एम० सुविधायें पर्याप्त नहीं है; और

(घ) क्या सरकार उक्त डिस्पेंसरियों में विशेषज्ञों और अधिक डाक्टरों को तैनात करेगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आठ औषधालय काम कर रहे हैं ।

(ख) अनुमान है कि बंगलौर शहर में लगभग 40,000 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । विशेषज्ञ पालिक्लिनिकों में तैनात किए जाते हैं । बंगलौर स्थित पालिक्लिनिक में 5 विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं जबकि स्वीकृति संख्या 6 है । स्टाफि पैटर्न के अनुसार वहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 46 है । और इनमें से 43 चिकित्सा अधिकारी इस समय कार्यरत हैं ।

8वीं कक्षा तक प्रोन्नति के लिए परीक्षायें आयोजित करना

4985. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 8 से पहले बाह्य सार्वजनिक परीक्षायें आयोजित करना नामंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) कक्षा 8 तक प्रारम्भिक शिक्षा देना मोटे तौर पर राज्य सरकारों का काम है। अपने-अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में परीक्षा पद्धति को अपनाना भी उन्हीं का काम है। तथापि प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने के संदर्भ में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को यह सलाह दी गई है कि वे नियमित मूल्यांकन और उपचारी उपायों को अपनाते हुए कक्षा 8 तक बच्चों को न रोकने की नीति का पालन करें।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को घटिया किस्म की औषधियों और ग्लुकोज की सप्लाई

4986. **श्री राम भगत पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984-85 के दौरान दिल्ली और बिहार में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और औषधालयों को ग्लुकोज की कुछ बोतलों सहित घटिया किस्म की कुछ औषधियां सप्लाई की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पताल और औषधालय सामान्यतः अपनी औषधियां सरकारी चिकित्सा भंडार डिपुओं से प्राप्त करते हैं। सरकारी चिकित्सा भंडार डिपुओं द्वारा खरीदी गई औषधियों को स्वीकार करने और उन डिपुओं में दर्ज मांगकर्ताओं को उनकी सप्लाई/दिये जाने से पहले अनुमोदित प्रयोगशालाओं में इनके निर्धारित फार्माकोपियल परीक्षण करने होते हैं।

जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है घटिया औषधि देने/इन्ट्रावीनस इनफ्युजन के कारण किसी अप्रिय घटना होने का कोई विशेष मामला सूचित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा मलेरिया नियंत्रण हेतु चर्चा

4987. **श्री वी० श्री निवास प्रसाद** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने हाल ही में मलेरिया नियंत्रण के तरीकों की कोई चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई चर्चा का ब्योरा क्या है; और

(ग) उन कारणों का उन्मूलन करने हेतु क्या तारीके सुझाये गये हैं, जिनसे यह रोग फैलता है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

नागपुर जिले (महाराष्ट्र में मेनिनजाइटिस बुखार का प्रकोप)

4988. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में गत एक महीने से मेनिनजाइटिस बुखार का प्रकोप है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान इस रोग से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की है/करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब तक मेनिनजाइटिस से हुई 25 मौतों का पता चला है।

(ग) और (घ) : इस बीमारी की रोकथाम के लिए मेनिनजाइटिस-रोधी वैक्सीन की 2500 खुराकें दी गई हैं और इसके बारे में आवश्यक मार्ग-निर्देश दिये गये हैं।

दक्षिण-पूर्व रेल कर्मचारी संघ, नागपुर डिवीजन महाराष्ट्र से प्राप्त अभ्यावेदन

4989. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेल कर्मचारी संघ, नागपुर डिवीजन, महाराष्ट्र ने अपनी समस्यायें हल करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) से (ग) : इस यूनियन की नागपुर शाखा ने पिछले छः महीनों के दौरान वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतनवृद्धि आदि से सम्बन्धित 67 व्यक्तिगत अभ्यावेदन अग्रेसित किए हैं। उनमें से 58 अभ्यावेदनों की जांच की गयी है और उनका अन्तिम रूप से निपटारा कर दिया गया है।

नागपुर विश्वविद्यालय को हीरक जयंती समारोहों के लिए अनुदान

4990. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर विश्वविद्यालय ने अपने हीरक जयंती समारोहों के अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है तथा कितनी राशि का अनुदान देने का निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) : जी हां। विश्वविद्यालय ने विदेशी छात्रों के लिए हीरक जयंती छात्रावास और उत्तर स्नातक और अनुसंधान छात्रों के लिए एक महिला छात्रावास के निर्माण के लिए सहायता देने के वास्ते आयोग से अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) : आयोग सिद्धान्त रूप से बराबर के भाग के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास के निर्माण के लिए सहमत हो गया है। छठी योजना के दौरान आयोग विश्वविद्यालय

को उसकी हीरक जयंती के अवसर पर 10 लाख रुपये संस्वीकृत करता रहा है और यदि विश्वविद्यालय बराबर की राशि की व्यवस्था करता है तो 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी संस्वीकृत करता रहा है। सातवीं योजना में हीरक जयंती अनुदानों के प्रश्न को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कट्टाखल पुल की मरम्मत

4991. **श्री अजय विश्वास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिल्चर और बदरपुर रेल मार्ग के बीच में स्थित कट्टाखल पुल बहुत खराब हालत में है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मरम्मत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या पुल की मरम्मत का काम किसी ठेकेदार को दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मरम्मत का काम पूरा होने की लक्षित तारीख क्या थी और उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : कट्टाखल रेल एवम् सड़क पुल के समीप बराक नदी के बाए किनारे में कुछ कटाव हो गया है। इस कटाव को रोकने के लिए रेलवे ने पिछले वर्ष नदी के किनारे पर 250 मीटर लम्बाई में पत्थर के रिविट और एप्रन लगाने की व्यवस्था की थी और इस वर्ष अन्य 400 मीटर की लम्बाई में रिविट तथा एप्रन लगाने का ठेका दिया गया है। इस कार्य के मई, 1985 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है।

होजाई से हाफलंग तक रेल लाइन

4992. **श्री अजय विश्वास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लमडिंग होकर जाने के मार्ग को छोड़ने के लिए होजाई से हाफलंग तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है जिससे समय और दूरी की बचत होगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) : 1984 में पूरे किये गये सर्वेक्षण के अनुसार होजाई के निकट लंका से सिलचर तक नयी बड़ी रेल लाइन की अनुमानित लागत 650 करोड़ रुपये थी और यह लाइन अलाभप्रद पायी गयी थी।

इस कारण तथा इस समय संसाधनों की बेहद तंगी को देखते हुए निकट भविष्य में इस लाइन का निर्माण शुरू करना सम्भव नहीं होगा।

हरियाणा में बिना चौकीदार के रेल फाटक

4993. **श्री राम प्रकाश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में बिना चौकीदार के कितने रेल फाटक हैं; और

(ख) हरियाणा में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने सम्बन्धी सरकार का कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 491 है।

(ख) 1985-86 के दौरान बिना चौकीदार वाले 12 समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

हरियाणा में बिजली का अभाव

4994. **श्री राम प्रकाश :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हरियाणा में बिजली की सप्लाई अत्यधिक कम होने के कारण वहाँ औद्योगिक और कृषि उत्पादन को नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) हरियाणा में विद्युत की कमी उनके ताप विद्युत केन्द्रों के घटिया निष्पादन के कारण है । इन केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से फरीदाबाद और पानीपत ताप विद्युत केन्द्रों के लिए एक व्यापक नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है । जब कभी उत्तरी ग्रिड में फालतू विद्युत उपलब्ध होती है, वह हरियाणा को भी दी जाती है ।

पठानकोट से कान्डला के लिए रेल लाइन

[हिन्दी]

4995. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीमावर्ती रेगिस्तानी जिले बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाडमेर रेल यातायात की दृष्टि से भी देश के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र हैं;

(ख) क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि राजिस्थान नहर जो इन्दिरा नहर के नाम से भी जानी जाती है, इस क्षेत्र से होकर बहती है और वहाँ बहुमूल्य खनिजों का पता चला है । गैस और पैट्रोल मिलने की सम्भावना है तथा रक्षा सामग्री का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार पठानकोट से गंगा नगर कांडला तक बरास्ता बीकानेर, जैसलमेर और बाडमेर तक एक बड़ी लाइन बिछाने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) : सूरतगढ़-बीकानेर लाइन का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने के बाद बीकानेर/लालगढ़ का बड़ी लाइन द्वारा पठानकोट तक सीधा सम्पर्क हो जायेगा । फिलहाल, बीकानेर से आगे आमान परिवर्तन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के काम के लिए आवंटित एवं खर्च की गई धनराशि

[अनुवाद]

4997. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में छठी योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के काम के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि खर्च हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : छठी योजना के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए आबंटित धनराशि एवं खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है—

वर्ष	आबंटित धनराशि	खर्च
	(रु० लाखों में)	
1980-81	152.60	158.37
1981-82	199.21	208.50
1982-83	280.60	285.68
1983-84	351.80	353.07
1984-85	358.03	359.33

तमिलनाडु में एकीकृत पोषाहार परियोजना में शामिल जिलों को विश्व बैंक की सहायता

4998. **श्री के० राममूर्ति** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ की गई एकीकृत पोषाहार परियोजना में तमिलनाडु के कौन कौन से चार जिले शामिल किए गए हैं और इस परियोजना को विश्व द्वारा कितनी मात्रा में सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यह परियोजना तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पोषाहार मध्याह्न भोजन योजना से किस प्रकार भिन्न है; और

(ग) यदि अन्य राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से ऐसी कोई अन्य योजनायें चल रही हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) वर्ष 1980-81 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ की गई एकीकृत पोषाहार परियोजना में तमिलनाडु के मदुरई, रामानाथपुरम, पडुकोट्टई, तिरुनेलवली, नार्थ आरकोट और चेंगलपट्टू आदि छह जिले शामिल हैं। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजना के अन्तर्गत 36 माह तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहार और स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं। पूरक पोषाहार उन बच्चों को (6-36 महीने तक की आयु के) दिया जाता है जो बहुत ही कमजोर हो या जिनका वजन न बढ़ रहा हो। माताओं को पौषणिक आहार के बारे में जानकारी देना और पोषाहार शिक्षा देना इस योजना की मुख्य विशेषतायें हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत 2-10 वर्ष तक की आयु के सभी निर्धन बच्चों को दिन में एक बार मुफ्त भोजन दिया जाता है। बच्चों को पोषाहार के

अतिरिक्त इस योजना से प्राईमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने और स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने मे बच्चों को प्रोत्साहन मिलने का भी पता चलता है।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से किसी भी अन्य राज्य में इस प्रकार की योजना नहीं चलाई जा रही है।

मद्य-पान और नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध नीति तैयार करने के लिए गठित कार्य-दल की सिफारिशें

4999. **श्री के० राममूर्ति :** क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मद्यपान और नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध नीति तैयार करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 2 अप्रैल, 1983 को गठित किए गए कार्यदल द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं, और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) आशा है कि दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा।

महिलाओं में निरक्षरता

5000. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेषकर देश की ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक निरक्षरता है;

(ख) देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों के लिए और अधिक विद्यालय खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या गुजरात राज्य ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों के लिए छात्रावास स्थापित करने के लिए अपना प्रस्ताव भेजा है; यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) देश में आदिवासी लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास खोलने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। 1981 की जनगणना के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों में साक्षरता की प्रतिशतता क्रमश: 46.89% एवं 24.82% है। अनुसूचित जनजाति के लिए संगत आंकड़े क्रमश: 24.52 एवं 8.04% है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों एवं ऐसे क्षेत्रों में जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमुख रूप से निवास कर रही है, में अधिक विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान 2 लाख रुपये की राशि जो 50% केन्द्रीय भाग की द्योतक है, गुजरात सरकार को उनसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों के लिए छात्रावास स्थापित करने के लिए दी गई थी।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने की परियोजना वर्ष 1985-86 के दौरान भी संचालित होती रहेगी। लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

आदिवासी और पिछड़े इलाकों में उच्च शिक्षा का विकास

5001. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी और पिछड़े इलाकों में उच्च शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की क्या सिफारिशें हैं;

(ख) क्या सम्बद्ध विश्वविद्यालयों ने छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विकास सम्बन्धी प्रस्ताव पेश कर दिए थे;

(ग) यदि हां, तो आदिवासी और पिछड़े इलाकों के उन विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के नाम क्या हैं जिनके विकास के लिए सुझाव दिए गए हैं;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आदिवासी और पिछड़े इलाकों के शैक्षणिक विकास के लिए धनराशि आवंटित की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) प्रादेशिक असन्तुलनों को दूर करने और आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को उच्चतर शिक्षा के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे कालेजों को, जो अनु० जा०/अनु०ज०जा० के छात्रों क आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा जो जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं, को विशेष सहायता प्रदान करने का निर्णय किया था। आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में स्थित और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कालेजों, जिनमें कम से कम 5 स्थायी शिक्षक तथा न्यूनतम 100 छात्रों का नामांकन हो, जिनमें से कम से कम 35 अनु०जा०/अनु०ज०जा० के हों, छठी योजना में 4.00 लाख रुपए की सीमा तक सहायता के पात्र हैं। अधिक नामांकन वाले कालेजों पर भी इस प्रकार की विशेष सहायता के लिए विचार किया जाता है, यदि अनु० जा०/अनु०ज०जा० के छात्रों की संख्या कुल नामांकन की 20 प्रतिशत से कम न हो।

पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों के मामले में, यदि कालेज के पास 200 छात्र, 10 स्थायी शिक्षक तथा शिक्षक-छात्र का कुल मिलाकर अनुपात 1:30 हो, तो विकास सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) छठी योजना में अनु०जा०/अनु०ज०जा० के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कालेजों को सहायता के लिए आयोग ने 3.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनसंख्या में वृद्धि को सफल राष्ट्रीय उत्पादकता के साथ जोड़ना

5002. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निश्चित समय सीमा के अन्दर जनसंख्या को स्थिर बनाना महत्वपूर्ण समझा गया है;

(ख) क्या इन मानदण्डों को सकल राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि के साथ जोड़ना भी महत्वपूर्ण समझा गया है;

(ग) क्या जनसंख्या में वृद्धि को आधार मानकर एक नीति बनाई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जनसंख्या को स्थिर करने के लिए सन् 2000 ईसवी तक कुल प्रजनन दर 1 पर लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में जनांकिकी लक्ष्य पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। इस लक्ष्य में सन् 2000 ईसवी तक अशोधित जन्म दर को घटाकर 21 प्रति हजार और अशोधित मृत्यु दर 9 प्रति हजार तक लाने की बात कही गई है। उपर्युक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करते समय बढ़ रही जनसंख्या के लिए संसाधनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था।

वाराणसी में महामारी के फैलने की कथित आशंका

5003. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री सी० माधव रेड्डी :

डा० जी० विजय रामाराव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि पवित्र गंगा नदी में गन्दी व रद्दी चीजों और अधजली लाशें जानवरों की लाशें फेंके जाने के परिणामस्वरूप गंगा के पानी में प्रदूषण होने के कारण वाराणसी में 1927 जैसी महामारी के फैलने और उसके सारे देश में भी फैल जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ग) सरकार ने इस समाचार को देखा है। यह समाचार 1927 के हैजा महामारी के बारे में है। हैजा पानी से होने वाला एक पुराना रोग है। हैजा के कीटाणु आमतौर पर गंदे पानी से साफ बहते पानी में चले जाते हैं। ये कीटाणु साफ पानी की तुलना में बुरी तरह से संदूषित पानी में अधिक देर तक जीवित नहीं रहते। गंगा और यमुना नदी के पानी में विद्यमान बेक्टीरिया फेज की गतिविधियों के कारण आंत्र सूक्ष्म जीवाणु कालरा विब्रिओं कुछ ही घंटों में मर जाते हैं। यह रोगजनक कीटाणु एसिड के प्रति संवेदी होते हैं और 56° सेलसियस तापमान में 15 मिनट के भीतर मर जाते हैं। लोगों को सप्लाई किये जाने वाले पानी को आधुनिक तरीकों से साफ करने तथा उसका क्लोरीनेशन करने से इस महामारी के फैलने की कोई सम्भावना नहीं रहती।

आंध्र प्रदेश द्वारा भेजी गई 205 लघु सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट

5004. **श्री एम. रघुमा रेड्डी :**

श्री सी० माधव रेड्डी :

डा० जी० विजय रामाराव : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 37,604 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षमता बनाने के लिए वर्ष 1982 में 205 लघु सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी थी;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) के सलाहकारों ने वर्ष 1983 में इस राज्य का दौरा करके "डिजाइन" मानदण्ड परियोजना लागत परिचालन और अनुरक्षण लागत आदि के बारे में तथा योजनाओं को अंतिम स्वीकृत प्रदान करने के लिए एक मूल्यांकित समिति बनाने की सिफारिश की थी;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भी प्रस्तुत कर दी थी और सरकार द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने 50 करोड़ रुपये की मूल सहायता को कम करके 14 करोड़ रुपए कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) से (ङ) : यद्यपि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने आन्ध्र प्रदेश लघु सिंचाई परियोजना के लिए पहले ई०सी०यू० 15 मिलियन (15 करोड़ रुपए) के आवंटन की सूचना दी थी परन्तु अब उक्त आवंटन को बढ़ाकर ई०सी०यू० 30 मिलियन (30 करोड़ रुपए) कर दिया गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता की कुल राशि 1984 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत आयातित उर्वरकों की बिक्री के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धन राशि से सम्बन्धित है।

सभी विश्वविद्यालयों पर केन्द्रीय नियंत्रण

5005. **श्री चित्त महाटा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विश्वविद्यालय हैं; और

(ख) कितने विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) इस समय देश में 125 विश्वविद्यालय और 15 विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं हैं।

(ख) विभिन्न राज्य विधानमण्डलों के अधिनियमों के अन्तर्गत 118 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यालय के अध्यापकों के लिए आयोग

5006. **श्री विजय कुमार मिश्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यालय के अध्यापकों के लिए दो अलग-अलग आयोग नियुक्त किए थे;

(ख) इन दोनों आयोगों के निदेश पद क्या थे;

(ग) क्या दोनों आयोगों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक पूरी होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी, हां ।

(ख) विचारार्थ विषय संलग्न विवरण-एक में दिये गये हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) दो राष्ट्रीय अध्यापक आयोगों की रिपोर्टों की मुख्य-मुख्य बातों का सार संलग्न विवरण दो में दिया गया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण एक

इन आयोगों के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) देश की विरासत और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप उत्कृष्टता की खोज, उदार दृष्टिकोण और मान्यताओं का शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण व्यवसाय के लिए स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना;

(2) इस व्यवसाय के सदस्यों को समुचित स्तर प्रदान करने के लिए उपायों का पता लगाना;

(3) इस व्यवसाय में गतिशीलता बढ़ाने और विश्व में अन्यत्र घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सजगता पैदा करने के लिए उपाय सुझाना ;

(4) शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने और उन्हें इस व्यवसाय में बनाए रखने तथा भर्ती, विशेषकर महिलाओं की भर्ती, के आधार को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना;

(5) शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण अनुस्थापन के मौजूदा प्रबन्धों की समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिशें करना;

(6) अध्यापन के लिए बेहतर पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग की समीक्षा तथा सिफारिश करना;

(7) ज्ञान, निपुणता तथा मान्यताएं अर्जित करने में छात्रों की सहायता प्रेरणा और प्रोत्साहन तथा उनके जरिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, पर्यावरणात्मक जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने में अध्यापकों की भूमिका को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(8) समुदाय में और घर पर विकास कार्य के साथ शिक्षा को जोड़ने में शिक्षकों की भूमिका का पता लगाना;

(9) अनौपचारिक और सतत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की विशेष आवश्यकताओं का अध्ययन करना तथा ऐसे तरीकों का सुझाव देना जिनके द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके;

(10) व्यावसायिक विकास और व्यावसायिक जागरूकता में शिक्षक संगठनों की भूमिका का पता लगाना;

(11) शिक्षकों के लिए एक स्वीकार्य और कार्यान्वित की जा सकने वाली आचरण संहिता तैयार करने की संभावना की जांच करना;

(12) राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के विशेष संदर्भ में शिक्षकों के कल्याण की प्रोन्नति के प्रबंधों का मूल्यांकन करना और जहां आवश्यक हो वहां सुधार का सुझाव देना।

विवरण दो

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग-1 की मुख्य सिफारिशें

1. अध्यापक की भूमिका राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्रोन्नत करने की होनी चाहिए, विशेषकर :

(I) संगठित भारत;

(II) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया;

(III) उत्पादकता;

(IV) सहृदय और सावधान सोसायटी।

तथापि, यह समझा जाता है कि अध्यापक का प्राथमिक कार्य मनुष्य निर्माण से संबंधित है, अर्थात आने वाले कल के लिए भारतीय का निर्माण।

2. निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय शुरू किये जाने चाहिए :—

(क) गृह-निर्माण हेतु ऋणों को आसान तथा नर्म बनाने के लिए अध्यापकों हेतु एक गृह राशि का सृजन करना;

(ख) अध्यापकों के लिए गृह निर्माण सोसायटियों को प्रोन्नत करना;

(ग) प्रमुख शहरों में अध्यापकों के लिये विश्राम गृहों की व्यवस्था;

(घ) मूल वेतन के 75% की दर पर चिकित्सा-भत्ता और प्रसूति तथा गम्भीर बीमारी में इलाज और चिकित्सा-खर्चों की कुल लागत की प्रतिपूर्ति करना;

(ङ) स्कूल में प्रथम उपचार सुविधाओं की व्यवस्था।

3. सेवा निवृत्ति के बाद अध्यापकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य की सुविधायें तथा चिकित्सा जांच उपलब्ध कराते रहना चाहिये।

4. आयोग सिफारिश करता है कि सातवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों के लिए एक लाख मकानों के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी राय में 25,000/- रुपये की लागत पर एक साधारण आवासीय एकक का निर्माण करना सम्भव होना चाहिए।

5. अध्यापकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकलापों को, गृह, चिकित्सा, सहायता, पुस्तक-प्रकाशन, शिक्षा ऋण, अध्यापक विश्राम गृहों आदि की योजनाओं को शामिल करने के लिए विविध बनाना चाहिए।

6. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासकों के वेतनमानों के अधिव्यय को एक सिंगल रनिंग स्केल से बदले की संभावना का गम्भीरता से पता लगाना चाहिए। देश में अध्यापकों तथा शैक्षिक प्रशासकों की सभी श्रेणियों के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय वेतनमान की दिशा में इसे पहले कदम के रूप में लिया जाना चाहिए।

7. आयोग द्वारा सुझाई गई नई वेतन निर्धारण नीति के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि औसतन राज्य में प्रत्येक माध्यमिक अध्यापक को कम से कम 100/- रुपये प्रति मास का लाभ होगा जबकि प्राथमिक अध्यापक के मामले में यह लाभ कम से कम 150/-रुपये प्रति मास का होगा।

8. आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रस्तावित एक संयुक्त रनिंग स्केल में प्रवेश बिन्दु से पांच साल बाद और तत्पश्चात हर दस वर्ष के बाद दक्षता रो० की व्यवस्था होनी चाहिए। यह वेतन को निष्पादन के साथ जोड़ने के लिए किया गया है। आयोग का सुझाव है कि जिस प्रत्येक बिन्दु पर दक्षता रो० पड़ता है उसके पूर्व के वर्षों में सम्बन्धित शिक्षक के निष्पादन की समीक्षा करते वक्त संस्था के प्रमुख द्वारा इसे देखा जाना चाहिए। यदि ऐसा मूल्यांकन उद्देश्य पूर्वक किया जाता है तो यह सिफारिश की जाती है कि आवश्यकता होने पर अन्य संस्था के प्रमुख अथवा ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए सुप्रसिद्ध किसी भी निरीक्षक को ऐसी समीक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है।

9. आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सरकार को संयुक्त रनिंग स्केल के कार्यान्वयन के प्रथम पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार के घाटे को पूरा करना चाहिए।

10. प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में वरिष्ठ पदों की संख्या की साथ-साथ लगातार बढ़ाने के वास्ते उप-प्रधानाचार्य/प्रथम अध्यापक के पदों का सृजन किया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या का मोटे तौर पर समनुरूप वितरण इस प्रकार होना चाहिए। सहायक अध्यापक (60 प्रतिशत), वरिष्ठ अध्यापक (25 प्रतिशत), उप-प्रधानाचार्य (10 प्रतिशत) और प्रिंसिपल/मुख्याध्यापक (5 प्रतिशत)।

11. शारीरिक शिक्षा, भारतीय भाषाओं, संगीत, चित्रकला आदि के अध्यापकों के वेतन तथा अन्य कार्य परिस्थितियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए!

12. आयोग सिफारिश करता है कि सातवीं योजना काल के दौरान प्रत्येक राज्य को कम से कम एक चार वर्षीय समेकित शिक्षा कालेज शुरू करना चाहिए।

13. प्रारम्भिक अध्यापकों के लिए कक्षा 12 के पश्चात दो वर्ष का प्रशिक्षण वांछनीय है। इस विषय में प्रयत्न किए जाने चाहिए कि यथाशीघ्र प्रारम्भिक अध्यापकों के प्रशिक्षण तरीके को सामान्य प्रशिक्षण तरीके में स्थापित किया जाये।

14. यह सिफारिश जोर देकर की गई है कि भविष्य में शिक्षक प्रशिक्षण केवल उन्हीं अध्यापकों तक सीमित होना चाहिए जो कि पहले से ही भर्ती किए जा चुके हैं या उनकी भर्ती के लिए चयन हुआ है।

15. प्रत्येक सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्य रूप से एक कार्यशाला के रूपमें होना चाहिए जिसमें अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने के साथ-साथ वास्तविक व्यावहारिक कार्य के लिए अवसर प्रदान किए जाएं और शामिल होने वाले शिक्षक उक्त सामग्री को अपने स्कूलों में प्रयोग के लिए अपने साथ वापिस ले जा सकें।

16. राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षक आचार संहिता शिक्षक संगठनों के परामर्श से तैयार की जानी चाहिए।

17. काम न करने वाले और अकुशल व्यक्तियों में से योग्य और अनुशासन बद्ध व्यक्तियों का सरल और स्वाभाविक रूप से पता लगाने के लिए यह एक अन्य महत्वपूर्ण कदम होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई के संचालन को अधिक तेज और अधिक कुशल बनाया जाना है।

18. स्कूल के कार्य में मुख्याध्यापक की भूमिका के आलोचनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसका चयन हमेशा योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर किया जाना चाहिए और न कि वरिष्ठता व औचित्यता के आधार पर।

19. स्कूल शिक्षा में स्तरों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय संगठन फौरन स्थापित किया जाना चाहिए।

20. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में कानूनी शक्तियां निहित होनी चाहिए।

21. देश में शिक्षक व्यवसाय के स्तर को बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और शैक्षणिक विकास की गति को तेज करने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा को पुनः शुरू करने की जोरदार सिफारिश की जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 की मुख्य सिफारिशें

1. मानव निर्माण तथा समाज निर्माण के कार्यकलाप के रूप में शिक्षा पर अवश्य ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। शिक्षकों की भूमिका परिवर्तनकर्ता के रूप में ज्ञान संग्रहता के रूप में, और समुदाय के साथ सहयोग कर्ता के रूप में समझा जाना चाहिए। ज्ञान के प्रसार के संदर्भ में शिक्षक को अद्यतन रहना होगा निरन्तर अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। व्याख्यान प्रणाली ही पर्याप्त नहीं होगी और क्षेत्र कार्य, परियोजनाओं, सैमिनारों, अनुकरणीय अभ्यासों, समस्या निराकरण विषयों ट्यूटोरियल्स और अध्यापन-अध्ययन की प्रगतिशील तरीकों जैसे अनेक उपायों को करने होंगे। यह खासकर इसलिये आवश्यक है क्योंकि प्रवृत्तियों आचरण, मूल्यों और सामाजिक तथा विकासात्मक विषयों के विकास को प्रोत्साहित करने की विशेष जरूरत है।

2. पूरे देश में अध्यापकों के रहने और कार्य करने की स्थितियों में सुधार होना चाहिए। देर से नौकरी शुरू करने को पूरा करने के लिए, अग्रिम वेतन वृद्धि संस्वीकृत की जानी चाहिए। कम से कम 25% शिक्षकों को कार्यात्मक स्वरूप की आवासीय सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। संस्थाओं को ब्याज की कम दरों पर ऋण देने के लिए 2.50 करोड़ रुपये का एक आवर्ती कोष बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों को गृह निर्माण अग्रिम भी संस्वीकृत किया जाना चाहिए।

3. शिक्षकों को वाहन खरीदने के लिए ऋण संस्वीकृत किया जाना चाहिए।

4. कालेजों में कम से कम 25% अध्यापकों के क्यूबीकल लाकर्स होने चाहिए इस उद्देश्य के लिए 150 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए।

5. सभी अध्यापकों को 50 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाना चाहिए और जहां अस्पताल में रहकर इलाज हुआ हो, वहां पूरा खर्च वहन करने का प्रावधान होना चाहिए।

6. भविष्य निधि ग्रेच्युटी, पेंशन और सामूहिक बीमा जैसे सेवा-निवृत्ति के लाभ सभी अध्यापकों को अवकाश और यात्रा सुविधाओं के अलावा उपलब्ध होने चाहिए।

7. प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों में शिक्षक के बच्चों को दाखिला को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8. 25% अध्यापकों की नियुक्ति राज्य के बाहर से होनी चाहिए।

9. शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश स्तर पर बिल्कुल योग्यता के आधार पर चयन करना बहुत ही आवश्यक है। एक अखिल भारतीय परीक्षा होनी चाहिए। और वे ही विचारार्थ पात्र होने चाहिए जो B+ ग्रेड प्राप्त किया हो। वि०अ०आ० द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं जारी रहनी चाहिए।

रीडरों और प्रोफेसरों के उच्च स्तरों पर सभी नियुक्तियां अखिल भारतीय आधार पर खुले चयन द्वारा होनी चाहिए। प्रोफेसर के उच्च ग्रेड के लिए एक राष्ट्रीय चयन होना चाहिए।

10. अध्यापकों को प्रशिक्षण तथा अपने ज्ञान को बनाए रखने का व्यवस्थित किन्तु लघु पाठ्यक्रम हर पांच वर्ष के बाद प्राप्त करना चाहिए। अध्यापकों को पूर्व-प्रवेश स्तर पर कुछ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपनी एम० फिल/पी०एच०डी० प्राप्त करते हुए प्रगतिशील अध्यापक शिक्षणोन्मुख विशिष्ठ पाठ्यक्रमों को भी अपना सकते हैं। फिर, शिक्षण व्यवसाय में शामिल होने के फौरन बाद अध्यापक को सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह व्यवसायोन्मुख तथा इसके मूल्यों, अध्यापन में कुशलता, पाठ्यचर्या निर्माण श्रव्य-दृश्य सहायता के उपयोग, सम्प्रेषण कुशलता, शैक्षकि मनोविज्ञान और मूल्यांकन पद्धतियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। अध्यापकों को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में आवधिक पुन: प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य/क्षेत्रीय स्तरों पर उच्च केन्द्र और/या विभागों की स्थापना की जानी चाहिए, प्रत्येक अध्यापक को ऐसे किसी एक केन्द्र/विभाग के साथ जुड़ा होना चाहिए तथा इसके कार्यक्रमों में समय-समय पर अर्थात् हर पांच वर्ष में एक बार भाग लेना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में अध्यापक के निष्पादन का गहराई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और शैक्षिक जीवन के विकास के संदर्भ में इस पर विचार किया जाना चाहिए।

11. प्रत्येक श्रेणी के लेक्चरारों रीडरों और प्राध्यापकों के लिए स्पष्ट ग्रेड होने चाहिए। 8 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले व्यक्ति के औसत निष्पादन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और ठीक पाये जाने पर वह अगले ग्रेड में जा सकता है। इसे औसत स्तर कहा गया है। इस प्रक्रिया को यदि अच्छी तरह कार्यान्वित किया जाए, अध्यापक को उसकी सेवा में अनेक पदोन्नतियां होंगी और किसी भी एक अध्यापक को जो अधिकतम वेतनमान मिल सकता है उसके 75% तक पहुंच सकता है। योग्य अध्यापक को, जब उसने किसी खास स्तर पर 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विशेष मूल्यांकन के लिए अपना जीवनवृत्त और उपलब्धि प्रस्तुत करने का पात्र होना चाहिए और यदि वह सांविधिक चयन समिति द्वारा योग्य पाया जाता है तो वह उसी वर्ग या पदवी के अगले उच्चतर ग्रेड में जा सकता है।

12. उत्तर स्नातक कालेजों में प्रोफेसर के ग्रेड लागू करने की सम्भावना के साथ कालेजों में रीडरों के ग्रेड आरम्भ किए जाने चाहिए अध्यापकों को अपने सेवा लाभों को एक विश्वविद्यालय/कालेज से दूसरे तक ले जाने के योग्य होना चाहिए। महिला अध्यापकों को अंशकालिक कार्य, जैसी विशेष सुविधाएं, यदि उनकी पारिवारिक स्थितियों के कारण यह अपेक्षित हो, दी जानी चाहिए और संस्थानों द्वारा शिशु-पालन गृह स्थापित किये जाने चाहिए।

13. अध्यापकों को कार्यकलापों के संचालन और प्रबन्ध में बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, संस्थानों के साहसी निकायों को जिम्मेदार होना चाहिए। अध्यापक संघों को

अपने सदस्य अध्यापकों के व्यवसायिक निष्पादनों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की स्पष्ट परिभाषा को स्वीकार करना चाहिए। उनकी शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए एक तन्त्र होना चाहिए।

14. कोई भी व्यवसाय और सेवा करो या न करो के बिना टिक नहीं सकती। अध्यापकों के लिए शैक्षणिक कर्तव्यों जैसे भाषणों, प्रदर्शन, मूल्यांकन, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण आदि से बचना अवांछनीय है : छात्रों के मूल्यांकन में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। उसे अन्य छात्रों और अध्यापकों के विरुद्ध छात्रों को उकसाना नहीं चाहिए। उसे उपयुक्त प्रशासनिक और शैक्षणिक निकायों के निर्णयों को पालन करने से मना नहीं करना चाहिए। आचार संहिताओं में ऐसे और इस प्रकार के तत्व नवीन नहीं हैं। शिक्षण समुदाय को निष्पादन का उपयुक्त मानदण्ड अपनाना चाहिए ताकि इसे हमारे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके।

दक्षिण भारत में मिनी रेलवे कार्यशालाओं की स्थापना

5007. **श्री एन. डेनिस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में अनेक मिनी रेलवे कार्यशालायें स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई कार्यशाला कन्याकुमारी जिले में भी लगाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

5008. **श्री एन० डेनिस :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडू में इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने सभी उप-केन्द्रों को पूर्ण स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या इस प्रायोजन के लिए कोई समय सीमा निश्चित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का काम राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.1.1985 को तमिलनाडू में 422 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्नाटक में बिजली की कमी

5009. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में हुई विद्युत सम्बन्धी पुनर्विचार समिति की बैठक में राज्य सरकार से, 'हाइटेंशन' बिजली के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली में और अधिक कटौती करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या कर्नाटक विद्युत बोर्ड और ऊर्जा विभाग तथा उद्योगों के अधिकारियों की समन्वित समिति ने कर्नाटक राज्य में बिजली की लगातार संकटपूर्ण होती जा रही स्थिति की समीक्षा की है;

(ग) क्या यह सच है कि समिति ने, राज्य सरकारों के उपलब्ध बिजली सप्लाई का अधिकतम उपयोग गर्मियों के दौरान करने के लिए कहा था जबकि बिजली की कमी अपेक्षाकृत अधिक होती है; और

(घ) क्या समिति ने कर्नाटक के पड़ौसी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया था कि वे बिजली की कमी को पूरा करने में कर्नाटक को मदद दें ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री श्री अरुण नेहरू : (क) से (घ) जैसा कि कर्नाटक सरकार द्वारा सूचित किया गया है विद्युत समीक्षा समिति सतत् रूप से राज्य में विद्युत स्थिति की समीक्षा करती है और बिजली के सर्वोत्तम उपयोग के लिए सरकार को सुझाव देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। समिति की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात कर्नाटक सरकार द्वारा 1.4.85 से विद्युत कटोतियां बढ़ा दी गई थीं। कर्नाटक सरकार और राज्य बिजली बोर्ड ने तमिलनाडू को छोड़कर पड़ोसी राज्यों से सहायता के लिए अनुरोध किया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई "खुला विद्यालय" परियोजना

5010. **श्री वी० बी० देसाई :**

श्रीमती किशोरी सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा का दूर-दूर प्रसार करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई "खुला विद्यालय" परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष से पूरी तरह वित्त पोषित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे इसकी संरचना से अब तक बनाए गए तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कुल कितनी धन राशि रखी गई है; और

(घ) इस योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान किये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1984-85 से आगे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की खुला स्कूल परियोजना के पूरे घाटे को वहन करने के का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए योजना के अन्तर्गत 40.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था अनुमोदित की गई है। खुला स्कूल परियोजना द्वारा की गई प्रगति को इस तथ्य से आंका जा सकता है कि वर्ष 1981-82 में खुला स्कूल में दाखिल 1678 छात्रों की संख्या बढ़कर वर्ष 1984-85 में 7318 हो गई।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर किया गया व्यय

5011. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मदों पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है (एक) परिवार कल्याण कार्यक्रम (दो) प्रोत्साहनों के रूप में दी गई नकद राशि (तीन) समाचार पात्रों में विज्ञापन (चार) फिल्मों तथा प्रकाशित सामग्री (पांच) उपयोग में आने वाली सामग्री आदि (छः) प्रदर्शनियां और (सात) विदेशी मुद्रा (यदि कोई खर्च की गई है तो) ; और

(ख) किए गए खर्च के और रखे गये लक्ष्यों की तुलना में प्रति वर्ष हुई उपलब्धियों का प्रतिशत क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) (एक) से (पांच) सूचना संलग्न विवरण एक में दी गयी है।

(छः) दान देने वाली बाहरी एजेन्सियों से प्राप्त हुई वस्तुओं के अतिरिक्त वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान 14.30 लाख रुपये, 114.86 लाख रुपये तथा 90.00 लाख रुपये की धनराशि (अन्तिम) विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च की गयी थी।

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम पर लगभग क्रमशः 288.32 करोड़ रुपये, 382.99 करोड़ रुपये और 432.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण दो में दी गयी हैं।

विवरण-एक

(रुपये लाखों में)

वर्ष	परिवार नियोजन के तरीकों के स्वीकार्यकर्ताओं को मुआवजा	सप्लाई किए गये गर्भनिरोधकों की लागत	विज्ञापन पेपरों, प्रदर्शनियों प्रकाशन आदि सहित जन शिक्षा और प्रचार कार्यकलाप	जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए की गई सप्लाई की लागत
1	2	3	4	5
1982-83	7163.01	766.01	739.63	681.25
1983-84	8737.81	1079.65	800.01	778.88
1984-85 (अनन्तिम)	9680.88	1217.03	960.49	901.92

विवरण-दो

परिवार नियोजन के तरीकों के लक्ष्यों की राज्य वार प्रतिशत उपलब्धि—अखिल भारत

(आंकड़े हजारों में)

वर्ष	नसबन्दी		आई० यू० डी० निवेशन		समीकृत प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता		समीकृत खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता	
	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1982-83	4522	88.1	1512	72.5	6502	88.7	503	36.4
1983-84@	5900	76.8	2500	85.2	7900	96.9	1100	50.4
1984-85@	5823	58.9*	3183	63.6*	10000	75.0*	1000	53.0*

@ आंकड़े अनन्तिम हैं ।

* फरवरी 1985 तक ।

जच्चा बच्चा स्वास्थ्य कार्यकलापों के लक्ष्यों की वर्ष वार प्रतिशत उपलब्धि—अखिल भारत

(आंकड़े दस लाख में)

	गर्भवती महिलाओं का टेटनस से रोग प्रतिरक्षण		बच्चों का डी पी टी से रोग प्रतिरक्षण		बच्चों का डी पी टी से रोग प्रतिरक्षण		महिलाओं का अपोषणज अरक्तता से बचाव	
	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि
1982-83	9.00	84.9	13.97	74.0	12.50	82.0	12.00	133.1
1983-84†	11.50	71.3	14.50	76.7	13.00	81.0	12.00	144.4
1984-85†	13.03	54.9*	14.51	62.1*	13.06	65.7*	13.00	112.6*

	बच्चों का अपोषणज अरक्तता से बचाव		विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता से रोकथाम		पोलियो		टाइफाइड	
	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि
1982-83	12.00	119.6	25.00	76.7	5.24	87.0	10.00	50.8
1983-84†	12.00	134.7	25.00	67.8	7.50	105.9	10.00	61.8
1984-85†	13.00	109.6*	27.00	77.8*	12.00	55.8*	11.00	50.0*

† उपलब्धि के आंकड़े अनन्तिम हैं।

* फरवरी, 1985 तक के आंकड़े।

ग्रामीण क्षेत्रों और गंदी बस्तियों में पोलियों के शिकार बच्चे

[हिन्दी]

5012. **श्री हरीश रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष राज्य-वार कितने बच्चे पोलियो के शिकार होते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस रोग के शिकार होने वाले अधिकतर बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों और गंदी बस्तियों के होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इन क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों को पोलियो के टीके उपलब्ध कराने और इन टीकों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए विशेष कदम उठा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सूचित की गई पोलियो के रोगियों की संख्या संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) पोलियो के बारे में बुनियादी आंकड़े एकत्र करने के लिए 1981 और 1982 में नमूना सर्वेक्षण किए गए थे। इन सर्वेक्षणों पर आधारित इस रोग की घटनाओं की दर संलग्न विवरण-दो में दी गई है। इस रोग की घटनाओं की दर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार बच्चों (0-4 वर्ष) पर 1.7 और शहरी क्षेत्रों में 1.6 है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) योजना आयोग के कार्यदल ने 1990 तक पात्र बच्चों के 85 प्रतिशत को कवर करने की सिफारिश की है। लोगों को उनके बच्चों का पोलियो से रोग प्रतिक्रमण के द्वारा बचाव करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है।

विवरण-एक

भारत में पोलियो की घटनायें—1982-1984

क्र. सं.		1982-रोगी	1983-रोगी	1984-रोगी
1	2	3	4	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1171	1192	
2.	असम	100	33	
3.	बिहार	37	229	
4.	गुजरात	502	491	
5.	हरियाणा	388	387	
6.	हिमाचल प्रदेश	41	159	
7.	जम्मू और कश्मीर	+	421	
8.	कर्नाटक	1420	3233	

1	2	3	4
9.	केरल	534	680
10.	मध्य प्रदेश	1950	850
11.	महाराष्ट्र	1704	2195
12.	मणिपुर	4	1
13.	मेघालय	3	—
14.	नागालैंड	+	15
15.	उड़ीसा	2514	1262
16.	पंजाब	1516	853
17.	राजस्थान	1911	1375
18.	सिक्किम	+	+
19.	तमिलनाडू	396	493
20.	त्रिपुरा	1	8
21.	उत्तर प्रदेश	1321	1571
22.	पश्चिम बंगाल	2719	2524
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	8
24.	अरुणाचल प्रदेश	2	3
25.	चण्डीगढ़	9	182
26.	दादर और नगर हवेली	3	2
27.	दिल्ली	2808	2686
28.	गोवा	—	1
29.	लक्षद्वीप	+	—
30.	मिजोरम	16	6
31.	पाण्डिचेरी	396	450
	कुल	21469	21310

—=शून्य, +=अनुलब्ध ।

आंकड़े अनन्तिम हैं और दोषपूर्ण कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं ।

विवरण-दो

राज्य/संघ क्षेत्र	प्रति हजार बच्चों (0-4) पर पोलियो की वार्षिक घटनायें ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.7	1.4
बिहार	1.4	2.4
गुजरात	2.5	2.2
हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़	3.1	1.7

1	2	3
कर्नाटक, गोवा	1.2	1.2
मध्य प्रदेश (भोपाल और जबलपुर संभाग)	1.9	1.65
उड़िसा	0.8	0.7
राजस्थान (जयपुर सम्भाग)	3.1	2.5
तमिलनाडु और पांडिचेरी	1.9	2.1
उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद सम्भाग)	2.3	1.6
पश्चिमी बंगाल	0.8	1.0
दिल्ली	—	1.57
महाराष्ट्र	1.43	1.29
औसत	1.7	1.6

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय अनुदान से प्रत्येक राज्य में पालीटेक्नीक कालेज

5013. **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में पॉलीटेक्नीक कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है, जो शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से और तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से संचालित होंगे;

(ख) यदि हां, तो ये पॉलीटेक्नीक कालेज मौजूदा पॉलीटेक्नीक कालेजों से किस प्रकार भिन्न होंगे;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान उन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है; और

(घ) ये कालेज किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ) : तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में एक मॉडल पॉलीटेक्नीक की स्थापना की सिफारिश की। आशा है कि ये पॉलीटेक्नीक पूर्ण केन्द्रीय सहायता और तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की सभी सम्भव सहायता से उत्कृष्ट केन्द्र बन जायेंगे और राज्य में अन्य पॉलीटेक्नीकों के लिए आदर्श और गतिनिर्धारिक के रूप में कार्य करेंगे।

इस योजना के लिए 80.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, इस योजना को योजना आयोग द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है। इस प्रकार के पॉली-टेक्नीकों की स्थापना के लिए किसी प्रकार का खर्च करने और स्थानों के चयन का प्रश्न इस योजना के अनुमोदित हो जाने के बाद ही उठ सकता है।

राज्यों में प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास संस्थान

5014. **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां विद्यमान स्थितियों के अनुकूल तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास के विशेष संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान के प्रसार के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल ने योजना अवधि के दौरान 20.00 करोड़ रुपये की लागत पर ग्रामीण/उपयुक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम-से-कम एक विशेष संस्थान स्थापित करने की योजना की सिफारिश की। योजना आयोग ने वर्ष 1985-86 के लिए इस योजना के लिए 50.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की है।

लखनऊ और बाराबंकी के बीच प्रातः कालीन स्थानीय रेलगाड़ियां शुरू करना

5015. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ बाराबंकी के दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसी कोई रेलगाड़ी नहीं है जिससे वे लखनऊ अथवा बाराबंकी में प्रातः 10 बजे अपने कार्य-स्थानों पर पहुंच सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रातःकाल उपयुक्त समय पर बाराबंकी से लखनऊ और लखनऊ से बाराबंकी के बीच स्थानीय रेलगाड़ियां चलाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) चूंकि सुविधाजनक सेवायें पहले से ही उपलब्ध हैं इसलिए स्थानीय गाड़ियां चलाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहल न किये जाने के कारण धन का उपयोग न हो पाना

[अनुवाद]

5016. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984-85 के दौरान, हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास धन उपलब्ध होने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा उस धन का उपयोग संग्रहालयों और अन्य साधनों के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं किया जा सका; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो उपयोग न की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संग्रहालयों तथा अन्य साधनों के माध्यम से विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए राजस्थान और मदुरै कामराज विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे विज्ञान शिक्षा केन्द्रों की सहायता कर रहा है। इन केन्द्रों को 1982-83 से 1985-86 की अवधि के लिए प्रत्येक को 4.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, छठी योजना की समाप्ति पर, आयोग ने विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को चयनात्मक आधार पर संग्रहालय-विज्ञान तथा संग्रहालयीय-विकास पाठ्यक्रमों के लिए सहायता देने का निर्णय किया। इस योजना हेतु 1984-85 के लिए संशोधित प्रावधानों में 2.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया था और विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव विचारार्थ आमंत्रित किए गए थे। अब तक 22 विश्वविद्यालयों ने अपने प्रस्तुत किए हैं। आयोग ने उन पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अभी बैठक नहीं हुई है और न ही अपनी सिफारिशें की हैं। अत: 1984-85 में इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विश्वविद्यालय को कोई सहायता नहीं दी गई थी।

(ग) अब तक प्राप्त हुए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए समिति की बैठक शीघ्र ही बुलाई जा रही है। समिति की सिफारिशें उपलब्ध होते ही संग्रहालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता

5017. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया गया है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए राज्य को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि यह कार्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। वैसे, उड़ीसा में विशेष क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने और उप-मंडलीय तथा तालुक अस्पतालों का सुधार करने के लिए 477.01 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा में कुल 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया गया है।

पहिये तथा एक्सिल बनाने वाले संयंत्र लगाना

5018. **श्री कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पहिये तथा एक्सिल बनाने वाले कितने संयंत्र लगाये गये हैं;

(ख) ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर लगाये गए हैं;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान ऐसे और संयत्र लगाने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) तीन ।

(ख)

संयंत्र का नाम	स्थान
1. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (सार्वजनिक क्षेत्र)	दुर्गापुर
2. टाटा आयरन एंड स्टील कं. (निजी क्षेत्र)	टाटानगर
3. पहिया और धुरा संयंत्र, बेंगलूर (रेल उपक्रम)	बेंगलूर

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुड्डापाह-पुड्डुपाडु रेल लाइन

5019. **श्री पी पेन्चालैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में पुड्डुपाडु से कुड्डापाह तक एक नई लाईन बिछाने का प्रस्ताव काफी समय पूर्व से लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों का बदला जाना

5020. **श्री पी० पेन्चालैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में रेलवे लाइन बहुत पुरानी है तथा सुरक्षित यात्रा के हित में इन्हें शीघ्र बदलने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में उन लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बदला जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसे रेल पथ हैं जिनका नवीकरण किया जाना है । ऐसी ही स्थिति सभी भारतीय रेलों पर है । तथापि, पर्याप्त अनुरक्षण साधनों द्वारा संरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(ख) 1985-86 में, आन्ध्र प्रदेश में 702 कि० मी० रेल पथ को बदलने का प्रस्ताव किया गया है ।

रेलवे में गैंगमैनों की सेवाओं को नियमित करना

[हिन्दी]

5021. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में ऐसे कितने गैंगमैन हैं जो दो वर्ष से अधिक समय से रेलवे में कार्यरत हैं परन्तु उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है; और

(ख) उनकी सेवाओं को नियमित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में ब्रिटेन का सहयोग

[अनुवाद]

5022. **श्री महेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के अनुरोध पर ब्रिटेन ने भारत में रेलवे कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में सहयोग देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) भारतीय रेल माल परिचालन सूचना प्रणाली के केन्द्रीय खंड की स्थापना के लिए परामर्श सेवाओं हेतु भारतीय रेलों ने ब्रिटिश रेल और कनाडा नेशनल रेलों के परामर्श खंड, क्रमशः ट्रांसमार्क और कनाक से प्रस्ताव आमंत्रित किये थे। दोनों पार्टियों से प्रस्ताव मिले हैं और उनके प्रस्तावों का अभी मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारत में टेंडरिल और बूटाजोलोडिन के प्रयोग पर प्रतिबंध

5023. **श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि विदेशों में टेंडरिल और बूटाजोलिडिन जैसी अनेक हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है परन्तु भारत में वे अभी भी बिक रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में इनकी बिक्री पर प्रतिबंध के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) टेंडरिल और बूटाजोलिडिन औषधियां क्रमशः ओक्सीफेनबूटाजोन तथा फेनिलबूटाजोन का समिश्रण है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा संघ का विचार है कि ये उपयोगी औषधियां हैं। अतः इन औषधियों को पूर्णतः बाजार से वापिस उठा लेने का कोई मामला नहीं है।

वैसे, इन औषधियों का केवल संधिसायुज्यक का शेसका संसिशोथ तथा गाउट संधिशोथ के उपचार के लिए सीमित इस्तेमाल करने की सिफारिश की जा रही है। इन औषधियों के निर्माताओं को उनके संघ तथा राज्य औषध नियंत्रक प्राधिकारियों की मार्फत निर्देश दे दिए गये हैं कि वे इन औषधियों के पैकटों के अन्दर रखी पर्चियों तथा प्रोत्साहन देने सम्बन्धी साहित्य में इन दवाओं के उपयोग सम्बन्धी पूर्वोपायों और विपरीत लक्षणों का उल्लेख कर दिया करें।

शोरानूर-मंगलोर लाइन पर स्वचालित सिगनल प्रणाली

5024. **डा० के० जी० अवियोडी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालघाट डिवीजन की शोरानूर-मंगलोर लाइन पर स्वचालित सिगनल प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) शेरुवण्णूर मंगलौर खंड पर इस सुविधा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यातायात के वर्तमान स्तर के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सभी औषध-कोषों का एक संकलन

5025. **डा० के० जी० अदियोडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के अलग-अलग औषधि-कोष हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन सभी को संकलित करके एक औषध-कोश बनाने का विचार है जैसा कि विदेशों में किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

इस मंत्रालय को ऐसे किसी देश का पता नहीं है जहां भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों को एक ही भेषज संहिता में शामिल किया गया हो।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह सम्भव नहीं है कि ऐसी एक ही भेषज संहिता हो, जिसमें भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों की औषधियां शामिल की जाएं क्योंकि चिकित्सा पद्धतियों में काफी-काफी अन्तर होता है और भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल की जाने वाली औषधियां भिन्न-भिन्न होती हैं।

भूमिगत जल विकास

5026. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश जहां भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, भूमिगत जल विकास संबंधी कार्य में तेजी से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सिंचाई के लिए भूमिगत जल का पूर्ण उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या छठी योजना में उत्तर प्रदेश में जहां पर्याप्त मात्रा में उपयोग में न लाया गया पानी उपलब्ध है तथा बिहार उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी केंद्रीय भूमिगत जल विकास निगम की स्थापना करने की योजना थी;

(घ) यदि हां, तो निगम द्वारा इस दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और भूमिगत जल का और उपयोग करने हेतु क्या अग्रेतर कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भूमिगत जल के जरिए सिंचाई विकास एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होता है और यह कुछ राज्यों में, विशेष रूप से

पूर्वी क्षेत्र में कम है। तथापि, उत्तर प्रदेश में, भूमिगत जल से सिंचाई क्षमता के विकास में काफी प्रगति हुई है। इस राज्य में, सिंचित क्षेत्र के संदर्भ में 120 लाख हैक्टेयर की अन्ततः सिंचाई क्षमता के मौजूदा अनुमान की तुलना में छठी योजना के अन्त में संभावित उपलब्धि 114.14 लाख हेक्टेयर होने की आशा है जो कि मोटे तौर पर वर्तमान अन्ततः मूल्यांकित क्षमता का 95% है।

(ख) कुछ राज्यों में भूमिगत जल का विकास कम स्तर पर होने के कारण ये हैं : छोटी और खण्डित भू-जोतें, उपयुक्त किस्म के ड्रिलिंग रिगों का पर्याप्त संख्या में न होना, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता, उपकरण के लिए अनुरक्षण संबंधी सुविधाओं का अभाव तथा भूमि के सामुदायिक स्वामित्व के कारण संस्थागत वित्त की अनुपलब्धता। राज्य सरकारें उपकरण के लिए मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करके, उपयुक्त किस्म के ड्रिलिंग रिगें प्राप्त करके और भू-जोतों की चकबन्दी करके भूमिगत जल के विकास में तेजी लाने के लिए उपाय कर रही है। केन्द्र सरकार, जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों की गति में तेजी लाकर तथा भू-जल योग्य क्षेत्रों की खोज करके उनका पता लगाकर और क्षमता का मूल्यांकन करके भूमिगत जल के विकास में राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। केन्द्रीय सरकार भी एक स्कीम संचालित कर रही है जिसके अन्तर्गत भूमि जल विकास के लिए ड्रिलिंग तथा अन्य उपस्कर की खरीद के वास्ते राज्यों को बराबर की सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) : उत्पादन कुओं, विशेषकर पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सख्त चट्टानी क्षेत्रों में, का निर्माण करने के लिए योजना आयोग ने छठी योजना के दौरान केन्द्रीय भूमिगत जल विकास निगम की स्थापना करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। तथापि, प्रस्ताव को तदुपरान्त समाप्त कर दिया गया था क्योंकि यह विचार किया गया था कि जहां उपयुक्त अवस्थापना उपलब्ध नहीं है, वहां केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तथा राज्य संगठनों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करके निगम के लिए परिकल्पित कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है।

सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों भूमि और जल का बेहतर प्रबन्ध

5027. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमान क्षेत्र विकास का उद्देश्य अधिष्ठापित सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग के बीच अंतर को कम करना तथा सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में भूमि और जल के बेहतर प्रबन्ध के माध्यम से कृषि उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करना था;

(ख) क्या विशेषतः उन परियोजनाओं से जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करने की आशा है उपलब्ध सिंचाई क्षमताओं के उपयोग में शीघ्रता की दृष्टि से कुछ और परियोजनाओं को कार्यक्रम में शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो छठी योजनावधि के दौरान हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और भूमि को समतल बनाने, पानी के लिए नालियां बनाने तथा पानी के समान वितरण हेतु कितने किसान संगठन बनाए गए थे ?

(घ) क्या सिंचाई और सिंचित कृषि के पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जल प्रबंध के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस दिशा में आगे और क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) जहां पर कमान क्षेत्र विकास के अभाव में उपयोग पिछड़ा होता है वहां कार्यक्रम में अतिरिक्त परियोजनाएं शामिल की जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता-प्राप्त परियोजनाओं को शामिल करने के प्रति कोई पूर्व-आग्रह नहीं है।

(ग) उपलब्धियों का ब्योरा निम्नवत् है :

	(हजार हैक्टेयर में)
फील्ड चैनल	8323.19
भूमि समतलन	1598.32
वाराबन्दी	1669.64
खेत नालियां	1086.18

उपलब्ध सूचना के अनुसार समान जल वितरण तथा फील्ड चैनलों के रख रखाव और जल दरों को प्राप्त करने के लिए गुजरात में 26 कृषक सहकारिता सोसायटियां बनाई गई हैं।

उत्तर प्रदेश में आन-फार्म विकास कार्यों को करते समय कृषक समितियां स्थापित की जाती हैं। महाराष्ट्र में जल के वितरण के लिए सभी कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं में निकास (आउट-लेट) समितियां बनाई गई हैं। आन्ध्र प्रदेश में, कमान क्षेत्र विकास अधिनियम में प्रत्येक निकास के लिए पाईप समितियां गठित करने की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में सिंचाई तथा सिंचित कृषि में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए जल प्रबन्ध को पहले ही एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। सिंचाई तथा कृषि विभागों के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को जल प्रबन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार तथा तमिलनाडु में भूमि प्रबन्ध संस्थान स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

फूलबनी-भुवनेश्वर रेल संपर्क

5028. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेल लाइनों के मामले में उड़ीसा का फूलबनी क्षेत्र बहुत उपेक्षित है;

(ख) क्या यह सच है कि फूलबनी और भुवनेश्वर के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने की बहुत अधिक जरूरत है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) बोलनगिर को भुवनेश्वर से जोड़ने के लिए फूलबनी के रास्ते खोरधा रोड से बोलनगिर तक बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने और योजना आयोग के परामर्श से इसकी जांच के पश्चात इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जायेगी, बशर्ते कि धन सुलभ हो।

हजरत निजामुद्दीन-बंगलौर रेलगाड़ी को महाराष्ट्र के बेलापुर स्टेशन पर रोकना

5029. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजरत निजामुद्दीन से बंगलौर के लिए एक नई गाड़ी चालू की गई है;

(ख) क्या यातायात के आकार और बेहतर संचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार बेलापुर स्टेशन पर इस रेलगाड़ी के रुकने का प्रावधान करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) नं. 905/906 हजरत निजामुद्दीन बेंगलूर गाड़ी को ठहराना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया क्योंकि यह एक लम्बी दूरी की तेज गाड़ी है और बेलापुर में इन गाड़ियों के लिए लम्बी दूरी का पर्याप्त यातायात प्राप्त नहीं होता है।

डांड-मनमांड रेल लाइन को दोहरा करना

5030. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डांड-मनमांड रेल लाइन पर यात्री यातायात तथा माल-यातायात दोनों का ही भारी बोझ पड़ रहा है;

(ख) क्या इस लाइन पर गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, यात्री और माल यातायात के पड़ने वाले बोझ का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस रेल लाइन को दोहरा करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक्टरों का रेल सेवा ग्रहण करना और छोड़ना

5031. **श्री सी०पी० ठाकुर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेल अस्पतालों में बड़ी संख्या में डाक्टरों ने नौकरियां छोड़ी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कितने डाक्टरों ने रेल सेवा ग्रहण की और कितने डाक्टरों ने छोड़ी है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

अनुमानित पन-बिजली संसाधन

5032. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकसित और अल्प विकसित दोनों प्रकार के पन-बिजली संसाधनों के भंडार के नवीनतम अनुमान क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(शक्यता सम्बन्धी सभी आंकड़े 60% भार अनुपात पर हैं)

क्षेत्र	अनुमानित क्षमता (मिलियन किलोवाट)	विकसित क्षमता (मिलियन किलोवाट)	निर्माणाधीन (मिलियन किलोवाट)
पश्चिमी	6.51	1.21	0.74
दक्षिणी	13.00	4.55	2.32
पूर्वी	7.82	0.59	0.87
उत्तर पूर्वी	41.88	0.16	0.28

"नानक मिल्क" द्वारा हाइड्रोजन परोक्साइड का उपयोग

5033. **श्री सिद्ध लाल मुरमू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध से हाइड्रोजन परोक्साइड को गुजारने की अनुमति दी गई है जिससे कि दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं जबकि यह सिद्ध हो चुका है कि हाइड्रोजन परोक्साइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ग) क्या यह भी सच है कि "नानक मिल्क" लारेंस रोड, नई दिल्ली को दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए हाइड्रोजन परोक्साइड के प्रयोग की अनुमति एक विशेष मामला समझ कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस फर्म द्वारा दिल्ली में दूध बेचे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या तत्काल कदम उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अस्वस्थकर "नानक दूध" पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कार्यवाही

5034. **श्री सिद्ध लाल मुरमू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेरी आदि के अलावा और बहुत सी ऐसी निजी फर्में हैं जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पोली-पैक दूध बेच रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन फर्मों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी फर्मों विशेषकर "नानक मिल्क" लारेंस रोड नई दिल्ली पर कोई निगरानी रखी जाती है जो अस्वस्थकर परिस्थितियों में दूध पैक करते हैं और जिनके पास दूध को स्वस्थकर तरीके से पैक करने के लिए भी उचित संयंत्र नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन निजी फर्मों पर निगरानी रखने और दिल्ली में इन फर्मों द्वारा दूध बेचे जाने को रोकने और लोगों को उनकी धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि निम्नलिखित प्राइवेट फर्में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पोली-पैक दूध बेच रही हैं—

1. शक्ति दुग्ध, ओखला, नई दिल्ली
2. नानक दुग्ध।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली प्रशासन द्वारा नानक दुग्ध वितरकों से दूध के दो नमूने लिए गए हैं और ये नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से हुई दुर्घटनायें

5035. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों से हुई दुर्घटनाओं में कितने लोग हताहत और जख्मी हुये थे, और

(ख) दोषी चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) पहली अक्टूबर, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक दिल्ली परिवहन निगम की बसों से हुई दुर्घटना में 135 व्यक्तियों की जानें गईं और 696 व्यक्ति घायल हुए।

(ख) पुलिस ने दुर्घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु होने व उनके घायल होने के कारण दिल्ली परिवहन निगम के 346 ड्राइवरों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इन ड्राइवरों के विरुद्ध या तो न्यायालय या पुलिस के पास कार्रवाई लंबित पड़ी है। वर्ष 1984 में दिल्ली परिवहन निगम ने 29 ड्राइवरों की जिनसे ऐसी दुर्घटनायें हुयीं, सेवायें समाप्त कर दी हैं।

बिजली घरों की संख्या

5036. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बिजली घरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ताप घरों और पन-बिजली घरों का अलग-अलग कुल संख्या कितनी है; और

(ग) देश में बिजली का कुल उत्पादन कितना होता है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) देश में 116 विद्युत केन्द्र हैं जिनमें से 61 ताप विद्युत, 52 जल-विद्युत तथा 3 न्यूक्लिय विद्युत केन्द्र हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 20 मेगावाट और इससे अधिक है।

देश में 1984-85 के दौरान कुल 156.7 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ जिसमें से 98.8 बिलियन यूनिट ताप विद्युत, 53.8 बिलियन यूनिट जल-विद्युत तथा 4.1 बिलियन यूनिट न्यूक्लिय विद्युत शामिल है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विद्यालयों के अध्यापकों को चयन ग्रेड

5037. **श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीन विद्यालयों के अध्यापकों को चयन ग्रेड मंजूर किये थे ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय लिया था कि चयन ग्रेड केवल विद्यालयों के अध्यापकों को ही दिये जायें;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है और कुछ पात्र अध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा किये गये निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अक्टूबर, 1976 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित स्कूलों में अध्यापकों से सम्बन्धित पदों में दिनांक 1-1-1973 से 20% सलेक्शन ग्रेड पदों के सृजन के लिए निर्णय की सूचना दी।

(ख) से (घ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित स्कूलों में अध्यापकों के लिए सलेक्शन ग्रेड लागू करना अब तक इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि अध्यापकों की वरीयता सूची विवाद और मुकद्दमे का विषय बनी रही है। विश्वविद्यालय ने विभिन्न काडरों के बीच वरीयता निर्धारण हेतु स्थापित सिद्धांतों के आधार पर वरीयता सूची को संशोधित किया है। तथापि, सिविल जज, अलीगढ़ ने कुछ अध्यापकों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर निर्देश दिया था कि सलेक्शन ग्रेड पूर्व-संशोधित वरीयता सूची के आधार पर संस्वीकृत किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने सिविल जज, अलीगढ़ के इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक अपील दायर की है। अपील अभी विचाराधीन है।

ब्रजराज नगर (उड़ीसा) में उपरिपुल को चौड़ा करना

5038. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उड़ीसा में ब्रजराज नगर में संकरे उपरिपुल को चौड़ा करने की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) मांग मौजूदा ऊपरी पैदल पुल को, जिसका निर्माण मैसर्स ओरियंटल पेपर मिल्स की लागत पर वाहन याता-यात के लिए किया गया था, ऊपरी सड़क पुल में बदलने की है। इसके लिए पुल को पुनः पूरी तरह से बनाने की आवश्यकता होगी। रेलें निक्षेप शर्तों के आधार पर इस काम को शुरू कर सकती हैं जिसके लिए प्रस्ताव या तो मैसर्स ओरियंटल पेपर मिल्स द्वारा या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। इस स्थान से 300 मीटर की दूरी पर वाहन यातायात के लिए एक ऊपरी सड़क पुल पहले से ही मौजूद है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए शिक्षा सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तिका

5039. **श्री सिद्धलाल मुरमू** : क्या शिक्षा मंत्री अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिए शिक्षा सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तिकाओं के बारे में 9 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त पुस्तिका प्रकाशित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशक का नाम क्या है और यह कहां से खरीदी जा सकती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पुस्तिका के प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए शिक्षा सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तिका अभी प्रकाशित नहीं हुई है क्योंकि पांच राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश की सूचना बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस पुस्तिका को, जिसे भारत सरकार मुद्राणालय में प्रकाशित किया जाएगा, को निकालने के लिए अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकारियों द्वारा वैयक्तिक दौरों सहित सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा देश और विदेशों में शुरू की गई परियोजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

5040. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा देश में, और विदेशों में भी यदि कोई हो तो, शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में कितने भारतीय लोग काम पर लगाये गए हैं;

(ग) क्या उक्त निगम द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति के लिए आरक्षण संबंधी नीति का अनुपालन किया जाता है; और

(घ) 1 अप्रैल, 1985 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या कितनी थी और इन समुदायों से संबंधित यदि किन्हीं लोगों को विदेशों में भेजा गया है तो उनकी संख्या कितनी है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विदेश में कोई परियोजना हाथ में नहीं ली है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भारत में हाथ में ली गई स्वीकृत परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं में लगी जनशक्ति के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अनुसार निगम द्वारा आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है।

(घ) 1-1-1985 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 1210 और 501 है।

विवरण

स्वीकृत परियोजनाओं का नाम	रा.ता.वि.नि. द्वारा सीधे नियोजित किए गए व्यक्तियों की संख्या	विभिन्न ठेकेदारी एजेंसियों द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या
सिंगरोली	2,327	6,418
कोरबा	2,245	10,000
रामागुण्डम	1,616	5,000
फरक्का	894	4,000
रिहन्द चरण-एक	337	7,505
विन्ध्याचल चरण-एक	511	4,507
पारेषण लाइनें	624	962

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार और उन्हें चौड़ा करना

[हिन्दी]

5041. **श्री लाला राम केन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं होने का मुख्य कारण यही है कि ये राजमार्ग कम चौड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राजमार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और उन पर काफी लम्बे समय से कोई ध्यान नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन राजमार्गों की स्थिति में सुधार करने और इन्हें चौड़ा करने पर विशेष ध्यान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की अनवरत समीक्षा की जाती है। यातायात की जरूरत के अनुसार उपलब्ध धन की सीमा में सुधार कार्यों की मंजूरी दी जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1985-86 में लगभग 146 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा और पुष्ट करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

रेलवे के उत्पादन यूनिटों को सार्वजनिक उपक्रमों में बदलने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

5042. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने रेलवे के उत्पादन यूनिटों को सार्वजनिक उपक्रमों में बदलने के प्रस्तावों के लाभ और हानियों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उक्त मूल्यांकन से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या रेल मंत्रालय रेल उत्पादन यूनिटों में से किसी को व्यापारिक दृष्टि से प्रभावकारी ढंग से कार्य करने योग्य बनाने के लिए उसे प्रशासकीय और वित्तीय स्वायत्ता देने पर विचार कर रहा है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ग) रेलवे के उत्पादन यूनिटों को सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों में बदलने के लाभ और हानियों का अन्तः मंत्रालय समिति द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) समिति के निष्कर्ष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

मेल मरुवथुर अति पराशक्ति मंदिर (तमिलनाडु) के सामने आधुनिक स्टेशन भवन

5043. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु (चिंगलपेट डिवीजन) में मेल मरुवथुर अति पराशक्ति मंदिर के सामने स्टेशन को पार करने की सुविधाओं सहित आधुनिक स्टेशन भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) परिचालनिक दृष्टि से इस स्थल पर क्रासिंग स्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है । बहरहाल, अति पराशक्ति मेडीकल एजूकेशनल एण्ड कल्चरल ट्रस्ट, मेल मरुवथुर के अनुरोध पर इस स्थान पर एक हाल्ट स्टेशन के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गयी है । काम के भाग के रूप में जैसे प्लेटफार्म और पहुंच मार्ग आदि के लिए मिट्टी संबंधी काम इस ट्रस्ट द्वारा किया जाना है । काम शुरू कर दिया गया है ।

माल डिब्बों की कमी

5044. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में माल यातायात की मांग को पूरा करने के लिए 1,45,000 माल-डिब्बों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गोल्डन रॉक वर्कशाप का विस्तार करके अथवा अम्बाथुरै स्टेशन के गांधी ग्राम के पास हासुरोर या पोण्डानूर में एक नया वर्कशाप स्थापित करके माल-

डिब्बे, पहिये तथा एक्सिल बनाने वाले एकक स्थापित करने के लिए अपेक्षित धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारतीय रेलों पर लगभग 5 लाख माल डिब्बे हैं। लदान की पिछली व्यस्त अवधि, जो अब समाप्त होने को है, के दौरान कुछ कमी महसूस की गई थी। हालांकि माल डिब्बों की अब भी कमी है, तो भी ये 1.45 लाख के करीब नहीं है।

(ख) देश में, विशेषकर निजी क्षेत्र में, माल डिब्बों के निर्माण की पर्याप्त क्षमता है। इसलिए होसूर के गोल्डन रॉक कारखाने अथवा पोंडानूर में माल डिब्बों के निर्माण के लिए क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव नहीं है।

मद्रास शहर में सैन्ट्रल और एगमोर रेल स्टेशनों को जोड़ना

5045. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर में सैन्ट्रल और एगमोर रेलवे स्टेशनों के बीच बड़े तथा छोटे ट्रैक को बरास्ता पार्क स्टेशन और मूर मार्किट स्टेशन मिले-जुले ट्रैक से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ताकि सैन्ट्रल स्टेशन के रास्ते से उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करने वाले लम्बी दूरी के यात्रियों की कठिनाईयों से बचा जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस काम को कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1. संसाधनों की अत्यधिक तंगी,

2. प्रस्ताव की व्यवहार्यता ज्ञात नहीं है।

कुछ पत्तनों में श्रम उत्पादकता में गिरावट

5046. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पत्तनों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान मजदूरी में वृद्धि के बावजूद श्रम उत्पादकता में गिरावट आई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और,

(ग) इन पत्तनों पर उत्पादकता में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पत्तनों पर उत्पादकता विभिन्न मुद्दों पर निर्भर करती है और न कि सिर्फ वेतन वृद्धि पर। वेतन वृद्धि चार वर्षों में एक बार होती है। यह विभिन्न मुद्दों अर्थात् यातायात के आवागमन कार्गो के स्वरूप, मौसम बदलने, प्रभावी पर्यवेक्षण, उपकरण की उपलब्धता, औद्योगिक संबंध आदि पर निर्भर है। वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 को औसत उत्पादकता की तुलना करने से पता चलता है कि 1984-85 में मद्रास, परादीप, काण्डला और टूटीकोरिन में उत्पादकता में वृद्धि हुई जबकि कोचीन, विशाखापत्तनम और मुरगांव में उत्पादकता में कमी हुई।

कलकत्ता में कुछ मदों में औसत श्रमिक उत्पादकता में कमी आई है, जबकि अन्य मदों में उत्पादकता लगभग उसी स्तर पर रही। न्यू मंगलूर में ब्रेक बल्क कार्गो की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जबकि शुष्क बल्क कार्गो के हैंडलिंग में कमी आई है। बम्बई में श्रमिक उत्पादकता में कोई प्रत्यक्ष रुख नजर नहीं आया।

(ग) 11-4-1984 के वेतन समझौते में श्रमिक फेडरेशन, समझौते की अवधि में अन्य बातों के साथ-साथ पत्तन कार्य में सुधार लाने और परस्पर सहयोग करने और सभी कार्य क्षेत्र में कम से कम 15% तक उत्पादकता स्तर में सुधार लाने पर सहमत हुए थे। उत्पादकता में सुधार लाने के उपायों पर विचार करने के लिए 6-8-1984 को सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में महापत्तनों के अध्यक्षों, पत्तन और गोदी श्रमिकों के फेडरेशनों और फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्टेविडोर्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी। इस बात पर सहमति हुई थी कि पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों को उत्पादकता के सभी पहलुओं की जांच करने और इसमें सुधार लाने के लिए उपाय करने की जांच करने के लिए उत्पादकता समितियां गठित करनी चाहिएं। तदनुसार पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों में किसी न किसी रूप में उत्पादकता समितियां गठित की गई हैं। इन उत्पादकता समितियों की आवधिक बैठकें होती हैं और यहां पत्तन प्रचालन के कार्य की समीक्षा की जाती है, कार्गो के जल्द हैंडल करने में रुकावटों का पता लगाया जाता है और उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं। पत्तनों में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, वे हैं समय की पाबंदी लागू करना, बेकार समय में कटौती करना, कार्गो हैंडलिंग प्रचालन का बेहतर पर्यवेक्षण और मौजूदा कार्गो हैंडलिंग उपकरण की उपलब्धता अधिक से अधिक करना।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का दोषपूर्ण कार्यकरण

5047. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ माननीय संसद सदस्यों ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को उसके पहाड़गंज जिले के अन्तर्गत लेखा विभाग के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में लिखा था;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि बिजली के बिल किसी रसीद प्रणाली के माध्यम से, अदायगी की देय तिथि से पर्याप्त समयपूर्व भेजे जायें और उन बिलों पर संबंधित कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए हों ताकि उन्हें उपभोक्ताओं के धन की मांग को कानूनी प्रपत्र माना जा सके ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) डेसू के अनुसार, इस प्रकार के कोई पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों के भुगतान करने के लिए युक्तिसंगत समय देने तथा बिल संदेश वाहक पुस्तिका में उनके हस्ताक्षर लेने के संबंध में अनुदेश पहले से ही उपलब्ध हैं। उपभोक्ताओं द्वारा बिल देर से प्राप्त होने की अवस्था में भुगतान करने की नियत तारीख

को समुचित रूप से बढ़ा दिया जाता है। बिजली के बिलों पर, जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त फार्म में हस्ताक्षर करने के संबंध में प्रस्ताव डेसू के विचाराधीन है।

नसबंदी योजना की उपलब्धि

5048. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 और 1982-83 में रक्षा मंत्रालय में नसबंदी योजना की उपलब्धि के आंकड़े निर्धारित लक्ष्य से क्रमशः 153.4 प्रतिशत और 89.8 प्रतिशत रहे और रेल मंत्रालय के आंकड़े क्रमशः 67.3 प्रतिशत और 56.8 प्रतिशत रहे;

(ख) रक्षा मंत्रालय ने इस योजना के लिए कितने लोग नियुक्त किये थे और रेल मंत्रालय ने कितने लोग नियुक्त किये थे:, और

(ग) इन दोनों ऐजेन्सियों द्वारा परिवार नियोजन की लक्ष्य प्राप्ति में इतना अन्तर रहने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा क्रमशः 784 (मंजूर शुदा पदों) और 629 लोगों को रोजगार दिया गया है।

(ग) मंत्रालय के नसबंदी सम्बन्धी लक्ष्य रक्षा मंत्रालय की उपेक्षा अधिक है :

	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
रेलवे	1981-82	26,000	17,504	67.3
	1982-83	41,000	23,300	56.8
रक्षा मंत्रालय	1981-82	15,000	23,009	153.4
	1982-83	24,000	21,563	89.8

दूर दराज के क्षेत्रों और रेलवे स्टेशनों के आस-पास भी यह कवरेज अपर्याप्त है।

पुष्प विहार, दिल्ली में वोल्टेज का उतार-चढ़ाव

[हिन्दी]

5049. **श्री रामपूजन पटेल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि पुष्प विहार, नई दिल्ली में वोल्टेज में हमेशा उतार-चढ़ाव आता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बल्ब फ्यूज हो जाते हैं;

(ख) क्या इसका कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा ढीले तार लगाना तथा बिजली विद्युत प्रदाय संस्थान के "फीडर" खम्बों पर ग्रिप लगाने के बजाय तार से सीधे कनेक्शन देना है;

(ग) क्या आधे से ज्यादा "फीडर" खम्बे या तो टूटे हुए हैं या अनावृत्त हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार पुष्प विहार में कुल मिलाकर विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है। तथापि, यदि उत्तरी क्षेत्र के ग्रिड में वोल्टता की समस्या होती है तो दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के

साथ-साथ इसका प्रभाव पुष्प विहार पर भी पड़ता है। कभी-कभी विशेष रूप से असामान्य घंटों के दौरान (ओड आवर्स में) जब ग्रिप सुलभ नहीं हो पाती तब फीडर पिल्लर में खराबियों को दूर करते समय विद्युत सप्लाई सुनिश्चित के लिए डारेक्ट कनेक्शन कर दिया जाता है लेकिन ग्रिप्स को यथा संभव शीघ्र बदल दिया जाता है। यह सही नहीं है कि आधे से ज्यादा फीडर पिलर टूटे हुए हैं अथवा उखड़े हुए हैं। अनुरक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में फीडर खम्भों सहित क्षतिग्रस्त उपस्कर को नियमित रूप से बदल दिया जाता है।

पश्चिम बंगाल में कोयला और इस्पात क्षेत्रों के लिए बिजली

[अनुवाद]

5050. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने विशेषकर कोयला और इस्पात क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए मैथोन में 30 मेगावाट शक्ति वाले 3 गैस टर्बाइन स्थापित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका उपयोग पूरी तरह पश्चिम बंगाल में बिजली के अभाव से पीड़ित कोयला और इस्पात क्षेत्रों के लिए किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) दामोदर घाटी क्षेत्र में मैथोन में 3 × 30 मेगावाट का गैस टरबाइन केन्द्र प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव में यह परिकल्पना की गई है कि गैस टरबाइनों से प्राप्त विद्युत को विद्युत सप्लाई में स्थिरता की अधिक आवश्यकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से दामोदर घाटी निगम द्वारा पोषित पूर्वी क्षेत्र में रेलवे, कोयला और इस्पात के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपयोग की जाएगी।

दिल्ली में बिजली की चोरी

5051. **श्री राम भगत पासवान :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा मासिक कुल कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन हुआ और "डेसू ने कुल कितने विद्युत एककों के बिल जारी किये अथवा अपने उपभोक्ताओं से कितना प्रभार वसूल किया; और

(ख) क्या सरकार ने प्रति मास बिजली की चोरी का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो कुल उत्पादित बिजली के कितने प्रतिशत की चोरी होती है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहायता पैकेज परियोजना को फिर से खोलना

5052. **श्री बी० बी० देसाई :**

कुमारी पुष्पा देवी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहायता पैकेज की सभी परियोजनाओं को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के मुख्य कारण क्या हैं ?

(ग) क्या विशेषज्ञों को यह आशंका है कि इस मामले को फिर से खोलने से परियोजना के कार्यान्वयन में कम से कम एक वर्ष और देरी होगी; और

(घ) क्या इस निर्णय से परियोजना के वर्ष 1990 की बजाए 1992 में पूरा होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं। सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में विदेशी वित्तीय सहायता पैकेज पुनः चालू नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर में बिजली की कमी

5053. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में दुल हस्ती और उरी पन-बिजली परियोजनाओं को निर्धारित तिथि से पूर्व पूरा किया जाने को सुनिश्चित करने के लिए अधिक धन आबंटित किया जायेगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सर्दी के महीनों के दौरान जब जल विद्युत का उत्पादन कम हो जाता है, जम्मू और कश्मीर विद्युत की कमी का सामना करता है। सरकार दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सभी उपाय कर रही है। निधियों की व्यवस्था सहित विभिन्न निवेशों की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य की तारीखें निर्धारित की जाती हैं। अतः परियोजना को लक्ष्य तारीख से पहले चालू करना केवल निधियों की अधिक उपलब्धता पर ही निर्भर नहीं करता है।

उड़ी जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में कोई निवेश सम्बन्धी निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में पेशेवर रक्तदाताओं का धरना

5054. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में व्यावसायिक रूप से रक्तदान करने वालों ने कोई धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) समाचार रिपोर्टों के अनुसार व्यावसायिक रूप से रक्त देने वाले व्यक्तियों ने 8 अप्रैल, 1985 को नई दिल्ली में धरना दिया था।

(ख) उनकी मांगें निम्नलिखित थीं—

(क) रक्त के लिए अधिक भुगतान किया जाए;

(ख) रक्त लेने और स्टोर करने के लिए और अधिक साफ सुथरी परिस्थितियां हों।

(ग) 1. सरकार स्वैच्छिक रूप से रक्त एकत्र करने को बढ़ावा देने की इच्छुक है और व्यावसायिक रूप से रक्त देने वालों पर कम से कम निर्भर रहना चाहती है। इसको देखते हुए व्यावसायिक रूप से रक्त की एक यूनिट के लिए अधिक भुगतान करने अथवा उसकी कीमत निश्चित करने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. सभी रक्त बैंक औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली प्रशासन द्वारा विनियमित किए जाते हैं; दिल्ली प्रशासन का औषध नियन्त्रण संगठन इन रक्त बैंकों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं की जांच करने के लिए इनका निरीक्षण करता है।

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल का आवंटन

5055. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1984 को मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स के बुक स्टाल के ठेके की अवधि पूरी हो जाने के बाद उनके असन्तोषजनक कार्य निष्पादन के कारण उनका ठेका रद्द कर दिया गया है, उसका नवीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स के नियंत्रणाधीन बुक स्टालों, काउन्टर टेबलों और ट्रालियों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार इस स्टेशन में बेरोजगार स्नातकों के मौजूदा भागीदारों को नये सिरे से आवंटित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार बहुत समय से चली आ रही बिलम्बन की स्थिति को समाप्त करने के लिए कब तक पुनः आवंटन को अन्तिम रूप देने का है जिससे यात्रियों को सुथरी सेवा मिल सके;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत नये आवंटन के लिए कार्यवाई की जा रही है और इसे 11-5-1985 तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

शालीमार बाग में बिजली के खम्भों पर बिजली का खराब रहना

5056. **प्रो० एम० आर० हाल्दर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में हाल ही में बनाई गई कालोनी शालीमार बाग में रात में बिलकुल अंधेरा रहता है क्योंकि खम्भों पर विशेषकर ब्लाक "बी" के "पाकेट" "टी" में आम तौर पर "बिजली में खराबी रहती है";

(ख) क्या वहां के रहने वालों द्वारा की गई कई शिकायतों का कोई परिणाम नहीं निकला है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं और इस स्थिति में कब तक सुधार होने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) सड़क रोशनी की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है तथा ब्लाक "बी" के पाकेट "टी" सहित शालीमार बाग में व्यवस्था इस समय काफी संतोषजनक है। शिकायतों पर भी तत्परता से कार्रवाई की जाती है।

शिक्षण में सहायक के रूप में कम्प्यूटरों का उपयोग करने वाले विद्यालयों की समस्यायें

5057. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि शिक्षण में सहायक उपकरण के रूप में कम्प्यूटरों का उपभोग करने वाले विद्यालयों को ठीक तरह के "साफ्ट वेयर" की अनुपलब्धता के कारण गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यालयों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) पूरे भारत में 250 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (की कक्षाओं) में संगणक साक्षरता और अध्ययन आरम्भ करने की प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बीस साफ्टवेयर पैकेज का चयन किया गया था, ये पैकेज स्कूलों में बांट दिये गये हैं इन स्कूलों को साफ्टवेयर की उपलब्धता में कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई।

अनेक गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों ने भी स्वतंत्र रूप से संगणक अध्ययन आरम्भ कर दिए हैं। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वे किस प्रकार के साफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वर्तमान युग में अनुवाद की भूमिका

5058. **श्रीमती ऊषा चौधरी** :
श्रीमती माधुरी सिंह :
श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "वर्तमान युग में अनुवाद की भूमिका" पर विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में क्या सुझाव दिए गए और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : जी हां। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (भारत) द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 30 और 31 मार्च, 1985 को "वर्तमान युग में अनुवाद की भूमिका" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

(ख) इस संगोष्ठी ने अनेक सुझाव दिए। ये, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुवादकों के स्तर, अनुवादकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने, भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए

पुस्तकों के चयन तथा उनके प्रशासन के लिए एक केन्द्रीय कापीराइट निकासी एजेंसी तथा एक सत्र स्थापित करने, राष्ट्रीय अनुवाद तथा व्याख्या संस्थान की स्थापना संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन और अनुवादकों के लिए, शब्दकोश तथा शब्दावलियों जैसी सहायक सामग्री तैयार करने से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इन सुझावों की जांच कर रहा है। जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है यह केवल न्यास द्वारा विभिन्न सुझावों की जांच करने तथा अपने विचार सरकार को भेजने के बाद ही संभव है।

प्रान्तीय भाषाओं का संवर्धन

5059. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय भाषाओं को उपयुक्त स्थान देने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में प्रान्तीय भाषाओं के संवर्धन हेतु कितना धन निर्धारित किया गया है; और

(ग) उस प्रयोजन के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग) संसद द्वारा वर्ष 1968 में पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की भी व्यवस्था है। इस नीति के अनुसरण में शिक्षा मंत्रालय ने मैसूर में केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थापित किया है जो अपने क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के साथ अध्यापकों के प्रशिक्षण, सामाजिक भाषा सर्वेक्षण, साहित्य तैयार करना, क्षेत्रीय भाषाओं के अध्यापन के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम, भाषा-विज्ञानों में अनुसंधान आदि आयोजित करता है। शिक्षा मंत्रालय क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और उनका विकास करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योजना भी कार्यान्वित करता है। वर्ष 1985-86 के लिए विभिन्न योजनाओं तथा उनके लिए बजट प्रावधान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	बजट आवटन 1985-86		
		योजनागत	योजनेतर	योग
		(लाख रुपए)		
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	68.00	55.40	123.40
2.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	28.00	78.15	106.15
3.	क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सहायता स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	15.00	—	15.00
4.	विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में साहित्य निर्माण के लिए सहायता अनुदान-कोष पुस्तकें तैयार करने/अनुवाद करने के लिए अनुदान।	—	30.00	30.00
	योग	111.00	163.65	274.55

मंत्रालय द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों मस्टर रोल कर्मचारियों को दिया गया रोजगार

5060. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय अथवा उनके मंत्रालय के अधीन विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नैमितिक श्रमिकों मस्टर रोल कर्मचारियों को रोजगार दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा और उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा काम पर लगाए गए ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उन कर्मचारियों की सेवाएं काफी समय बीत जाने के बाद भी नियमित नहीं की जा रही हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को काफी वर्षों तक नैमित्तिक श्रमिक अथवा मस्टर रोल कर्मचारी बनाए रखने की बजाए उनकी सेवाओं को नियमित करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोन्डा) : ऐसी सूचना है कि जनवरी, 1985 में बजरी खानों से मुक्त किए गए 106 बंधुआ मजदूर परिवारों में से 48 परिवार···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित रूप में दे सकते हैं। आप मेरे पास आकर मुझसे विचार-विमर्श कर सकते हैं। मैं इसे देखूंगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैंने सूचना दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, प्रतीक्षा कीजिए। देखिए मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : महोदय, आप हमेशा उस ओर से ही क्यों आरम्भ करते हैं, आप इस ओर क्यों नहीं देखते ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए कोई वाम या दक्षिण नहीं है। मेरे लिए सब एक समान हैं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, देश के विभिन्न भागों में पानी की कमी है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें कोई पोइन्ट नहीं है। अनुमति नहीं दी जाती। इस तरह नहीं। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। यह किसी चीज के बारे में सामान्य प्रकार का उल्लेख है। (व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देखिए, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार की चर्चा चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बार-बार कहा है कि किसी प्रकार की चर्चा पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा। लेकिन इसमें समय लगेगा। इसकी बारी आने पर इस पर चर्चा होगी। आप मेरे पास आकर महत्व की बातें बता सकते हैं। इसके पश्चात मैं देखूंगा कि यदि उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है तो मैं इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। हम इसे देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुझे इसकी जानकारी हुई...

श्री कमल नाथ : महोदय, बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस पर गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिए। सारे अकाली नेताओं ने उग्रवादियों के पक्ष में अपने पदों का परित्याग कर दिया है। उग्रवादियों के पक्ष में पदों का परित्याग करके उन्होंने भिन्डरावाले के पिता को संयोजक नियुक्त किया है। अकालियों को दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। दिल्ली में कुछ दिन पहले ही अकाली नेताओं ने एक स्थिति पर कायम रहने का निश्चय किया था लेकिन वापस जाने पर अचानक वे बदल गए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात नहीं सुनते हैं, बोलते चले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : उन्होंने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिए हैं और उग्रवादियों के पक्ष में अपने पद छोड़ दिए हैं। गृह मंत्री को इस पर सरकार की प्रतिक्रिया बतानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उसका वही जवाब दे रहा हूं।

[अनुवाद]

आप मुझे उसकी सूचना दे सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : यह सूचना देने का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : गृह मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए और कुछ कहना चाहिए।

श्री एम० रघुमा रेड्डी खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे पास आयें। ठीक है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैंने सूचना दी है। (व्यवधान)

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है। आपने सूचना दे दी। लेकिन मैं अपना समय लूंगा मैं कोई कैलकुलेटिंग मशीन नहीं हूं। मैं समय लूंगा। क्या मैं एक समय एक ही काम नहीं कर सकता ? क्या मेरे पास कोई जादू की छड़ी है ? (व्यवधान) कुछ भी नहीं। कृपया उत्तेजित न हों। मैं इस पर समय लूंगा। एक-एक करके सूचनाओं पर विचार किया जायेगा। क्या मेरे पास कोई जादुई फार्मूला है जिसके द्वारा इन सभी विषयों को एक ही दिन लाया जा सके ? क्या ऐसा हो सकता है ?

यही बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसे देखूंगा। मैंने यही आपसे कहा है। बार-बार मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री कमल नाथ, यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको सूचना देनी होगी। मैं इसे देखूंगा। केवल भिण्डरावाले के पिता ही नहीं हैं। बल्कि श्री समरजीत सिंह मान को भी···

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : बैंक आफ कोचीन तथा अन्य बैंकों में ऋण स्थगन घोषित किए जाने के कारण···

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है। यह अभी मेरे विचाराधीन है। मैं इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगा रहा हूं। यह मेरे विचाराधीन है। मुझे कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा।

श्री जार्ज जोसफ मुडाकल (मुवत्तुपुजा) : मुझे भी वही चीज प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास है। मुझे इस सम्बन्ध में तथ्य प्राप्त हुए हैं। मैं देखूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। यह मेरे पास है। मैं इस पर निर्णय लूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैंने आप को सूचना दी है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ब्रितानी सरकार के एक मंत्री जिनका पद नाम समुद्र पार विकास मंत्री है—ने भारत सरकार को धमकी दी है कि भारत को दी जाने वाली सभी द्विपक्षीय सहायता बन्द कर दी जायेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। मैं समाचारों को इस तरह नहीं ले सकता। आप मुझे लिखित रूप में दे सकते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। इस प्रकार अनुमति नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इस मामले पर विचार करूंगा तथा तथ्यों का पता लगाऊंगा और इसके पश्चात आपको बताऊंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो० के० के० तिवारी : फिर आप मुझे चुप कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? आपने मुझे एक वाक्य पूरा करने की अनुमति नहीं दी।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं तथ्यों को देख नहीं लूंगा, तब तक मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मुझे तथ्यों का पता लगाना है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आपने मुझे एक वाक्य पूरा करने की अनुमति भी नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आप सुन रहे हैं कि अन्य लोग अपनी बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध किसी सरकार विशेष से है। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। तब मैं आपको बताऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह हमारी सरकार के विरुद्ध एक वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, परन्तु मुझे तथ्यों का पता लगाना जरूरी है।

प्रो० के० के० तिवारी : ठीक है, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन चुका हूं। आप और क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : मेरी बात सुने बगैर आपने निर्णय ले लिया कि आप उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० के०के० तिवारी : किस मामले पर आप विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपने लिखित में जो कुछ दिया है उस पर आपने कहा है कि आपने मुझे एक सूचना दी है। क्या आपने कहा कि आपने मुझे एक सूचना दी है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने आपको एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने कही है कि मैं इस पर विचार करूंगा। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरयिंकिल) : कर्नाटक के मंत्री, एक के बाद एक, केसरगोड के संबंध में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे इस तरह नहीं ले सकता। अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह क्यों उछल रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है। यह मेरा काम है, न कि आपका।

(व्यवधान)**

श्री गिरधारीलाल डोगरा (ऊधमपुर) : हमें पिछले दो दिनों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : हमें पानी नहीं मिल रहा है। जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया आप इसे देखें।

(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : हमें अपने क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है। हमारे पंडारा पार्क क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से पानी नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे वास्तव में यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे समक्ष इसका एक ही उपाय है कि मैं सम्बन्धित मंत्री को इसके बारे में बताऊं।

प्रो० के०के० तिवारी : पूरी दिल्ली, तथा पूरे देश में पीने के पानी की कमी है। दिल्ली में ही ऐसा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को सम्बन्धित अधिकारियों को सौंप सकता हूं। क्या इस समस्या को दूर करने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता है?

प्रो० के० के० तिवारी : आप इस मामले पर चर्चा की अनुमति दीजिए। देश में दिल्ली सहित अनेक राज्यों में पानी की कमी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को उठाने का यह कोई तरीका नहीं है। यह समय इन बातों के लिए नहीं है। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : आप मंत्री महोदय से इसका उत्तर देने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे पहले ही कह दिया है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसानों के साथ नेशनलाइज्ड बेंक बहुत अन्याय कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मसला है।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दो, देख लेंगे।

[अनुवाद]

अनुमति नहीं है। यह नियम वाह्य है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने इस सभा में चर्चा की थी और मुझे याद है इस प्रश्न पर काफी लम्बी चर्चा हुई थी श्री पुजारी ने उत्तर दिया था।

(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : हमारे क्षेत्र में पानी की अत्यधिक कमी है। कृपया चर्चा की अनुमति दीजिए।

** कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया है तिवारी जी। मैंने उस दिन बताया था और इनसे भी कहा था। आप तो एक दिन में ही तरस गए। लोग तो पानी के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे हैं। आपने बाहर जाकर नहीं देखा है। क्या हालत है।

प्रो० के० के० तिवारी : इस पर डिस्कशन करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : टाइम लगता है हर एक चीज में।

[अनुवाद]

मैंने आपसे यही कहा है। और मैं आपको बता दूं कि हम इस पर चर्चा करवाएंगे।

(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन (उडुकी) : यह राज्य के विषय का प्रश्न नहीं है, यह दो राज्यों के बीच सीमा का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री को यहां पर वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, प्रो० कुरियन। क्या आप बैठेंगे? मैं आपकी असम्बद्ध बात नहीं सुनूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी बेंक तथा अन्य दो बैंकों के दिवालिया घोषित हो जाने के कारण बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नया तरीका नहीं है। अनुमति नहीं है। श्री पनिका को अनुमति नहीं है। किसी आधार के बिना कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़ गढ़) : राजस्थान में पीने के पानी की बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस विषय की जानकारी है। मैं इससे पहले ही निपट चुका हूं। पहले बहुत किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पानी का काफी अभाव है।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली वाले पानी के लिए आज चिल्ला रहे हैं। लोग बिना पानी के प्यासे मर रहे हैं।

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय मैं आपके जाने से पहले आपको बस यह याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने आपको एक नोटिस दिया हुआ है और आपने कहा था कि आप उस पर विचार करेंगे। वह कतिपय या गैर सरकारी संगठनों के बारे में था, जो प्रतिबंधित क्षेत्रों के नक्शे तैयार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उसे ला रहे हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, आपने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को कार्य-सूची में रखने की अनुमति दी थी : आपने अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। आपने मुझे दे दिया है। मेरे पास है। मैं उस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष महोदय ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के नोटिस को विचाराधीन रखने की कृपा की थी। मेरा ख्याल है मामला विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मुझे नहीं मालूम। मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैंने आपको अमृतसर में आपके साथ किए गए व्यवहार और स्वागत के बारे में लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है। उसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह एक संगत प्रश्न है। यह आपके बारे में नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से बात करें, मैं आपको बता दूंगा।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या लोकसभा अध्यक्ष के साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सारी बात बता दूंगा।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह एक व्यक्ति विशेष के रवैये का प्रश्न नहीं है। वह लोक सभा के अध्यक्ष के पद के प्रति रवैये का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइएगा, हम इस पर विचार-विमर्श करेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपको सभा को विश्वास में लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यदि संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो आप उसमें पक्षकार कैसे हो सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : फिर भी वहां जो कुछ भी कमी थी, मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं।

श्री के० वी० शंकर गौडा (मांड्या) : कल, जब मैंने कृषि पर बोलना चाहा था, तो मुझे केवल तीन मिनट का समय दिया गया। यदि ऐसा चलता रहा··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इतना ही समय उपलब्ध है। हमें सामंजस्य करना होगा।

श्री एच० के० एल० भगत।

समय को रोका नहीं जा सकता है। समय और भी तेजी से भागता जा रहा है।

यह तेज भी उड़ रहा है।

अब श्री भगत—सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं वर्ष 1985-86 की संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-823/85]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली और जवाहर लाल नेहरू विद्यालय के वर्ष 1983-84 वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 824/85]

(3) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 825/85]

वित्त मंत्रालय, संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों और संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 826/85]

(2) संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 827/85]

आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1978-79 से 1983-84 तक के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (क) (एक) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1978-79 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1979-80 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(तीन) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर, के वर्ष 1980-81 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(चार) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर, के वर्ष 1981-82 सबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(पांच) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर, के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(छ:) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(ख) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1978-79 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 828/85]

———

12.14 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

दिल्ली क्लाथ मिल्स के प्रबंध व्यवस्थापकों के अपनी कपड़ा मिलों को बन्द करने के कथित प्रयास, जिसके परिणाम स्वरूप कई हजार कर्मकार बेकार हो जाएंगे

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं श्रम मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

दिल्ली क्लाथ मिल्स के प्रबन्ध-व्यवस्थापकों के अपनी कपड़ा मिलों को बन्द करने के कथित प्रयास, जिसके परिणामस्वरूप कई हजार कर्मकार बेकार हो जाएंगे, से उत्पन्न स्थिति और इसके संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : दिल्ली में कम्पोजिट टैक्सटाइल यूनिटों में से एक यूनिट मैसर्स दिल्ली क्लाथ मिल्स दिल्ली है । यह डी. सी. एम. लिमिटेड की यूनिट है और इसमें 6109 श्रमिक काम कर रहे हैं । इन श्रमिकों के श्रेणी-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं : —

स्थायी श्रमिक	4388
बदली श्रमिक	1317
अस्थायी श्रमिक	328
प्रशिक्षणार्थी	76
कुल :	6109

दिल्ली प्रशासन के अनुसार, मैसर्स दिल्ली क्लाथ मिल्स के प्रबन्धतंत्र ने 27 मार्च, 1985 को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें टैक्सटाईल यूनिटों को पहली जुलाई, 1985 से बन्द करने की अनुमति मांगी गई थी । इस आवेदन-पत्र को औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 25 (ण) के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है । दिल्ली प्रशासन ने प्रबंधतंत्र द्वारा मिल को बन्द करने के लिए दिए गए कारणों की उनकी प्रमाणिकता तथा पर्याप्तता के सम्बन्ध में जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संभावित कामबन्दी सार्वजनिक हित में वांछनीय नहीं है और प्रबंधतंत्र द्वारा दिए गए कारण इसे उचित ठहराने के लिए अपर्याप्त हैं । तदनुसार, दिल्ली प्रशासन ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 25 (ण) के अधीन सार्वजनिक हित में मिल को बन्द करने की अनुमति नहीं दी । दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि यूनिट को बन्द करने से लगभग 6,000 श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे और उनके परिवार के हजारों सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । प्रबंधतंत्र के लिए इसे बन्द करना गैर-कानूनी होगा । मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली प्रशासन को स्थिति की जानकारी है और इस कामबन्दी को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करेगा ।

सुरेश कुरूप : मंत्री महोदय के वक्तव्य में पहले ही उल्लेख किया गया है कि यदि डी० सी० एम० मिल को मिज बंद कर देने की अनुमति दे दी गई तो 6000 से अधिक कर्मकार बेरोजगार हो जायेंगे और हजारों अन्य लोग, जो इस पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। मंत्री महोदय के उत्तर में यह बताया गया है कि दिल्ली प्रशासन ने यह मिल बन्द कर देने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। मंत्री महोदय के वक्तव्य में भूमि को वाणिज्यिक रूप से विकसित करने हेतु डी०डी०ए०तथा निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा मंजूरी दिये जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और इस बारे में भी कुछ भी नहीं किया गया है कि इस भूमि को नगरीय भूमि की अधिकतम सीमाओं से छूट क्यों दी गई है। इन बातों के बावजूद कम्पनी इसे बंद करने का आग्रह कर रही है।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : यह अनुमति किसने दी।

श्री सुरेश कुरूप : 27 मार्च की तारीख को प्रबन्धकों ने कर्मकारों को नोटिस दिया कि वे यह कारखाना बन्द करने जा रहे हैं। उसके महीनों पहले प्रबन्धकों, डी० डी० ए० और निर्माण और आवास मंत्रालय के बीच परदे के पीछे कुछ कार्यवाही चल रही थी तथा इस समूची घटना के बारे में कर्मकारों तथा उनके नेताओं को अन्धेरे में रखा गया। परन्तु 27 मार्च की सुबह कर्मकारों को सूचित किया गया कि वे कारखाना बन्द करेंगे। प्रबन्धकों ने यह कारखाना बन्द करने के जो कारण बताए हैं उनमें एक कारण यह है कि यह कारखाना ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो उसके अनुकूल नहीं है। ऐसा दिल्ली बृहत् योजना के सन्दर्भ में कहा गया है जो लगभग तीस वर्षों से चल रही है। दिल्ली में ऐसे हजारों अन्य कारखाने हैं जो इस प्रतिकूल क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यह बृहद् योजना पहले ही एक तिथि-बाह्य दस्तावेज बन चुकी है। नई बृहत् योजना के सम्बन्ध में एक नई अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी समझ में यह नहीं आता कि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय को अचानक ही यह कैसे महसूस हुआ कि यह अग्रणी मिल--डी० सी० एम० प्रतिकूल क्षेत्र में स्थित है? उन्होंने अन्य किन्हीं मिलों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है।

प्रबन्धकों ने एक और तर्क यह दिया कि चूंकि यह प्रतिकूल क्षेत्र में स्थित है, इसलिए आधुनिकीकरण का कोई कार्य नहीं किया जा सकता। परन्तु सच तो यह है कि डी०सी०एम० यूनिट में संयंत्र और मशीनरी के नवीकरण पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है और संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण उचित और आधुनिकीकृत रूप में है। साथ ही, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत विवरण में यह दर्शाया गया है कि मिल के उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय भी बढ़ रही है। विवरण में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मंत्री महोदय वक्तव्य में जो बात छिपाते हैं वह यह है कि डी० सी० एम० को यह भूमि वाणिज्यिक रूप से विकसित करने की अनुमति दे दी गई है। यह भूमि जिस पर मिल तथा इससे लगी हुई कर्मकार कालोनी स्थित है, 6½ एकड़ क्षेत्र में है। मुझे यह मालूम नहीं है कि डी० डी० ए० ने डी० सी० एम० के लिए किस आधार पर यह भूमि वाणिज्यिक रूप से विकसित करने की अनुमति दी है और नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम से इसे किस आधार पर छूट दी गई है? यदि लोग यह संदेह करने लगे कि सरकार

के उच्च अधिकारियों और मिल के बीच परदे के पीछे की कुछ गतिविधियां हो रही थीं और अब भी हो रही हैं तो आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते । यह भूमि करोड़ों रुपयों की है ।

श्री जगदीश टाईटलर : हजारों करोड़ रुपयों की ।

श्री सुरेश कुरूप : 800 और 1000 करोड़ रुपयों के बीच है, यह ठीक है । यह भूमि जो बाडा हिन्दू राव क्षेत्र में स्थित है, करोड़ों रुपयों की है और मैं सरकार पर तथा इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों और निर्माण और आवास मंत्रालय पर आरोप लगाता हूं, डी० डी० ए० इस मन्त्रालय के अधीन है कि परदे के पीछे गतिविधियां हो रही हैं और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं । **(व्यवधान)****

मैं नहीं जानता कि अधिकारियों ने इन लोगों को इन सभी कानूनों से छूट देने की हिम्मत कैसे की ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : ......**......यह पूर्णतया मिथ्या और निराधार है । मैं पूरी तरह से माननीय सदस्य के साथ हूं, मैं डी० सी० एम० के लिए इसे कहीं और स्थानान्तरित किए जाने की कोई अनुमति दिए जाने अथवा उनके भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन किए जाने के पक्ष में नहीं हूं । मेरी सदैव यही राय रही है, मैंने इस मामले पर कभी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही नहीं की है । यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सदस्य ने आपको कोई सूचना दिये बिना, मुझे कोइ सूचना दिये बिना ही ऐसा कहना ठीक समझा अत: उचित यही है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का कोई आरोप कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं आ सकता ।

श्री एच० के० एल० भगत : वह नियमों के अन्तर्गत किसी पर भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी सूचना के कोई आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि उच्च पदों पर आसीन कोई भी व्यक्ति नियमों के अन्तर्गत ऐसा नहीं कर सकता है । इसे पूर्णतया कार्यवाही वृत्तात से निकाल दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, इस कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये ।
(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : इस प्रकार का दुष्प्रचार सभा के बाहर किया जाता है । यह हास्यास्पद बात है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले तो आप आरोप लगा रहे हैं । इसके अलावा आपने इस बारे में कोई नोटिस नहीं दिया है । इसलिए इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाला जा सकता है ।

श्री एच० के० एल० भगत : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में बिल्कुल नहीं आ सकता है ।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मेरी इतनी बात कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाये कि क्या सरकार पूरी जांच कराने के लिए तैयार है......

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, आप नाम को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दीजिए परन्तु...

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यदि मंत्री ऐसा कहते हैं तो मैं अनुमति नहीं दे सकता। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकालना होगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : ...**...

इसके अलावा एक आश्चर्यजनक और दिल दहलाने वाली बात है दिल्ली प्रशासन का श्रम विभाग जिसे इस प्रस्ताव के बारे में शुरू से ही सूचित किया जाना चाहिये था, उसे अंधेरे में रखा गया और इसे डी०डी०ए० के प्रबन्ध तथा निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा मिल बन्द करने के लिए लिए गए निर्णय का पालन करने को कहा गया। अब भी प्रबन्धक उस बात पर जोर दे रहे हैं। वे इसे बंद करने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास डी०डी०ए० की अनुमति है।

श्री एच० के० एल० भगत : इतना मत भूलिए कि मैं उस वक्त केवल राज्य मंत्री था। मेरे समक्ष मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री भी थे। और यह मामला कभी भी मंत्री के समक्ष नहीं आया। मैं इस मुद्दे पर पूरी तरह आपके साथ हूं। मैं शत-प्रतिशत आपके साथ हूं।

श्री सुरेश कुरूप : कम्पनी अभी भी इस बात पर जोर दे रही है कि वह इसे बन्द करेगी। उनके पास डी०डी०ए० की मंजूरी है जिससे उनको नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा से छूट दी गई है और उनको अनुमति दी गई है कि वे इस भूमि का वाणिज्यिक रूप से विकास करें। अब मैं मंत्री महोदय से निम्न प्रश्न विशिष्ट रूप से पूछना चाहता हूं :

(क) डी० सी० एम० के प्रबन्धकों को यह भूमि वाणिज्यिक रूप से विकसित करने के लिए किस आधार पर अनुमति दी गई तथा नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम से किस आधार पर छूट दी गई ?

(ख) क्या सरकार समूचे सौदे की जांच करने को तैयार है और क्या सरकार डी०सी०एम० के प्रबन्धकों तथा डी०डी०ए० और निर्माण और आवास मंत्रालय के बीच हुए पत्र-व्यवहार को सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार है।

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में श्रम विभाग को किस तारीख को सूचित किया गया और श्रम विभाग ने उसका क्या उत्तर दिया ?

(घ) यदि प्रबन्धक मिल बन्द करने पर जोर दें और यदि मिल बन्द कर दी जाती है तो क्या सरकार इस मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने को तैयार है।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : खड़े हुए।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : महोदय, क्या हो रहा है। हम पहले श्रम मंत्री का भाषण सुनना चाहेंगे। श्रम मंत्री यहां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप आगे कुछ कहना चाहें तो आप बाद में ऐसा कर सकते हैं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : यदि निर्माण और आवास मंत्री कुछ कहना चाहते हैं तो उनको ऐसा कहने की अनुमति दी जाये।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : डिप्टी स्पीकर, सर, आनरेबल मेम्बर ने जो कहा कि डी० सी० एम० का जो प्लान दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी ने मंजूर किया है वह मैं समझता हूं कि सही नहीं है। यह इसलिए नहीं है कि उन लोगों को यह देखना चाहिए कि इस तरह के मास्टर प्लान में बहुत-सी चीजें आने वाली हैं। सारे मास्टरप्लान को लागू करने का सवाल नहीं है। अगर ऐसे मास्टर-प्लान को लागू किया गया तो काफी फैक्ट्रियों को शिफ्ट करना पड़ेगा जिसका नतीजा यह होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी।

पूरे हिन्दुस्तान में मास्टर प्लान है, दिल्ली में ही नहीं है। हर स्टेट में, हर जगह पर मास्टरप्लान है। इस मास्टरप्लान का इम्पलीमेटेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि यूनियन और मैनेजमेंट के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए गवर्नमेंट से भी कहा है। हमारे भाई साहब गफूर साहब बैठे हैं, इनको भी इसको इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद भी अगर मैनेजमेंट इन्सिस्ट करता है तो हमारे भाई साहब टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज के मिनिस्टर बैठे हैं, उनके टेक्सटाईल डिपार्टमेंट को इसको टेकओवर करना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह इतना बड़ा मामला है। यह 6 हजार लोगों का प्रश्न है। मैनेजमेंट जो शिफ्ट करने की सोच रहा है यह इतना आसान काम नहीं है। टेक्सटाईल मिल वाले एक बहाना बना रहे हैं और इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग इतना पैसा कमाते आये हैं। वे लोग पहले क्या थे, अब क्या हो गये। इसलिए मेरी नजर में यह बहुत ही क्रिमिनल चीज है जो यह एक्शन लिया जा रहा है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब से भी बात है। हमने उनको कहा है कि अगर वे इन्सिस्ट करते हैं तो आप उनको इग्नोर कीजिए और टेकओवर करने का प्लान कीजिए।

इसमें हमारी मिनिस्ट्री से जो भी मदद हो सकती है, वह हम करेंगे। लैंड बेचकर भी हम चला सकते हैं, वे लोग जब नहीं चला सकते तो हम लोग चला सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। आप मुझे अनुमति दें। मेरा विशेष प्रश्न यह है कि डी० सी० एम० के प्रबन्धकों को यह भूमि वाणिज्यिक रूप से विकसित करने हेतु किस आधार पर अनुमति दी गई थी और नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा से किस आधार पर छूट दी गई। मेरे दो-तीन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : वे कहते हैं कि हमने कंडीशनल दिया है और इनको पूरी परमीशन नहीं है। कंडीशनल हो, अनकंडीशनल हो, पहली बात तो उस प्लान को सेंक्शन करने की जरूरत नहीं है : पहली बात तो यह देखनी है कि मैनेजमेंट कहां तक जा रहा है और क्या करने वाला है। अभी ये सब बातें हमने सोच ली हैं कि इस मामले में मैनेजमेंट का आर्गुमेंट शिफ्ट करने का ठीक नहीं है, जब तक वर्कर्स और मैनेजमेंट में एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक उसको शिफ्ट करने का सवाल ही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जब दिल्ली क्लाथ मिल्स ने गत शताब्दी के अन्त में अपना कार्य आरम्भ किया था तो यह बहुत ही छोटी और लघु निर्माण यूनिट थी। परन्तु इसकी स्थापना से ही इसने कम्पनी को आश्चर्य जनक परिणाम दिये हैं। देश के इस भाग में यह संयुक्त कपड़ा मिल शायद सबसे बड़ी मिल है। डी० सी० एम० के इस संयुक्त एकाधिकारी गृह की बिक्री 200 करोड़ रुपये तक है और इस समय यह प्रति वर्ष 5000 मीटर सूत तथा 8000 मीट्रिक टन कपड़ा उत्पादित करती है और मई, 85 को समाप्त हुई अवधि के इसके निर्यात बादे लगभग 25 लाख मीटर छपे कपड़े के और 4 लाख मीटर छपी टेजिस्ट्री के थे। इसका पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण तथा जीर्णोद्धार प्रतिवर्ष चलता ही रहता है। यूनिट के उत्पादों की बिक्री से आय भी निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। बिक्री 1981 में 2,299.22 लाख रुपये की 1982 में बढ़कर 2,928.13 लाख रुपये की हो गई और 1984 में यह बढ़कर 3,645.40 लाख रुपए की हो गई है। इस प्रकार चार बर्षों की अवधि में ही बिक्री में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत चार वर्षों में श्रमिकों की संख्या में भी भारी कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1982 में कुल उत्पादन लागत की तुलना में कामगरों की मंजूरी 18 प्रतिशत रही जो वर्ष 1984 में घटकर 15 प्रतिशत रह गई जबकि कपड़ा उद्योग में सामान्यत: यह प्रतिशत 25 से 29 प्रतिशत तक रहता है।

इसके बावजूद प्रबन्धक इस प्रकार आर्थिक रूप से सक्षम मिल को बन्द क्यों कर रहे हैं, इसका कारण किसी को ज्ञात नहीं है। दिल्ली महा योजना को, बहुत पहले 1966 से क्रियान्वित किया जा रहा है किन्तु यह मामला कभी नहीं उठाया गया। वर्ष 1981 में प्रबन्धकों ने मिल को नरेला में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया था और उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था कि वह उन्हें वहां 20 एकड़ भूमि आबंटित करे। सम्भवत: फरवरी 1983 में दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली क्लाथ मिल्स के प्रबन्धकों को इस भूमि का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति दे दी थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के केवल एक पखवाड़े के पश्चात् 14 नवम्बर को दिल्ली प्रशासन ने एक आदेश द्वारा इस मिल के प्रबन्धकों को नगर भूमि अधिकतम सीमा के उपबन्धों से छूट दे दी थी। एक तरह से इस आदेश द्वारा प्रबन्धकों को उस भूमि पर एक वाणिज्यिक समूह तथा एक फ्लेट का निर्माण करने तथा आर्थिक और वाणिज्यिक रूप से सक्षम इस कपड़ा मिल को स्थानान्तरित करने अथवा बन्द करने की अनुमति दे दी थी। आप हमारे देश में कपड़ा मिलों। की दशा को जानते हैं। वाणिज्य मंत्री यहां मौजूद हैं। यहां 400 कपड़ा मिलें हैं जिन्हें बन्द कर दिया गया है और वर्ष 1984 में 151 कपड़ा मिलें बन्द कर दी गयी थीं।

सब बातचीत बहुत ही गुप्त रूप से की गयी। मजदूर संघ भी वहां सीटू, आईटक और इंटक के दो गुट थे इस सव्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। 14 नवम्बर के बाद प्रबन्धक सक्रिय हो गये और उन्होंने मार्च के अन्त तक कर्मचारियों को पत्र जारी कर दिये और उन्होंने दिल्ली प्रशासन को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत मिल को बन्द करने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि किसी मिल को बन्द करने की घोषणा करने से पहले पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। दिल्ली प्रशासन ने उनके प्रस्ताव को उस समय

अस्वीकृत कर दिया; उन्होंने प्रबन्धकों को मिल बन्द करने की अनुमति नहीं दी। अब प्रबन्धक इस मिल को बन्द करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने गत वर्ष हरियाणा में हिसार में किया था, वह मिल भी एक बहुत बड़ी कपड़ा मिल थी और हजारों श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। वे वही चाल यहां भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। अत: मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्रम मंत्री यहां हैं निर्माण और आवास मंत्री यहां हैं, वस्त्र मंत्री भी यहां हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या यह सच नहीं है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसी अर्थात् श्रम विभाग जिसकी अनुमति श्रमिकों के नियोजन की शर्तों में कोई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है और जिसे संविधि के अनुसार अन्तिम अधिकार प्राप्त है, इससे बिलकुल ही अनभिज्ञ है। यह तय करते समय श्रम विभाग की कभी भी सलाह नहीं ली गयी। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी दिल्ली क्लाथ मिल्स द्वारा कब्जे में ली गयी भूमि तथा श्रमिकों के क्वार्टरों के पुनर्विकास हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी अनुमति तथा कम्पनी को भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम से प्राप्त छूट को रद्द करेगी अथवा वापस लेगी। हम सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि क्या वह दिल्ली क्लाथ मिल्स के प्रबन्धकों को दी गयी अनुमति को रद्द करेगी या वापस लेगी यदि कम्पनी संविधिक प्राधिकरण अर्थात, दिल्ली प्रशासन केन्द्र श्रम विभाग के निर्णय का उल्लंघन करती है और बन्द करने के प्रस्ताव पर दृढ़ रहती है, तो क्या भारत सरकार इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेगी और मिल को चलायेगी ताकि हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को बचाया जा सके। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि यह संव्यवहार किस प्रकार तय किया गया वाणिज्यिक उद्देश्यों के हेतु भूमि को प्रयोग करने तथा नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम से छूट देने की अनुमति किसने दी।

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि किसने यह अनुमति दी और छूट क्यों दी गयी? हम सम्बन्धित मंत्रियों से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

[हिन्दी]

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : यहां जो कुछ माननीय मैम्बर साहबान ने कहा और जो कुछ अखबारात में निकला है उसको सुनकर मुझे खुद ताज्जुब होता है कि इतना बड़ा और इम्पोटेंन्ट डिसीजन ने डी०डी०ए० ने बिना वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री को कान्फीडेंस में लिए, कैसे ले लिया और सारी कार्यवाही कब कर दी। यह जरूर है कि हमें भी इसमें कुछ न कुछ बू नजर आती है। जैसा आप सब जानते ही हैं कि डी०डी०ए० एक भानमति का पिटारा है और सारी दिल्ली में कहाँ क्या हो रहा है, उसको जानने की हम लाख कोशिश करें लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ी उसमें हो ही जाती है। मैं इसको मानता हूं कि इतने बड़े भारी डिसीजन डी० सी०एम० के बारे में लेना, जो बहुत मशहूर कम्पनी है, अगर मास्टर प्लान में लेकर इसको वहां से हटाना ही है तो सारी दिल्ली में जितनी दूसरी कम्पनियां हैं उन सबको एक साथ करके, पब्लिक के सामने रख कर, सारे काम होने चाहिए, लेकिन चुपचाप हुआ है, इसीलिए, मैं सारी चीजों की छानबीन करवाऊंगा और एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की जाएगी जिसमें लेबर मिनिस्ट्री, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री और वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री सभी के रिप्रेजैन्टिव्ज होंगे।

[अनुवाद]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : प्रश्न यह है कि यह अनुमति कैसे दी गई। इस मामले में अनेक अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं अगले सदस्य को पहले ही पुकार चुका हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से लगभग सौ साल पहले के अन्दर सिर्फ 7 लाख रुपए की लागत से दिल्ली क्लाथ मिल की शुरुआत की गई थी और उन 7 लाख रुपयों से शुरू करके इस मिल के मालिकों ने इतना पैसा कमाया कि आज ये पूरे हिन्दुस्तान के चोटी के दस पूंजीपतियों में से एक बन गए हैं। इस मिल से लगातार प्रति वर्ष करोड़ों रुपया कमाया गया और उस पैसे को दूसरे फैक्ट्रीज में, दूसरी मिलों में लगाया गया और इस दिल्ली क्लाथ मिल में जान-बूझ कर घाटा दिखाया गया जिससे कि मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा पैसा सरकार से उधार लेकर या दूसरे फाइनेन्स्यल इन्सटीट्यूशन्स या बैंकों से कर्ज के रूप में लेकर, इस मिल पर खर्च किया गया है। उस पैसे का इस्तेमाल करके आज कई सौ करोड़ रुपए का काला धन इस मिल के मालिक कमाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता और मैं यहां किसी कम्पनी का नाम लेना नहीं चाहता, परन्तु इस कम्पनी के अंदर 50 प्रतिशत से ज्यादा शेयर फाइनेन्श्यल इंसटीट्यूशन्स के हैं और सिर्फ छः प्रतिशत पैसा ही इस मिल के मालिकों का इस मिल में लगा हुआ है।

बाकी पैसा आम जनता का है या फाइनेंश्यल इन्स्टीट्यूशंस का है। इन लोगों ने आम जनता के पैसे को इस्तेमाल करके, फाइनेंश्यल इंस्टीट्यूशंस के पैसे का इस्तेमाल करके और डी० डी० ए० के अधिकारियों को रिश्वत देकर घोटाला करके··· (व्यवधान) ···शेम शेम···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली-सदर) : नहीं कहने का क्या अभिप्राय है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री जगदीश टाइटलर : उन्हें वहां जाने दीजिए और मिलों को देखने दीजिए। उन्हें देखने दीजिए कि वहां की स्थिति क्या है··

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये फाइल है··· (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने तो दीजिए। (व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माकन, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं बोल रहा हूं, आप कृपया बैठ जाइए। यदि आप मेरी अनुमति के बिना कुछ बोलेंगे, तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। जब आप किन्हीं अधिकारियों का उल्लेख करते हैं, जब आप दोषारोपण करते हैं तब आप यह मेरी अनुमति के बिना करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे खेद है, आप ऐसा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : मैं दुरुस्त कह रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : कृपया 'मे' की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस पढ़िये। यह असंसदीय नहीं है। यह सभा के नियमों के विपरीत नहीं है; यह बिल्कुल नियमानुसार है।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : मुझे आप बोलने दीजिए, मैं जनरल बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : आप किस नियम के अन्तर्गत कम्पनी पर आरोप लगाए जाने से रोक सकते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि वह नियम कौन-सा है ?

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हू, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, किसी के खिलाफ बात नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए। यह नियम है।

श्री भागवत झा आजाद : आप कृपया 'मे' की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस पढ़िये।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन : इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे कहूं, पहली मांग तो मैं यह करना चाहता हू कि जब 50 प्रतिशत पैसा इसके अन्दर फायनेंशयल इंस्टीट्यूशस का लगा हुआ और जब हिन्दुस्तान की दूसरी कम्पनियों में डायरेक्टर बैठा दिए गए हैं, उसी तरह से डी०डी०ए० में भी डायरेक्टर बैठा दिए जायें।

इसके बाद मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि ये जो फाइल मेरे हाथ में है, इसमें जो स्टेटमेंट है, यह मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये दिल्ली क्लॉथ मिल की स्टेटमेंट है जो लैफ्टीनेंट गवर्नर से उन्होंने परमीशन मांगी है। जो बातें उनकी कही हुई हैं, उन्हीं की बातों को मैं इस फाइल के आधार पर आपके सामने लाना चाहता हू। उन्होंने मास्टर प्लान का हवाला दिया, मुझे समझ में नहीं आता है, 1966 के अन्दर मास्टर प्लान बना और 1981 के अन्दर पहली दफा डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने चिट्ठी लिखी कि इसे शिफ्ट कर दिया जाए। 19 साल तक डी० डी० ए० सोया रहा, 19 साल तक डी० डी० ए० ने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी कि इसे शिफ्ट कर दिया जाए। अचानक रात को डी० डी० ए० को सपना आ गया कि 19 साल के बाद

चिट्ठी लिखी कि इसको शिफ्ट करना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 19 साल तक डी०डी०ए० खामोश क्यों रहा और 19 साल तक ऐतराज क्यों नहीं उठाया कि नॉन कनफर्मिटी एरिया के अन्दर दिल्ली क्लॉथ मिल की स्थापना की ? सिर्फ दिल्ली क्लॉथ मिल ही नहीं, अगर इसको बंद करेंगे तो दिल्ली की तमाम मिलें, तमाम फैक्ट्रियां बन्द हो जायेंगी और लाखों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं।

इसके बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली दिसम्बर को जो सबसे बड़ा फ्रॉड इस मिल ने सरकार के साथ किया है, वह यह किया है कि एक दिसम्बर 1981 को दिल्ली क्लॉथ मिल के मैनेजमेंट ने सेक्रेट्री वर्क्स एण्ड हाउसिंग डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी। ये मेरी बात नहीं है, ये इस फाइल के अन्दर इन्होंने कहा है। आप कहें, तो मैं यह फाइल टेबल पर रखने के लिए तैयार हूं ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। इसमें इन्होंने कहा है कि इस लेंड को कामर्शयल डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि जो पैसा हमको मिले, उस पैसे को हम मिल की शिफ्टिंग पर लगाकर हम मिल को बचा सकें। आप उपाध्यक्ष महोदय इस बात को ध्यान से सुनिए, इस बात का आधार यह है कि हम मिल को शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डी० डी० ए० चाहता है कि शिफ्ट हो जाए, और शिफ्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए इसको कामर्शयल डिक्लेयर कर दिया जाए। ताकि कॉमर्शयल डिक्लेयर होने के बाद करोड़ों रुपया जो मिलेगा उससे मिल को शिफ्ट कर दिया जाए। उनके कहने पर इस जमीन को कामर्शयल डिक्लेयर कर दिया गया और जब कामर्शयल डिक्लेयर हो गई, तो उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो दिल्ली क्लॉथ मिल है, जो उसका मैनेजमेंट है, वह कहता है कि मिल घाटे में चल रही है इसलिए मिल को हम नहीं चला सकते हैं। कॉमर्शयल की परमीशन इस बात पर ली गई है कि जो प्रायवेट फैक्ट्री बनेंगी, जो हाउसिंग कॉम्पलेक्स बनेगा उससे करोड़ों रुपया जो मिलेगा उसको हम मिल में लगायेंगे। और अब जब परमीशन मिल गई है तो आज क्लोजर घोषित कर दिया और कहते हैं क्योंकि मिल घाटे में चल रही है, इलिए हम चलाने के लिए तैयार नहीं हैं।

उसके बाद पहली जून को डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्री ने पत्र लिखा कि आप इस मिल को शिफ्ट कर दें। 6 जून को मीटिंग हुई। यह मेरी बात नहीं है, यह अपनी इनकी बात है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। पहली जून को चिट्ठी लिखता है डायरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्री कि इसको शिफ्ट कर दे, 6 जून को डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री के यहां मीटिंग होती है, मैनेजमेंट कहता है कि हम अपनी मिल को नरेला में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। जब डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री कहता है कि आप नरेला में शिफ्ट कर दें और 6 जून को दिल्ली क्लाथ मिल कहता है हम शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि डी० डी० ए० ने 15 जुलाई 1983 को यह चिट्ठी लिख कर यह कैसे कहा कि दिल्ली के अन्दर यह बड़ी इण्डस्ट्री को लगाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में बड़ी इण्डस्ट्री लग सकती है या नहीं लग सकती है, यह फैसला डायरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्री करेगा या डी० डी० ए० करेगा। यह आपस में कांट्राडिक्शन क्यों है। यह कांट्राडिक्शन नहीं है, यह सबसे बड़ा सकेंडल है, फ्रौड है, जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जानबूझकर केस इस तरह से बनाया गया ताकि कल को अगर अदालत में मामला चला जाए तो दिल्ली क्लाथ मिल यह कहे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मिल को बन्द करने की इजाजत दे दी गई।

6 जून को डी० डी० ए० के वाइस चेयरमैन पत्र लिखते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"स्थानान्तरण किया जाना अनिवार्य है"

[हिन्दी]

इस प्रकार से आधार बनाया गया है कि शिफ्टींग बहुत जरूरी है। यह बात डी०डी०ए० ने 6 जून 1982 को कही। उसके बाद पहली फरवरी 1983 को बाकायदा टैक्नीकल कमेटी ने उसको पास किया। टैक्नीकल कमेटी ने रिपोर्ट दी कि वहां पर फ्लैटिड फैक्ट्री बनायी जाये, हाऊसिंग काम्पलेक्स बनाया जाए। इस प्रकार बाकायदा रेजोल्यूशन बनाया गया। जो टैक्नीकल कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह फिजिबल है और यहां पर फ्लैटिड फैक्ट्री और हाऊसिंग काम्पलैक्स बनाने के इजाजत दे दी जाये। यह पहली फरवरी 1983 को परमीशन दी गई यानि कमर्शियलाइज करने की परमीशन दे दी गई। जब परमीशन मिल गई, एरिया कमर्शियल हो गया तो 15 जुलाई को डी० डी० ए० पत्र लिखता है कि हम आपको आल्टरनेटिव लैंड नहीं दे सकते हैं क्योंकि दिल्ली के अन्दर हमारे पास यह बड़ी इण्डस्ट्री लगाने की इजाजत नहीं है। यह स्कैंडल कैसे है ? स्कैंडल ऐसे है कि पहले आधार बनाया गया कि यह शिफ्ट किया जाये। जब-जब उसको शिफ्ट करने की बात चल पड़ी, फिर उस लैंड को कमर्शियल कर दिया गया, फिर यह कह कर कि दिल्ली में इण्डस्ट्री नहीं लग सकती है, इसलिए इसको बन्द करना पड़ा।

मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर कोर्ट के अन्दर डी०सी० एम० का मैनेजमेंट जाता है और जाने से पहले इस रेजोल्यूशन को स्क्रैप नहीं किया जाता तो दुनिया की कोई ताकत दिल्ली क्लाथ मिल को बन्द नहीं कर सकती है। दिल्ली क्लाथ मिल का मैनेजमेंट यह कहेगा कि डी०डी० ए० ने हमको शिफ्ट करने के लिए कहा है, हम शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डी०डी०ए० हमको जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बन्द करना पड़ा। यह अजीब बात है कि 6 जून 1982 को डी० डी० ए० कहता है कि शिफ्ट करो, 15 जुलाई को कहता है हम आपको दिल्ली में शिफ्ट करने की इजाजत नहीं दे सकते। यह सबसे बड़ा स्कैण्डल और फ्रौड है।

मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि लाखों रुपए डी० डी० ए० के अधिकारियों ने रिश्वत लेकर इस प्रकार से केस बनाया कि अगर दिल्ली क्लाथ मिल का मैनेजमेंट अदालत में जाए तो अदालत में उसके हक में फैसला होगा और दिल्ली क्लाथ मिल को बन्द कर देंगे।

उसके बाद एग्जेम्पशन की बात देखें। दिल्ली में हालत यह है कि डी०डी०ए० को अगर कोई खाली जमीन नजर आती है तो वह बोर्ड लगा देती है कि यह डी०डी०ए० की जमीन है। मेरी समझ में नहीं आता कि कितने एकड़ जमीम बाड़ा हिन्दूराव में खाली पड़ी थी और उसको बाकायदा एग्जेम्प कर दिया गया। मजेदार बात तो यह है कि डी० डी० ए० की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा और आज तक नहीं हुआ और यह नहीं कहा गया कि कितनी लैण्ड को एग्जैम्प किया गया। डी०डी०ए० यह कहता है कि जमीन का टुकड़ा जो सीलिंग के अन्दर आता है उसको हम एग्जैम्प कर देंगे, लेकिन यह कहे बगैर कि कितना टुकड़ा सीलिंग में आता है, कितना एग्जैम्प किया जाएगा। वह करोड़ों रुपए की जमीन जो कि वहां पर डी० डी० ए० को एक्वायर करनी

चाहिए थी, वहां पर लेबर कालोनी बननी चाहिए, मजदूरों के लिए क्वार्टर बनने चाहिए थे वहां पर डी०डी०ए० के अफसरों ने रिश्वत खा कर लाखों रुपए खा कर वह जमीन जो डी० डी० ए० की नहीं रही वह जमीन सीलिंग से निकालकर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। उसके बाद पहली फरवरी 1983 को रेजोल्यूशन हुआ। उसके ठीक 5 दिन के बाद दिल्ली में मेट्रोपोलिटन कौंसिल के एलेक्शन होने थे। मैं जानना चाहता हूं डी०डी०ए० को ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि एलेक्शन से सिर्फ 5 दिन पहले डी० डी० ए० ने रेजोल्यूशन पास कर दिया? डी० डी० ए० को मालूम था कि 5 दिन के बाद एलेक्टेड बाडी आ जाएगी और उसके रेप्रेजेन्टेटिव्ज इस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने देंगे। यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। सिर्फ 5 दिन के बाद दिल्ली में 6 फरवरी, 1983 के मेट्रोपोलिटन कौंसिल के एलेक्शन हुए और 1 फरवरी को सारी फाइलें मंगाई गई और जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलायी गयी और रेजोल्यूशन पास करके इसको क्लियर कर दिया गया, कार्मशियल डिक्लेयर कर दिया गया, कह दिया गया कि यहां पर फैक्टरी और कार्मशियल हाउसेज बना दिए जायें क्योंकि उनको मालूम था कि अगर एलेक्टेड लोग आ गए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आ गए तो वे इस मिल को बन्द नहीं होने देंगे। तो यह सबसे बड़ा फ्राड है। मैं हाउसिंग कमेटी की बात नहीं करना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लाखों-करोड़ों का स्कैंडल है और मेरी मांग है कि वर्क्स एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री डी० डी० ए० के आफिशियल्स के खिलाफ बाकायदा सी० बी० आई० की इंक्वायरी कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये।'

इसके अलावा शिफ्टिंग की बात है। अभी थोड़े दिन पहले इसी हाउस में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स का मसला मैंने उठाया था। वह भी डी० सी० एम० की ही सिस्टर कन्सर्न है बड़ी अजीब सी बात है। श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में लेबर कमिश्नर ने कहा है कि वहां पर भोपाल से भी ज्यादा खतरनाक कांड हो सकता है लेकिन उस दिन मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि वह शिफ्ट नहीं हो सकती है लेकिन यह जो मिल है वह शिफ्ट हो सकती है जबकि इस टेक्सटाइल मिल से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बड़ी अजीब बात है। इस सरकार की पालिसी क्या है? पिछले साल श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स के पास सड़क पर 40 बच्चे जा रहे थे जोकि वहां से निकली क्लोरीन गैस की वजह से बेहोश हो गए। जो इतनी खतरनाक मिल हो, जिसके बारे में लेबर कमिश्नर ने रिपोर्ट दी है कि कितने भी सेफ्टी मेजर्स क्यों न लिए जायें, इस मिल का जबर्दस्त खतरा बना रहेगा और यहां दिल्ली में लाखों आदमी मरेंगे, भोपाल से भी ज्यादा खतरनाक कांड यहां पर हो सकता है, लेकिन उस मिल को शिफ्ट करने के बारे में तो मन्त्री जी ने कह दिया कि वह शिफ्ट नहीं हो सकती है जिस टेक्सटाइल मिल से कोई भी खतरा नहीं है, उसमें जो भी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे पिछले सौ साल में आज तक कोई आदमी भी नहीं मरा है, कोई बेहोश नहीं हुआ है और किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है उस मिल को आज शिफ्ट करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स का जो कास्टिक-सोडा प्लान्ट है, जोकि सबसे ज्यादा खतरनाक है उसको एक्सपैंड करने के बारे में कन्सर्न्ड एथारिटीज, डी०डी०ए० दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत दे रही हैं। तो एक तरफ उसके कास्टिक-सोडा प्लान्ट को

एक्सपेंड करने की इजाजत दी जा रही है और दूसरी तरफ डी०सी०एम० से कहा जा रहा है कि तुम शिफ्ट कर दो, यहां बन्द कर दो। यह सरकार की कौन सी पालिसी है ? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा क्या सरकार और डी०डी०ए० के अफसरों ने डी० सी० एम० के 6 हजार मजदूरों को सड़क पर लाने का फैसला किया है, उनके परिवारों को बरबाद करने का फैसला किया है ?

मैं साफ करना चाहूंगा कि यह मसला सिर्फ दिल्ली क्लाथ मिल तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर डी० सी० एम० बन्द हो गई तो बिड़ला मिल का मालिक कहेगा कि हमारी मिल भी नान-कन्फार्मिंग एरिया में है, हम भी बन्द करेंगे। फिर स्वतन्त्र भारत मिल वाले भी कहेंगे कि हमारी मिल भी नान-कन्फार्मिंग एरिया में है, हम भी बन्द करेंगे। फिर डी०सी०एम० सिल्क मिल्स भी कहेगी कि हम भी बन्द कर रहे हैं। इस तरह से यह सिर्फ 6 हजार मजदूरों का ही मसला नहीं रहेगा बल्कि कपड़ा मिलों में काम करने वाले 50 हजार मजदूर और उनका फैमलीज के लिए भूखे-प्यासे मरने की नौबत आ जायेगी। केवल मजदूर ही नहीं, डी० सी० एम० की जो कालोनी है वहां 2 हजार घर और 3 सौ दूकानें हैं—करीब 40-50 हजार की वहां पर आबादी है, अगर वहां पर सब गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया तो वहां सौ सालों से रहने वाली 50 हजार की आबादी को आप कहां ले जायेंगे ? वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्टर से मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि जानबूझकर डेलिबरेटली जो इरेग्युलेरिटीज डी०डी०ए० के लोगों ने की है और लाखों रुपया कमाया है क्या इस केस को आप सी० बी० आई० के हवाले करने के लिए तैयार हैं ?

इसके अलावा जहां तक रेजोल्यूशंस का ताल्लुक है, दो रेजोल्यूशंस हैं—पहला रेजोल्यूशन है फरवरी, 1983 का जिसमें इसको कार्मशियल डिक्लेयर किया गया और दूसरा रेजोल्यूशन है 6 जून, 1984 का जिसमें कहा गया है "शिफ्टिंग इज इनएविटेबल"—इनके बारे में क्या मन्त्री जी कैटेगारिकल जवाब देकर बतायेंगे कि डी० डी० ए० को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वे इनको केंसिल करें विदड्रा करें। यह मेरा दूसरा सवाल है।

1.00 म० प०

मेरा तीसरा सवाल मंत्री महोदय से यह है - क्या वर्क्स हाउसिंग मिनिस्टर डी०डी०ए० को यह आदेश देंगे कि उन्होंने जो घोटाला किया है, इस बात से सम्बन्धित जो भी विभाग है और जो जमीन फालतू पड़ी हुई थी और सीलिंग एक्ट के मातहत जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है, उस जमीन को डी०डी०ए० एक्वायर करके वहां मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए तैयार है ?

मेरा चौथा सवाल है—अगर दिल्ली क्लोथ मिल इस बात को नहीं मानता है, तो क्या सरकार, जिस प्रकार से गुजरात में पिछले साल जब मिलों को बन्द करने का फैसला किया तो एक आर्डिनेंस जारी करके कहा कि यदि मिलों को बन्द किया जाएगा तो मालिकों को जेल की सींकचों के पीछे डाल दिया जायेगा, एक आर्डिनेंस जारी करने जा रही है कि यदि दिल्ली क्लोथ मिल का मैनेजमेंट मिल को बन्द करने की बात वापिस नहीं लेते हैं तो इसके मालिक को जेल की सींकचों के पीछे फेंक कर मजदूरों को बचाया जाएगा ?··· (व्यवधान)···

श्री टी० अंजैया : सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें बताई हैं और जैसा कि हाउसिंग मिनिस्टर ने खुद कहा है, इससे मालूम होता है कि कुछ न कुछ गोलमाल है। उन्होंने कहा है कि इसकी-जांच पड़ताल करायेंगे।

श्री ललित माकन : मेरा सीधा प्रश्न है। क्या सी०बी०आई० की जांच करायेंगे ?

श्री अब्दुल गफूर : जांच पड़ताल सी० बी० आई० की भी है। जांच पड़ताल हायर आफिसर की भी है और जांच पड़ताल हायर कमेटी की भी है।

श्री ललित माकन : छोटी-मोटी जांच-पड़ताल से कोई फायदा नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं। यह कोई मसला दो-चार सौ रुपये का नहीं है, लाखों-करोड़ों रुपयों का ममला है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, क्या सी० बी० आई० की जांच करायेंगे ? इसको आप मेहरबानी करके सी० बी० आई० को रैफर कर दीजिए और या इससे बड़ी कोई इन्क्वायरी है, तो उससे करवाइए।

श्री टी० अंजैया : इस फैक्ट्री को लेकर जो एग्जैम्पशन मैनेजमेंट को दिया गया है, इससे मालूम होता है कि कुछ न कुछ गोलमाल दिखता है। जिस तरीके से इसको मास्टर प्लान बनाकर किया गया है, वह गलत तरीका है और इससे लेबर-डिपार्टमेंट की पोजीशन बड़ी आक्वर्ड हो गई है और एक सेंडविच की तरह बन कर रह गया है। इससे पूछा नहीं जाता है कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे हाउसिंग मिनिस्टर ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है कि इसको फौरन रिवोक करेंगे और रिवोक करके जांच करायेंगे। यदि रिवोक नहीं करेंगे तो वे बहाना ले सकते हैं।

श्री ललित माकन : आप यह बतायेंगे कि कब तक रिवोक हो जायेंगे, क्योंकि वे लोग कोर्ट में जा रहे हैं। यह मामला बहुत सैन्सिटिव है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वे कोर्ट में चले जायेंगे तो मामला और उलझ जाएगा। इसलिए 24 घण्टे के अन्दर रिवोक होना। मेरी खबर है कि वे लोग मंडे को अदालत में जा रहे हैं। इसलिए आज ही रिवोक होना चाहिए। दोनों रिजोल्यूशन को रिवोक नहीं किया गया तो स्थिति खराब हो सकती है।... (व्यवधान) ...

श्री अब्दुल गफूर : उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बातें आप लोगों ने बताई हैं, लेकिन अब आप मुझ पर भी तो कुछ छोड़ दीजिए। बातें तो इतनी हुईं, न मैं कुछ कर सकता हूं और न लेबर मिनिस्टर कर सकते हैं। डी० डी० ए० अलग है, लेबर मिनिस्टर अलग है, वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्टर अलग है। इन सारी चीजों को एक जगह पर जमा करना मुश्किल है। मेरा जो काम है, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा।

श्री ललित माकन : असली काम तो आपका है।... (व्यवधान) ...

... (व्यवधान) ...

श्री ललित माकन : यह काम तो फौरन होना चाहिए।

श्री अब्दुल गफूर : हाउस में एक-एक करके सवाल पूछ कर कबुलवाते रहेंगे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपने जो कहा है उसको मैंने सुन लिया है और अब मुझे जो कुछ करना है वह करूंगा।

श्री जैनुल बशर : उपाध्यक्ष जी, हालांकि दिल्ली प्रशासन ने पहले ही यह बात साफ कर दी थी कि डी० सी० एम० को बन्द करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इस बात का किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी दिल्ली में इस बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि दिल्ली क्लाथ मिल बन्द नहीं होगी। सुनने में यहां तक भी आया था कि डी० सी० एम० के मैनेजमेन्ट वर्कर्स को काम खत्म करने की नोटिस भी दे दी है। जो उनका कार्माशयल प्लान है उसको लागू करने की उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है।

मैं श्रम मंत्री जी और वर्क्स तथा हाउसिंग मिनिस्टर साहब को बतला देना चाहता हूं हालांकि उन्होंने साफ तौर से इस बात का ऐलान किया है कि दिल्ली क्लाथ मिल को बन्द करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार दिल्ली क्लाथ मिल को ले ले लेगी। लेकिन डी० डी० ए० में जो गड़बड़ हुई है, वह बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसकी चर्चा मुझसे पहले बोलने वाले सम्मानित सदस्यों ने भी की है। इसके बारे में जांच करने का जो आश्वासन वर्क्स तथा हाउसिंग मिनिस्टर ने दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इससे मैं समझता हूं लोगों के दिलो-दिमाग में जो भ्रम पैदा हो रहा था, बावजूद दिल्ली प्रशासन के यह कहने के कि मिल बन्द नहीं होगी, अब वह बहुत हद तक दूर हो जाएगा और लोगों को, खास कर जो डी० सी० एम० के कर्मचारी है, वहां काम करने वाले वर्कर्स हैं, इससे उनको काफी राहत मिलेगी।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं चूंकि बहुत से सवाल पूछे जा चुके हैं और मंत्री जी ने जवाब दिया है, मुझको इन सारी चीजों के पीछे यह दिखाई देता है कहीं इस बात की कोशिश तो नहीं हो रही है कि ऐसा झगड़ा खड़ा किया जाए जिससे वे मिल बन्द करने की कोशिश करें और सरकार मिल बन्द करने को तैयार न हो, उसके बाद कुछ नैगोसियेशन्ज हों और मिल को दिल्ली के बाहर लगाने की इजाजत दे दी जाए और दिल्ली में जो 64 एकड़ जमीन है उस पर कार्माशयल बिल्डिंग बनाकर उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल किया जाए। मेरे अनुमान और दूसरों के अनुमान के मुताबिक उस जगह कार्माशयल काम्प्लेक्स बनाने से 1000 करोड़ रुपये की आमदनी होगी, जबकि दिल्ली के बाहर दूसरी मिल बनाने में शायद आधा पैसा खर्च होगा, इस तरह से वे 5-6 सौ करोड़ रुपये के फायदे में रहेंगे। इस प्रकार की सौदेबाजी के लिए कहीं कोई बिहाइण्ड दि सीन एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं क्या कोई ऐसा प्रस्ताव उनकी तरफ से आया कि वे मिल को दिल्ली के बाहर शिफ्ट करेंगे और डी० डी० ए० से जो वहां पर कार्माशयल काम्प्लैक्स बनाने की इजाजत मिली है उसको वहां पर बनायेंगे? यदि इस प्रकार का प्रस्ताव आया हो तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं यह भी कहना चाहता हूं यदि एक बार आपने ऐसा कर दिया तो दिल्ली ही नहीं, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, जितने बड़े-बड़े शहर हैं, वहां कारखाने चलाना महंगा है, कम आमदनी का काम है, जिस जमीन पर वे कारखाने लगे हुए हैं वह बहुत ज्यादा कीमती हो गई है, उन जमीनों को कार्माशयल काम्प्लैक्स के रूप में डेवलप करके बेचने से इतना पैसा मिलेगा कि उससे कम पैसे में शहर के बाहर कारखाना लग सकता है और बकिया पैसे की आमदनी अलग से हो जाएगी। कलकत्ता में यही हाल है, बम्बई

में यही हाल है, मद्रास में यही हाल है, बंगलौर में यही हाल है और सभी बड़े शहरों का यही हाल है। जिस तरह से जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं एक बात तो मान गया कि आप मिल बन्द नहीं करने देंगे और अगर वे बन्द करेंगे, तो आप टेक ओवर कर लेंगे और जो धांधली हुई है उसकी जांच करेंगे और सजा देंगे लेकिन मुझे इसके पीछे एक गेम नजर आ रहा है। आखीर में डी० सी० एम० कोई निगोशियेटेड सैटिलमेंट चाहेगी और वह यह होगा कि उसे बाहर मिल खोलने की इजाजत दी जाए कि यहां की जमीन को कमर्शियली डेवलप करके बेचा जाए, तो उसमें उनको बहुत फायदा है। और इस प्रकार का कोई आफर आता है तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी की और हमारी सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया होगी ?

श्री टी० अन्जैया : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मेम्बर ने जो बातें कही हैं, वे सब बातें रिपीट हो रही हैं। आपकी बात भी सही है कि इसके पीछे कोई बात हो सकती है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से बहुत जल्दी-जल्दी इस प्लान को मंजूर किया गया है उसके बारे में अभी हमारे हाऊसिंग मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम लोग इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएंगे। आप जानते हैं कि कल ही हमारे प्रधान मंत्री ने एक रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार क्लोजर और लाक-आऊट के खिलाफ है। हमारी पालिसी इस बारे में हमेशा यही रही है और कल उन्होंने इस बात को कहा है। इसलिए हमेशा उस पालिसी को हम लागू करेंगे और इसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए हाऊसिंग मिनिस्टर साहब ने कहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम मास्टर प्लान लाया जाए। चाहे बम्बई सिटी हो या चाहे और कोई सिटी हो, जब तक देश के इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा या जिस तरह का वाक्या भोपाल में हुआ, ऐसी कोई बात आएगी, तो उस पर सोचा जा सकता है मगर इस फैक्टरी को शिफ्ट करने की कोई बात नजर नहीं आती। यह फैक्टरी कोई ऐसी नहीं है, जिसको सेफ्टी के प्वाइन्ट आफ व्यू से शिफ्ट किया जा रहा है या दूसरी वजह से शिफ्ट किया जा रहा है। अब और डिटेल्स में जाने से कोई फायदा नहीं है। जब इंक्वायरी होगी और इसकी जांच पड़ताल होगी, तो सारी चीजें बाहर आ जायेंगी। मिल मालिकों ने एक तमाशा बना लिया है। अब एक बात मिल मालिक यह कहते हैं कि जो सिक मिल्स नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन ने लिए हैं, वे वापस कर दो। कुछ लोग यह डिमान्ड करते हैं। 5-6 मिल अच्छे तन्दुरुस्त हो गए हैं और अब वे कहते हैं कि इन्हें वापस कर दो और कुछ लोग अपने मिल बन्द करते जा रहे हैं। इस तरह से एक तमाशा सा बना हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसे मैनेजमेंट पर कुछ कंडीशन्स रखनी चाहिए कि क्लोजर कभी नहीं हो सकता क्योंकि क्लोजर का सवाल ही नहीं उठता। जब मिल क्लोज करना है तो लाइसेन्स क्यों लेते हैं। लाइसेन्स लेने के बाद क्लोजर का सवाल नहीं होता। इसके पीछे 100 सालों की हिस्ट्री है। मिल ने काफी पैसा कमाया है और मैं नहीं समझता कि सरकार इस बात को बर्दाश्त करेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

1.14. म०प०

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे ।

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में सिद्धमुख और नौहर नहर परियोजना को शुरू करने के लिए स्वीकृत देने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख व नौहर कैनाल राजस्थान प्रान्त की महत्वपूर्ण कैनाल हैं जो गंगानगर जिले के तहसील भादरा, तहसील नौहर एवं चुरू जिले की तहसील तारानगर के करीब 8 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करेंगी ।

इन कैनाल के बारे में सर्वेक्षण होकर कागजात केन्द्र सरकार के सेन्ट्रल वाटर कमीशन को भेजे जा चुके हैं । सेन्टर वाटर कमीशन काफी समय से कैनाल योजनाओं को क्लीयरेंस करने में लगा रहा है । अतः केन्द्र सरकार के सिंचाई विभाग से निवेदन है कि सिद्धमुख और नौहर कैनाल की स्वीकृति प्रदान करावें ताकि उक्त कैनाल से संबंधित किसान लाभ उठाकर अपने पिछड़ेपन और गरीबी को दूर कर सकें और राष्ट्र की पैदावार भी बढ़ा सकें ।

(दो) किसानों को बढ़िया बीज, उर्वरक और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने और उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न-लिखित अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न उठा रहा हूं ।

भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना अत्यन्त ही आवश्यक है । यह सही है कि आज हमारी कृषि नीति काफी सुदृढ़ है जिसकी वजह से हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है परन्तु अगर किसानों को सही समय पर खाद, पानी, बीज उपलब्ध कराया जाये तो उत्पादन और ज्यादा हो सकता है । वस्तुतः किसानों को उचित समय पर बीज, खाद, पानी नहीं मिल पाता है । इसमें विद्युत विभाग की भी काफी जिम्मेदारी है क्योंकि बिजली उपलब्ध न हो सकने पर सही समय पर फसल को पानी न मिलने के कारण काफी क्षति होती है । इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि देश को अधिक सुदृढ़ व शक्तिशाली बनाने हेतु किसानों की ज्वलंत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तम किस्म के बीज, अच्छी खाद एवं पानी की व्यवस्था सही समय पर करके उन्हें उपलब्ध कराया जावे तथा उनकी लागत को देखते हुए कृषि उपज का उचित मूल्य किसानों को दिलाने की व्यवस्था की जाये । जिससे किसान खुशहाल हो सकें तथा हमारे देश का उत्पादन ज्यादा बढ़ सके और पूज्य बापू का स्वप्न साकार हो सके ।

(तीन) केरल में सामाजिक आवास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लोगों को बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० कुन्जम्बू (अडूर) : इस समय बैंक आवास योजनाओं के लिए सीधे धन उधार नहीं दे रहे हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत बैंक

केवल आवास बोर्डों द्वारा जारी किये गये बांडों में ही धन लगा सकते हैं। यह सच है कि आवास के लिए धनराशि सीधे केवल अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और कुछ अन्य सीमित वर्गों को उपलब्ध की जाती है। आवास के लिए धन का होना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। इसके न होने से निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं होगा। केरल ने सातवीं योजना के दौरान विभिन्न वर्गों में 5 लाख मकान बनाने की एक विशाल योजना बनाई है। अतः, सामाजिक आवास योजनाओं, जिनसे मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ होना है, के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकों से सीधी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है।

इसलिए, मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता तथा वहां विद्यमान स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की मांग

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र है। पिछले कई वर्षों से उक्त विश्वविद्यालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस समय विश्वविद्यालय परिसर में आतंक का जो वातावरण है उससे विश्वविद्यालय का हित चाहने वाले सभी लोग चिन्तित हैं। इस आतंक के वातावरण को कायम रखने और बढ़ाने में जहां विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कुछ उग्रवादी तत्व जिम्मेदार हैं वहीं विश्वविद्यालय परिसर और होस्टलों में आये दिन पुलिस के छापों से भी स्थिति गंभीर हो गई है। पुलिस उग्रवादियों की पहचान करने में असफल रही है। छात्र नेताओं का विश्वविद्यालय के उग्रवादियों से कोई संबंध नहीं है। अतः उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। परिसर में डर और आतंक की भयानक छाया फैली हुई है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 99 प्रतिशत छात्र अनुशासित और शांतिप्रिय हैं। वे सभी अपनी शिक्षा अच्छे वातावरण में जारी रखना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में कुछ तत्व ऐसे रहे हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए गड़बड़ी पैदा करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय अधिकारी छात्रों को विश्वास में लें और छात्र नेताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों को स्थगित करके उनसे बातचीत करें।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस विश्वविद्यालय से देश के करोड़ों अल्पसंख्यक मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी दशा में गम्भीर परिस्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के नाम पर कोई हस्तक्षेप न करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

मेरा शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि वह इस मामले में तत्काल अपने प्रभाव का उपयोग करें और विश्वविद्यालय में शांति और भय रहित वातावरण कायम करने में अपना कुशल योगदान दें।

(पांच) पटना और उत्तर बिहार के बीच रद्द की गयीं सीधी रेलगाड़ियों को पुनः चालू करने की आवश्यकता

श्री रामभगत पासवान (रोसेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में बिहार की राजधानी पटना से चलने वाली सभी सीधी रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। फलतः राजधानी से उत्तर बिहार का बिल्कुल कटाव हो जाने से आम जनता में व्यापक क्षोभ है। इन गाड़ियों के बंद होने से व्यापार, आवागमन तथा उद्योग पर काफी असर पड़ा है और सरकार को 22 लाख का घाटा प्रतिमाह उठाना पड़ रहा है। अतः सरकार से आग्रह है कि जिन गाड़ियों को रद्द कर दिया है, उन्हें पुनः चालू कराने की व्यवस्था करें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल स्वीकृत पाठ को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

(छः) राजस्थान टैनरीज को बन्द होने से बचाने के लिए उसे संयुक्त क्षेत्र में लाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बनवारीलाल बैरवा (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1972-73 में, टोंक (राजस्थान) में राजस्थान स्टेट टैनरीज के नाम से एक राजकीय उपक्रम की स्थापना की गई थी। टोंक में उस उपक्रम को लगाने का यह उद्देश्य था कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र का समाज कल्याण सहित आर्थिक विकास हो सके, किन्तु यह प्रतिष्ठान, आधुनिकतम उपकरणों एवं यंत्रों के बावजूद आरम्भ से ही घाटे में चल रहा है। अनुभवी, प्रबंधकीय और तकनीकी कर्मचारियों के अभाव, प्रशासनिक खर्च अधिक होने, काम करने की प्रवृत्ति न होने और सरकारी ऋणों पर अधिक ब्याज देने से इस उपक्रम को निरंतर हानि हो रही है। यह उपक्रम अब अत्यंत ही दयनीय स्थिति में है और बंद होने के निकट है। मेरा सुझाव है कि इस उपक्रम को तत्काल संयुक्त क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, ताकि सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों और प्रयत्नों से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

(सात) केरल में वन-भूमि में बसे हुए लोगों को हकनामे देने के लिए केरल सरकार को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् केरल में कथित वन-भूमि में बसने वालों को पट्टे (हकनामे) प्रदान करने का काम काफी लम्बे समय से लटका हुआ है। 1978 में तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 जनवरी 1977 से पूर्व नयी भूमि पर बसने वाले सभी व्यक्तियों को पट्टे (हकनामे) प्रदान किए जायेंगे। कारण यह है कि यद्यपि उस भूमि, जिस पर वे बस गये थे, को कागजात में वन-भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथापि अब यह ऐसी नहीं है, क्योंकि इसके अधिक भाग को उपनगरों और बस्तियों के रूप में विकसित कर दिया गया है और उस क्षेत्र में जनसंख्या की सघनता में धीरे-धीरे वृद्धि हो गई है। इसलिए वहां वृक्षों के काटे जाने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अब वह वन-भूमि नहीं रही है।

केरल सरकार वहाँ बसने वालों को पट्टे (हकनामे) प्रदान करने की अनुमति देने के लिए केन्द्र को कहती रही है। किन्तु केन्द्र ने अब तक इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। पट्टों (हकनामों) के प्रदान न किए जाने के कारण बैंक किसानों को वित्तीय सहायता नहीं दे रहे हैं। इससे किसानों को कठिनाई हो रही है जिससे कृषि कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है।

इसलिए मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह केरल में बसने वालों को हकनामे प्रदान करने के लिए केरल सरकार को अनुमति दें।

———

1.24 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1985-86 — (जारी)

(एक) कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय —जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य-सूची में मद संख्या 7 पर विचार करेंगे। मैं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री चन्दूलाल चन्द्राकर से अनुरोध करता हूं कि वह वाद विवाद का उत्तर दें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : हमें मांगों पर बोलने का अवसर नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने चर्चा पहले ही पूरी कर ली है।

माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह बीमार पड़ गए हैं, इसलिए राज्य मंत्री उत्तर देने जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों द्वारा हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था तथा इसमें सुधार लाने हेतु उपायों के बारे में दिए गए मूल्यवान सुझावों के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अनेक सदस्यों ने, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, मूल्यवान सुझाव दिये हैं और हम निश्चय ही उनके सुझावों का भरपूर फायदा उठाएंगे। बहुत से वक्ताओं ने, जिन्होंने यहाँ वाद-विवाद में भाग लिया...

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारे सजेशन तो सुने ही नहीं, जवाब कैसे देंगे।

श्री चन्दूलाल चंद्राकर : मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे डिबेट शुरू हुई और आखिर तक यहाँ बैठा रहा। एक मिनट के लिए भी यहाँ से बाहर नहीं गया... **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे तो आपने सजेशन सुने ही नहीं।... **(व्यवधान)**

श्री चन्दूलाल चंद्राकर : जिन्होंने बोला है, उनके सजेशन सुने हैं। जो आप कहना चाहते थे, वह वास्तव में आपने दूसरे के माध्यम से कहलवा दिया था ... **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल व्यास : जो बात हम पूछें, उसका जवाब दीजिएगा।

श्री चंदूलाल चंद्राकर : वह बात दूसरी है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के कार्यालय में जाकर आप अपने सुझाव लिखित रूप में दें।

श्री चंदूलाल चंद्राकर : मैं उनके सुझावों के लिए बहुत ही आभारी हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कृषि के क्षेत्र में प्रगति की है। वस्तुत:, हमने गेहूं, कपास तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है। इसका श्रेय उन किसानों को जाता है, जिन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछले पांच वर्षों में दो बार सूखा पड़ने के बावजूद कड़ी मेहनत की और आशा से अधिक उत्पादन करने के लिए जी तोड़ काम किया। किसानों के साथ-साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने निश्चय ही अपनी पूरी व्यावहारिक जानकारी जो उन्होंने प्रयोगशालाओं में प्राप्त की थी, किसानों

1.27 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

को दी। अनुसंधान प्रयोगशालाओं में उन्होंने जो कुछ जानकारी हासिल की, उसे वे किसानों तक पहुंचा सके। मुझे मालूम है कि मेरे देश में एक कमी है कि प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान के लाभ किसानों तक उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते जितनी जल्दी पहुंचने चाहिए। उस दृष्टि से हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कृषि वैज्ञानिकों के साथ और अधिक विस्तार सेवाएं स्थापित की जायें ताकि अनुसंधान को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके।

वर्ष 1984-85 बहुत ही कठिनाईपूर्ण था। वर्ष के आरम्भ में बाढ़ का प्रकोप रहा तथा अन्त में दीर्घकालीन सूखा पड़ा। ये दो चीजें वर्ष 1984-85 में एक साथ घटित हुईं। इसके बावजूद वर्ष 1984-85 में उत्पादन वर्ष 1983-84 में हुए उत्कृष्ट उत्पादन, जिसमें 151.5 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ था, के बराबर होने की सम्भावना है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था की बढ़ती परिपक्वता का पता चलता है। वस्तुत: हमारे माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1978, 1979, 1982 तथा 1983 बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष थे तथापि बाढ़ तथा सूखे की लम्बी अवधि के होते हुए भी कृषक काफी मात्रा में खाद्यान्न तथा कपास और पटसन एवम् अन्य फसलें उगा सके। विश्व के कृषि के क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति की प्रशंसा की है।

मैं सभा को सहर्ष सूचित करना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना, जो अभी-अभी समाप्त हुई है, के दौरान चावल, दालों तथा तिलहनों समेत अनाजों के उत्पादन की वृद्धि दर पिछले पन्द्रह वर्ष में हो रही वृद्धि से अधिक रही है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि खाद्य उत्पादन की 132/133 मिलियन टन की सीमा रेखा हमने लांघ ली है और वर्ष 1983-84 में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। वर्ष 1984-85 के दौरान भी ऐसी आशा है कि हम खाद्यान्न के उस उत्पादन के रिकार्ड को बनाए रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में गेहूं का उत्तरोतर रिकार्ड उत्पादन हुआ है जो कभी कम नहीं हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष गेहूं का उत्पादन बढ़ता ही गया और यह किसी भी वर्ष में कम नहीं हुआ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम में दालों तथा तिलहनों के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया है। दालों के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है और हाल ही में उपलब्ध करायी गई प्रोद्योगिकी से दालों के उत्पादन में लगातार वृद्धि का एक सुदृढ़ आधार तैयार हो गया है। मैं माननीय सदस्यों को सहर्ष सूचित करना चाहूंगा कि वर्ष 1984-85 के दौरान तिलहनों का

13 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहनों के उत्पादन की वृद्धि दर वर्ष 1967-68 से लम्बी अवधि की वृद्धि दर की तुलना में तीन गुना अधिक है। वास्तव में इस वर्ष तिलहनों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

वर्ष 1984-85 के दौरान कपास तथा पटसन का उत्पादन भी पिछले दो वर्षों की तुलना में अधिक हुआ है।

कुछ माननीय सदस्यों ने दुग्ध उत्पादन में भी विशेष रुचि दिखाई है और उन्होंने मूल्यवान सुझाव दिए हैं। छठी योजना के दौरान दूध के उत्पादन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप दूध की दैनिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता 126 ग्राम से बढ़कर 142 ग्राम हो गयी है। हम जानते हैं कि यह मात्रा अन्य विकसित देशों में, जहां लोगों को अधिक दूध मिलता है, से बहुत कम है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अण्डों के उत्पादन में 45 प्रतिशत तथा ब्राइलर्ज के उत्पादन में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 1983-84 के दौरान मछली का 26 लाख टन उत्पादन हुआ जो एक कीर्तिमान है और वर्ष 1984-85 के दौरान 28 लाख टन मछली के उत्पादन का अनुमान है।

उत्पादन के क्षेत्र में हमारे किसानों की इन उपलब्धियों का श्रेय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई आठ महत्वपूर्ण सेवाओं, अर्थात प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, कृषि औजार, सिंचाई, ऋण तथा विपणन की अच्छी व्यवस्था को जाता है। इन आठ सेवाओं के बिना किसानों के लिए अपना उत्पादन सफलतापूर्वक बढ़ाना मुश्किल होता।

उन्नत प्रौद्योगिकी हमारी प्रगति का आधार स्तम्भ है। यदि विभिन्न प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान के परिणामों को खेतों तक नहीं पहुंचाया जाता तो किसान उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं कर पाते जितनी कि वे करना चाहते थे। अतः प्रौद्योगिकी व्यावसायिक विस्तार प्रणाली के माध्यम से, जो इस देश में 13 राज्यों में प्रचलित है, किसानों को उपलब्ध की जाती है। उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर राज्य इस वर्ष से विस्तार की टी० एण्ड वी० प्रणाली आरम्भ कर रहे हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत अनुसंधान वैज्ञानिक विस्तार कर्मकाएं प्रशिक्षित करते हैं, जो किसानों को प्रौद्योगिकी प्रदान करते हैं। इस पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि विभिन्न प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधानों के परिणाम यथाशीघ्र किसानों तक पहुंचाये जा सकें।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तम किस्म के बीजों की सप्लाई में पांच गुना वृद्धि हुई है। इस देश में उर्वरकों के उपयोग में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका श्रेय घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने तथा किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उर्वरकों का आयात करने की सरकार की वचनबद्धता को जाता है। वर्ष 1984-85 में खराब मौसम के बावजूद पिछले वर्ष उर्वरकों की खपत में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो इससे पहले वर्ष की सर्वाधिक खपत से अधिक है।

पौध संरक्षण के क्षेत्र में हमने एकीकृत नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत कीटों तथा बीमारियों से लड़ने के लिए जैविक तथा रसायनिक विधियां अपनाई गई हैं।

महोदय, अनेक सदस्यों ने कृषि ऋणों के बारे में चर्चा की है। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि बैंकों से कृषि के लिए केवल 6,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं जबकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए 21,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं, लेकिन माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व किसानों को बैंकों से वस्तुतः कुछ भी नहीं मिल रहा था। बैंकों के राष्ट्रीयकर्रण के पश्चात् ही किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त हो रहा है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : ब्याज की दर क्या है ?

श्री चंदूलाल चंद्राकर : मैं जानता हूं कि आप कहते रहे हैं कि ब्याज दर कम की जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : नहीं, नहीं। आपको यह जानकारी है कि 3 हजार रुपए का जो कर्जा देते हैं उसका 15 हजार रुपया वसूला जाता है। जो कर्जा आप देते हैं उसका पांच-पांच गुना कर्जा नेशनलाइज्ड बैंक्स वसूल कर रहे हैं और लोगों की जमीनें नीलाम कर रहे हैं। आपके ट्वेंटी पाइंट प्रोग्राम को भी बैंक्स के माध्यम से चलाया जा रहा है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री चंदूलाल चंद्राकर : ऐसा है, आप जो बात कर रहे हैं, उसको इन सदस्य महोदय ने कल बहुत अच्छे ढंग से कहा कि ब्याज की दर किसानों के लिए कम होनी चाहिए, जो भी किसानों की तकलीफें हैं, जो किसानों को कर्जा दिया जाता है उसे पर रेट आफ इन्टरेस्ट कम हो, किसानों का इनपुट्स में जो खर्च होता है उसके मुकाबले किसानों को उनकी वस्तुओं के पैसे नहीं मिलते। इन सब बातों को कल इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा था। (व्यवधान)...

मैं समझ गया आपने जो सुझाव दिया है उसका तत्काल तो मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं ...(व्यवधान)...

श्री गिरधारी लाल व्यास : मंत्री महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप किसानों के लिए कोई मैक्सिमम ब्याज की दर तो बता दीजिए, क्योंकि पांच-पांच गुना पैसा लोगों से वसूल कर रहे हैं। इसके लिए तो आप कोई कानून बनाइए।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जो बात आप कहना चाहते हैं, वह मैं समझ गया हूं और मैंने आपसे कहा कि उसका तत्काल यहां उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं पर जैसा मैंने पहले कहा है, आप लोगों के सुझावों पर, जो भी सुझाव यहां दिए जाएंगे, उन पर ध्यान रखा जाएगा जिससे कि किसानों के हित की रक्षा हो सके।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तो रिजर्व बैंक की दर से 8 प्रतिशत अधिक दर से ब्याज ले रहा है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैंने आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन ली हैं और हम उन पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय : आप बैठ जायें । आप बीच में न बोलें और मंत्री महोदय को बोलने दें ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : माननीय मंत्री महोदय, ऐसा है एक कानून बना हुआ है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की जमीनों को नीलाम नहीं किया जा सकता और न ही उनको गिरवी रखा जा सकता है··· (व्यवधान) ···

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अब मैं ऐसा समझता हूं कि कल इस मंत्रालय की बहस में सभी पक्षों की ओर से जो बोले हैं, उनकी तादाद 47 थी । मैंने सभी 47 केव्यूज को सुना, उनके विचारों को बहुत गौर से सुना ··· (व्यवधान) ···

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय मंत्री जी, यहाँ पर तीन मिनट तो मिलते हैं बोलने के लिए, उससे ज्यादा बोलने नहीं देते हैं । चूंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कहता हूं; ··· (व्यवधान) ···

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं । कल बोलने वाले इतने अधिक थे कि डिप्टी स्पीकर साहब ने 70, 80 और 100 तक स्पीकर बताए, इसके बावजूद जो भी समय मिल सका, जो अलाटेड टाइम था एडवायजरी कमेटी के मुताबिक, उससे अधिक समय देकर 47 मैम्बरों को बोलने का मौका कल मिला और मैंने सभी सदस्यों को और उनके विचारों को बड़े गौर से सुना है, उसके आधार पर मैं जवाब दे रहा हूं । इसलिए मैं समझता हूं कि अभी आप मुझे सुन लें, तो ठीक रहेगा । ··· (व्यवधान) ···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शांति बनाये रखें । कृपया टोका-टाकी न करें ।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जैसा मैं कह रहा हूं, अभी आप मेहरबानी करके बैठ जाइए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने तो हमको मौका भी नहीं दिया बोलने का ! (व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : कृषि ऋण का स्तर, जो 1982 में 3400 करोड़ रुपये तक था, वर्ष 1984-85 में 5800 करोड़ तक हो जाने की आशा है । इसका अभिप्राय यह है कि पांच वर्षों की अवधि में ऋण देने में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । ऋण का अधिकांश भाग सहकारी समितियों से आया है जिससे ऋण वितरण तथा कृषि उत्पादों के विपणन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा ।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि सहकारी समितियों ने मिल कर किसानों को संकट के समय मूल्य में समर्थन देने के लिए बड़े पैमाने पर काम आरम्भ किया है ताकि उन्हें तिलहनों, आलू, प्याज इत्यादि अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके ।

जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस देश में कुल कृषि क्षेत्र की 73 प्रतिशत भूमि पर शुष्क खेती की जाती है लेकिन कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान केवल 42 प्रतिशत ही है । भारी संख्या में छोटे किसान तथा छोटे सीमांत तथा जनजातीय किसान शुष्क जमीन पर खेती कर रहे हैं । वैज्ञानिक ढंग से शुष्क भूमि पर खेती का उद्देश्य भूमि का उपयुक्त परिशोधन करना है ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे । मैं समझता हूं कि श्री व्यास कल शुष्क भूमि

पर खेती करने की तकनीक में सुधार करने के बारे में बोले थे। इस संबंध में भूमि परिशोधन संबंधी उपाय करने होंगे। इन उपायों के अतिरिक्त शुष्क भूमि पर खेती संबंधी विधि के अन्तर्गत किसानों को प्रौद्योगिकी तथा निविष्टियां उपलब्ध कराना भी आता है। छठी योजना में 19 जिलों में जल संरक्षण के लिए एक प्रयोगात्मक योजना आरम्भ की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे एक पूर्ण विकसित राष्ट्रीय शुष्क भूमि खेती परियोजना के रूप में विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

श्री रघुमा रेड्डी : इस पर 100 प्रतिशत राज-सहायता होनी चाहिए। 25 प्रतिशत राज-सहायता से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यह देखना होगा कि राज-सहायता कितनी होनी चाहिए। मैं इस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। इस परियोजना तथा अधिक गहन निविष्टी वितरण व्यवस्था के फलस्वरूप शुष्क कृषि में अधिक उत्पादन बढ़ेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे कृषकों की उपलब्धियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। माननीय सदस्य जैनल अबेदीन ने कहा कि देश में खाद्यान्न और दूध की उपलब्धता में कमी आयी है। मुझे सही बात सामने रखनी चाहिए। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1984 में 483 ग्राम थी, जो सबसे अधिक थी। 1980 से 1984 तक के पांच वर्षों में औसत उपलब्धता प्रति दिन 447.2 ग्राम प्रति व्यक्ति थी। यह उपलब्धता पिछले पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता की तुलना में अधिक थी। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जनसंख्या में वृद्धि होने के बावजूद यह सुधार हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि छठी योजना के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रति दिन 126 ग्राम से बढ़कर 142 ग्राम हो गयी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्यों के औचित्य के बारे में शंकाएं व्यक्त की हैं। यह बात स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने उत्पादन मूल्य में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखा है और समर्थन मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। पिछले पांच वर्षों में धान, गेहूं और विभिन्न दालों के समर्थन मूल्यों में क्रमशः 44 प्रतिशत, लगभग 34 प्रतिशत और 57 से 67 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। विभिन्न प्रकार के तिलहनों के लिए यह वृद्धि 33 से 86 प्रतिशत तक के बीच हुई है। माननीय सदस्यों को प्रधान मंत्री द्वारा किसानों को दिया गया यह आश्वासन याद होगा कि फसलों के उत्पादन मूल्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाभप्रद मूल्य दिये जायेंगे। इसी चिन्ता और प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के कारण हमने कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग रख दिया है।

श्री रघुमा रेड्डी : नाम बदल कर हमें क्या मिल जायेगा ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि समर्थन/खरीद मूल्य निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इससे न केवल उत्पादन लागत ही वसूल हो बल्कि किसानों को पूंजी निवेश करने तथा विकसित प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन के रूप में उचित लाभ भी मिले। उत्पादन लागत का हिसाब लगाते समय हम न केवल लागत को ही ध्यान में रखते हैं परन्तु अपनी पूंजी पर लाभ, अपनी भूमि का किराया

मूल्य तथा परिवार श्रम के मूल्य जैसी निहित लागत को भी ध्यान में रखते हैं। आयोग की सदस्य संख्या में वृद्धि की जा रही है ताकि इसमें वर्षा पर आश्रित कृषि, सिंचित कृषि तथा कृषि श्रमिकों के हितों को भी सम्मिलित किया जा सके। इससे कृषकों को पर्याप्त न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। मेरा विचार है कि इस नये ढांचे से काफी मदद मिलेगी।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : इसके कितने सदस्य होंगे ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यह अभी तय नहीं हुआ है। स्पष्टतः, सदस्यों की संख्या पहले से अधिक होगी। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि कितने सदस्य होंगे और उनका चयन कैसे किया जाएगा। इरादा किसानों को लाभप्रद मूल्य देने का है। हमने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि उत्पादन लागत में भूमि का मूल्य परिवार श्रम की लागत और श्रम की लागत को शामिल किया जाये।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : खेती की लागत का यह आंकड़ा काल्पनिक है। उत्पादन लागत के बारे में वास्तव में कोई नहीं जानता है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : प्रिय मित्र, आप कल भी बोले थे। यदि आप हर मिनट बोलते रहेंगे तो मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा। मुझे भाषण समाप्त करने दीजिए। जब तक मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर लेता तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने सभी बातों का उत्तर नहीं दिया है। भगवान के नाम पर कुछ धैर्य रखिये।

माननीय सदस्यों ने विभिन्न कृषि वस्तुओं के मूल्यों में फसल की कटाई के पश्चात् आई गिरावट पर चिन्ता व्यक्त की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार हमने तिलहनों और आलू के सम्बन्ध में हमारे पूर्वानुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना बाजार में हस्तक्षेप करने के बारे में राज्य सरकार के साथ एक स्थायी व्यवस्था की है।

किसानों को सिंचाई और बिजली की व्यवस्था करने में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता से सहमत हूं। मैं इन कठिनाइयों को अपने माननीय सहयोगी, सिंचाई और बिजली मंत्री के सामने रखूंगा।

आन्ध्र प्रदेश से एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि उनके राज्य को उर्वरक की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। मैंने इस मामले की जांच की है। 1985 के खरीफ के मौसम में आन्ध्र प्रदेश से 7 लाख मीट्रिक टन पोषक तत्वों के दिये जाने की योजना है, जो 1984 के खरीफ के मौसम में सप्लाई किये गये पोषक तत्वों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

माननीय सदस्य डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक के भण्डारण में उर्वरक की क्षति हो जाती है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि श्रमिकों द्वारा हुक का प्रयोग किये जाने, मौसम की दशा, वाष्पिकरण आदि के कारण कुछ क्षति का होना अपरिहार्य है और इस क्षति को पूरा करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश होती है। उर्वरक में मिलावट की कुछ शिकायतें आयी हैं। 1984 में, 24018 नमूने लिये गये थे, जिनमें से लगभग 10 प्रतिशत निम्न स्तर के पाये गये थे। अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गए हैं और उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत अन्य कदम उठाए गए हैं। अपराधियों को दण्ड देने के लिए हम कानून को सख्ती से लागू करते रहेंगे।

केरल से माननीय सदस्यों ने जड़ों के सूख जाने के कारण नारियल को हुई क्षति का उल्लेख किया है। पिछले सप्ताह हमने सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की थी। मैं अपने आश्वासन को दोहराता हूं कि मेरा मंत्रालय इस बीमारी का सामना करने के लिए अन्य आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। हम सभी जानते हैं कि इस बीमारी के कारण केरल को वास्तव में कठिनाइयां पेश आ रही हैं।

एक माननीय सदस्य ने मूंगफली के घटते हुए उत्पादन की बात कही है। मैं यह तथ्य सभा के सामने रखना चाहूंगा कि मूंगफली का उत्पादन, गिरने के बजाय, पिछले 30 वर्षों में 775 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 953 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है।

एक माननीय सदस्य ने देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि की समस्या की चर्चा की। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मौजूदा सरकार ने ऊसर भूमि के उद्धार लिये हाल ही में 6.1 करोड़ रुपये लागत की एक योजना का अनुमोदन किया है, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू की जायेगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान के बारे में क्या है ?

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : उसके बारे में भी हम सोचेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में चावल के उत्पादन का स्तर कम है। यह बात सही है कि असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों के पास देश में कुल चावल क्षेत्र का 67 प्रतिशत क्षेत्र है, लेकिन चावल के कुल उत्पादन में इनका योगदान केवल 48 प्रतिशत है। किन्तु इन राज्यों में चावल की उत्पादकता की दर में, जो वास्तव में कई वर्षों से एक समान ही चल रही थी, हाल ही में वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने 1984-85 में पूर्वी क्षेत्र में 51 ब्लाकों में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से प्रायोगिक आधार पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को एक पूर्णरूपेण कार्यक्रम के रूप में बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत सातवीं योजना में इन राज्यों के कुल ब्लाकों का पांचवा हिस्सा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने छोटे और सीमांत किसानों को प्रौद्योगिकी की थोड़ी जानकारी होने की बात कही। विस्तार प्रयासों के फलस्वरूप देखा गया है कि कतिपय राज्यों में, जहां विस्तार प्रणाली कारगर तरीके से कार्य कर रही है, जानकारी 90 प्रतिशत तक है।

सभा के कुछ माननीय सदस्यों ने मछली उद्योग के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, जिन पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मछली पत्तन निर्माण कार्यक्रम डांवाडोल नहीं हो रहा है। हमारे यहां पांच मुख्य और नौ छोटे मछली पत्तन हैं, जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों की सहायता कर सकते हैं। हम विझिन्जम पत्तन के और विकास के लिए केरल सरकार के साथ एक परियोजना रिपोर्ट पर कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं कि मत्स्यपालन कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। मैंने भारतीय मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1897 में संशोधन करने तथा उसे आधुनिक बनाने के लिए भी प्रयास किया है। उड़ीसा के लिये हम पारादीप में अथवा उसके निकट मछली पत्तन के निर्माण की सम्भाव्यता पर विचार कर रहे हैं।

श्री डोगरा ने बहु-एकक सहकारी सोसायटी अधिनियम की बात कही और बताया कि हालांकि नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वास्तव में, एन०सी०यू०आई० के अध्यक्ष ने अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के बारे में आपत्ति की थी और मैं अगले सप्ताह उनके साथ इस अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों के बारे में विचार-विमर्श करूंगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम शीघ्र ही नियमों को अन्तिम रूप देंगे और अधिनियम को लागू करेंगे।

अब तक मैंने हमारी उपलब्धियों का उल्लेख किया है और उसके बाद कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों को स्पष्ट किया है। अब मैं इस माननीय सभा के सम्मुख उन चुनौतियों को रखना चाहता हूं जिनका भारत के किसानों को अगले पांच वर्षों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की मदद से सामना करना है। हमें 1989-90 तक खाद्यान्न के उत्पादन को 350 लाख टन बढ़ाकर 1850 लाख टन करने के लिए कहा गया है। यह किसी भी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सर्वाधिक वृद्धि है। तिलहन (40 लाख टन की वृद्धि), और विभिन्न अन्य वाणिज्यिक फसलों तथा उद्यान उत्पादों और पशु पालन तथा दूध के उत्पादन के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की चुनौतियां हैं। इस समय मैं ब्यौरेवार कुछ नहीं बताना चाहूंगा, सिवाय इसके कि हमारी लघु किसान प्रधान अर्थव्यस्था में इन गतिविधियों से पोषण-के स्तरों में सुधार करने के अलावा उनकी आय में भी काफी वृद्धि होगी।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बढ़िया किस्म के बीजों के उत्पादन में तीन प्रकार से आदानवार वृद्धि तथा उर्वरकों की खपत में 67% वृद्धि की अभी कल्पना की गई है। वर्ष 1989-90 में किसानों को 14,000 करोड़ रुपये का वितरण करने के लिए ऋण सेवाओं में 140% तक वृद्धि करने की आवश्यकता है। एक ही स्थान से (सिंगल विन्डो) ऋण तथा अन्य आदान उपलब्ध कराने के लिये नए-नए प्रयोग आरम्भ किए जा रहे हैं और किसानों तक बैंक की सेवायें पहुंचाकर उनको ऋण देने में सुधार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे मित्रों को यह जानकारी होगी कि विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी व्यापक योजना बनाई गई है। वर्ष 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब समूचे देश में मुश्किल से 7,000 शाखायें थीं। वर्ष 1984-85 में समूचे देश में बैंकों की 45,000 शाखायें हैं। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हमें इस बात का श्रेय अपनी सरकार को देना चाहिये और सरकार की उस नीति को देना चाहिये जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में तथा किसानों के द्वार तक बैंक की सेवायें पहुंचायी जा रही हैं। मैं जानता हूं कि इसमें कुछ कमियां हैं। **(व्यवधान)** श्री व्यास ऐसे व्यक्ति होंगे जो सदैव इसकी भर्त्सना करेंगे। परन्तु साथ ही आपको मानना होगा कि यह बहुत बड़ा कार्य है।

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली (मद्रास-दक्षिण): उनको दूर-दराज के गांवों में भी शाखायें खोलनी चाहिएं।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : मैं समझता हूं कि आप ठीक ही कह रही हैं कि हमें दूर-दराज के गांवों में और अधिक शाखायें खोलनी चाहिएं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यह

हमारा इरादा भी है और जहां तक सम्भव है हमने बहुत दूर-दराज के गांवों तक बैंक की ये सभी शाखायें खोलने की कोशिश की है। ये दूर-दराज के ऐसे-ऐसे स्थान कि 200 मील या 300 किलोमीटर तक कोई भी रेलगाड़ी नहीं है फिर भी हमने वहां बैंकों की शाखायें खोली हैं। उदाहरण के लिए बस्तर जिले में हमने खोली हैं।

श्रीमती बैजयन्ती माला बाली : यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे लोगों का मार्गदर्शन हो सकता है।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : इसके लिए सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ये शाखायें गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : यह हम सबका कर्तव्य है, चाहे हम संसद सदस्य हों, विधायक हों अथवा सामाजिक कार्यकर्ता हों या अन्य व्यक्ति हों, यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जनता में और लोगों में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करें। एक बार जब सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हो जायेगी तो इतनी अधिक शिकायतें नहीं आएगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अवेअरनैस बहुत है, लेकिन जो नेशनलाइड बैंक्स में सफेद हाथी बैठाये हुए हैं उनको चिन्ता नहीं है।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : जो हाथी बैठाये हुए हैं, वे कहां के हैं ? आपके और मेरे लड़के वहां बैठे हुए हैं, वे कहीं बाहर से नहीं आये हैं।...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सदस्यों के साथ बहस न करके अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : मुझे खेद है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं सभापति महोदय को ही सम्बोधित करू। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बढ़िया किस्म के बीजों के उत्पादन में तीन प्रकार से वृद्धि और उर्वरकों को खपत में 67% वृद्धि का प्रस्ताव है। ऋण सेवाओं में भी 140% तक की वृद्धि की गई है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि सिंचाई मंत्रालय छठी योजना के दौरान प्राप्त किए गये एक करोड़ हैक्टेयर जमीन में सिंचाई की तुलना में सातवीं योजना के के दौरान 1 करोड़ 50 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई करने की योजना बना रहा है। ये सभी लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब हम विशेष रूप से प्रौद्योगिकी आदानों, ऋण और विपणन के मामले में किसानों की सेवा में लगी विभिन्न संस्थाओं को मजबूत बनायें। मैं माननीय सदस्यों का इनसे चुनौतियां का मुकाबला करने और अपने कृषक समुदाय को आवश्यक समर्थन प्रदान करने में सहयोग चाहता हूं।

असिंचित क्षेत्रों में किसानों को समर्थन देना हमारी नीति का अभिन्न अंग है। हमारी कृषि प्रगति के मामले में बारानी खेती प्रमुख आधार है। जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, आगे प्रगति करना बहुत कठिन है।

जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हम सातवीं योजना में राष्ट्रीय बारानी खेती परियोजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं जिसका लक्ष्य सभी राज्यों में बारानी खेती की बैज्ञानिक प्रौद्योगिकी लागू करना होगा।

2.00 म० प०

इस परियोजना की नई विशेषता कृषि (एग्रोनामिकल) प्रक्रियाओं के सीलन का बनाये रखने हेतु उपयुक्त भूमि-शोधन उपाय समेकित करना होगा ।

हमारे पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन बढ़ाने की विशाल क्षमता है । हम समस्त विकास खण्डों के पांचवे हिस्से में नवीनतम प्रौद्योगिकी से चावल का उत्पादन बढ़ाने का विशेष कार्यक्रम कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं जहां छोटे और सीमान्त किसानों को विशेष सहायता दी जायेगी । इस समय चल रहा लघु और सीमान्त किसान कार्यक्रम जो 1983-84 में आरम्भ किया गया था, में इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते समय राज्यों की ममस्याओं पर ध्यान देने के लिए संशोधन किया जायेगा । इन संशोधनों से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में छोटे और सीमान्त किसान आ जायेंगे ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक व्यापक फसल बीमा योजना की घोषणा की थी, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है । अब हमने फसल बीमा योजना को धान, गेहूं, दालें और तिलहनों के अलावा मोटे अनाजों पर भी लागू करने का निर्णय किया है । यह निर्णय किया गया है कि छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा देय 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि में केन्द्र और सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से सहायता दी जानी चाहिए । हमने 1 मई को राज्य सरकारों, भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ इस योजना को खरीफ '85 से क्रियान्वित करने के मार्गोपायों पर बिचार करने के लिये बैठक बुलायी थी । राज्य सरकारों के प्रतिनिधि ने इस योजना का समर्थन किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आगामी खरीफ के मौसम में इस योजना को मुस्तैदी से लागू किया जायेगा ।

मैंने सातवीं योजना में नीति सम्बन्धी जिन बातों पर जोर देने का उल्लेख किया उनके सम्बन्ध में मेरा मंत्रालय इस शताब्दी के अन्त तक देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधि योजना बनाने पर की तैयारी कर रहा है । जहां तक संभव होगा मैं यथासम्भव शीघ्र इस सभा के समक्ष एक व्यापक कृषि नीति पत्र रखूंगा ।

मैं समझता हूं कि कल मैंने ग्रामीण विकास और सम्बन्धित गतिविधियों के बारे में उल्लेख किया है ।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : इस योजना की क्रियान्वित के बारे में मैं यह सुझाव देती हूं कि इस समय जो ढ़ाई लाख रुपये की सीमा है उसे बढ़ाकर पांच लाख कर दिया जाये ताकि हम वास्तव में उद्यमियों को लघु उद्योग प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें । इससे उनको बहुत मदद मिलेगी । तमिलनाडु में राज्य सरकार केवल अपने ही दल के लोगों को रोजगार देने पर ध्यान दे रही है । मैं समझती हूं कि यह कार्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए ।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : मंत्री महोदय, आप समर्पण क्यों नहीं करते । आप तो महिला सदस्यों के समक्ष भी समर्पण नहीं करते हैं ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं समझता हूं कि इस विषय पर उत्तर देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि यह कार्य दूसरे मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अत: मैं आशा करता हूं कि महिला सदस्य मुझे क्षमा करेंगी।

मैंने सभा के समक्ष सभी उपलब्धियां और अपनी आकांक्षाएं रख दी हैं। देश को हमसे उम्मीद है कि हम ग्रामीण समुदाय की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करें। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक देखा है और उनमें से बहुत से सुझाव उपयोगी हैं। हम उन पर ध्यान देंगे और उन्हीं के अनुसार नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन करेंगे।

मैं समझता हूं कि जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है, मैंने कल नीतियों के बारे में बताया था, यद्यपि विस्तारपूर्वक नहीं बताया था क्योंकि समय सीमित था, और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में भी उल्लेख किया था। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। माननीय सदस्यों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

[व्यवधान]

प्रो० पी० जे० कुरियन [इदुक्की] : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कितनी ? समय नहीं है। कितने सदस्य पूछ सकते हैं ? एक, दो, तीन, चार ऐसे बहुत से सदस्य हैं। यदि आपको कोई सुझाव देने हों तो आप लिखित रूप में दे सकते हैं। भाषण मत दीजिये। केवल प्रश्न पूछिये। हां, प्रो० कुरियन।

[व्यवधान]

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[व्यवधान]

प्रो० पी० जे० कुरियन : सभापति महोदय ने मुझे अनुमति दी है। कृपया बैठ जायें।

[व्यवधान]

सभापति महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मंत्री के सूचनार्थ···

सभापति महोदय : कोई सूचना नहीं, आप प्रश्न पूछिये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कोई सूचना नहीं, महोदय यह एक प्रश्न है। यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मिर्च एक मसाला है। जो वाणिज्य मंत्रालय के विषयों के अन्तर्गत नहीं आता बल्कि कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। सभी मसालों से काली मिर्च से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। परन्तु इसकी खेती को संवर्धित करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष सूखे के कारण हमारे देश में काली मिर्च के उत्पादन में भारी कमी हुई है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके मंत्रालय के पास इस देश में काली मिर्च के उत्पादकों को सहायता देने की कोई ठोस योजना है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग ऐसी राजस्व भूमि में रहते हैं जो जंगल में हैं अथवा जंगल की पट्टी के आसपास हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि वन परिरक्षण अधिनियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन क्षेत्रों में पहले से सड़क तथा बिजली की

लाइनें हैं लेकिन जब वे इन सड़कों की मरम्मत अथवा नये सिरे से चाहते हैं अथवा नई बिजली की लाइनें स्थापित करना चाहते हैं तो वन संरक्षण अधिनियम आड़े आता है। उस राजस्व भूमि में रहने वाले हरिजन तथा आदिवासी लोगों को वन संरक्षण अधिनियम की कड़ाई से कार्यान्वित के कारण बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी और इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश देगी ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अगले दिन प्रश्न काल के दौरान आपने काली मिर्च की खेती तथा एक काली मिर्च बोर्ड स्थापित करने के बारे में प्रश्न पूछा था, कि हम इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। इस संबंध में तुरन्त सीधे सूचना देना बहुत मुश्किल है। बेहतर यही होगा कि आप इस संबंध में एक अलग सूचना दें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : लेकिन इसका उत्पादन घट रहा है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : हो सकता है, लेकिन इस समय मैं इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं।

दूसरे, जहां तक वन संरक्षण अधिनियम तथा बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों जंगल की पट्टियों के आस-पास अथवा जंगलों में रह रहे हैं अथवा खेती कर रहे हैं, का सम्बन्ध है ऐसी समस्या का सामना सभी राज्यों को करना पड़ रहा है। यह समस्या बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश गुजरात तथा आपके राज्य में भी विद्यमान है। इस मामले पर अब वन विभाग विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा जिले में दो कोआप्रेटिव स्पिनिंग मिल्स और एक वेजीटेबुल आयल मिल के लिए रिकमण्ड किया है लेकिन उनके लिए एन० सी० डी० सी० से लोन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है और वह कब तक मिल जाएगा ?

दूसरे डेयरी के लिए जो दूध प्रोड्युसर्स से खरीदा जाता है उसकी उनको कम कीमत दी जाती है और उस दूध का कंज्युमर्स से ज्यादा पैसा वसूल किया जाता है। प्रोड्युसर जो दूध डेयरीज को देता है उसका उसको बराबर पैसा मिले, इसको देने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। इससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है।

तीसरे, फेमीन के लिए भारत सरकार कर्जा देती है। और फ्लड के लिए 75 परसेंट सब्सीडी देती है। फेमीन में लोगों का बहुत नुकसान होता है, फ्लड से कोई विशेष नुकसान नहीं होता है। इसलिए फेमिन के लिए भी भारत सरकार सब्सीडी के रूप में पैसा दे। राजस्थान की हालत बहुत खराब है। अतः भारत सरकार फेमीन के लिए सब्सीडी के रूप में पैसा देने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : स्पीनिंग मिल्स के सम्बन्ध में जो कहा गया है, उसके सम्बन्ध में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं।

जहां तक आपने डेयरी के बारे में कहा कि प्रोड्युसर को कम पैसा मिलता है, कंज्युमर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। कंज्युमर्स को तो प्रोड्युसर्स से ज्यादा पैसा देना ही पड़ता है। जब कोई तीसरा आदमी बीच में आएगा तो प्रोड्यूसर को पैसा कम मिलेगा ही। डेरी वालों को ज्यादा पैसा देना चाहिए, इसके बारे में वे ही लोग बता सकते हैं।

जहां तक फेमिन और फ्लड का सवाल है, इसके लिए पैसा देने की बात कही गई है तो यह मेजर पालिसी मैटर है, इस पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, अच्छे किस्म के बीजों, फाउन्डेशन, प्रजनक तथा प्रमाणित बीजों की सप्लाई के बारे में उनके उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

कीटनाशक अधिनियम के बारे में मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि वर्तमान अधिनियम को सुदृढ़ बनाया जाए और आज भी मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि उक्त अधिनियम में और उपबन्ध जोड़कर उसे सशक्त बनाया जाए। लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। कीटनाशक दवाइयों में मिलावट को रोकने के लिए वर्तमान अधिनियम से काम नहीं चलेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें और मिलावट करने वालों का चालान किया जाए।

फसल बीमा के संबंध में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गांव को एक इकाई के रूप में लिया जाये न कि तालुका को। यदि ऐसा सम्भव नहीं है तो ग्राम विकास अधिकारी सर्किल को इकाई माना जाए। मैंने यह भी अनुरोध किया था कि सीमान्त किसानों को 66-2/3 प्रतिशत फसल सम्बन्धी सहायता दी जाए। लेकिन उनके उत्तर में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

दूसरी चीज मैं उन कुओं के बारे में कहना चाहूंगा, जिनके मामले में प्रयास असफल रहता है। जब कोई रैयत कुआं खोदने लगता है, परन्तु तल में चट्टान होने के कारण उसका प्रयास असफल हो जाता है तब सरकार को सहायता देनी चाहिये जैसाकि आन्ध्र प्रदेश सरकार प्रति कुएं पर 10,000 रुपये दे रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह पूरी राशि सहायता के रूप में दें।

मृदा परिरक्षण पर वर्तमान 25 प्रतिशत सहायता के स्थान पर शत प्रतिशत सहायता दी जानी चाहिये।

ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आप ग्रामोन्मुखी योजनाएं आरम्भ करें जिससे ग्रामीणों को सहायता मिले।

सभापति महोदय : कोई नवीन सुझाव नहीं है आप केवल स्पष्टीकरण के बारे में पूछें।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : ग्रामीण रोजगार के बारे में आपके क्या कार्यक्रम हैं ?

कृषि औजारों के बारे में कोई ठोस अनुसंधान नहीं हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब ऐसे अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किए जायें जिससे कृषि समुदाय की मदद हो।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं समझता हूं कि आपके सभी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री वी० वेंकटेश (कोलार) : महोदय, कृषक भारती सहकारी समिति लि० में दुर्विनियोग हो रहा है। उस सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा है।

दूसरी बात, मैं डाइनोक्राफ्ट तथा कृषक भारती के बारे में कहना चाहूंगा। डाइनोक्राफ्ट तथा कृषि भारती के बीच एक करार था और नीति में कुछ परिवर्तन के कारण करार टूट गया, जिसके फलस्वरूप 800 से 1000 लोग बेकार हो गए हैं। मैं क्षतिपूर्ति का तुरन्त भुगतान चाहता हूं। इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : आपने ये सारी चीजें सुझाई हैं। हम इन पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय : मैं कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं, बशर्ते कि कोई सदस्य यह न चाहता हो कि उसके किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से सभा के मतदान के लिए रखा जाए।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अब कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सभी अनुदानों की मांगों को सभा के समक्ष रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 8 के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.	राजस्व रु.	पूंजी रु.
	कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय				
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	78,57,000		3,92,85,000	
2.	कृषि	41,38,40,000	371,00,43,000	2,07,77,02,000	18,36,49,17,000
3.	मीन उद्योग	4,47,80,000	1,64,01,000	22,39,04,000	8,20,09,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	22,71,77,000	7,89,01,000	1,13,71,84,000	39,45,06,000
5.	सहकारिता	2,41,80,000	38,98,67,000	13,93,00,000	196,88,33,000
6.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	14,81,000	...	74,10,000	...
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	24,73,19,000	...	1,23,65,97,000	...
8.	ग्रामीण विकास विभाग	1,88,22,14,000	7,52,000	7,49,67,73,000	37,63,000

(दो) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा समाज और महिला कल्याण के सम्बन्ध में मांग संख्या 82 पर चर्चा और मतदान करेगी जिसके लिए 6 घंटे का समय नियत किया गया है।

इस सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनकी मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्तावों को परिचालित किया गया है, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे उन कटौती-प्रस्तावों की क्रम संख्या को सूचित करने वाली अपनी प्रतियों को 15 मिनट के भीतर सभा पटल अधिकारी के पास भेज सकते हैं, जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल तभी वे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये समझे जायेंगे।

पेश किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य दस सूची में कोई गलती देखे, तो वह इसे कृपया अविलम्ब सभा पटल अधिकारी के नोटिस में लाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ में दिखाई गई समाज और कल्याण मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 82 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

मांग सं.	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.	राजस्व रु.	पूंजी रु.
	समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय				
82.	समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय	21,26,97,000	11,08,000	1,07,84,86,000	55,42,000

सभापति महोदय : अब श्रीमती विभा घोष गोस्वामी बोलेंगी।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, सबसे पहले मैं इस मन्त्रालय के नये प्रभारी मंत्री को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि इस मंत्रालय की मांगों को इस सभा में इस वर्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया है। जहां तक मुझे स्मरण है, गत तीन वर्षों के दौरान हमने शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय के बारे में चर्चा नहीं की है और गत वर्ष, यदि मुझे ठीक-

ठीक याद है, तो इस मन्त्रालय की मांगों को कार्य-सूची में भी शामिल नहीं किया गया था। यह अच्छी बात है कि हमें अब इस मंत्रालय की मांग पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

मैं मुख्यतय: अपने भाषण को महिला कल्याण और विकास के सम्बन्ध में केन्द्रित करती हूं यहां इस मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में भारत में महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में उल्लेख किया गया है। इस प्रतिवेदन को 31 दिसम्बर, 1974 को प्रस्तुत किया गया था। उससे उस प्रतिवेदन में कार्यवाही के सम्बन्ध में राष्ट्रीय योजना के बारे में भी कहा गया है। महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में महिलाओं के दर्जे को सुधारने हेतु समन्वय, संचार तथा उपायों के क्रियान्वयन की एजेंसियों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मैं संगत अंश को पढ़ती हूं :—

> संवैधानिक और कानूनी समानता के बावजूद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का दर्जा निरन्तर असमान रहा है। इन असमानताओं को दूर करने के लिए कई कानून पारित किए गए हैं किन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। महिलाओं के कल्याण और विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लागू किए गए प्रशासनिक कार्यक्रम विभिन्न कठिनाइयों के कारण निष्प्रभावी रहे हैं। इस दिशा में निरन्तर प्रयास और ध्यान न दिए जाने का एक कारण किसी एक ऐसी एजेंसी का न होना रहा है जो सरकार द्वारा शुरू किए गये कई प्रकार के उपायों, अर्थात विधायी तथा प्रशासनिक उपायों का समन्वय कर सके तथा उन पर विचार कर सके···और कार्यान्वियन के तरीकों के बारे में विशेषज्ञ परामर्श दे सके। सरकार में कार्य के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत महिलाओं के मामले वास्तव में किसी की चिन्ता का विषय नहीं है।"

यह बात दस वर्ष पूर्व कही गई थी। अब प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के 10 वर्ष के बाद भी परिस्थितियां अधिकतर वही हैं। अब जब महिलाओं के कल्याण के लिए इस मन्त्रालय की स्थापना की गई है, तो महिलाओं के कल्याण और विकास सम्बन्धी सभी कार्य इस मन्त्रालय का विषय रहेंगे।

नीति के सम्बन्ध में, दर्जा समिति ने महिलाओं के कल्याण और विकास के बारे में कुछ कहा है। मैं इसे उद्धृत करती हूं :—

> "महिलाओं के कल्याण तथा विकास के किसी भी कार्यक्रम के सम्बन्ध में समेकित दृष्टिकोण होना आवश्यक है ताकि महिला कल्याण के बारे में किसी बात को अच्छी तरह से समझा जा सके। मैं····"महिलाओं के कल्याण के बारे में किसी बात को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है" इन शब्दों पर मैं बल देना चाहती हूं।"
>
> "····और ऐसी नीतियों के विकास न होने देने के लिए, जो कई बार मूल उद्देश्य के प्रतिकूल होती हैं, हम सिफारिश करते हैं कि भारत सरकार को संवैधानिक निदेशक तत्वों तथा समय-समय पर इस देश में महिलाओं को तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को दिये गये वचनों को ध्यान में रखते हुए महिला के विकास के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए।"

महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति ने यही सिफारिश की थी। सारा महिला दशक समाप्त हो गया है। अब हम इसकी समाप्ति के निकट हैं। मैं महिलाओं के कल्याण तथा विकास

के सम्बन्ध में ऐसी किसी राष्ट्रीय नीति के बारे में नहीं जानती हूं जिसे बताया गया है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि मंत्रालय नई नीतियां बनाने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि पुरानी नीति क्या रही है किन्तु आम चुनावों से पूर्व ऐसा शोर-शराबा बहुत किया गया था कि सरकार महिलाओं के विकास के लिए बहुत चिन्तित है। व्यावहारिक रूप में हम देखते हैं कि सरकार कुछ जन-विरोधी नीतियां लागू कर रही है जिससे महिलाओं का स्तर और भी गिरता है। सरकार इस विभाग को कितनी प्राथमिकता देती है इसका पता इससे चलता है कि इस मन्त्रालय को कितनी धन-राशि आवंटित की गई है। ये आंकड़े मुझे संसद ग्रंथालय से मिले हैं। इस मंत्रालय को किए आवंटन का प्रतिशत इस वर्ष के कुल बजट का केवल 0.25 प्रतिशत है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह टाइप की गलती है।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : नहीं। आवंटन 0.25 प्रतिशत ही है। इस वर्ष के 51,295 करोड़ रुपये के बजट व्यय में से इस विभाग को 1,29,78,33,000 रुपये दिए गए हैं। मैंने इस पर भी विचार किया है। प्रो० मधु दण्डवते ने भी वही गलती की है। आबंटन 0.25 प्रतिशत ही बनता है। पिछले वर्ष आबंटन 92,59,49,000 रुपये था। यह 1984-85 के लिए संशोधित अनुमान था। इस वर्ष आबंटन 129,78,33,000 रुपए है। अब यह कहना कि रुपये के हिसाब से यह आबंटन पिछले वर्ष के आबंटन से अधिक है, मेरे विचार से उस लोकोक्तीय व्यक्ति की तरह व्यवहार करना है जो जूता नहीं पहनता और बिना पैर वाले व्यक्ति से अपनी तुलना करके तसल्ली कर लेता है। हम सभी जानते हैं कि किसी समाज की प्रगति वहां की महिलाओं की स्थिति से आंकी जाती है। हमारे संविधान में कहा गया है कि समाजवाद हमारा उद्देश्य है। किन्तु, सामान्य स्तर के आधार पर भी हमारे यहां की अधिकांश महिलाओं की दशा दयनीय है और इसको बदलने के लिए हमें समाज के सम्पूर्ण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदलना होगा और सरकार यह कार्य नहीं करेगी। सरकार की नीतियां प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने के बजाय समाज में महिलाओं की दशा खराब कर रही हैं। बढ़ते हुए मूल्यों और बेरोजगारी के कारण महिलायें सर्वाधिक प्रभावित हैं। महिलाओं के नियोजन के बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित निम्न उदाहरण "वर्किंग विमेन" पत्रिका में श्रीमती विमल राणा दिवे के लेख से लिया गया है।

> "श्रम मंत्रालय के अनुसार, नौकरी पाने की इच्छुक महिलाओं की संख्या अक्तूबर, 1981 में 22.60 लाख थी जो अक्तूबर, 1982 के अन्त तक बढ़कर 30.70 लाख हो गई, जो 15.2 प्रतिशत की वृद्धि है। जनवरी-अक्तूबर 1982 के दौरान केवल 48,990 महिलाओं को रोजगार दिया गया, जबकि 1981 में 50,615 महिलाओं को रोजगार दिया गया था, जो कि 2.5 प्रतिशत की गिरावट है।"

इस प्रकार नौकरी पाने की इच्छुक महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और नौकरियों में भर्ती की संख्या घट रही है।

राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे स्पष्ट बात क्या है? पिछले संसद में भी हमने बार-बार सभा में यही बात बताने का प्रयास किया था। एक बार मैंने राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्धरण दिया है। मैं दुबारा इसका हवाला देना चाहूंगी, क्योंकि मौजूदा सरकार की अन्धाधुन्ध मशीनी-

करण और आयात के मामले में उदारता बरतने की नीति महिलाओं के लिए सर्वाधिक हानिकारक सिद्ध हो रही है क्योंकि उन्हें सबसे बाद में रखा जाता है और सबसे पहले निकाला जाता है।

"संविधान नियोजन से सम्बन्धित मामलों में अवसर की समानता प्रदान करने की गारन्टी देता है और आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कार्य की न्यायोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने का राज्य को निदेश देता है।"

आधुनिक अर्थ-व्यवस्था की ओर संक्रान्ति के प्रभाव के फलस्वरूप अधिकाधिक महिलायें उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से वंचित होती जा रही हैं और उनके योगदान को तथा योगदान कर सकने की क्षमता को केवल सीमित मान्यता मिल रही है।

हम सभी जानते हैं और यह एक माना हुआ तथ्य है कि समानता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा आर्थिक स्वतंत्रता है। सामाजिक रूप से उत्पादक श्रम में भाग लेने के अवसरों को बढ़ाने से स्थिति में परिवर्तन होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? सरकार ने महिलाओं के नियोजन पर आधुनिकीकरण के कुप्रभाव को समाप्त करने के लिए अभी तक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। मैं चाहती हूं कि महिला कल्याण मंत्रालय को महिलाओं के कल्याण पर आधुनिकीकरण के इस कुप्रभाव को रोकने और उसे समाप्त करने के लिए अधिकारिता राशि और साधन दिये जायें।

महिला दशक की समाप्ति के समीप हम किस स्थिति का सामना कर रहे हैं। 1961 से 1981 तक के 20 वर्षों में महिलाओं की जनसंख्या 55 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन काम में महिलाओं की भागीदारी की दर एक चौथाई घटी है अर्थात 28 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत से भी कम हो गई है। 1981 की जनगणना के अनुसार, 51 प्रतिशत पुरुषों के पास पूर्वकालिक नौकरियाँ थीं, जबकि महिलाओं का प्रतिशत केवल 14 था। यह इस देश में दी जा रही अवसर की समानता का मजाक है। कृषि के क्षेत्र में, महिला भागीदारों का प्रतिशत लगभग उतना ही रहा है। लेकिन एक बात से हमें बहुत चिन्ता हो रही है और वह है कि अधिकाधिक महिलाओं को कृषि श्रम से निकाला जा रहा है। इनकी संख्या देखिए। 1961 में पुरुष कृषकों की संख्या 636 लाख थी और 1981 में यह संख्या बढ़कर 762 लाख हो गई। लेकिन, बीस वर्ष की इसी अवधि में महिला कृषकों की संख्या 318 लाख से घटकर 151 लाख रह गई, अर्थात आधी रह गई। महिलाओं के लिए यह हो रहा है और वह भी उन महिलाओं के लिए जो केवल अपने लाभ के लिये ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लाभ के लिए काम करती हैं। महिलाओं को एक सुनियोजित ढंग से सभी संगठित उद्योगों से निकाला जा रहा है। इस प्रश्न को भी हमने इस सभा में बार-बार उठाने की कोशिश की है, लेकिन इनके कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकले। पटसन, कपड़ा, बागान, खान, तम्बाकू, नारियल जटा, बीड़ी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी हर एक जगह महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। हजारों और लाखों महिलाओं के स्थान पर मशीनें आ रही हैं। छठी योजना प्रलेख में, महिलाओं के विकास अध्याय में, यह वायदा किया गया था कि महिलाओं के परम्परागत व्यवसायों का आधुनिकीकरण चुनिन्दा आधार पर होगा और इसमें वैकल्पिक नियोजन के लिए दक्षता का साथ-साथ विकास भी शामिल होगा। इसमें महिलाओं के नियोजन के सम्बन्ध में नये कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रभाव पर निगरानी रखने का भी

वायदा किया गया था। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए, मैं माननीय महिला कल्याण मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह इस मामले पर श्रम मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय से बात करें, ताकि तीन चीजें कारगर तरीके से और तत्काल हो सकें। पहली यह कि कार्यरत महिलाओं की छंटनी पर तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध का आदेश; दूसरा तम्बाकू उद्योग में हरी पत्ती के लिए थ्रैशिंग संयंत्र लगाने हेतु दिए गए सभी लाइसेंसों को रद्द करना, अन्यथा इस उद्योग में कार्यरत लाखों महिलायें प्रभावित होंगी; और तीसरी चीज यह सुनिश्चित करना कि माचिस उद्योग में भी जहां अधिकतर महिलायें काम करती हैं, मशीनीकरण की अनुमति न दी जाये। इन उद्योगों में कार्यरत अपनी बहिनों को बचाने के लिए यह कार्यवाही तत्काल करनी जरूरी है।

राष्ट्रीय कार्य योजना लगभग आठ वर्ष पूर्व बनाई गई थी। इसमें महिलाओं के नियोजन के क्षेत्रों का पता लगाने, अनुवर्ती कार्यवाही करने, आंकड़े इकट्ठे करने, मानिटरिंग, आदि के बारे में विशिष्ट सिफारिशें थीं। परन्तु, अभी तक राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू नहीं किया गया है। वास्तव में, व्यावहारिक रूप में कुछ भी नहीं किया गया है। मेरी मांग यह है कि महिला कल्याण मन्त्रालय को राष्ट्रीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए शक्तियां, राशि साधन तथा तंत्र उपलब्ध कराये जायें। महिलाओं के सम्बन्ध में सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के बारे में स्तर समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश की पूरे महिला दशक में उपेक्षा की गई है। महिलाओं के स्तर सम्बन्धी समिति द्वारा यथा-निर्धारित कृत्यों और गठन वाले राष्ट्रीय आयोग की तुरन्त स्थापना की जानी चाहिए। महिलाओं के स्तर के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र आयोग ने अपने 25वें प्रतिवेदन में ऐसे आयोग की स्थापना किए जाने की सिफारिश की थी। महिलाओं के नियोजन के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षन प्रस्ताव के उत्तर में 12-4-83 को तत्कालीन श्रम मंत्री ने कहा था कि ऐसे आयोग की स्थापना करने पर विचार करना समाज कल्याण मन्त्रालय का कार्य है। अब, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस आयोग की स्थापना तत्काल की जाए।

दूसरी सिफारिश यह थी कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बार्डों का भी सांविधिक स्वायत्त निकायों के रूप में उस प्रकार पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जैसा कि स्तर समिति ने सिफारिश की है। यह पुनर्गठन भी किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मैं दो मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। 8 अप्रैल, 1985 को अखिल भारतीय लोकतंत्रीय महिला सगठन प्रधान मंत्री जी को मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया, जिसमें सभी क्षेत्रों—शिक्षा, स्वास्थ्य, नियोजन, वैधानिक स्तर, आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु व्यापक सुझाव थे। मुझे इस ज्ञापन की एक प्रति सदस्यों की जानकारी के लिए तथा मंत्री जी द्वारा अध्ययन करने और समुचित कदम उठाने के लिये सभा-पटल पर रखने * की अनुमति दी जाये।

महोदय, विजयवाड़ा में रेलवे में 120 महिलायें श्रमिकों के रूप में कार्यरत थीं। उन्हें काम करने 15 वर्ष हो गये हैं। रेलवे के नियमों में यह व्यवस्था है कि चार महीने के पश्चात

* बाद में अध्यक्ष महोदय ने इसके लिये आवश्यक अनुमति नहीं दी, इसलिये इस ज्ञापन को सभा-पटल रखा गया नहीं माना गया।

उन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जायेगा और अन्त में उन्हें स्थायी रेलवे कर्मचारियों के रूप में समाहित किया जायेगा। इन महिलाओं को अस्थायी दर्जा दिया गया है। किन्तु इन महिलाओं से कनिष्ठ कर्मचारियों को स्थाई बना दिया गया है जबकि उन्हें सूची से छोड़ दिया गया है। उनके साथ भेदभाव किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह इस मामले की जांच करायें और यह सुनिश्चित करें कि ये कर्मचारी स्थाई बना दिये जायें।

2.34 म०प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

भेदभाव किए जाने की एक और घटना पंचेट में तैनात दामोदर घाटी निगम की मंजु राय की है। वह दुर्गापुर के लिए स्थानांतरण मांग रही थी, जहां उसका पति काम करता है। परन्तु पिछले छह साल से, जो महिला दशक का बेहतर हिस्सा था, उसका दुर्गापुर स्थानांतरण नहीं हो सका। दुर्गापुर में अनेक रिक्त स्थान थे जिन पर फालतू कर्मचारियों को लगाया गया है। मैं चाहूंगी कि मंत्रीजी इस शिकायत को तत्काल दूर करने के लिए इस मामले पर सम्बद्ध मंत्रालय के साथ बात करें।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, अन्त में मैं विशेष रूप से सुझाव देती हूं और मांग करती हूं कि इस मंत्रालय के द्वारा ये तीन काम तुरन्त किए जायें। वे हैं :—

(1) कृषि सहित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली सभी महिलाओं को वेतन सहित प्रसूति अवकाश तथा अन्य प्रसूति लाभ दिए जाएं। सरकार महिला दशक के इस अन्तिम वर्ष में मातृत्व को एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व क्यों नहीं मान सकती है ?

(2) रोजगार कार्यालय में दर्ज सभी बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।

(3) अब चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु सभी क्षेत्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएं।

और फिर, अन्तिम परन्तु जो कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, इस राष्ट्र के साथ न्याय करने के लिए इस मंत्रालय के लिए इससे कहीं अधिक धन राशि आवंटित की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं महिला कल्याण और समाज कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मैं हमारे देश के प्रधान मन्त्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक अलग से समाज कल्याण और महिला कल्याण विभाग की स्थापना की और एक बहुत ही योग्य मंत्री को यह महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा। उनके नेतृत्व में, 21वीं सदी का परिवर्तन कैसे हो, इसकी जो कल्पना की गई है वह साकार होगी और देश का एक बहुत बड़ा भाग, जो हमारे देश की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं वे आगे बढ़ सकेंगी। परन्तु इसके साथ ही साथ इस विभाग के लिए

जो धनराशि निर्धारित की गई है वह बहुत कम है। यदि हम उन आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो बजट का केवल 25 परसेन्ट ही इसके लिए एलोकेट किया गया है। इतनी कम धनराशि में, जो कुछ भी विकास की गति हम चाहते हैं, वह सम्भव नहीं पायेगी। अतः मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि आने वाली सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस धनराशि को निश्चित तौर से बढ़ाया जाना चाहिए।

इस मंत्रालय के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण विषय बाल कल्याण से संबंधित है। देश की सम्पत्ति हमारे देश के बालक हैं और और आने वाले भविष्य के नागरिक हमारे बालक ही हैं। आज देश में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या 2.72 करोड़ है और इन बच्चों की समस्यायें भी विविध प्रकार की हैं। उनको यह विभाग बड़ी खूबी से सुलझा रहा है लेकिन कुछ कमियां हैं जिनकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बालकों से संबंधित मुख्य रूप से चार समस्यायें हैं। पहली समस्या यह है कि बाल मृत्यु दर बहुत अधिक है। इसके पीछे कारण यह है कि स्वास्थ्यप्रद भोजन का अभाव है तथा बचपन की बीमारियां भी एक बड़ा कारण हैं। दूसरी बड़ी समस्या अनाथ बच्चों की है जिनके मां-बाप नहीं हैं इल्लेजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया है।

ऐसे अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी भी समाज और राज्य की होती है।

तीसरी समस्या जो इससे सम्बन्धित है, वह यह है कि कुछ सेऐ बच्चे भी होते हैं, जो बचपन से ही विकलांग हो जाते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आती है। चौथे प्रकार के बच्चे वे हैं, जिनको मातायें काम करने के लिए जाती हैं। इस प्रकार ये उपेक्षित बच्चे या तो आवारा घूमते हैं या बाल अपराध की प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं। इस ओर भी मंत्रालय का ध्यान जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय को बधाई दूंगी कि उन्होंने इन्टीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस शुरू की है। इसमें हम लोग आंगनवाड़ी के माध्यम से जो पिछले हुए इलाके हैं, ट्राइबल क्षेत्र है या आदिवासी बच्चे हैं, उनके पोषण की व्यवस्था करते हैं और प्री-प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदया का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि आपकी इस सर्विस का मुख्यालय जो दिल्ली में है, वहां पर निर्देशक महोदय द्वारा बहुत अधिक धांधलियां की जाती हैं। वहां पर जो बहनें काम करती हैं, उनके साथ बड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। आप जो भी धनराशि आवंटित करते हैं, उसका बहुत कम हिस्सा काम में लिया जाता है। यदि मैं यह कहूं कि वहां पर भ्रष्टाचार होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वे जांच करवायें।

मेरा तो यह भी सुझाव है कि वहां पर अधिकारियों के रूप में जो पुरुष काम कर रहे हैं, उनके स्थान पर महिलाओं को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाए। इससे समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के तहत आप बच्चों के हैल्थ की चैकिंग भी आप करते हैं और इनके लिए जो सेविकायें नियुक्त की जाती हैं वे पार्ट-टाइम होती हैं, उनकी सैलरी भी बहुत कम होती है। इसका परिणाम यह होता है कि उन बच्चों की पूरी तरह से देखरेख भी नहीं हो पाती है।

इसलिए मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहती हूं कि आँगनवाड़ी में जो काम करने वाली हमारी बहनें हैं, उनको पार्ट-टाइम न रखकर फुल-टाइम पर रखा जाना चाहिये। इसका खर्चा 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के माध्यम से और 25 प्रतिशत राज्य सरकार के माध्यम से बहन किया जाए, क्योंकि जिन महिलाओं को दो सौ रुपए या डेढ़ सौ रुपए पगार मिलती है, वे इतनी थोड़ी सी धनराशि में अपना जीवन नहीं चला सकती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें।

सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे सामने अनाथ बच्चों की है। अनाथालयों को सरकार द्वारा एड भी प्रदान की जाती है, फिर भी वहां बच्चों को शोषण किया जाता है। इस ओर मंत्री महोदया का ध्यान दिलाते हुए मैं एक यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि शब्द "अनाथालय" को संशोधित करके इसके स्थान पर "अपना-घर" रखा जाना चाहिए। इससे बच्चों को यह महसूस हो कि वह अनाथालय में न रखकर अपने घर रहे हैं।

एक महत्वपूर्ण समस्या उन बच्चों की है, जिनकी मातायें काम करती हैं। उनके बच्चों की देखरेख के लिये डे-केयर सैन्टर्स कहीं-कहीं पर स्थापित हुए हैं। पब्लिक सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाली माताओं के बच्चों की देखरेख के लिए शिशु-गृह खोले हुए हैं। देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और वहां पर जो बहनें काम पर जाती हैं, उनके बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज सिस्टम आपके सभी गांवों में है। पंचायती राज के माध्यम से ही काम करने वाली माताओं के बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायतों को आप सौंपें। वहां पर इस प्रकार का छोटा सा शिशु गृह हो जहां माताओं और बच्चों को रखा जा सके। इस प्रकार के जो क्रैचज होंगे, शिशु गृह होंगे, इनके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि दो-तीन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये। पहली बात तो यह है कि वहां पर ट्रेण्ड सेविकायें होनी चाहिये जिन्होंने होम सायंस तथा दूसरे प्रकार की ट्रेनिंग ली हुई हो ताकि वे बच्चों की देखरेख ठीक प्रकार से कर सकें। इन गृहों में बच्चों को अल्पाहार दिया जाना चाहिए तथा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध तथा अन्य वस्तुयें सरकार की ओर से दी जानी चाहिए ताकि देश की आबादी के उस बहुत बड़े भाग का, जो न केवल देश की सम्पत्ति हैं बल्कि भविष्य के प्रतिनिधि हैं, उनका लालन-पालन ठीक प्रकार से हो सके।

आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने हैण्डीकैप बच्चों की है। पुराने जमाने में यह सोचा जाता था, अगर कोई विकलांग पैदा हुआ है तो वह देवी-देवताओं के प्रकोप के कारण है तथा ऐसे बच्चों को पैदा होने के बाद मरने के लिये छोड़ दिया जाता था। किन्तु आज के कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक राज्य में ऐसे विकलांग बच्चों के लालन-पालन की जिम्मेदारी सरकार की है तथा ऐसे बच्चों की देखरेख के लिये सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। हैण्डीकैप बच्चे तीन तरह के होते हैं। फिजीकल हैण्डीकैप, मनटली हैण्डीकैप और मौरली-हैण्डीकैप।

एक माननीय सदस्य : पोलिटीकली हैण्डीकैप भी।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : पोलिटीकली हैण्डीकैप नहीं।

फिजीकली और मन्टली हैण्डीकैप के लिये अभी तक आपने जो व्यवस्था की है, वह सन्तोषजनक है। लेकिन मौरली हैण्डीकैप बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी एक विशेष प्रकार की

जिम्मेदारी है। आज हमारे देश में दो प्रतिशत जनसंख्या हैण्डीकैप व्यक्तियों की है। आज राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थायें इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। जैसे नेशनल इंस्टीच्यूट आफ हियरिंग हैण्डीकैप, बम्बई, नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फिजीकली हैण्डीकैप्ड, देहरादून, नेशनल इंस्टीच्यूट आफ आरथोपीडिक हैण्डीकैप्ड, देहरादून, नेशनल इंस्टीच्यूट आफ मैन्टली हैण्डीकैप्ड, हैदराबाद। इन संस्थाओं के लिये आपकी सराहना की जा सकती है। इस सम्बन्ध में अभी तक जो भी प्रयास किये गये हैं वे सराहनीय हैं लेकिन इनमें और अधिक सुधार की जरूरत है। जो हमारे यहां फिजीकली हैण्डीकैप्ड हैं, जिनके अंग टूटे हुए हैं उनके लिए आपने कानपुर में एक संस्था बनाई है—इसके लिए भी भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। यह संस्था उन हैण्डीकैप्ड को अंग प्रदान करती है। नई दिल्ली में विकलांक लोगों के. लिए ट्रेनिंग सेन्टर का काम सराहनीय कहा जा सकता है। मानसिक रूप से जो हैण्डीकप्ड बच्चे हैं उनकी दशा बहुत दयनीय है—इस ओर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए। आपने दिल्ली में एक माडल स्कूल बनाया है जहां 125 बच्चों को होस्टल में रखते हैं। उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र में तो आपने ऐसा स्कूल बना दिया है, लेकिन राज्यों में भी इसकी जरूरत है। मेरा सुझाव है कि हर राज्य की राजधानी में इस प्रकार के मैनटली हैण्डीकैप्ड बच्चों के लिए आपके विभाग द्वारा व्यवस्था होनी चाहिये।

हमारे देश में जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए "ओल्ड-हाउस" की व्यवस्था देश में नहीं है। परिणाम यह होता है कि बहुत से लोग जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी दशा दयनीय हो जाती है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। आप वृन्दावन में चले जाइये वहां पर बहुत बड़ी संख्या में वृद्ध विधवा बहनें हैं जिनकी दशा बहुत शोचनीय है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उनके लिए पार्लियामेंट हाऊस है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : पार्लियामेंट हाऊस उनके लिए नहीं है। उनके लिए सरकार की ओर से कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी प्रकार से भिक्षा-वृत्ति हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। भिक्षा-वृत्ति के लिए कानून बनाया है लेकिन वह कानून सफल नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगी कि वह कानून कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। समाज के वे व्यक्ति जो केवल बैठ कर खाना चाहते हैं, उनके लिए आप ट्रेनिंग की व्यवस्था करें ताकि वे कुछ कमा सकें।

अब मैं आपका ध्यान महिला कल्याण की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। संविधान के अनुसार यद्यपि महिलाओं को समाज अधिकार दिए गये हैं और महिला दशक हमने मनाया है परन्तु व्यवहार में यदि हम देखें, तो महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक विकसित नहीं कही जा सकती। मैं यह कहना चाहूंगी कि आज भी देश में कई प्रकार की कुप्रथाएं हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय है। जैसे दहेज प्रजा है। उसके लिए यद्यपि आपने कानून बनाया है और उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी परन्तु कानून बना देने से सब कुछ नहीं हो जाता। जब तक लोगों का दृष्टिकोण नहीं बदला जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता और उसके लिए विशेष प्रकार के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। यद्यपि आज हम यह देखते है कि महिलाओं ने कुछ अंश में तरक्की की है और राजनीतिक, प्रशासनिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं ने तरक्की की है परन्तु सारे भारत के मानचित्र पर अगर हम

दृष्टिपात करें, तो यह पायेंगे कि महिला शिक्षा का प्रतिशत हमारे देश में 15 और 16 के बीच में है और जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है या जो पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर तो बहुत ही कम महिला शिक्षा का प्रतिशत है। इसलिए हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और विशेष तौर पर हमें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज समान काम के लिए समान वेतन की बात कही जाती है और उसके लिए कानून बन चुका है परन्तु प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कुछ स्थानों को छोड़ कर समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। एग्रीकल्चर सेक्टर में समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है और महिलाओं का शोषण होता है और खास तौर पर कई ऐसे उद्योग हैं जहां पर मेटरनिटी लीव पर जाने के लिए उनको निकालना एक सामान्य बात हो गई है और विभाग से छंटनी करके उनको निकाल दिया जाता है। लेबर डिपार्टमेंट इस ओर विशेष ध्यान दे और उसका काआर्डीनेशन इस मन्त्रालय से होना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज हमारी शिक्षित महिलायें कई स्थानों पर काम करती हैं परन्तु उनके लिए आवास-गृह और होस्टल बनाने का काम कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है। मैं यह कहना चाहूंगी कि हर राज्य में इस प्रकार के होस्टलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। आपने लड़कियों की ट्रेनिंग की जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आपको और आपके मन्त्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने हरियाणा में इलेक्ट्रोनिक्स इण्डस्ट्री में लड़कियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की है और इसी प्रकार से अम्बाला और पंचकुला में आपने जो इस प्रकार की स्वीकृति दी है, उसके लिए में माननीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी।

मान्यवर, हमारी बहनों को कई प्रकार के कानूनों की जानकारी नहीं है। यद्यपि क्रिमिनल ला बना है, डाऊरी एक्ट बना है और उनके लिए सम्पत्ति में अधिकार का कानून बना है, परंतु बहुत सी बहनों को इसकी जानकारी नहीं है। जो बहनें इस प्रकार की लीगल एण्ड लेना चाहती हैं, विभाग की ओर से फ्री एड की व्यवस्था हर जिले में महिलाओं को होनी चाहिए। आज कई प्रकार के काम हमारी बहनें करना चाहती हैं लेकिन उनका बहुत अधिक शोषण होता है। राजस्थान में चुनरी बनाने का काम 8 आने रोज में बहनों को दिया जाता है और छोटे-छोटे कामों के लिए उनका शोषण होता है। आप काम-काजी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करें जिससे कि उनकी बनाई हुई वस्तुओं की विशेष उपयोगिता हो और उनका शोषण न हो। आपने कंडेंस्ड कोर्स शुरू किया है। इसी प्रकार से एक ट्राईसम योजना भी गांवों में लागू की है। उनके माध्यम से आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं। आप ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं के लिए स्टाईपेण्ड की भी व्यवस्था करें।

जो हाथ से बनी हुई वस्तुयें हैं उन वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की व्यवस्था की की जाए जिससे कि वे वस्तुयें बाजार में सही दामों पर बिक सकें और उनको बनाने वाली की आर्थिक रूप से उन्नति हो सके। जो बेकार बैठी हुई महिलायें हैं उनको भी इससे लाभ होगा।

भारत सरकार विदेशों में भी इन बहिनों की बनाई हुई वस्तुओं का प्रदर्शन करे। इस तरीके से विदेशों में लोगों को पता चल सकेगा कि हमारे देश में हैण्डीक्राफ्ट्स ने कितनी उन्नति की है।

मैं समाज कल्याण बोर्ड के कामों की सराहना किए बिना नहीं रह सकती। इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी इसको और भी काम करने होंगे। नारी इस देश की मातृत्व शक्ति है। वह हमारे देश के भावी नागरिकों की माता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश का सम्पूर्ण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने देश की नारी शक्ति और मातृत्व शक्ति का विकास नहीं करेंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि हमारी जो पिछड़ी बहिनें हैं, पिछड़े व्यक्ति हैं, खास तौर से हमारी अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की बहिनें इस देश का बहुत बड़ा भाग है और उनकी स्थिति बहुत शोचनीय है, उनकी स्थिति की ओर आप विशेष ध्यान दें और इसके लिए राज्य सरकारों को भी आदेश दें। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि आपका बजट में अधिक प्रावधान हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा० पी० वल्लल पेरूमन (चिदम्बरम) : मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की मांगों पर कुछ कहना चाहता हूं।

1981 की जनगणना के अनुसार भारत के 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या लगभग 2,720 लाख है। अगस्त 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति लागू की गई थी। राष्ट्रीय बाल बोर्ड प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में काम कर रहा है। एक राष्ट्रीय बाल निधि है जिसकी धनराशि 1.71 करोड़ रुपये है। समेकित बाल विकास सेवा योजना, जो इन बच्चों के कल्याण की योजना है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, विशेष पोषाहार कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि के कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर भी प्राथमिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे लगभग 60 प्रतिशत हैं। बच्चों की कुल संख्या के 70 प्रतिशत बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार बाल श्रम पद्धति को समाप्त नहीं कर सकी है। गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिशों पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। सरकार ने महत्वपूर्ण सिफारिशों को ही क्रियान्वित करने की परवाह नहीं की है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी होने के कारण परिवार की कम आय में योगदान करने के लिए बाल श्रम आवश्यक हो गया है। सरकार कम से कम यह तो सुनिश्चित कर सकती है कि बच्चों को उनके कार्य के लिए पर्याप्त मजूरी मिले।

सभापति महोदय, तमिलनाडु में दियासलाई उद्योग और अन्य राज्यों में बीड़ी उद्योग में बाल श्रम आम बात है। उन्हें उचित मजूरी नहीं मिलती है, उन्हें न्यूनतम मजूरी नहीं मिलती है, उनका शोषण किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में, मैं चाहता हूं कि केन्द्र बच्चों के लिए उचित मजूरी सुनिश्चित करने के लिए एक योजना क्रियान्वित करे। उन अमानवीय दशाओं के बारे में अनेक ग्राफीय रिपोर्टें हैं जिनमें बच्चों को काम पर लगाया जाता है। कार्य की दशा में संभावित सीमा तक सुधार किया जाना चाहिए।

2.59 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर और दर्जा दिए जाने की गारंटी दी हुई है। के स्वतंत्रता अट्ठाइस वर्ष बाद भारत में महिलाओं का दर्जा संबंधी समिति ने

1975 में कार्यवाही हेतु उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए कतिपय महत्वपूर्ण बातें सरकार के समक्ष रखी थीं।

न केवल राष्ट्रीय स्तर पर परन्तु राज्य स्तर पर भी मार्गनिर्देशों के रूप में महिलाओं के लिए कार्यवाही की एक राष्ट्रीय योजना तत्काल तैयार की गई। मुझे नहीं पता इस राष्ट्रीय योजना पर क्या कार्यवाही की गई। अब महिलाओं के लिए एक नई नीति तैयार की जा रही है। इस प्रकार दोबारा प्रयास करना बेकार का काम लगता है। केरल के सिवाय महिलाओं को कहीं भी सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि विवाह में दिया गया दहेज, जवाहरात और अन्य मूल्यवान वस्तुएं विवाहित महिला की हैं न कि और पति की, जैसी कि अब प्रथा है। यह महिलाओं की भलाई के लिए स्वागत परिवर्तन है।

3 म०प०

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पूरे देश में लगभग 12,000 स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करता है। यह स्वैच्छिक क्षेत्र के यिए संरक्षण प्रदान करने वाले एक संगठन के रूप में उभरा है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड दिल्ली से उन योजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है जिनके लिए वह अनुदान देता है। हमारे यहां राज्य समाज कल्याण बोर्ड हैं। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को दिए जाने वाला अनुदान राज्य समाज कल्याण बोर्डों के माध्यम से दिया जाए। ऐसे अनेक स्वैच्छिक संगठन हैं जो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को लेखे का लेखा परीक्षित विवरण नहीं देते हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी लेखाओं के ऐसे लेखा परीक्षित विवरण लेने में अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में ढीला है।

यह अच्छा है कि इस संबंध में राज्य समाज कल्याण बोर्ड अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हैं और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा आवंटित धनराशि का उचित उपयोग करने में मदद देते हैं।

जैसा कि हमारे पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए एक संसदीय समिति है, हमें इस वर्ष महिला कल्याण के लिए एक संसदीय समिति बनानी चाहिए। इस समिति को अन्य समितियों के समान कार्य करने के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशें सभा के माध्यम से सरकार को भेजी जानी चाहिये।

विश्वविद्यालयों के परिसरों में अब नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ गया है। बीसवीं सदी के इस अभिशाप से राष्ट्रीय सम्पदा का हनन हो रहा है। मेरा सुझाव है कि छात्रों को नशीली दवाओं से दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। युवा पीढ़ी को समाज का बोझ बनने से रोका जाना चाहिए। मैं छात्रों में नशीली दवाओं की लत का उदाहरण दे सकता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अन्नामलाई विश्वविद्यालय है और तमिलनाडु के तिरुचि जिले में एक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज है।

संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

हम देखते हैं कि शासन मादक पेयों और नशीली दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। तमिलाडु में पूजा स्थलों के निकट प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के साथ और औद्योगिक स्थापनों के क्षेत्र में ताड़ी की दुकानें खोली गई हैं। ये दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए ध्वनि विस्तारकों का उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु में यह दृश्य आम बात है कि कॉफी अथवा चाय पीने के बजाय लोग शराब पीने के लिए सुबह ताड़ी की दुकानों में जाते हैं।

महोदय, हम देश का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हैं। पहले कि यह रोग हमारे काबू से बाहर हो जाये, हमें इसे रोकना चाहिए। नशाबंदी से होने वाली राजस्व की हानि के बदले में राज्य को 100% अनुदान देने में केन्द्र को हिचकना नहीं चाहिए। हम शराब के बढ़ते हुए उपभोग से राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकेंगे।

मैं चाहता हूं कि देश भर में नशाबन्दी लागू करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक): माननीय सभापति जी, आज सदन में समाज कल्याण एवं महिला कल्याण की अनुदान मांगों पर बहस हो रही है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और सभी मंत्रालयों के कार्य क्षेत्र से विशेष है। जीवन का कौन सा ऐसा अंग है जो समाज कल्याण और महिला कल्याण के तहत नहीं आता। लेकिन मंत्रालय के हिसाब से कुछ ही विषय इस मंत्रालय के तहत रखे गए हैं। विशेष रूप से बच्चों से संबंधित मसले, वृद्धों, अशक्तों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति तथा कुछ वे लोग जो मानसिक रूप से रोगी हैं या कुछ जो असाध्य रूप से पीड़ित हैं, जिनका कोई उपचार या निदान नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर समाज का यह सब कुछ नहीं है। समाज के जितने भी अंग हैं वे समाज कल्याण के तहत आते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से एक तो यह निवेदन है कि इस बारे में हर क्षेत्र में उनको देखना चाहिए। समय बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं इसलिए मैं अपने आपको एक सीमित दायरे में ही रखूंगा। हमारे क्षेत्र में माढ़ा के तहत कुछ आंगनवाड़ी खोले गए हैं। उनको देखने पर मालूम हुआ कि जो खाद्य पदार्थ वहां भेजे जाते हैं, मैं आपको यहां कैसे विश्वास दिलाऊं कि वे सब चीजें बिल्कुल अखाद्य रूप में होती हैं। हमने कभी उनको बंटते हुए भी नहीं देखा है कि किस तरह से उनको बांटा जाता है। अगर जल्दी चले जाएं तो कहा जाता है कि शाम के टाइम बांटेंगे। उस वक्त जाएं तो कह देते हैं कि सुबह बांट चुके हैं। जो सुविधाएं और साधन दिए जाते हैं, वे मुश्किल से ही वितरित हो पाते हैं। अगर कोई जागरूक व्यक्ति उस समाज या मोहल्ले में होता है तो उसकी देखभाल हो जाती है। जहां पर सीधे-सादे लोग हैं, उनको कोई नहीं देखता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सोसायटी को जो लाभ आप देना चाहते हैं, वह उनको मिलना चाहिए। मैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र से आया हूं इसलिए उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज सैंतीस वर्ष हो चुके हैं। उसी वक्त से सरकार और सभी पार्टियां इस प्रयत्न में हैं कि देश से छुआछूत मिटा दी जाए। मुझे बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ता है कि आज भी देश के अन्दर छुआछूत बरकरार है। गावों में, दिल्ली में और

सभी बड़े शहरों में मौजूद है। वहां पर खाट की लड़ाई है, यहां पर कुर्सी की लड़ाई है। वहां पर आज भी उसी तरह से उनको परेशान किया जाता है। उस चीज का आज तक उन्मूलन नहीं हुआ है। सबसे दुखद स्थिति हम यह देखते हैं कि एक आदमी का मैला दूसरे आदमी के सिर पर ढोया जाता है। मैं यह समझता था कि शायद माननीय मंत्री जी ने इस चीज को रिपोर्ट में जोड़ा होगा कि देश के अन्दर से मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो जायेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस तरह की कोई बात उसमें नहीं है। हम लोग कितना ही विकास कर लें और कितना ही आगे बढ़ जाएं अगर समाज के अन्दर यह व्यवस्था जारी है तो जो विकास हुआ है वह सब बेकार हो जायेगा। बारिश के समय वह मैला उस व्यक्ति के किस अंग से नहीं छूता। यह सबसे दुखद स्थिति है। टाप प्रायोरिटी पर इस काम को लेना चाहिए। इसको चाहे किसी भी योजना में कीजिए या इसके लिए साधन जुटाइए या मशीनें वगैरह मंगाइए। इस सम्बन्ध में विदेशों की स्थिति यह है कि वहां इस प्रथा का सर्वथा उन्मूलन हो चुका है, वहां सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त कर दी गई है तो उसी तरह हमारे देश में भी इस कुप्रथा को समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस काम को टौप प्रियौरिटी के आधार पर समाप्त कर देना चाहिए तभी हमारे समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो सकेगा।

श्रीमन्, समाज कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे देश को बहुत लाभ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है और उनको नकारा नहीं जा सकता। हरिजन छात्रों को जहां छात्रवृत्तियां मिली हैं, उनके लिए जगह-जगह छात्रावास बनाए गए हैं और उनको अच्छी से अच्छी तालीम देने का देने का प्रयत्न किया गया है फिर भी हम आज ऐसा अनुभव करते हैं, इतना सब होते हुए भी, जो कुछ उनको दिया गया है, वह बहुत कम है, नाकाफी है तथा उसमें और ज्यादा इजाफा किए जाने की जरूरत है, उसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। जिस तरीके के छात्रावास इन लोगों के लिए बनाए गए हैं, मैं समझता हूं कि वे छात्रों की मिनिमम नीड को पूरा कर सकते हैं। जैसे छात्रावास सम्पन्न वर्ग के बच्चों को मिलते हैं, वैसे छात्रावास वे नहीं हैं बलिक सामान्य से भी कम हैं। इसलिए इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, हरिजन आदिवासी छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि छात्रवृत्ति उनके लिए नाममात्र की प्रतीत होती है। दूसरे, वह सभी छात्रों और छात्राओं को नहीं दी जाती, किसी स्कूल में 20 प्रतिशत को, किसी में 25 प्रतिशत को और किसी स्कूल में 30 प्रतिशत छात्रों को ही मिल पाती है। मेरा निवेदन है कि जितने हरिजन और आदिवासी बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उन सबको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और इस काम के लिए हमें एक एकीकृत योजना बनानी चाहिए जिसके तहत उनको पूरा लाभ मिल सके। इसके अलावा उनके लिए बुक बैंक भी तैयार किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से वे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। वरना समाज का ऐसा दिमाग बनता है कि वे लोग अमुक स्थान से पढ़ कर आ रहे हैं वहां से पढ़कर के आ रहे हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसी कोई बात न हो।

जहां तक रिजर्वेशन और दूसरी सुविधाओं का सम्बन्ध है, सरकार ने उनको इसीलिए दी थीं क्योंकि यह वर्ग समाज में दूसरे वर्गों से पीछे रह गया था, राजनैतिक और सामाजिक आधार

पर उनको बढ़ावा देने के लिए ये सारे प्रावधान किए गए थे। मैं चाहता हूं कि यदि सरकार उनको बढ़ावा देना ही चाहती है तो पूरा बढ़ावा दिया जाना चाहिए अन्यथा उनको लाभ नहीं होगा।

श्रीमन्, जहां तक छुआछूत मिटाने का सम्बन्ध है, पहले से स्थिति बहुत बदल चुकी है। कुछ हमारे यहां अन्तर्जातीय विवाह भी हुए हैं, कुछ अन्तर-धर्म विवाह भी हुए हैं और उसमें सरकार की तरफ से कुछ इन्सेंन्टिव भी दिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन इन्सेंन्टिव्ज को और भी बढ़ाया जाना चाहिए। तभी यह प्रवृत्ति और आगे बढ़ सकेगी।

यहां कुछ बहनों ने चर्चा की कि समाज से दहेज प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए लेकिन उसका समापन तभी सम्भव है जब लड़का लड़की से और लड़की लड़के से अपने आप शादी करे। यदि माता-पिता का उसमें हाथ रहेगा तो हम इस कुप्रथा से छुटकारा नहीं पा सकते और यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए सोसायटी में अन्तर्जातीय विवाह और अन्तर-धर्म विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है।

यहां पर विकलांगों के बारे में काफी कुछ प्रावधान किया गया है लेकिन हम लोग विकलांग छात्रों को तालीम देकर जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको काम धंधे सिखाकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं, उसके पीछे मूल भावना यही है कि वे लोग समाज में कमजोर वर्ग में आते हैं और इसीलिए सरकार उनको सहायता देना चाहती है। हमारे राजस्थान में तो विकलांगों के लिए सर्विसेज और दूसरे स्थानों में दो प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया गया है लेकिन मैं देखता हूं कि यह रिजर्वेशन देश के अन्य स्थानों पर नहीं है। मैं चाहता हूं कि वैसे तो उनके लिए दो प्रतिशत रिजर्वेशन भी नाकाफी है, लेकिन इतना तो कम से कम उनके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की ओर से किया ही जाना चाहिए। यदि सम्भव हो तो इस प्रतिशत को और भी ज्यादा किया जा सकता है।

श्रीमन्, इसी तरह जहां तक वृद्ध और अशक्त लोगों का प्रश्न है, उनकी सहायता के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की ओर से दो-तीन तरीके की योजनाएं बनायी गयी हैं, कुछ लोगों को तो पेंशन दी जा रही है जो कि वृद्ध हो गए हैं और जो लोग अशक्त हैं, कुछ ऐसे लोगों के लिए आवास या छात्रावास खोले गए हैं। मेरा निवेदन है कि पेंशन के रूप में जो उनको 40 रुपया दिया जाता है, वह बहुत ही कम है और बिल्कुल नाकाफी है। उसको बढ़ाकर कम से कम 100 रुपये महावार किया जाना चाहिए ताकि वे अपना जीवन-यापन ठीक से कर सकें।

दूसरा, जो छात्रावास उनके लिए रखे गए हैं, विकलांग और अशक्त जिनके नाम हैं, उनमें भी ऐसी सुविधायें रखिए जो वृद्ध और अशक्त अवस्था के हों उनको जो भी कुछ खाना मिले वह ऐसा होना चाहिए कि वे उसको चबा सकें और उसको वे टेस्ट लेकर खा सकें, वरना आज तो उनकी व्यवस्था कोई अच्छी और सुधरी हुई नहीं है।

श्रीमान, दो बातें मैं और कहना चाहता हूं। एक तो यह कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए एक यह प्रावधान सरकार की ओर से है कि उनके ऊपर जुल्म होता है, या उनके ऊपर ज्यादती होती है, तो उसके लिए उनको लीगल एड सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन यह लीगल एड कुछ इतनी काम्प्लिकेटेड हो गई है, उसको इतना उलझा

दिया गया है कि वह लीगल एड उन तक पहुंच नहीं पाती, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उनको सिम्पलीफाई किया जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को उसका लाभ मिल सके।

दूसरी बात यह है कि जो आवास समितियां बनाई गई हैं, जो व्यवस्था इन गरीब तबकों के लिए राज्य की तरफ से है, उसमें देखा जाता है कि उनको एक-दो किस्त दे देते हैं, उसके बाद कुछ न कुछ अड़ंगा ऐसा खड़ा कर देते हैं जिससे वह मकान तो पूरा बना नहीं पाते हैं, बल्कि उपहास के पात्र हो जाते हैं। इसलिए सरकारी मशीनरी को या जो इस काम के लिए हैं, उनको इस प्रकार के निर्देश विशेष रूप से दिए जाएं कि जो मकान बनने चालू हुए हैं उनको पूरा-पूरा बनाकर छोड़ा जाए। उनको बीच में ही धन अभाव के कारण न छोड़ा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : हमारे संविधान में, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है :—

> "राज्य अपने लोगों के आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

परन्तु दुर्भाग्यवश, हमारी स्वतन्त्रता और स्व-शासन के 37 वर्ष बाद मुझे खेद है कि हम कथित उद्देश्य के निकट भी नहीं पहुंच पाये हैं। वास्तव में कैलॉरी और प्रोटीन की कमी छोटे बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। प्रोटीन की कमी से बच्चों की कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है जो मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे मानसिक विकास में बाधा पड़ती है और वास्तव में 1951 में, देश में प्रतिदिन प्रोटीन की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता 2.15 औंस थी जबकि 1974 में हमें प्रतिदिन केवल 1.4 औंस प्रति व्यक्ति ही मिल पाई। इसका अर्थ यह हुआ कि इस देश के बच्चे, जो इस देश के भावी नागरिक हैं, इस सरकार की असफलता के कारण पर्याप्त प्रोटीनयुक्त पोषणाहार से वंचित हैं। कुपोषण से बच्चों में रोग के संक्रम से मुकाबला करने की क्षमता कम हो जाती है।

अत्यधिक गरीबी के कारण देश में जिस प्रकार कुपोषण हो रहा है उससे अनेक बीमारियों आती हैं और लाखों लोग मर जाते हैं। इस सत्र में भी मंत्री महोदय ने बताया है कि लगभग 53 प्रतिशत ग्रामीण लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। हमारे ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल जाने से पहले की आयु के हमारे लगभग 10 प्रतिशत बच्चे सदैव बीमार रहते हैं और पर्याप्त पोषण के अभाव में देश में प्रति वर्ष लाखों गर्भवती महिलाएं तथा पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे मर रहे हैं। आप भलीभांति जानते हैं कि दूध विशेषकर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण आहार है। यद्यपि 1951 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 132 ग्राम थी जबकि यह 1974 में घटकर 110 ग्राम रह गई है। पिछले दिन ही मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में हमें

जानकारी दी थी कि वर्ष 1951 में देश में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 48.2 किलोग्राम थी और वर्ष 1981 में अर्थात् 30 वर्षों के बाद यह कम होकर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 41.1 कि० ग्रा० रह गई। अर्थात् हमारे डेरी उद्योग में किये गये प्रयासों से स्थिति का मुकाबला नहीं किया जा सका, देश की मांगें पूरी नहीं की जा सकीं। लगभग 15,000 बच्चे अपनी खुराक में विटामिन-ए की कमी के प्रति वर्ष अन्धे हो रहे हैं।

हमारे यह कहने के बावजूद कि भिक्षावृति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, हम जमीन के हर इंच पर एक आदमी को भीख मांगता हुआ देखते हैं—यदि हमें कोई भिखारी नहीं मिला तो हमें आश्चर्य होगा। उत्तर भारत में ठंडे मौसम से पर्याप्त रक्षा के अभाव में अनेक लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं। सरकार को इस कटु वास्तविकता की जानकारी है। इन परिस्थितियों में बच्चों का स्वास्थ्य सुधार के लिए 129 करोड़ रुपये के नियतन से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? हां, इतना अवश्य है कि सरकार ने यह माना है कि इसे प्रथम प्राथमिकता के रूप में लिया जाना चाहिये। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि जो धन-राशियां दी गई हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के बारे में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। मैं उनके द्वारा किये गये कार्य की सराहना करता हूं परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि संस्थाओं की संख्या बढ़ाने और उनके कार्यकरण का क्षेत्र बढ़ाने तथा उन संस्थाओं के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में अपने उस अनुभव के बारे में सरकार को बताना चाहूंगा जो स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषक आहार प्रदान करने के बारे में है; स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भोजन प्रदान करने पर तमिलनाडु सरकार 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है और हमारी आन्ध्र प्रदेश सरकार लगभग 53 करोड़ रुपये खर्च कर रही है जिसका उद्देश्य बच्चों को पोषक आहार प्रदान करना है जिनमें से अधिकांश बच्चे हरिजनों, पिछड़े वर्गों और समाज के गरीब लोगों के हैं। चूंकि 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं इसलिये हमारी सरकार ने कार्यक्रम आरम्भ किया है। मैं सुझाव देता हूं कि केन्द्रीय सरकार को आगे आकर इस मद पर अपनी निधियों से 50 प्रतिशत व्यय उपलब्ध कराना चाहिये।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों की विधवाओं की दशाओं पर विचार कीजिए। उसका पति नहीं है और बच्चे उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं तो उसकी क्या दशा होगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वृद्ध विधवाओं को पेंशन देने की योजना चलाई है। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार इस योजना के उद्देश्यों को समझे और इस योजना को भारत सरकार की योजना के रूप में स्वीकार करे तथा सभी राज्यों में यह कार्यक्रम चलाये और गरीब विधवाओं को पेंशन प्रदान करे।

महोदय, स्वतन्त्रता के 37 वर्षों के बाद भी करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होने के समय बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे हैरानी है कि महिला कल्याण के एक कार्यक्रम के रूप में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय के विचार से क्यों नहीं स्वीकार किया गया है। मंत्री महोदय को यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि पांच लाख अठहत्तर हजार गांवों में से कितने गांवों में महिलाओं के लिए कम से कम एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की गई है।

जहां तक प्रावधान का सम्बन्ध है, यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु और गुजरात को छोड़कर राज्य सरकारें 'अरॉक' और 'टॉडी' पर उत्पाद-शुल्क को आय उत्पन्न करने वाले उपायों के रूप में ले रही हैं। इसका अत्यन्त भयावह और शोचनीय पहलू यह है कि युवक भी जो अवयस्क हैं, इस दुर्भाग्यपूर्ण बुराई की लत के शिकार हो जाते हैं जिसके विरुद्ध राष्ट्र-पिता अपने जीवनपर्यन्त लड़ाई लड़ते रहे।

महोदय, नौकरी-पेशा महिलाओं के लिए महिला होस्टलों के निर्माण के लिए धनराशि के नियतन में वृद्धि की जानी चाहिए। बाल सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और असहाय महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु धनराशि के नियतन में वृद्धि कीजिए। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा सेवा समिति बहुत अच्छी सेवा कर रही है। सरकार ने उसे पुरस्कार दिया है। अकेली सरकार ये सब कल्याण-कार्य नहीं सकती इसलिए कई अन्य कल्याणकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना होगा। इस सम्बन्ध में आपको स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल करना होगा। सरकार को ऐसी फिल्मों पर कड़ा सेंसर लगा देना चाहिए जिनमें अपराध और यौन दर्शाया गया हो। इन फिल्मों का समाज में बहुत ही छोटे-छोटे बच्चों के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि 129 करोड़ रुपये का नियतन बहुत ही थोड़ा है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

स्कैंडिनेवियन देशों में गर्भ से कब्र तक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है। उस स्तर तक पहुंचने में इस देश को कई वर्ष और लग सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह समृद्ध व्यक्तियों पर सामाजिक कर लगाये। आपने करोड़पतियों, उद्योगपतियों और बड़े-बड़े घरानों की आय पर आय कर की दर कम की है। उनकी सैकड़ों करोड़ रुपये की आय है। उनकी आय कर की दर कम की गई है अब मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वह समृद्ध व्यक्तियों पर यह सामाजिक कर लगाये। इस सामाजिक कर की वसूली से प्राप्त राशि का ऐसी गर्भवती महिलाओं को भोजन प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जिन्हें न केवल अपनी ही अपितु गर्भ में जो बच्चे हैं उनकी भी देखभाल करनी होती है। अतः यह समय की जोरदार पुकार है। इस समय सरकार को विद्यमान संसाधनों से इन सब कामों के लिए अपने बजट में से आवश्यक धनराशियां प्रदान करने में कठिनाई हो सकती है। अतः मैं यह सामाजिक कर लगाने की प्रस्ताव करता हूं। ऐसा दूसरे देशों में किया जाता है और वहां के लोग यह कर बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक देते हैं। हमारे देश में सामाजिक कर के रूप में जो राशि वसूल की जायेगी, उसका गरीब गर्भवती महिलाओं, विशेषकर समाज के पददलित और कमजोर वर्गों की महिलाओं, पर खर्च किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जल्दी ही सामाजिक कर लगाने का प्रस्ताव लाये।

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं सभापति का धन्यवाद करती हूं।

सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने महिलाओं और बच्चों की समस्याओं और कल्याण की देखभाल करने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है। यह मन्त्रालय ऐसी व्यक्ति के हाथों में सौंपा गया है जो इन समस्याओं के प्रति अपनी जागरूकता के लिए प्रसिद्ध

है, जो महिलाओं और बच्चों की दशा सुधारने के लिए गहरी सद्भावना रखती हैं और कठिन परिश्रम करती हैं।

इस मंत्रालय के गठन से इस देश की दुखी महिलाओं, जो लगभग 36 करोड़ 50 लाख हैं, को नई आशा मिली है। हमारे देश के विकास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के दिनों से ही महिलाओं द्वारा अदा की गई भूमिका को इससे मान्यता मिलती है। इसके इलावा ऐसे देश में, जहां की आधी जनसंख्या गरीबी के रेखा से नीचे है, हमारी महिलाओं, जिन्हें भर-पेट खाना नहीं मिलता है, जो कम शिक्षित हैं और पुरुषों की अपेक्षा जिनको रोग जल्दी घेर लेते हैं, द्वारा चुपचाप सही जा रही तकलीफों को महत्व दिया गया है। हाल में ही किए गए अध्ययन का अनुमान है कि तीसरे विश्व के देशों में परिवार में महिलाओं द्वारा किये गये श्रम, जिसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता है, ईंधन की लकड़ियां और पानी लाने, घरेलू कार्य करने, बच्चों का पालन-पोषण करने पशुओं को पालने और शेष काम करने इन सबको मिलाकर महिलाओं का योगदान धन के संदर्भ में तीस 'ट्रिलियन' डालर से भी अधिक बनता है। भारत में यह राशि कितनी होगी, इसका अनुमान हमारे पास नहीं है। परन्तु यह हजारों करोड़ रुपये बैठता है। यह श्रम को जिसके बदले कुछ नहीं मिलता है, धन राशि में आंका जाये तो 'बिना किसी प्रतिफल के किए गए इस कार्य' से हमारी राष्ट्रीय आय 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ेगी। हम महिलाओं के रहन-सहन की दशा सुधारने में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? शायद हम यह कार्य रसोई घर से आरम्भ कर सकते हैं और कोल्हू के बैल की तरह घर के काम के बोझ को हटाकर यह कार्य कर सकते हैं। अनेक वर्षों पहले हमारी महिलाओं में अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने महसूस की थी और उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में महिलाओं द्वारा किए जाने वाली कड़ी मेहनत के अनुसंधान के लिए एक सैल बनाया था। लगन से किए गये इस अनुसंधान के नए-नए परिणाम निकले हैं। एक परिणाम है धुंआरहित चूल्हा। मेरा सुझाव है कि प्रतिवर्ष राज-सहायता प्राप्त धुएं-रहित लाखों चूल्हे वितरित करने का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि पांच वर्षों में गांवों के पचास लाख घरों में महिलाओं को प्रतिदिन धुएं का सामना करने से बचाया जा सके जिससे उनकी आंखें खराब होती हैं और उन्हें क्षय रोग जैसे रोग लग जाते हैं।

यदि हमारे महिला कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी, थकावट, कुपोषण, निरक्षरता आदि जिनसे हमारी महिलायें ग्रसित हैं, के भार को समाप्त करना है तो गांवों के घरों से यह कार्य आरम्भ करना होगा। महिलाओं को ईंधन की लकड़ी का बजन ढोने और पानी लाने के कामों से मुक्ति दिलाने के लिए ठोस कार्यवाही योजना बनानी होगी। अब समय आ गया है जब हम समुदायिक बायोगैस संयंत्रों का प्रयोग करें और नलकूपों की संख्या में भी वृद्धि करें। इसके अलावा एक ओर गांवों में सफाई के कार्य को बायो-गैस उत्पन्न करने के कार्य के साथ जोड़कर तथा दूसरी ओर सामाजिक वानिकी, कार्बनिक खाद की सप्लाई तथा अन्य लाभ पहुंचा कर इस कार्यक्रम द्वारा गांवों में आर्थिक सुधार करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने में योगदान मिलेगा। ऐसे कार्यक्रम को हमारी योजना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

छोटी आयु की लड़कियों को भी इस कार्य पर लगाया जाता है और इसके अलावा उन्हें घर में शिशुओं की देखभाल करने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण लड़कियों की साक्षरता कम है और स्कूल छोड़ने की दर अधिक है।

मेरे विचार से महिलाओं को निरक्षरता, अज्ञानता तथा निर्धनता के चुंगल से मुक्त करने के लिए ठोस अभियान चलाया जाना चाहिए। बच्चों के लिए काम के स्थान पर ही शिक्षा का आयोजन करने में स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इससे शिक्षण कक्षाओं में आने के लिए लड़कियां भी आकर्षित होंगी। इससे शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए गांवों में शिशु-केन्द्र खोलने से, जिसमें वर्दियां और दोपहर का खाना दिया जाये, दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी।

हम महिलाओं के कल्याण कार्यों को तब तक और अधिक आगे नहीं बढ़ा सकते, जब तक दो अन्य चीजें नहीं की जातीं। एक, महिलाओं के लिए पूरक पोषण तथा प्रसवोत्तर देख-रेख कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अंग होना चाहिए और यह कार्यक्रम एक अनिवार्य दायित्व के रूप में अधिकांश गांवों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और उसे बहाल करने में काफी सहायता मिलेगी। दूसरे, बाल विवाह तथा दहेज जैसी अहितकर प्रथाओं के विरुद्ध अभियान तेज किया जाना चाहिए। पिछले दिन इस सभा को यह जानकर हैरानी हुई होगी कि अकेले राजस्थान में मध्य अप्रैल में ही 40,000 बाल विवाह सम्पन्न हुए। कुछ विवाह तो ऐसे थे जिनमें दुर्भाग्यशाली दुल्हनें अभी अपने पालने से ही बाहर निकली थीं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम के बावजूद यह सब हुआ। दहेज के खिलाफ भी एक कानून है। फिर भी लापरवाही से ऐसी घटनायें हो रही हैं जैसे कि कानून लागू करने वाली एजेंसी मौन खड़ी देख रही है। इन प्रथाओं के विरुद्ध सामाजिक चेतना जगानी है। यह कार्य भी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जा सकता है।

भारतीय सामाजिक क्रांति, जो राष्ट्रीय आन्दोलन से पहले आरम्भ हुई थी और जिसने इसे बढ़ावा दिया, महिलाओं की मुक्ति के लिए काफी कुछ किया। परन्तु, दुर्भाग्यवश, जो चिनगारी इसने जलाई थी, वह बुझ गई प्रतीत होती है, जबकि महिलाओं के जलने की रोजमर्रा की रिपोर्टों से सुधार की उस प्रवृत्ति को पुनः जागृत करने की आवश्यकता महसूस होती है। मंत्रालय चुनिंदा आधार पर राशि देकर, सुधार की प्रवृत्ति जागृत करने में सहायता कर सकता है, ताकि लाखों लोगों का जो पारम्परिक बन्धनों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उद्धार हो सके।

महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली कामचलाऊ साक्षरता के लिए और कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल की व्यवस्था के लिए योजना भी शामिल है। जहां तक वयस्क शिक्षा के कार्य का प्रश्न है मुझे इससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाल ही में बिहार में मधुबनी के एक उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट ने इस कार्य को एक मजाक बताया है।

बिहार में कामकाजी महिलाओं के लिए दो होस्टल हैं, जो अपर्याप्त हैं। हमें ज्यादा होस्टलों की आवश्यकता है।

इस मंत्रालय के पास अनेक कार्य हैं। एक समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत पूरक पौष्टिकता, स्वास्थ्य जांच तथा अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए आंगनवाड़ियां हैं। मुझे ऐसी दो आंगनवाड़ियों का

दौरा करने का सौभाग्य मिला। वहां बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाना अपेक्षित है। परंतु मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि इन दोनों स्थानों पर मुझे पिसा हुआ दलिया दिखाया गया जिसमें कीड़े थे। मैं जान सकती हूं कि क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां तो किस्म सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। मद्यनिषेध कार्यक्रम को कार्यान्वित करना और घटिया दवाइयों को बाजार में आने से रोकना भी इस मंत्रालय से अपेक्षित है।

महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यन्त खेद हो रहा है कि मद्य-निषेध की नीति लगभग छोड़ दी गई है और सरकार ने सार्वजनिक हित के विरुद्ध शिक्षण संस्थाओं के आसपास भी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।

दिल्ली में भी, बहुत से लोग नकली शराब के शिकार हुए हैं और मरे हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इस प्रकार की शराब की बिक्री रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? क्या मद्य-निषेध को कड़ाई से लागू करने का सरकार का प्रस्ताव है?

मंत्रालय के पास अनेक किस्म के काम हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत से अन्य विभाग और मंत्रालय कल्याणकारी गतिविधियों में लगे हैं। हमें आश्वासन दिया गया है कि यह मंत्रालय इन सब गतिविधियों के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। परन्तु, अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कैसे कार्य किया जायेगा? क्या अन्तर्मंत्रालय समितियां गठित की जायेंगी, जैसे लड़कियों की शिक्षा और उनके दाखिले के सम्बन्ध में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति, पीने के पानी और सफाई के बारे में स्वास्थ्य और सफाई के बारे में स्वास्थ्य और निर्माण तथा आवास मंत्रालय की समिति। कार्यशैली काफी ऊंचे स्तर पर तैयार की जानी है ताकि जो भी योजनायें हों उन्हें कारगर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके और जो भी राशि आबंटित की जाए उसका समुचित उपयोग हो।

कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्विति के सम्बन्ध में हमारा अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं है। पिछले दिन ही बिहार के एक समाचार-पत्र में एक पत्रकार की रिपोर्ट देखी कि **'पहाड़ियों'** के कल्याण के प्रयोजनार्थ राशि का कैसे दुरुपयोग किया गया। इसलिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चालू की गई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए उच्चाधिकार प्राप्त एक निकाय होना चाहिए। इस प्रकार का निकाय राशि का आबंटन और उसका सही उपयोग भी सुनिश्चित करेगा।

अन्त में, मैं विकास नीतियों के बारे में अपना सुझाव दोहराऊंगी। हमें यह देखना चाहिए कि जब नीतियां कार्यान्वित की जायें तो वे महिलाओं के विरुद्ध न हों। विकास प्रक्रिया में महिलाओं के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसे व्यवसायों से निकाला न जाए, जिनके लिए वे अत्यन्त उपयुक्त हैं। आधुनिकीकरण योजनाओं के फलस्वरूप महिलाओं को उनके पारम्परिक व्यवसायों से वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना वंचित न होने दिया जाए। आप यह सुनिश्चित करें और आप लाखों महिलाओं और देशवासियों के आभार के भागी बनें।

****कुमारी डी०के० ताराबेवी (चिकमगलूर)** : सभापति महोदय, इस सरकार ने सत्ता में आने के तुरन्त पश्चात महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए पहली बार एक नया मंत्रालय स्थापित किया है। भारत के राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार समाज और महिलाओं के कल्याण के लिए एक नयी नीति बनायेगी। इससे महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए हमारे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के उत्साह और जोश का पता चलता है।

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय के पास महिलाओं, बच्चों और विकलांग लोगों के विकास के लिए अनेक प्रगतिशील कार्यक्रम हैं। परन्तु, हैरानी की बात यह है कि पिछले वर्ष 1984-85 में समाज और महिला कल्याण के लिए 92 करोड़ रुपए की अल्प राशि स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष (1985-86) भी इस मंत्रालय के लिए केवल 129 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह राशि इस प्रयोजनार्थ बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।

महिलाओं को दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक ओर, गांवों में गरीबी है और महिलाएं निरक्षर हैं और दूसरी ओर शहरों में महिलाएं शिक्षित हैं, लेकिन वे बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। सदियों से भारत में महिलाओं की पूजा की जाती रही है। महिला एक ऐसी सार्वभौम 'शक्ति' है, जिसके चारों ओर विश्व घूमता है। वह जगदम्बा है जो तमाम विश्व द्वारा पूज्या है।

परन्तु, दुर्भाग्यवश, हमारे देश के कई भागों में वेश्यावृत्ति प्रचलित है। लड़कियों की बिक्री ने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। इस व्यापार के लिए उत्तरदायी तीन कारण हैं, गरीबी, अज्ञानता और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी। महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ करोड़ रुपए मंजूर कर लेने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करती हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं अलग किस्म की समस्याओं का सामना करती हैं, परन्तु समस्याएं उतनी ही गम्भीर हैं। शहरों में, महिलाएं औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षण संस्थाओं में तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इन सभी क्षेत्रों में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं की विषमता को देखते हुए केन्द्र ने इन समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका व्यावहारिक समाधान ढूंढने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। मैं इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करती हूं। मेरा सुझाव है कि समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने में केन्द्र की सहायता करने के लिए एक आयोग स्थापित किया जाए। आयोग को उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का सुझाव देना चाहिए जो महिलाओं का शोषण करते हैं। केवल तभी महिलाओं की प्रतिष्ठा बनी रह सकती है।

केन्द्र उद्योगों में भारी राशि लगा रहा है। यदि केन्द्र इसी प्रकार का प्रोत्साहन महिलाओं को दे तो वे आगे बढ़ सकती हैं। महिलाओं द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने के मामले बहुत ही विरले हैं। इसलिए, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हें केन्द्र से सभी सहायता दी जानी चाहिए। लघु उद्योग स्थापित करने के लिए युवा महिला उद्यमियों को ग्राम स्तर पर तथा तालुक स्तर

**कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पर बिना ब्याज के ऋण दिया जाना चाहिए। हालांकि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं, उनका कोई संगठित क्षेत्र नहीं है। वे कारखानों में काम करती हैं। वे ऐसे सभी कार्य करती हैं जो शारीरिक रूप से श्रमसाध्य हैं। परन्तु, विडम्बना यह है कि उन्हें पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता। महिलाओं को समान वेतन दिये जाने के बारे में हम सरकार के अनेक लेख और निर्णय पढ़ते हैं। परन्तु, वास्तव में, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह समान वेतन की नीति को लागू करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

अभी हाल ही में समाचार-पत्रों में आया है कि प्रति वर्ष तीन लाख से भी अधिक लड़कियां नेपाल से भारत लाई जाती हैं। बेईमान लोग लड़कियों को रोजगार दिलाने का आश्वासन देते हैं और उनको बेच देते हैं। इस प्रकार उन्हें धोखा दिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। कर्णाटका और हमारे देश के कुछ अन्य भागों में "देवदासी" प्रथा अभी भी प्रचलित है। महिलाओं का धर्म और ईश्वर के नाम पर शोषण किया जाता है। हमें महिलाओं को विशेष कर नगरीय क्षेत्रों में दी जा रही शिक्षा पर गर्व है। बहुत-सी महिलाएं डाक्टर और इंजीनियर हैं। महिलाएं राज्य विधायक और सांसद हैं परन्तु ऐसे समाज में हम वेश्यावृत्ति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ऐसी घटनाएं होने देना सरकार के लिए शर्म की बात है। हम यहां बहुत से भाषण देते हैं। हमें भी शर्म के मारे अपने सिर नीचे झुकाने पड़ते हैं। मैंने वेश्यावृत्ति क्षेत्र (रेडलाइट एरिया) के बारे में समाचार-पत्रों में अनेक समाचार पढ़ने के बाद बम्बई की यात्रा की। उस क्षेत्र में मैं पैदल चल कर गलियों में गई और मुझे 13 से 16 वर्ष की आयु की जवान तथा भोली-भाली लड़कियों को भद्दी और अश्लील मुद्राओं में खड़ा देखकर धक्का लगा। हम आदर्शों की बात करते हैं। साथ ही, हमारे देश में देह-व्यापार जैसे जघन्य अपराध बेरोक टोक जारी हैं। अब समय आ गया है जब हम इन अमानवीय गतिविधियों को समाप्त करने के लिए तुरन्त उपाय करें। इस सम्बन्ध में केवल सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट देना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे गिरोह चलाने वाले लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए।

स्वयंसेवी संगठनों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे बच्चों के कल्याण के लिए आगे आयें। दुर्भाग्यवश, इस सम्बन्ध में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। विशेषकर, तालुक स्तरपर और ग्राम स्तर पर ये स्वयंसेवी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जिन महिलाओं को इस बारे में ज्ञान है और जो बुद्धिमान हैं उनको ऐसी गतिविधियों के लिए आगे आना चाहिए। परन्तु समृद्ध तथा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनेक महिलाएं ऐसे संगठनों में गहन रुचि नहीं ले रहे हैं। महिला नेतृत्व में भी तेजी से विकास होना चाहिए। मुझे परिवार और बाल कल्याण परियोजना के सभापति के रूप में इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। मैंने बच्चों की समस्याओं का अध्ययन किया है। अतः मैं कहूंगी कि राज्य और केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों से ही समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इन अनुदानों का उचित उपयोग एक महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार को इन धनराशियों का उपयोग करने के लिए उचित रूप से योजना बनानी चाहिए। जिला स्तर पर निदेशक तथा अन्य अधिकारी होते हैं परन्तु मैं मांग करती हूं कि बाल विकास केन्द्र तालुक स्तर पर स्थापित किये जाने चाहिएं। तभी कार्यकर्ता, अधिकारी तथा सहायक बच्चों की समस्याओं को समझने में लोगों के निकट आ सकते हैं। वे जरूरमंद बच्चों की बेहतर ढंग से

सेवा कर सकते हैं। महोदय, आपने मुझे बोलने का जो यह अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं तथा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : महोदय, मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह अच्छी बात है कि सरकार ने इस मंत्रालय का नाम बदल कर समाज और महिला कल्याण मंत्रालय रखा है जो इस बात का द्योतक है कि सरकार हमारे देश की महिलाओं की भलाई और कल्याण तथा अनेक विकास से सम्बन्धित अन्य मुद्दों के सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्य-वाही करने को उत्सुक है। हमारे देश में पीढ़ियों से महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। विभिन्न प्रश्नों पर उनके विचार और प्रवृत्ति अनेक पहलुओं में पुरुष सदस्यों की तुलना में श्रेयस्कर हैं और उनकी संख्या भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। फिर भी पुरुष पीढ़ियों से समाज पर हावी रहे हैं और इस प्रकार महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर ही रहने के लिए विवश करते रहे हैं।

परन्तु स्वाधीनता के बाद महिलाओं को समान अधिकार देने तथा उनको पुरुषों के समान बनाने में काफी प्रगति हुई है जैसाकि हमारे संविधान में ऐसा निर्दिष्ट है। अब जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नया मंत्रालय बनाकर नई शुरूआत की गई है। मैं अपने भाषण में केवल दो-तीन बातों पर ही बोलूंगा।

प्रौढ़ महिला शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, 18 से 30 वर्ष की आयु की प्रौढ़ महिलाओं, जिन्होंने स्कूल में थोड़ी पढ़ाई की हो, को मिडिल स्कूल अथवा मैट्रिक परीक्षा के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में, मैं सुझाव दूंगा कि जो महिलाएं दो वर्षों के भीतर पास नहीं कर पाती हैं, उनको परीक्षा में प्रतियोगिता में बैठने का एक और अवसर दिया जाना चाहिये तथा उनको होस्टलों में रहने की अनुमति दी जानी चाहिये। यहां तक कि तीसरे वर्ष में भी यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाती है तो उसे नॉन रेजिडेंशियल अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। परीक्षा शुल्क मंत्रालय द्वारा वहन किया जाना चाहिये। 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग को घटा कर 15 से 30 वर्ष तक किया जाना चाहिए।

परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनके रोजगार आदि की कोई परवाह नहीं करता है। मंत्रा-लय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए कि उनको उपयुक्त ढंग से समायोजित किया जा सके। इस संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को मिडिल अथवा हाई स्कूल परीक्षा तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं सुझाव दूंगा कि अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

इस समय देश में नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बहुत ही कम होस्टल हैं। उनमें से अधिकतर राज्य मुख्यालयों अथवा बड़े शहरों में स्थित हैं। स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित होस्टलों की कुल संख्या केवल 58 है जो हमारे देश में नौकरी पेशा महिलाओं की संख्या को देखते हुए बहुत ही कम है। अतः मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में

नौकरी पेशा महिलाओं के लिए होस्टल होना चाहिये। सरकारी उपक्रमों से भी अपने परिसर (कैम्पस) में नौकरी पेशा महिलाओं के लिए कम से कम एक होस्टल खोलने के लिए कहा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की सभी महिलाओं को इन होस्टलों में रहने दिया जाये, क्योंकि उनकी संख्या किसी भी तरह बहुत अधिक नहीं होगी।

यह योजना ऐसी दीन-हीन महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है जिन्हें आश्रय और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। परन्तु उनकी भी संख्या बहुत ही कम है। इस योजना का भली-भाँति प्रचार नहीं किया गया है और लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अतः इसका पूरा-पूरा प्रचार किया जाना चाहिए और जो स्वयंसेवी संगठन ऐसे 'होम' चलाते हैं उनको पर्याप्त सहायता तथा समर्थन सेवा प्रदान की जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में असहाय महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए कम से कम एक 'होम' होना चाहिए जिसे सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिये और प्रत्येक ब्लॉक में एक ऐसा 'होम' होना चाहिये जिसे केन्द्र की सहायता से स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाया जाना चाहिये।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि जहाँ कोई नौकरी पेशा महिला किसी योजना के अन्तर्गत किसी सरकारी भूखंड या फ्लैट के लिए अपने नाम से आवेदन करे वहाँ उस विशेष श्रेणी के भूखंड अथवा फ्लैट की पात्रता के लिए उसके पति की आय नहीं मांगी जानी चाहिए। यदि इस बात पर सहमति हो जाती है तो महिलाएं भी अपने पुरुषों के समकक्ष समान ही सम्पत्ति, फ्लैट या भूमि की मालिक भी बन जायेंगी।

नेत्रहीनों तथा अन्य विकलांगों के कल्याण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं और ना ही धनराशियां निर्धारित की गई हैं। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन लोगों को रोजगार आदि में उनका कोटा मिले और उसे भरा जाये। इन लोगों की सहायता के लिए पुनर्वास कार्यक्रम भी तेजी से चलाये जायें।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : इस समाज में जो असंतुलन है उसे न केवल कमजोर वर्गों के हित में ही अपितु समूचे राष्ट्र के हित में भी दूर करना होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि अनुसूचित जातियां और जनजातियाँ तथा पिछड़े वर्ग न केवल कृषि श्रमिक ही प्रदान करते हैं अपितु उद्योग धंधे चलाने के लिए भी श्रमिक प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये वर्ग राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का साधन उपलब्ध कराते हैं। ये वर्ग अनादि काल से समाज के सभी गंदे कामों का उत्तरदायित्व वहन करते रहे हैं, मैला साफ करने, सफाई करने, कपड़े धोने, जूते गाँठने जैसे कामों से समाज को आराम और स्वच्छता अवश्य मिलती है। समाज का वह महत्वपूर्ण वर्ग, जो ये आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है, स्वाधीनता के तीन दशकों के बाद भी आर्थिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कष्ट भोगता जा रहा है। यह समग्र राष्ट्र प्रगति में बाधक है। समूचा समाज सामान्यतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने और उनको जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बाध्य है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई गहन रुचि नहीं है कि कल्याणकारी उपाय इन लोगों तक पहुंचे।

प्रौद्योगिकी प्रगति से भी हम अतिरिक्त धंधे और व्यवसाय उपलब्ध नहीं करा पाये हैं—मैला साफ करने वाले अपने सिर पर मैला ढोते हैं जो इस विश्व में अवमाननीय है।

सरकार ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया है। मंत्रालय द्वारा बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने तथा उचित स्वास्थ्य रक्षा का कार्य भी पर्याप्त रूप से आरम्भ नहीं किया गया है। यद्यपि सरकार द्वारा कागज पर ही बार-बार अनेक घोषणाएं की जाती हैं।

4.00 म० प०

महोदय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा उनकी प्रगति की दिशा में उनकी उन्नति की गति को तेज करने के लिए सरकार ने हाल ही में विशेष संघटक योजनायें आरम्भ की हैं। ये तथाकथित नयी योजनायें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों की सहायता करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गयी हैं। जिससे वे अपने आप आगे बढ़ सकें और समाज की समृद्धि में सहायता कर सकें।

पददलितों का समुचित प्रबोधन किए बिना ये योजनायें अथवा कार्यक्रम चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों, बेकार हो जायेंगे। यह मामला केवल अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का ही नहीं है, बल्कि यह पूर्ण रूप से सारे समाज और राष्ट्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

महोदय, शिक्षा एवं सामान्य सामाजिक मेल-जोल से युगों पुराने दमन, शोषण और निर्धनता से उन्हें छुटकारा मिलेगा और इससे वे सामान्य मानव जीवन बिता सकेंगे।

हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों पर होने वाले अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण उसमें सामाजिक जागरूकता का अभाव है। कानूनों को लागू करने वाली एजेंसियां बिल्कुल ही कारगर नहीं हैं। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार के विशिष्ट मामलों को कारगर ढंग से निपटने के लिए और शीघ्रता से विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाये।

सरकार इन वर्गों के लोगों के प्रति बरती जा रही असमानता तथा उन पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल रही है। यदि ऐसा होता रहा, तो मुझे भय है कि किसी दिन सारे राष्ट्र को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह एक आयोग गठित करे जो संविधान और विभिन्न विधियों के अन्तर्गत इन समुदायों के लोगों को समुचित संरक्षण दे। इस प्रस्तावित आयोग को समाज के इन कमजोर वर्गों के लाभ के लिए राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों पर निगरानी रखनी चाहिए और उनमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने चाहिए तथा उसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन पर भी निगरानी रखनी चाहिए।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की समस्यायें जटिल हैं, वे न केवल आर्थिक असमानता से ही, प्रत्युत सामाजिक लांछनों, युग पुराने दबावों और दमन से भी पीड़ित हैं। अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय को पद दलितों के उत्थान से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करने के लिए "विशेष संस्थाओं (सामाजिक संस्थाओं) की स्थापना करने का सुझाव देता हूं। इस उच्चतम निकाय में आयोजक, सर्वेक्ष तकनीकी विशेषज्ञ अतिरिक्त वरिष्ठ स्तर के व्यावसायिक व्यक्ति तथा एक सम्पर्क अधिकारी होना चाहिए ताकि अन्य विभागों और राज्यों के साथ सम्पर्क रखा जा सके।"

निरक्षरता की अधिक प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। स्नातकोत्तर स्तर तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार ने अपने आप को वचनबद्ध नहीं किया है। सरकार ने छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था तो की है, परन्तु भोजनव्यवस्था एवं आवास जैसी समुचित शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है। इससे छात्र हतोत्साहित हो जाते हैं।

पददलितों के उद्धार के लिए सरकार की योजनाओं को देखते हुए, मैं सरकार से जोर-दार शब्दों में अनुरोध करता हूं कि वह इन कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समयबद्ध योजना बनाये।

महोदय, सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं को समझने में विफल रही है। इसने आर्थिक असमानता को दूर करने की ओर कम ध्यान दिया है, किन्तु यह सामाजिक उस असमानता को दूर करने में विफल रही है जो इन समुदायों और जातियों के दमन और दबाव का मुख्य कारण है।

यद्यपि हमारे देश में लगभग 15 वर्ष तक एक महिला प्रधान मन्त्री रहीं तथापि महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। भारत के ग्रामीण भाग में विधवाओं और गर्भवती महिलाओं की समस्यायें बहुत ही दयनीय हैं। गर्भवती महिलायें खेतों में काम कर रही हैं, पत्थर काट रही हैं, मिट्टी हटा रही हैं और सड़कों को पक्का कर रही हैं ताकि दो जून का भोजन प्राप्त हो सके और वे महिला दशक में भी उपेक्षित हैं। भारतीय ग्रामीण महिलाओं को शौच आदि जाने के लिए एकान्त स्थान प्राप्त नहीं है।

माताओं और बच्चों को जननीय वृद्धि और विकास के लिए अतिरिक्त आवश्यकतायें होती हैं। जैविक रूप से उन पर वातावरण संबंधी प्रभाव अधिक पड़ता है। अतः गर्भ, शिशु-जन्म तथा शैशव के सम्बन्ध में सामान्य स्वास्थ्य उपायों के अतिरिक्त विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह ग्रामीण महिलाओं को शिशु प्रजनन के समय प्रस्तुती वित्तीय सहायता दे जैसाकि कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है।

महोदय, महिलाओं की उन्नति के लिए तथा जीवन स्तर को सुधारने हेतु स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही आवश्यक हैं। शिक्षा आर्थिक और सामाजिक उन्नति की आकांक्षा को दृढ़ करती है। अतः सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए तथा जीवन के स्वस्थ और समृद्ध स्तर प्राप्त करने के लिए बेहतर योजनाबद्ध परिवार की आदत डालने हेतु परिवार और समाज में महिला के दर्जे को बढ़ाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन्तु, सरकार ने इस दिशा में कोई विशिष्ट उपाय नहीं किये हैं और इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का उपबन्ध करने के हेतु विधान्त बनायें।

यद्यपि पचास वर्ष से अधिक समय हो गया है जब भारत में पुरुषों और महिलाओं की समानता को स्वीकार कर लिया गया था, तथापि कानूनी सुधार, शिक्षा और राजनीतिक अधिकार, इन तीन मुख्य साधनों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया गया है।

वैदिक युग में महिलाओं को अब से अधिक सम्मान, दर्जा तथा स्थान प्राप्त था किन्तु दुर्भाग्यवश हिन्दूधर्म की बाद वाली अवधि, अर्थात मनु की अवधि, के दौरान जाति व्यवस्था तथा हिन्दू महिलाओं का दर्जा कम कर दिया गया था। ऐसा मुख्यतय: वंश और जाति की पवित्रता को बनाये रखने के कारण ही महिलाओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाता था, उनकी निन्दा की जाती थी और उनका दर्जा कम किया गया था। आज भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को, विशेषकर हिन्दू समाज में वही दर्जा प्राप्त है।

जहां तक सम्पत्ति में हिस्से का सम्बन्ध है, सरकार ने महिलाओं को पुरुषों के साथ-साथ समान अधिकार देने के लिए विधान बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है।

जब महिलायें आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो जायेंगी तब वे अधिकार और प्राधिकार को प्राप्त कर लेंगी और इस व्यवस्था में उनकी राय का भी महत्व हो जाएगा तथा वे समाज के अन्य वर्गों की सहायता से अन्याय से जूझने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो जायेंगी।

75 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो श्रमकार नहीं हैं, अर्थात उनका देश में उत्पादन प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं है। यह 25 प्रतिशत महिलायें भी नारियल जटा, काजू, तम्बाकू, बीड़ी, माचिस, खानों, चाय बागानों, आदि परम्परागत उद्योगों में लगी हुई हैं। उनकी मजदूरी बहुत ही कम है। सरकार ने उनकी मजदूरी को बढ़ाने के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किया है। मैं समाज और महिला कल्याण के माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उनकी मजदूरी बढ़ायी जाये और अधिक से अधिक उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किए जायें ताकि ग्रामीण महिलाओं को काम करने के लिए अधिक काम मिल सके। इस से ग्रामीण महिलाओं के दर्जे में तथा देश के उत्पादन में एक साथ सुधार हो सकेगा।

अतः, कानूनी दर्जे के बारे में, महिलाओं को संरक्षण धर्मनिरपेक्ष कानूनों द्वारा नहीं, बल्कि धार्मिक कानूनों द्वारा किया जाता है। मुस्लिम स्वीय विधि है, ईसाई स्वीय विधि है और सिखों के कुछ वर्ग भी अपनी स्वीय विधि के लिए लड़ रहे हैं। ये स्वीय विधियाँ महिला उद्धार के मार्ग में बाधक बनी हुई हैं। महिलाओं को दासता से मुक्ति दिलाने के बारे में कानूनों को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए सरकार कोई प्रस्ताव नहीं लायी है। मैं सरकार से जोरदार शब्दों में सिफारिश करता हूं कि वह परिवार न्यायालयों की तुरन्त स्थापना करे ताकि महिलाओं अथवा महिलाओं से संबंधित मामलों के बारे में प्रत्येक विवाद को केवल ऐसे न्यायालयों में ले जाया जा सके।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के संबंध में हम तथा हमारा देश भी आरक्षण नीति के बारे में आशा बांधे हुए हैं। इन नीतियों के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे समुदाय से संबंधित हूं और मैं कोलार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूं। मैं बहुत ही जोरदार शब्दों में अनुरोध कर रहा हूं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण केवल उन उन्नत समुदाय के लोगों के लिए ही दिया जाये जो आरक्षण नीति के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। आरक्षण केवल उन समुदायों के लिए होना चाहिए जो उन्नत हैं, अर्थात उनके लिए यह आरक्षण उन्नत लोगों की कुल जनसंख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए।

शेष कमजोर वर्गों के लिए उनके मध्य खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कमजोर वर्गों के मन में आरक्षण का लांछन न रहे। उनके मध्य खुली प्रतियोगिता का अवश्य ही स्वागत किया जाना चाहिए। मैं जोरदार शब्दों में सिफारिश करता हूं कि आरक्षण और आरक्षण विरोधी विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। केवल उन्हीं समुदायों के लिए ही जो वर्तमान आरक्षण नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, अर्थात लगभग 4 अथवा 5 प्रतिशत होना चाहिए। कुल जनसंख्या में उन्नत समुदाय के लोग केवल 4 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत हैं। अत:, अन्य कमजोर वर्गों को परस्पर प्रतियोगिता का अवसर दिया जाना चाहिए। इस तरह से निश्चित रूप से यह देश प्रगति करेगा और आरक्षण और आरक्षण विरोधी विवाद समाप्त हो जाएगा। हमारे देश में भी अधिक एकता आ जाएगी और प्रगति भी यथाशीघ्र की जा सकेगी।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : सभापति महोदय, मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक दिन का भी विलम्ब किये बिना, माननीय प्रधानमंत्री ने आरम्भ में ही इस नए मन्त्रालय की स्थापना कर दी। इस मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला कार्य अतीत में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा था। किन्तु मैं समझता हूं कि महिला कल्याण के बारे में वास्तविक नौकरशाही के रवैये के अनुसार ऐसा समझा जाने लगा था कि इसे कोई देखने वाला नहीं है और इसका न केवल अहित ही हुआ परन्तु सभी यह सोचते हैं कि इसकी देखभाल कोई दूसरा मंत्रालय कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी मैडम मंत्री के गतिशील नेतृत्व में समाज और महिला कल्याण मंत्रालय इस ढंग से कार्य करेगा जो विशेषकर महिलाओं के हित में तथा उनके, जो दुर्भाग्यवश अपंग हैं, कल्याण के लिए भी उपयुक्त होगा फिर भी मैं केवल एक बहुत ही आधुनिक अभिशाप के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो समाज, विशेषकर नयी पीढ़ी के लिए खतरा बना हुआ है।

मद्यपान के विरुद्ध, हमारे प्रयास सफल नहीं हुये हैं। यह एक बड़ा अभिशाप बन चुका है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में ही, जिनकी जनसंख्या लगभग 70 लाख की है, 60 से 70 हजार व्यक्ति इस लत से पीड़ित हैं। अर्थ यह है कि हर 10 में से एक व्यक्ति शराब का आदी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदया इस समस्या की गम्भीरता को समझेंगी।

जहां तक नवयुवकों में मादक औषधियों का सेवन करने का संबंध है, वे प्रभावित होते जा रहे हैं और देश भर में बहुत ही विषादपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। दुर्भाग्यवश, मद्यपान के समान ही मादक औषधियों के सेवन के प्रचलन में भी न केवल साधारण गति से वृद्धि हो रही है, बल्कि द्रुत गति से वृद्धि हो रही है। मादक औषधियों का व्यसनी न केवल स्वयं व्यसनी होता है, बल्कि वह दूसरों को भी मादक औषधियों का व्यसनी बनाता है और एक व्यक्ति से 8 व्यक्तियों में वृद्धि होती है और 8 से 32 व्यक्तियों में यह व्यसन बढ़ता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि इस व्यसन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और इसका न केवल मुकाबला ही करना है बल्कि इस लत को छुड़ाने के लिए सर्वेक्षण और प्रचार करने हेतु कोई क्रमिक ढंग अपनाना होगा और इन सभी बातों से इस व्यसन को दूर करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

यह व्यसन हमारे देश में पिछले लगभग सात वर्षों में आया और अधिकांश केन्द्र जहां से यह हमारे देश में आया है वे उत्तर या दक्षिण में हैं चाहे वह श्रीलंका है या अफगानिस्तान है। ये देश इस बुरी लत की अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक दवा प्रणाली के केन्द्र माने जाते हैं। सर्व प्रथम स्मैक और हेरोइन जैसी व्युत्पन्न वस्तुएं युवा वर्ग के लिए प्रतिबंधित थीं परन्तु आज रिक्शा चलाने वाले, कुली, ड्राइवर, क्लर्क, आटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और ऐसे सभी लोग, जो दो जून की रोटी नहीं कमा सकते हैं और जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, इस व्यसन से पीड़ित हैं। ये लोग इस अभिशाप के सबसे अधिक शिकार हुए हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया कि राजधानी में कितने व्यसनी हैं। मैं यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।

समाज कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई मूल कार्य करना चाहिए और एक सर्वेक्षण करना चाहिए और इस सबसे बड़े सामाजिक अभिशाप को समाप्त करने के लिए पथ प्रदर्शन का काम करना चाहिए। पता लगाना ही काफी नहीं है। कुछ आंकड़े भी उपलब्ध हैं। हालांकि पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि नशीली दवा के कितने व्यसनी पकड़े गए, पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या कितनी बढ़ गई है, व्यसनियों की संख्या कितनी बढ़ गई है। यदि पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो व्यसनियों की संख्या भी बढ़ गई है। अतः इससे समस्या सुलझ नहीं जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए आरम्भ में मार्गदर्शक का काम मंत्रालय को करना होगा और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री के गतिशील नेतृत्व में इस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि नशीली दवाओं का व्यसन भावी पीढ़ी के भविष्य को जितना बिगाड़ रहा है उतना और कोई अभिशाप नहीं बिगाड़ रहा है। सरकार को इस समस्या पर सीधा प्रहार करना चाहिए। सीधे प्रहार से मेरा मतलब यह है कि केवल यथार्थ सर्वेक्षण ही नहीं होना चाहिये बल्कि वर्तमान कानून में भी संशोधन किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री और माननीय मेरे साथियों के सूचनार्थ बता दूं कि इस समय यह अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 के नियंत्रण में आता है, जिसमें अधिक से अधिक केवल तीन वर्ष के दंड का प्रावधान है और उसमें न्यूनतम दंड का कोई प्रावधान नहीं है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि भारतीय मादक द्रव्य कानून विश्व में मादक द्रव्य कानूनों में सबसे अधिक कमजोर है। यहां तक कि सिंगापुर जैसे छोटे देशों तथा कई अन्य देशों में दंड आजीवन कारावास तक का है, कुछ देशों में मादक द्रव्य वाहकों को मृत्यु दंड तक का दंड दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि 1930 के इस अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। मादक द्रव्य की पूर्ति तथा सेवन करने वालों को आजीवन कारावास अथवा कम से कम सात वर्ष के कारावास का दंड दिया जाना चाहिए, जिससे यह दण्ड निवारक सिद्ध हो सके। जो लोग इस नशीली दवाई का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जायें, उन्हें अधिकतम सात वर्ष और न्यूनतम तीन वर्ष के कारावास का दण्ड दिया जाये। मैं इस अधिनियम को एक निवारक और एक ऐसा अधिनियम कहूंगा जो इस बीमारी पर सीधा हमला करेगा।

माननीय मंत्री जी द्वारा अपने मंत्रालय के अधीन किये जाने वाले सभी क्रियाकलापों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

नशीली दवाइयों के इस व्यसन को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। इस समय इस बारे में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है और प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि नीति बनाना मूलत: राज्य सरकारों के अधिकाराधीन है। मेरा अनुरोध है कि नशीली दवाइयों का अवैध व्यापार राज्य गतिविधि नहीं है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि है, इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए कम से कम हम एक राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय मतैक्य और एक राष्ट्रीय आन्दोलन तो चला सकते हैं। यदि हम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बना सकते हैं तो राष्ट्रीय नशीली दवाई व्यसन उन्मूलन कार्यक्रम भी बना सकते हैं ताकि नशीली दवाइयों के इस्तेमाल से फैल रही इस बीमारी को हम रोक सकें। सरकार को इस लत को छुड़ाने के लिए कैम्प, क्लिनिक खोलने चाहिए। सरकार को ऐसे सामाजिक संगठनों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इस समय भारत में इस लत को छुड़ाने के कैम्प या क्लिनिक नहीं हैं। शायद एक ऐसा क्लिनिक है जो डा० हरीश भल्ला पहाड़गंज में चला रहे हैं और जहां मैं गया भी हूं। क्लिनिक में जाने से और वहां मरीज को देखने से पता चलता है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है और कैसे समाज के अच्छे-अच्छे लड़के भी समाज के लिए कलंक हो सकते हैं। इसी सभा के एक माननीय सदस्य के लड़के का उदाहरण है और इससे काफी हद तक सिद्ध हो जाता है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है तथा इस लत से छुटकारा पाना कितना कठिन है। इलाज के लिए उसे अमरीका भेजना पड़ा। इस लत को छुड़ाने के लिए कम से कम डा० भल्ला द्वारा किये जा रहे पथ प्रदर्शन के आधार पर दिल्ली में कैम्प क्यों नहीं खोले जा सकते। श्री अमोद कंठ नाम का एक पुलिस अधिकारी इसे एक सामाजिक कार्य के रूप में अपने आप कर रहा है······

सभापति महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें !

श्री अजय मुशरान : मैं प्रतिवेदन में उल्लिखित कुछ क्रियाकलापों का हवाला देना चाहूंगा। मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करता हू। इस प्रतिवेदन के अनुसार, विदेशों के अनेक दौरे हुए हैं, शिष्टमंडल प्रतिनिधि मंडल गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि विदेशों में दौरे करने से भारत में सामाजिक कल्याण के कार्य को कैसे बढ़ावा मिला है। नशीली दवाइयों के दुरुपयोग तथा मद्यपान के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विचार-गोष्ठी जैसे कई केन्द्र लगाये गये हैं। ये कैम्प इम्फाल, पोर्ट ब्लेयर और मद्रास में लगाये गए, जहां नशीली दवाइयों की लत बिल्कुल नहीं है। ये कैम्प दिल्ली जैसी जगह पर लगाये जाने चाहिए जहां यह बीमारी इस समय सर्वाधिक है।

सभापति महोदय : कृपया अब बैठ जाइये। मैं अगले वक्ता का नाम पहले ही पुकार चुका हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा रानी तोमर (अलीगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव सदन के सामने पेश कर रही हूं।

महिला समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। उनकी समस्याओं का समाधान अति आवश्यक है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में महिलायें कई समस्याओं से पीड़ित हैं। अभी हाल ही में एक अलग से मंत्रालय इसका बना है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। ग्रामीण महिलाओं को जन सहयोग प्रशिक्षण में 1985-86 के दौरान

600 शिविर चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिन पर 36 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। यह राशि बहुत ही कम है, इसको बढ़ाने के साथ-साथ अधिक शिविर लगाने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान श्रमजीवी महिलाओं के लिए 80 अतिरिक्त होस्टल बनाने का लक्ष्य है, जिनके लिए 170 लाख रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। महिलाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए होस्टल बहुत ही कम हैं। इस ओर भी मन्त्री महोदया का ध्यान जाना चाहिए।

संकटग्रस्त महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों में 106 महिलायें लाभान्वित हो रही हैं। यह संख्या बहुत ही कम है। इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों और उनमें लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ाने की ओर मन्त्री महोदया को ध्यान देना चाहिए।

श्रमजीवी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु केन्द्र के लिए 1985-86 के बजट में 430 लाख रुपए योजना व्यय और 395 लाख रुपए गैर योजना व्यय में रखा गया है। इस कार्यक्रम को बहुत बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए। इसकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए और इसमें दी जाने वाली सुविधायें बहुत कम हैं। इन सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए।

बच्चों के विकास, अनाथ बच्चों की समस्या विकलांग बच्चों को रोजगार में लगाने के सरकारी प्रयत्नों के लिए मंत्री महोदया को ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की मांगों का पुन: समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्रीलाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : सभापति महोदय, मैं समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मन्त्रालय है। इससे न केवल हम महिलाओं के कल्याण की बात सोचते हैं, बल्कि एक ऐसे तबके के बारे में भी गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं, जिसको शायद भगवान ने भी कुछ कमी रख कर धरती पर उतारा है। यदि आप गहराई से देखेंगे, तो पायेंगे, कि देश में लगभग 12 मिलियन लोग ऐसे हैं, जो किसी न किसी रूप में विकलांग की श्रेणी में आते हैं। यदि और ज्यादा बारीकी से देखें तो निश्चित रूप से दृष्टिदोष व्यक्तियों की संख्या 3.47 मिलियन है, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 5.44 मिलियन है और जो श्रवणहीन व्यक्ति हैं उनकी संख्या 3.2 मिलियन है। मानसिक रूप से अविकसित लोग (मैंनटली रिटार्डेड लोगों) की संख्या 30 मिलियन है—ये संख्यायें बहुत ज्यादा हैं। इतने लोगों का यदि हम ठीक ढंग से उपचार न कर पाये तो वास्तव में हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकेंगे।

मेरी ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में हमें समुचित प्रयास करने की आवश्यकता है। जहां तक शासन का सवाल है—वह निश्चित रूप से बधाई का पात्र है, क्योंकि जहां भगवान ने इन लोगों को कम शक्ति दी है, शारीरिक रूप से अपंग बनाया है, वहीं हमारा शासन इनके उत्थान के प्रति, इनको आगे बढ़ाने के प्रति, अच्छी तरह से जागरूक है और यह बहुत अच्छी बात है। वैसे यहां पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है—यदि हम दिल्ली को देखें तो करीब पांच हजार ऐसे विकलांग लोग हैं जिन के पास आइडेन्टिटी कार्ड हैं और वे आइडेन्टिटी

कार्ड के माध्यम से रेल तथा बैंकों की सुविधायें अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बात और बतलाता हूं—यदि कोई विकलांग व्यक्ति कार अथवा कोई अन्य सामग्री इम्पोर्ट करना चाहता है तो काफी छूट है। जहां एक साधारण व्यक्ति को 185 प्रतिशत टेक्स देना पड़ता है, वहां विकलांग भाई को केवल 50 प्रतिशत की दर पर कार उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार से अनेक छोटी-मोटी सुविधायें दे कर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हमारे ये पिछड़े हुए साथी भी दूसरों के साथ आगे बढ़ सकें। यह तबका जो अभी तक अपने आपको उपेक्षित महसूस करता था आज धीरे-धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है।

इसी तारतम्य में यदि हम अपने बजट को देखें तो पायेंगे कि सरकार ने इनके लिए अनेक जगहों पर तरह-तरह के अस्पताल खोले हैं। जिसे दृष्टिदोष का सवाल है, उनके लिए देहरादून में एक अस्पताल खोला गया है जिसके लिए 96.36 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणालय कलकत्ता में स्थापित किया गया है जिसके लिए 55 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। श्रवणहीन व्यक्तियों के लिए एक अस्पताल खोला गया है जिसके लिए 141 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से हैदराबाद में दो अस्पताल बनाए गए हैं जिनके लिए 8 लाख 20 हजार तथा 5 लाख 50 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए 75 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए नई दिल्ली में जो अस्पताल खोला गया है उसके लिए 110 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार से कानपुर में अपंग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग के निर्माण के लिए 66 लाख 50 हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम निश्चित तौर से यह कहने की स्थिति में हैं कि हमने विशिष्ट दिशा में बहुत अच्छी प्रकार से सोचने का प्रयास किया है।

जहां तक महिला बहनों का सवाल है, महिला एक ऐसी जाति है, जो पूरी आबादी की लगभग आधा भाग है लेकिन जहां तक उनके वेलफेयर का सवाल है, मेरी निश्चित मान्यता है कि जितना भी हमने अभी तक किया है, वह कम है और उसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यह बात अपने आप में स्पष्ट है कि यदि एक महिला किसी श्रमिक संस्थान में काम करती है, उसे अपने काउन्टरपार्ट, जो मेल होता है, से करीब आधी तनख्वाह मिलती है। मेरा यह निवेदन है कि इस दिशा में और भी कड़ाई बर्ती जाए और यह देखा जाए कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले।

मैं एक बात और बहुत ही मुस्तैदी से आपके बीच में कहना चाहता हूं और वह यह है कि महिला, जोकि बहुत बड़ी मात्रा में अपने यहां उपलब्ध हैं, नौकरी करने की स्थिति में उनकी सर्विस कंडीशन्स में, उनकी एज लिमिट में आदिवासी और हरिजनों के समान रिलैक्सेशन होना चाहिए और उन्हें वे तमाम सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए जोकि एक आदिवासी और हरिजन को हम सुरक्षा की दृष्टि से देते हैं।

सभापति महोदय, जहां तक व्यस्क महिलाओं का सवाल है, उनकी शिक्षा के बारे में हमने समुचित व्यवस्था की है। हमारे नौजवान प्रधान मंत्री ने बालिकाओं को फ्री एजूकेशन देने की बात कही है। मैं इस बजट में भी देखता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन की बात हो, माध्यमिक एजूकेशन

की बात हो या उच्चतर माध्यमिक एजूकेशन की बात हो, इस दिशा में आगे बढ़ने की बात सोची गई है और इस आशय के लिए लगभग 160 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों के लिए, जिसमें डयेरी, सुअर पालन, मुर्गी पालन इत्यादि-इत्यादि कार्य सम्मिलित होते हैं, 257 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए जो रहने के होस्टल्स हैं, 2 हजार से कम वेतन पाने वाली जो महिलायें हैं, वे ऐसे होस्टलों का उपयोग कर सकती हैं, इनको भी समुचित मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए। जगह जगह पर ऐसे होस्टल होने चाहिए, जिससे हमारी महिलायें इनका समुचित उपयोग कर पायें।

जहाँ तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का सवाल है, इसके लिए 590,33 लाख रुपये की व्यवस्था है। एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जरूरतमन्द बच्चों के विकास के लिए 250 लाख रुपए की व्यवस्था है और बालबाड़ी के लिए 260 लाख रुपए की व्यवस्था है। सारी चीजें सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हैं, इसलिए हमें इन्हें किसी न किसी रूप में और बढ़ाना चाहिए।

जहां तक विपत्तिग्रस्त महिलाओं का सवाल है, उनके लिए भी 15 लाख रुपये की व्यवस्था है। यह भी एक अच्छी बात है लेकिन इसमें आपको और बढ़ोत्तरी करनी चाहिए और इसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो अन्य योजनायें हैं, उनके लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था है। यह भी अच्छी बात है किन्तु आवंटित राशि नगण्य है इसमें और इजाफा होना चाहिए।

जहाँ तक कैदियों का सवाल है, 30 लाख रुपये उनके उत्थान के लिए, उन्हें विस्थापित करने के लिए रखे गए हैं। यह राशि काफी कम है और इसे और बढ़ाने की बात हमें सोचनी चाहिए।

इसी प्रकार से हमने जो अनेक क्रान्तिकारी कार्यक्रम महिलाओं के लिए शुरू किए हैं, इसके लिए निश्चित तौर पर मंत्री महोदया बधाई की पात्र हैं लेकिन मुझे यहां पर यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस में और बढ़ोतरी हमें करनी चाहिए। मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

****श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री)**: सभापति महोदय, समाज और महिला कल्याण मंत्रालय का विशेष महत्व है। समाज तब ही खुशहाल हो सकता है जब प्रत्येक परिवार खुशहाल हो। एक खुशहाल समाज एक खुशहाल घर पर निर्भर करता है। पिता, माता, बच्चे और परिवार का प्रत्येक सदस्य एक खुशहाल घर बनाने के लिए खुशहाल होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, आज शराब की बुराई परिवारों को बरबाद कर रही है। चूंकि कोई नशाबन्दी लागू नहीं है, अनेक परिवार इसके बुरे प्रभाव का शिकार बन रहे हैं। हमारा देश महात्मा का देश है। नशाबन्दी भी उनमें से एक है जिनके लिए वे जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे। वे शराब के घातक प्रभाव से मुक्त एक खुशहाल भारत देखना चाहते थे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस देश में जहां महात्मा जी ने जन्म लिया था, नशाबन्दी ने अपना महत्व खो दिया है। नशाबन्दी लागू करना बहुत आवश्यक है क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना सुनिश्चित करने का यही एकमात्र रास्ता है। यदि इसे कड़ाई से क्रियान्वित किया गया, तो इससे महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से लाभ होगा। अब, चूंकि नशाबन्दी लागू नहीं है। हम देखते हैं कि लोग

** तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपनी पूरी कमाई शराब पर खर्च कर देते हैं। वे घर पर खूब पीकर आते हैं और अपने माता-पिता, बीवी और बच्चों को पीटते हैं। वे घर को लगभग नर्क बना देते हैं। शराब की बुराई से नगरों की अपेक्षा गांव ज्यादा प्रभावित हैं। प्रत्येक गांव में यह आम दृश्य है कि शाम को आप प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष या महिला को खूब पिए हुए और आपस में लड़ते-झगड़ते देख सकते हैं। ज्यों ही सूर्य छिप जाता है तो गांव मछली बाजार बन जाते हैं। अत्यधिक शराब पीने के कारण हमारे गांवों में कोई भी शाम शांत शाम नहीं होती है। इसलिए महोदय, जब तक इस शराब की बुराई को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता है। यदि हमारे राज्य यह समझते हैं कि उन्हें शराब से भारी राजस्व प्राप्त होगा, तो वे पूरी तरह गलती पर हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि आप शराब बेचकर पर्याप्त धन कमा लेंगे और उसे देश का विकास करने में लगायेंगे, तो आपकी यह धारणा गलत है। यदि आप वास्तव में राष्ट्र की समृद्धि में रुचि रखते हैं तो आपको नशाबन्दी लागू करनी चाहिए। आपको इसे कड़ाई से क्रियान्वित करना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता के स्वप्नों का भारत बनाने के लिए देश को शराब पीने की आदत से मुक्त करने की आवश्यकता है।

महोदय, इस देश में महिलाओं को अत्यधिक सम्मान दिया जाता रहा है। उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता रहा है। सम्मान के क्रम में माता सबसे पहले है; उसके बाद पिता और फिर भगवान हैं। सदियों से उन्हें हमारे समाज में यह स्थान प्राप्त है। परन्तु आज उनकी स्थिति क्या है? वे न केवल मतदाता के रूप में बल्कि जनसंख्या में भी बहु संख्यक हैं। चुनावों के समय आप उनका मत प्राप्त करने के लिए उनसे अनेक वायदे करते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, फिर उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महिलायें भी स्वयं आपस में उचित व्यवहार नहीं करती हैं। हम उस मंत्रालय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका उनमें सबसे ज्यादा सम्बन्ध है। इस सभा में अब कितनी महिलायें उपस्थित हैं? केवल कुछ हैं। उन्हें आगे आकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिये। इस दिशा में उन्हें कई काम करवाने हैं। महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रिय नेता श्री एन० टी० रामाराव उनकी दशा सुधारने के लिए कैसे कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। सर्व प्रथम, उन्होंने उन्हें पैतृक सम्पत्ति में समान हिस्सा दिलाने का प्रयास किया। जब उन्हें सम्पत्ति में समान अधिकार मिल जायेगा, तो समाज में उनके प्रति आदर स्वत: बढ़ जाएगा और अब उन्होंने उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन भी लागू कर दी है। हम प्राय: देखते हैं कि बच्चों वाली अनेक महिलाओं को हरेक बुरी तरह से उपेक्षित करता है। महिलाओं को वृद्धावस्था की दुर्दशा से बचाने के लिए पेंशन भी दी जा रही है। उन्होंने विधवा पेंशन की घोषणा करके एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह एक युगान्तरकारी निर्णय है। ऐसे युग में जब लोग अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं, पिता की मृत्यु के बाद माता की देखभाल करने का प्रश्न नहीं रह गया है। इस दुनिया में विधवा की कोई परवाह नहीं करता है। अत: इन असहाय महिलाओं की सहायतार्थ श्री एन० टी० रामाराव ने विधवा पेंशन योजना लागू की है। इसे पूरे देश में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को यह दायित्व अपने कंधों पर लेना चाहिए और देश में करोड़ों विधवाओं को बचाना चाहिए। इससे उनके मन में विश्वास जागेगा। यदि वे सब जिनके लिए उन्होंने जीवन पर्यन्त संघर्ष किया उनकी उपेक्षा करें फिर भी वे सुरक्षित अनुभव करेंगी। यह एक

अत्यावश्यक उपाय है और यह कदम उठाने में सरकार को और समय नहीं गंवाना चाहिए। यह केवल उनके मत प्राप्त करने वाला लोकप्रिय उपाय ही नहीं है, यह उनका जीवन रक्षक उपाय है। (व्यवधान)……

हमारे गांवों में स्वच्छता की स्थिति काफी भयावह है। हमारे गांवों में उपयुक्त शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि कुछ गांवों में शौचालय है, फिर भी उनकी देखभाल ठीक से नहीं की जाती है। उन्हें प्रतिदिन साफ नहीं किया जाता है। उनमें बहुत बुरी बदबू आती है। कभी-कभी उन शौचालयों में सांप भी आ जाते हैं। उन शौचालयों का प्रयोग करने से डर कर महिलायें सड़क के किनारे शौच के लिये जाती हैं जिससे सड़क के किनारे गन्दे हो जाते हैं। उनके दुर्भाग्य से यदि कोई व्यक्ति सड़क पर से गुजरता है तो उन्हें शर्म से सिर झुकाकर जल्दी से उठ जाना पड़ता है। हमारे गांवों में महिलाओं की ऐसी दयनीय स्थिति है। अतः तत्काल करने वाले कार्यों में से एक यह है कि सरकार को प्रत्येक गांव में शौचालय बनाने चाहिए। शौचालय बनाना ही काफी नहीं है। उनकी उचित देखभाल भी की जानी चाहिए। आज हो यह रहा है कि उनकी सफाई करने के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है। सरकार कहती है कि पंचायत निकाय उनकी देखभाल करने के उत्तरदायी हैं और वे इस उत्तरदायित्व को किसी और को सौंप देते हैं। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गांवों में सुव्यवस्थित शौचालय उपलब्ध हों। महोदय, मानव मल को खाना पकाने की गैस तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चीन में अब ऐसा ही हो रहा है। मानव मल को खाना पकाने की गैस में बदला जा सकता है और प्रत्येक घर में बिना अधिक लागत के सप्लाई किया जा सकता है। इससे हमारी महिलाओं को तपेदिक और कैंसर जैसे भयानक रोगों से भी बचाया जा सकता है जो उन्हें खाना बनाते समय धुयें से हो जाते हैं। खाना पकाने की गैस और धुआंरहित चूल्हों का प्रयोग करके उन्हें प्रत्येक समस्या से मुक्त किया जा सकता है। उनका मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहेगा। वे मानसिक तौर पर चुस्त रहेंगी और अपने सार्थक मार्ग दर्शाने आदि से वे अपने परिवारों के कल्याण और प्रगति में अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकती हैं।

महोदय, एक समय था जब हमारे देश में गांवों की बाहरी सीमा हरे-भरे खेतों, नारियल के पेड़ों आदि से हमारा स्वागत करती थी। अब तस्वीर कुछ और ही है। हमें अपने गांवों को फिर से सुन्दर बनाना चाहिए।

महोदय, दहेज प्रथा एक और बुराई है जो हमारे समाज के मर्मस्थल को भेद रही है। हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि असंख्य बहुओं को प्रतिदिन कैसे जलाया जाता है और यातना दी जाती है। दहेज प्रथा हमारे नगरों की अपेक्षा हमारे कस्बों में अधिक प्रचलित है। इस बुराई के शिकार धनी और निर्धन दोनों ही बनते हैं। परन्तु धनी लोग तो किसी तरह उसका मुकाबला कर लेते हैं और निर्धन लोग इस प्रथा से निरन्तर ग्रसित होते जा रहे हैं। जब कोई लड़की पर्याप्त दहेज नहीं लाती है, तो उसे उसके ससुराल वाले यातना देते हैं। यातना का मुकाबला न कर पाने पर वे नदी में डूब कर या फांसी लगा कर या आग लगा कर आत्म-हत्या कर लेती हैं। इस त्रासदी का अन्त होना चाहिए। इस स्थिति को बदलने के लिए प्रत्येक प्रयास करने पड़ेंगे। महिलाओं को नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में अधिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। जाति पर आधारित आरक्षण की वर्तमान प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए।

आरक्षण लिंग के आधार पर होना चाहिए। महिलाओं को अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें हर संभव सहायता दी जानी चाहिए। मेरा विचार है कि केवल तभी उनकी दशा में सुधार हो पाएगा।

4.40 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था बिलकुल नहीं है। हम अपने आपको पूरी तरह से स्वतंत्र तब ही कह सकते हैं जब हमारी महिलाएं रात के बारह बजे भी बिना किसी भय के घर से बाहर निकल सकें। तब तक यह दावा करना कि हम स्वतंत्र है, निरर्थक है। जब वे हमारी गलियों में जाती हैं तो उनके साथ अत्यधिक नम्रता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे चाहे दिन हो या रात बिना किसी भय के घूम फिर सकें। उनसे अनेक बातों के वायदे करना ही काफी नहीं है उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको सभी कदम उठाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : पुरुषों के बारे में आप क्या कहेंगे ? आप केवल महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। पुरुष भी समान रूप से इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

श्री श्रीहरि राव : महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को सभी के लिए सुरक्षा प्रदान करने पर अत्यधिक विचार करना चाहिए। निर्धनों, जरूरतमन्दों और महिलाओं की सेवा करने वाले अनेक स्वैच्छिक संगठन देश में हैं। सरकार को उनकी सहायता और सलाह लेनी चाहिए और उन्हें महिलाओं और जरूरतमन्दों की हालत सुधारने में अधिक से अधिक अन्तर-ग्रस्त करना चाहिए। समितियां बनाई जानी चाहिए और महिलाओं को उनका सदस्य बनाया जाना चाहिए।

महोदय, हैदराबाद में गूंगे और बहरों का एक संस्थान है। दक्षिण भारत में यह अपनी किस्म का एक ही संस्थान है। उस संस्थान में उपलब्ध स्थानों की संख्या काफी अपर्याप्त है और अनेक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए संस्थान का पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस संस्थान को इस वर्ष केवल 8 लाख रुपए ही स्वीकृत किए गए हैं। यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। किसी भी गूंगे या बहरे को इस संस्थान में स्थान कम होने के कारण प्रवेश दिए जाने से इंकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए इस संस्थान का पर्याप्त विस्तार करना पड़ेगा। यह कर्तव्य आपका है कि आप उनमें यह विश्वास पैदा करें कि वे अन्य लोगों से कम नहीं और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आपको उन्हें यह महसूस करवाना चाहिए कि वे किसी अन्य की दया के बिना स्वयं अपना जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे वे गूंगे या बहरे ही हों यह सरकार का कर्तव्य है। उन्हें नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में अधिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। 8 लाख रुपये का यह अनुदान बहुत कम है। कृपया इसे बढ़ाइए और उनके साथ न्याय कीजिए।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे समाज के उन अभागे लोगों को बचाने के लिए वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन जैसे प्रगतिशील उपायों को क्रियान्वित करें। उनके प्रति सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह आशा करते हुए कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय, जहां औरतों की पूजा होती है, वहां भगवान बसते हैं। नारी खुद ही एक संस्कृति है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि अगर नारी गांव की भी है और बिना पढ़ी-लिखी है तो उसमें ज्यादा नैतिकता है। नारी अपने आप में संस्कृति है।··· (व्यवधान) जो स्त्री पढ़ी-लिखी नहीं है बिल्कुल ग्राम्य है, वह आदमी के अधिक निकट है। आज नारी पश्चिमी वेश-भूषा पहनकर समाज कल्याण की बड़ी-बड़ी संस्थाओं की अध्यक्षा बन जाती है केवल अखबार में नाम देने और फोटो खिचवाने के लिए। वे, गांवों में जाकर काम नहीं करतीं। समाज कल्याण पर जो पैसा खर्च होता है, उसकी तरफ माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि यह उस मिनिस्टर की धर्म-पत्नी है इसलिए समाज कल्याण की अध्यक्षा बन चुकी हैं। पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर ये औरतें जो अध्यक्षा बन जाती हैं, यह केवल दिखावा है। मिडिल क्लास की या जो सामान्य नारी है और जो आदर्श जीवन बिताती है, उसको अध्यक्ष बनाया जाए, यह मेरा पहला सुझाव है। आपको पता होगा कि आज भी देश के अन्दर देवदासी प्रथा और काल-गर्ल्स यानी वेश्यावृत्ति चालू है। आप अगर आंकड़े बताएं तो यह बता दिया जाए कि आपने कितने कैसे चालान किए और उसमें से कितनों को सजा हुई। देश की आजादी के बाद आज हम स्त्री का विकास करना चाहते हैं। जितने बड़े-बड़े औरतों के होस्टल हैं या लड़कों और लड़कियों के होस्टल हैं, वहां पर बहुत विषैली चीजें मिलती हैं।···(व्यवधान) मेहरबानी करके यह सोचें कि समाज कल्याण में पहला सवाल प्रोहिबिशन का था आपके संविधान के एक आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम देश में शराब-बंदी करेंगे। एक तरफ तो आप शराब बंदी न करके, शराब की दुकानें खोलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि शराब बंदी करेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है, पहले ऐसा नियम था कि जो राज्य शराब-बंदी को लागू करेगा उसको इससे होने वाले नुकसान का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करेगी। यह आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी दिया हुआ है, संविधान के आर्टिकल में भी कहा गया है कि हम धीरे-धीरे देश में शराब-बंदी करेंगे। आज भी हम उस चीज को मानते हैं और मानते हुए भी कहते हैं कि लगभग 75 करोड़ रुपये की आमदनी हमें शराब से प्राप्त होती है।

देश भर में जितने अखबारों में या दूसरी जगह विज्ञापन निकलते हैं, आप किसी भी विज्ञापन को उठा कर देख लीजिए उन विज्ञापनों में अपने माल को बेचने के लिए स्त्रियों के शृंगार का उनके रूप का उपयोग किया जाता है, उनके शरीर का नग्न प्रदर्शन किया जाता है। जब हमारे विज्ञापनों में महिलाओं का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, मामूली से मामूली चीज को बेचने के लिए भी जिस तरह से महिलाओं की नग्न तस्वीरें छापी जाती हैं, उनकी देह का दुरुपयोग किया जाता है, देह का प्रदर्शन किया जाता है, क्या कभी सरकार का ध्यान उनकी तरफ गया है और सरकार ने उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं। क्या सरकार नहीं चाहती कि इस तरह महिलाओं का दुरुपयोग रोका जाए और उनका उद्धार हो।

आज मैं पूछना चाहता हूं कि वैसे तो आप जब चाहे विकलांग वर्ष मनाओ, जब चाहे अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाओ, जब चाहे युवक वर्ष मनाओ, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार

पीछे कुछ इस तरह की बात कही गई थी कि हर महकमे में तीन प्रतिशत नौकरियां विकलांगों के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी, जिस समय विकलांग वर्ष बनाया गया था, उसके बाद से लेकर आज तक, जब कि 1985 का वर्ष चल रहा है, रेलवे विभाग में कितने विकलांगों को नौकरी दी गई, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालयों में कितने विकलांगों को नौकरी दी गई, दूसरे मंत्रालयों में कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी पर रखा गया, क्या आप उसकी फीगर्स हमें बता सकते हैं, उनका प्रतिशत बता सकते हैं। किसी विकलांग को आपने नौकरी दी हो तो बताइये। फिर आप कैसे समाज कल्याण के काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

फिर आपका यह भी कहना है कि हम समान कार्य के लिए समान वेतन देने की नीति पर चलेंगे और आपने यह कानून 1970 में बनाया था, लेकिन उस कानून के बनने के बाद क्या हुआ, उस कानून में कमी रह गई। इसी कारण उस कानून के अंतर्गत एक भी चालान नहीं हुआ, एक भी मुकदमा नहीं चला और आज भी औरतों को पुरुषों के मुकाबले कम तनख्वाह मिलती है, कम वेतन मिलता है। इसका कारण यह है कि उस एक्ट में कमी है। आपका नेचर ऑफ वर्क कौन डिसाइड करेगा— लेबर इंसपैक्टर करेगा और हम बराबर आपको कहते आ रहे हैं कि यदि आप औरतों को बराबर के अधिकार देना चाहते हैं तो आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी हाल ही में आन्ध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक जजमैंट दिया है, मुझे उनका पूरा नाम तो याद नहीं है, सिर्फ श्री चौधरी पता है, उनका कहना है कि आर्टिकल 14 और 21 के सपोर्ट में अगर कोई हिन्दू नारी कन्जूगल राइट्स का दावा करती है तो उसको अधिकार है कि वह अलग रह सकती है और उसको पति के साथ रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि उस जजमैंट को आप कानून का रूप दें। हिन्दुओं में यदि कोई औरत अपने पति से अलग हो गई है फिर भी उसे कन्जूगल राइट्स के तहत उसके साथ रहना पड़ता है और जजमैंट में यही बात कही गई है। उनका कहना है कि यह आर्टिकल 14 और 21 के खिलाफ है और यह जजमैंट सारे अखबारों में, एडीटोरिल नोट्स में आया है और सब ने उसे एप्रीशियेट किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक बार यह कहा था —

[अनुवाद]

"श्रीमती गांधी ने नोट किया कि महिलायें एक तरह से देश की सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। यद्यपि अनेक महिलाओं ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, फिर भी यह खेद की बात है कि निचले स्तर पर महिलायें पुरुष बहुल समाज में भेदभाव की शिकार रही हैं।"

[हिन्दी]

इसके अलावा श्रीमती चन्द्रशेखर ने भी यही बात पिछले दिनों कही थी—

[अनुवाद]

उन्होंने कहा था :

"यद्यपि महिलायें वर्षों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों से लाभान्वित हुई हैं किन्तु अभी और बहुत कुछ करना शेष है। सदियों पुराने पूर्वाग्रहों, गरीबी और उपेक्षा के कारण भारतीय महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग विकास प्रयासों का उतना लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रही हैं, जितना उन्हें उठाना चाहिए था।"

[हिन्दी]

आपका बजट तो छोटा सा है, भगवान जाने, टोटल बजट का 1.8 नहीं और आप कह रहे हैं गरीब बच्चों की। ढाई करोड़ बच्चे तो अभी होटलों में काम करते हैं, जिनकी जिन्दगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आर्टिकल कह रहा है कि कम्पलसरी एजुकेशन है, बच्चे भारत के भविष्य निर्माता हैं, बच्चे भविष्य की निधि हैं, आप बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं यहां पर। यह हिन्दुस्तान आदर्श की बातें करने में कम नहीं है। आप कहते हैं नारी करुणा की मूर्ति है और दया की पात्र है, बेचारी भटकती फिरती है, आज नारी का कोई मूल्य नहीं है, जो मूल्य उसका हमें समझना चाहिए; वह हम समझ नहीं रहे हैं। उधर देखिए, 25-30 आंध्र प्रदेश वाले हैं, उधर से एक भी औरत नहीं आई है, आदमी ही आदमी आए हैं। मुश्किल से एक-दो परसेंटेज होगी, लेकिन परसेण्टेज बहुत कम है। तो मेरा कहना यह है कि नारी के बारे में जो आप कहते हैं (**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

श्री के० राममूर्ति (कृष्ण नगर) : आपके राज्य के बारे में क्या है?

श्री मूलचन्द डागा : मेरा राज्य! श्रीमती निर्मला कुमारी ने अभी-अभी कहा था। आपका राज्य—शून्य।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमने तरक्की की है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने तरक्की नहीं की है। मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट आपने रखा है उसमें आपने कहा है कि पॉवर्टी और हैंडीकैप्ट को आप सुविधाएं देंगे। पहले तो हम उनको विकलांग कहते हैं, उनको पौष्टिक खाना मिलता नहीं (**व्यवधान**)···

एक माननीय सदस्य : इसका उससे क्या संबंध है?

श्री मूलचन्द डागा : आपको तो पौष्टिक भोजन मिल जाता है। ये विटामिन ए और बी खाने वाले, मुंह पर हाथ फेरते हैं, इन लोगों को क्या पता है कि गरीबों की क्या हालत है। गंदी बस्तियों में, गली-सड़ी, बदबूदार और जहां सड़ांध आती है वहां हिन्दुस्तान के बच्चे पलते हैं। हिन्दुस्तान के गरीब बच्चों की बस्तियों में जाओ, ये समाज कल्याण के फोटो मत देखो, अखबार में आप इनाम बांट रहे हैं, मंत्री जी आए हैं, समाज कल्याण के और इनाम बांट रहे हैं, इसको आप मत देखो। दो-चार गरीबों को पकड़ कर ले आए और उनको इनाम बांट दिया। मैं मिसेज चन्द्रशेखरन को प्रार्थना करूंगा और मुझे आशा है इनसे कि इन महिलाओं को आप अध्यक्ष मत बनाइए, ये वास्तव में क्या महिलाओं का सुधार करना चाहती हैं, मैं तो समझता हूं कि ये महिलायें अपने शृंगार में लगी रहती हैं, महिलाओं के सुधार में नहीं। इससे कहां महिलाओं का सुधार होगा? ये तो अपने शृंगार करने में सुधार करेंगी, महिलाओं का सुधार नहीं करेंगी··· **व्यवधान**···

[**अनुवाद**]

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : वह हमें सम्बोधित क्यों कर रहे हैं?

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह किताब पढ़ी, इसमें लिखा है कि महिलाओं का काम है आंगनवाड़ी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके एक दफा इसका आप इवेल्यूएशन करवा लीजिए। ये जो आप पैसा खर्च करते हैं आंगनवाड़ी पर, गरीब बच्चों को ऊपर लाने के लिए जो पैसा आप खर्च करते हैं, इसका एक दफा आप इवेल्यूशन कराइए और इवेल्यूएशन कराने के बाद बतलाइए कि आपने कितने बच्चे जो नेत्रहीन हैं, जो आज अपंग हैं, जिनकी हालत खराब है, जो मांगकर खाते हैं, जो भिक्षावृत्ति के शिकार हैं, उनको आपने कितनी सुविधाएं दी हैं और कितने लोगों को सुधारा है। हिन्दुस्तान के आंकड़े मेरे पास हैं, मैं उनको कोट करना चाहूंगा कि कितनी औरतें जला दी गई हैं दहेज के कारण, क्या कानून आपने बनाया है, क्या कानून बना दिया गया है कि उनको सीखचों में बंद कर दिया जायेगा ? तो श्रीमान् जब आप महिला वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो इन बातों का तो ध्यान रखिएगा। जहां तक हिन्दुस्तान की तरक्की और देश की तरक्की का सवाल है, यह तभी होगी जब कि हमारा एक अंश, हमारा महिला समाज आगे उठेगा और आगे उठने का तरीका एक ही है कि जो पैसा आपने बजट में रखा है, उससे ज्यादा पैसा बजट में रखना चाहिए और उनके लिए ज्यादा होस्टल बनने चाहिए, उनको ज्यादा एजुकेशन मिलनी चाहिए।

5.00 म० प०

मैं एक बात देख रहा हूं कि एजुकेशन में लड़कियों का नम्बर ज्यादा अच्छा है और लड़कियां पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगाती हैं। वह परीक्षाओं में भी टॉप पर आती हैं। लड़के लड़कियों के मुकाबले में काफी पीछे हैं और आवारागर्दी अधिक करते हैं।

आपकी जो एक योजना है कि जो राज्य शराबबंदी करेंगे, उन्हें 50 प्रतिशत उसके लिए उन्हें सहायता दी जाएगी। आज मैंने यह भी सुना है कि जो शराबबंदी की संस्था काम करना चाहती है उसको भी आप मदद देंगे। मैं चाहता हूं कि वालेंटरी आर्गनाइजेशन जो काम करना चाह रही हैं, उसके लिए जो धनराशि बजट में रखी है, वह भी कम है, इसलिए उसको आप और बढ़ायें।

मुझे आशा और विश्वास है कि जिस काम को भी हम अपने हाथ में लेते हैं, उसको पूरा करेंगे और सातवीं योजना में बहुत आगे बढ़ेंगे। इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

महोदय, क्रमवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में, समाज कल्याण कार्यक्रम मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों और दलों को सहायता देने के उद्देश्य से बनाये गये थे जो कतिपय आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक बाधाओं के कारण आम जनता के लिए दी गयी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सके। कल्याण कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में चरणों में बने। पहली पंचवर्षीय योजना से तीसरी पंचवर्षीय योजना तक मुख्य दायित्व स्वैच्छिक क्षेत्र को दिया गया, जब भारत सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय और तकनीकी मार्ग-

दर्शन की सहायता दी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में, निःसन्देह, एक विशेष बात थी अर्थात् बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्र में विशेष वित्तीय व्यवस्था की गयी।

हालांकि देश में समाज कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है, परन्तु अब तक का प्रयास मुख्य रूप से मूल उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं की व्यवस्था करने की ओर था। पांचवीं योजना में, मुख्य बल निरोधात्मक और विकास कार्यक्रमों पर था। उस समय बच्चों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी। आई० सी० डी० एस० (समेकित बाल विकास सेवा) परियोजना प्रयोगात्मक आधार पर चलायी गई थी। छठी योजना में भी निरोधात्मक और विकास कार्यक्रमों पर बल दिया गया। योजना प्रलेख में "महिला विकास" के सम्बन्ध में एक अध्याय जोड़ा गया। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सातवीं योजना में इसके लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया गया जिसका स्वागत है। लेकिन इसके साथ, मैं यह अनुरोध करूंगी कि इस कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा देने के लिए सभी राज्यों से इसी प्रकार के स्वतंत्र विभाग खोलने के लिए कहा जाये।

महोदय, महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीतियां बन रही हैं। इसका अर्थ यह है कि कि महिलाओं की समस्याओं और उनके विकासीय कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इस सम्बंध में स्वैच्छिक संगठनों को गठन और क्रियान्वयन—दोनों स्तरों पर सहयोजित करना जरूरी है। यहां मैं यह कहना चाहूंगी कि स्वैच्छिक दलों को अपनी गतिविधियों में सुधार लाने के लिए मान्यता, सहयोग और सहायता मिलनी चाहिएं। अन्यथा वे इन कार्यक्रमों में नहीं लग पायेंगे। अब तक सूत्रीकरण स्तर पर इनका योगदान बहुत कम रहा है।

निःसन्देह वर्ष 1985-86 के लिए बजट अनुमान 129.11 करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 1984-85 के लिए 92.59 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु, हमें अधिक वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता है क्योंकि महिलाओं के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया गया है।

यहां भी मैं यह कहूंगी कि केवल महिलाओं के लिए रखी गयी राशि विभिन्न विभागों के बीच बंट जाती है। मंत्रालय को एक समायोजित और एकल एजेंसी के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस राशि का आवंटन समुचित और पर्याप्त रूप से किया जाए।

इस मंत्रालय को आवंटित राशि उन क्षेत्रों में खर्च की जानी चाहिए, जहां अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और यह राशि सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए खर्च की जानी चाहिए, ताकि कुछ परिवर्तन आ सके। यह वांछनीय है कि विभिन्न गतिविधियों की, जिनमें विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतियां और कल्याण योजनाएं शामिल हैं, समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और मंत्रालय को सर्वप्रथम समय-समय पर महिलाओं की समस्याओं से संबंधित अद्यतन आंकड़े इकट्ठे करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। महिलाओं से सम्बन्धित अनेक विधान पारित किये गये हैं और मैं कहूंगी कि महिलाओं के सम्पत्ति उत्तराधिकार के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए सिविल कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है। दहेज संशोधन विधेयक भी बन गया है। हमें प्रसन्नता है कि न्यायालयों ने स्वैच्छिक संगठनों को शिकायतों की जांच करने और मामलों को सुनने का अधिकार देकर उन्हें मान्यता दे दी है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्रीजी ने हाल में घोषणा की है कि जब परिस्थितियां ऐसी बन

जायेंगी तो दहेज संशोधन विधेयक में और संशोधन करने पर विचार किया जायेगा। दहेज लेने-देने और वधुओं के जलने की घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों से लाभ लेने के लिए महिलाओं को कानूनी सहायता और परिवार परामर्श सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में पैरवी करने वाली वकील महिला होनी चाहिए। ऐसे मामलों में राज्य अथवा पीड़ित महिला की ओर से राज्य के खर्चे पर सक्षम महिला वकील लगाई जानी चाहिए। महिलाओं और बच्चों के कल्याण को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, पोषणाहार कार्यक्रम, निःसन्देह, चल रहा है। किन्तु, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली 80 लाख महिलाओं की संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ताकि एक दशक में यह उद्देश्य पूरा हो जाये। इन पोषणाहार कार्यक्रमों के संचालन में अफसरशाही बहुत अधिक है। इस पोषणाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत हर एक बच्चे के लिए एक रुपया दिया जाता है, जिसमें से बच्चे पर वास्तव में केवल 20 से 30 पैसे तक ही खर्च होते हैं। शेष एक रकम प्रशासनिक लागत पर खर्च हो जाती है।

छठी योजना में केन्द्रीय और राज्य स्तर पर 1136 आई० सी० डी० एस० (समेकित बाल विकास सेवा) परियोजनाएं हैं और सातवीं योजना में 2000 परियोजनाएं शुरू की जानी हैं। पर्यवेक्षकों के पद परियोजनाएं प्रारम्भ हो जाने के तत्काल पश्चात् नहीं भरे जाते। इन पदों को भरने में काफी समय लग जाता है और कभी-कभी जनजातीय क्षेत्रों में इन पदों को भरना बहुत कठिन हो जाता है। यदि वहां बाहर के लोगों को भी नियुक्त किया जाता है तो वहां आवास मिलना कठिन हो जाता है। आई० सी० डी० एस० (समेकित बाल विकास सेवा) परियोजनाओं ने महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में एक प्रकार का आधारभूत ढांचा तैयार किया है। जनवरी 1985 से इस परियोजना के अन्तर्गत गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। यह उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय को प्राप्त करना है। यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा मंत्रालय इस आधारभूत ढांचे को शुरू करे। शिक्षा मंत्रालय को इस आई० एस० डी० एस० परियोजना में सहयोजित किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने लड़कियों के लिए शिक्षा निशुल्क कर दी है। यह शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर तक निशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा के अन्तर्गत, प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, महिलाओं को पुनर्स्थापित और नियोजित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि योजना आयोग के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न निर्धनता और बेरोजगारी का है। उन्होंने कहा है कि सातवीं योजना में इन प्रश्नों की ओर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण हमें योजना आयोग को कहना होगा। उन्होंने अर्धरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी का वास्तविक समस्याओं के रूप में ब्यौरा भी दिया और कहा कि इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेरा विचार है कि अधिक रोजगार देने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों को कम से कम 25 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाये जाने चाहिए। निजी क्षेत्र में भी ऐसा किये जाने की सम्भाव्यता पर विचार किया जाना चाहिए।

कुछ कार्य ऐसे हैं जो महिलाओं द्वारा किये जा सकते हैं, जैसे प्राथमिक स्कूलों की अध्यापिकाओं की नौकरी। उड़ीसा में, प्राथमिक अध्यापिकाओं का पद महिलाओं को ही दिया जाता है। ऐसा अन्य राज्यों में भी किया जाना चाहिए।

अधिकांश श्रमिक बल 'असंगठित क्षेत्र' में कार्यरत है, जो वास्तव में मिथ्या नाम है। वास्तव में यह संगठित क्षेत्र है जो इन श्रमिकों से असंगठित तरीके से काम लेता है, ताकि श्रमिक कानूनों द्वारा दी जाने वाली सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लाभों से उन्हें वंचित रखा जा सके।

मैं यह कहूंगी कि इस मंत्रालय की भूमिका ऐसी होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन निर्धन महिला कर्मियों को रोजगार मिलता रहे। इस मंत्रालय को एक प्रहरी की भांति काम करना होगा और इसे न केवल मुख्य आर्थिक नीतियों की बल्कि किसी परियोजना या कार्यक्रम के स्थान, प्रौद्योगिकी के चुनाव, उत्पादन संगठित करने के तरीके आदि से सम्बन्धित ब्यौरे की जांच करने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक आर्थिक कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिशु देख-रेख प्रणाली, आदि जैसी सामाजिक व्यवस्था हो।

दूसरी बात यह है कि समाज कल्याण मंत्रालय को एक प्रोत्साहन स्कन्ध के रूप में सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों और छोटी आयकारी परियोजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने चाहिएं। महिलाओं के लिए इन छोटी-मोटी आर्थिक गतिविधियों से, आर्थिक विकास की मुख्यधारा की बाढ़ इन सबको बहा देगी, अगर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भूमिकायें निर्धारित नहीं की जातीं और उन्हें संसाधनों के आबंटन, प्रौद्योगिकी के चुनाव, प्राथमिकतायें निर्धारित करने में उनको योग्य महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता।

भारत में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के महिलाओं पर प्रभाव की समीक्षा करते समय यह पाया गया है कि अन्तिम ग्राम स्तर पर अधिकांश विकास सेवाएं न तो महिलाओं तक और न ही निर्धन लोगों तक पहुंची हैं। रास्ते में ही पैसा हड़प लिया जाता है और कार्यक्रमों की जानकारी का भी अभाव है। मैं चाहूंगी कि इसकी भी जांच की जाये, विशेषकर निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में। लाभ का विकेन्द्रीकरण करने से, वह न केवल स्थानीय समुदाय, गांव में ही पहुंचेगा, बल्कि घर-घर में भी पहुंचेगा। लेकिन घरों में विभिन्नता है, जिसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बारे में मैं कहूंगी कि निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत आस्तियां महिलाओं को या पति और पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से दी जानी चाहिए अन्यथा पुरुष बिना किसी प्रतिबंध के आस्तियों को उड़ा देगा और महिला को निर्धनता व गरीबी के बोझ से दबी रहेगी।

जनजाति की महिलाओं के कष्टों का कारण उनके पुरुषों का अधिकतर मद्य के सेवन का आदी होना है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तब तक जन जाति की महिलाएं भूख और गरीबी की यातना भुगतती रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल के निर्माण के बारे में कुछ कहना चाहूंगी···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें । (व्यवधान)

श्रीमती जयन्ती पटनायक : इसमें 25 प्रतिशत राशि कल्याण संगठन विशेष द्वारा वहन की जानी होती है और शेष केन्द्रीय सरकार द्वारा । 25 प्रतिशत लागत वहन करना किसी भी स्वैच्छिक कल्याण संगठन के लिए कठिन है । इसलिए, बहुत से स्वैच्छिक संगठन इस काम के लिए आगे नहीं आ रहे हैं । मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिए और स्वैच्छिक संगठनों को इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में और सरकारी एजेंसियों में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए । कम से कम तीन प्रतिशत आरक्षण के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ, मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों का समर्थन करती हूं ।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिला और समाज कल्याण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन कर रही हूं और कुछ सुझाव मंत्री महोदया के विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहती हूं ।

जिस काम को समाज कल्याण मंत्रालय कर रहा है, उसका पूरा फायदा गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा है । मैं समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा रह चुकी हूं और मैंने देखा है कि आफिसर इस वेलफेयर विभाग को बहुत छोटा विभाग समझते हैं और उनकी काम करने में रुचि नहीं रहती है । खासकर देहातों के लाभ के लिए जो राशि सरकार द्वारा दी जाती है, वहां पर भी इसके ऊपर अंकुश नहीं होता है ।

हमारे यहां जो बालवाड़ी केन्द्र हैं या आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, इनमें जो सहायिकायें होती हैं, वे वहां उपस्थित नहीं होती हैं । कई बार मुझे इन केन्द्रों को देखने का अवसर मिला और मैंने देखा कि न वहां बच्चे थे और न सहायिकायें थीं, ताला बन्द करके गायब हो जाते हैं । पता नहीं जो ब्लाक के अधिकारी हैं वे वहां जाकर देखते भी हैं या नहीं कि अमुक कार्यक्रम ठीक से चल रहा है या नहीं ।

मैं इस अवसर पर मंत्री जी से दो-चार बातें निवेदन करना चाहती हूं । पहली बात तो यह है कि जब समाज कल्याण बोर्ड का गठन होता है तो उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाना चाहिए । हमारे यहां ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्य करते हुए गांवों में बिताया है, लेकिन उनको ऐसे बोर्ड में लिए जाने का अवसर नहीं मिलता है । आज इस बोर्ड को एक तरह से राजनीतिक बना दिया गया है । मैं चाहती हूं कि इसको राजनीतिक न बनाया जाए, इसको सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए रहने दिया जाए ।

दूसरी बात—समाज कल्याण विभाग द्वारा हर बड़े शहर में, औद्योगिक नगरों में, वर्किंग-विमेन-होस्टल की स्थापना बहुत जरूरी है । आज जो महिलायें शहरों में रह कर काम करती हैं, उनमें बहुत सी ऐसी हैं जो अकेली हैं और उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

उनकी सुरक्षा को बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस विभाग द्वारा हर जिले में इस तरह का होस्टल बनाया जाए जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके।

तीसरी बात—समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई गई स्कीमों का मूल्यांकन किया जाय तथा उनको वालंट्री आर्गेनिजेशंज तथा सरकार मिलकर चलायें, इस तरह की योजना बनाई जाए। एक बात यह भी विचारणीय है कि आज जितनी वालंट्री आर्गेनिजेशंज हैं वे सब शहरों में चलती हैं। देहातों को चूंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है कि सरकार ने हमारे लिए क्या-क्या योजनायें चला रखी हैं, महिलाओं के लिए क्या-क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए वहां ऐसी संस्थायें नहीं बन पाती हैं और वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। शहरों के लोगों को इसकी अधिक जानकारी रहती है, इसलिए वे इसका लाभ उठाते हैं और जो राशि विभिन्न योजनाओं के लिए रखी जाती है, वह शहरों में ही खर्च हो जाती है। मेरा निवेदन है कि हर जिले के हैडक्वाटर में कलैक्टर को इस चीज की सूचना जानी चाहिए कि वह अपने यहां एक सर्वेक्षण करा कर इन कार्यक्रमों को हर जिले में चलाये, हर प्रखण्ड में चलाये ताकि जिनके लिए वास्तव में ये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनको इनका पूरा लाभ मिल सके। समाचार पत्रों द्वारा प्रचार करके तथा रेडियो से प्रसारण करके लोगों को जानकारी मिले।

जैसा हमारी निर्मला बहन ने कहा था हमारे यहां आज के समाज में बूढ़ों की बहुत उपेक्षा हो रही है। बूढ़ों के लिए पाश्चात्य देशों की तरह आवास होने चाहिएं ताकि उनका अन्त समय अच्छी तरह से कटे और उन्हीं के साथ डेस्टीचूट चिल्ड्रन के लिए भी आवास होने चाहिएं ताकि बूढ़ों को उनका प्यार मिल सके और बच्चों को बूढ़ों का प्यार मिल सकें। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह इस तरह की व्यवस्था करें।

समाज कल्याण विभाग की कई योजनाओं को स्वास्थ्य विभाग के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे गर्भवती माताओं, बच्चों के लिए जो कार्यक्रम है उसको फैमिली प्लानिंग के साथ जोड़ा जाए।

बालवाड़ियों में जो सहाविकायें काम करती हैं उनको बहुत कम वेतन मिलता है जिसकी वजह से वे दूसरे कामों की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं बनिस्बत बालवाड़ियों के। इन केन्द्रों में मिड-डे मील की व्यवस्था होनी चाहिये। हरिजन तथा आदिवासी क्षेत्रों में इसके लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सरकार की जो राशि खर्च होती है वह सही आदमी तक पहुंचनी चाहिए। इन्ट्रेग्रेटेंग चाइल्ड वेलफेयर स्कीम अधिक से अधिक जगहों पर खोली जायें। हर प्रखण्ड, जिला स्तर पर इसका विस्तार होना चाहिए। मैं यही आप से कहना चाहती हूं कि अगली सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस राशि को थोड़ा बढ़ाया जाये और इसके साथ-साथ राज्यों के अफसरों को ये निर्देश भी जाना आवश्यक है कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं, वे यह देखें कि वे सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं और उनके ऊपर कुछ अंकुश भी रखा जाए। एक मोनीटरिंग सेल की व्यवस्था की जाये ताकि जो पैसे खर्च हो रहे हैं वे ठीक तरह से खर्च हों, महिलाओं का कल्याण हो और बच्चों का कल्याण हो। हमारे बीस-सूत्री कार्यक्रम में भी समाज कल्याण की इन बातों पर विशेष जोर दिया गया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हू।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा की अनुमति दी गई है । पिछले दो या तीन वर्षों से इस मंत्रालय की मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई थी । मैं मंत्री जी को इस बात की भी बधाई देता हूं कि उनके मन्त्रालय को एक नया नाम दिया गया है । 'समाज कल्याण' के साथ-साथ इसे 'महिला कल्याण' मन्त्रालय भी कहा जाता है । इससे पता चलता है कि हम देश में महिलाओं के विकास को कितना महत्व देते हैं ।

छठी योजना के अन्तर्गत इस मंत्रालय के परिव्यय की कुल राशि 150 करोड़ रु० थी परन्तु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वस्तुत: 258 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई थी । यह वस्तुत: अत्यंत सराहनीय है । वर्ष 1984-85 में बजट प्राक्कलनों के अनुसार योजनागत व्यय की राशि 77.93 करोड़ रु० थी जबकि हमें दिये गये आंकड़ों के अनुसार उन्होंने इससे अधिक अर्थात 92.59 करोड़ रु० व्यय किये हैं ।

इस विभाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य शिशु विकास और पोषाहार है । इस समय 14 वर्ष तक के आयु-वर्ग में 272 मिलियन बच्चे हैं । इन बच्चों का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास बहुत महत्व की बात है । एक कहावत है कि बच्चे राष्ट्र के भावी निर्माता हैं । यदि हम इस कहावत की अनदेखी करेंगे तो प्रगति नहीं कर पायेंगे । इस मंत्रालय को और महत्व दिया जाना चाहिए । मेरे विचार में इस देश के बच्चों के विकास हेतु इस मंत्रालय को और राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

राष्ट्रीय शिशु निधि का गठन 1979 में किया गया था । इससे उन अभिकरणों का वित्तपोषण किया जाना अपेक्षित है, जिन्हें सरकारी एजेन्सियों, समाज कल्याण बोर्ड या मंत्रालय से सहायता प्राप्त नहीं होती ।

इस रिपोर्ट के अनुसार इस निधि में 1.71 करोड़ रु० की पूंजी जमा की जाती है । परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं है कि इस निधि से कितनी राशि व्यय की गई, ऐसी सहायता किन अभिकरणों और राज्यों को प्रदान की गई । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तर में इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगी ।

मेरे विचार में, समेकित शिशु विकास सेवा परियोजनाएं इस विभाग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत लोकप्रिय है । किन्तु खेद है कि लोकप्रिय एवं उपयोगी होने के बावजूद छठी योजना के अन्त तक फिलहाल इन परियोजनाओं की संख्या केवल 1019 है । वर्ष 1985-86 में केवल 200 और ऐसी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं । अत: ये सेवाएं समूचे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं । देश के विकास के लिए यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए अत्यंत लाभप्रद है । मैं नहीं जानता कि समेकित शिशु विकास सेवा परियोजना के लिए धन के मामले में अनुदार दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया है ।

बच्चों के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिये। अतः और धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए और कम से कम सातवीं योजना के अन्त तक सभी ब्लाकों में यह सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगी। महोदय, समेकित शिशु विकास सेवा परियोजना की सेवाओं का महत्वपूर्ण मुद्दा आंगनवाड़ी है जो आंगनवाड़ी का संचालन उस कर्मकार द्वारा, जिसका चुनाव आंगनवाड़ी स्थित क्षेत्र की महिलाओं में से किया जाता है, किया जाता है। पर दुःख की बात है कि आंगनवाड़ी के कर्मकार का वेतन केवल 200 रु० से 250 रु० तक है।

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : यह मानदेय है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जहां तक उस गरीब लड़की का संबंध है, उसे इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह राशि मानदेय है या कुछ और है। एस० एस० एल० सी० पास होने पर उन्हें 250 रु० अन्यथा 200 रु० मिलते हैं। मेरा कहना यह है कि आंगनवाड़ी कर्मकार को छः वर्ष से कम आयु के बच्चों को संभालना पड़ता है।

श्री के० राममूर्ति : कुछेक राज्य सरकारों ने तो 250 रु० की इस राशि की पूरी अदायगी भी नहीं की है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा कहना यह है कि इस नाजुक आयु के बच्चों को संभालने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रसन्न होना चाहिए। उसे इन बच्चों के साथ व्यवहार तथा उनकी देखभाल मुस्कराते चेहरे के साथ करनी चाहिए क्योंकि इससे उन बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। 200 रु० पाने वाली कोई महिला या मां उदासी, दुःख एवं निराशा महसूस करके तथा असन्तुष्ट रहकर बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती है।

एक माननीय सदस्य : उसे अपने कार्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए तथा इस पद पर नियुक्ति के समय राजनीतिक बातों को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आंगनवाड़ी की इस महिला कर्मकार को कम से कम दो वक्त की रोटी कमाने के लायक वेतन मिलना चाहिए। अन्यथा, हो सकता है कि वह इन बच्चों की देखभाल न कर सके और बच्चों को माई या आया का दुःखी चेहरा, देखना पड़े, जो कि उनके मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास के लिये ठीक नहीं है। अतः मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदया इस पहलू पर पर भी ध्यान देंगी।

महोदय, हमारे देश में मानसिक तथा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। यह सच है कि स्वयंसेवी संस्थाएं उनके लिये शरणस्थलों का निर्माण कर रही हैं तथा समाज कल्याण मंत्रालय भी उनकी आर्थिक मदद कर रहा है। यह अच्छी बात है। परन्तु क्या आपने देश में मानसिक एवं शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चों की कुल संख्या जानने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है ? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे किसी शरणस्थल में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है जहां मानसिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चों की देखभाल की जाती है। मैं जानता हूं कि मेरे राज्य में एक या दो ऐसी संस्थाएं हैं। एक तो मेरे घर के पास ही स्थित है और वहां उसमें मानसिक रूप से असुविधाग्रस्त अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने वाले आवेदकों की लम्बी कतार लगी रहती है। परन्तु उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिलता है।

मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चों में से 60 से 70 प्रतिशत बच्चे उन परिवारों के हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे के हैं। वे मानसिक रूप से असुविधाग्रस्त इन बच्चों की देखभाल का व्यय वहन नहीं कर सकते। अतः उनकी उपेक्षा की जाती है। धनी परिवरों में भी कुछ लोग इन बच्चों की समुचित देखभाल नहीं करते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि समाज कल्याण मंत्रालय देश में एक सर्वेक्षण कराये, जिसमें ऐसे सभी बच्चों का पता लगाया जा सके जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हैं और उनके उत्थान के लिए योजना बनाई जाये। यदि स्वैच्छिक संगठन इस दिशा में कार्य नहीं करते तो इस मंत्रालय को स्वयं ही इन बच्चों के लिए शरणस्थलों का निर्माण करके उनको आश्रय देना चाहिये। मेरे विचार में यह बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदया इस पर भी ध्यान देंगी।

जहां तक महिला कल्याण का संबंध है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री महिला-कल्याण संबंधी क्रियाकलापों को बहुत महत्व देते हैं। इस मंत्रालय का नाम बदलकर समाज और महिला कल्याण रखा गया है। यह स्वागत योग्य परिवर्तन है। परन्तु हमारे देश की महिलाओं की स्थिति कैसी है। यह बहुत दयनीय है। सभी क्षेत्रों में महिलाएं पिछड़ रही हैं। न केवल वे पिछड़ रही हैं बल्कि कुछ मामलों में उनसे दास के समान व्यवहार किया जाता है।

उदाहरण के रूप में, दहेज के कारण हुई मृत्यु की संख्या लें। यहां दिल्ली शहर में, जहां साक्षरता सर्वाधिक है और सबसे अधिक पढ़े-लिखे लोग रहते हैं, वर्ष 1982 में....

उपाध्यक्ष महोदय : दहेज के कारण होने वाली मौतें पढ़े-लिखे तबकों में ही अधिक होती हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : पढ़े-लिखे तथा अमीर तबके में।

प्रो० पी० जे० कुरियन : दिल्ली में 1982 में दहेज के कारण 40 मौतें हुई और 1983 में 42 मौतें हुयीं। 1984 में यह संख्या घटकर 30 हो गई। परन्तु ये मौत केवल दिल्ली में ही नहीं होती हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा हरियाणा में भी ऐसी मौतें हुई हैं। हरियाणा में 1982 में इनकी संख्या 42 तथा 1983 में 130 थी। यहां 1984 की संख्या नहीं दी गई है। मध्य-प्रदेश में भी ऐसी मौतें हुई हैं। पंजाब में 1982 में ऐसी 47 मौतें हुयीं, 1983 में 40 तथा 1984 में 35 ऐसी मौतें हुई। (व्यवधान) केरल में दहेज के कारण कोई मौत नहीं हुई—न केवल केरल में, बल्कि मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, गोवा, दमन-दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी तथा असम में भी ऐसी कोई मौत नहीं हुई। इसका कारण जागृति नहीं अपितु सामाजिक बातें हैं। बहरहाल, इस स्थिति से क्या पता चलता है। इससे हमारे देश में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। अतः हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना है।

1976 में संसद ने दहेज विरोधी विधेयक पारित किया था। परन्तु इससे क्या लाभ हुआ। इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा रहा है। अतः मैं महसूस करता हूं कि इस मंत्रालय को इस बारे में कुछ करना होगा। इस दिशा में क्या किया जा सकता है? इस मन्त्रालय को इस बात की जांच करनी चाहिये कि दहेज पीड़ितों को क्या सहायता दी जा सकती है। दूसरे, इस मन्त्रालय को दहेज प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने हेतु एक अभियान चलाना चाहिये।

दहेज के विरुद्ध अभियान चलाने वाले सभी स्वैच्छिक संस्थाओं तथा महिला संगठनों में ताल-मेल होना चाहिये। इस मन्त्रालय को पहल करनी चाहिए और उन्हें पूरी सहायता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे उन मामलों पर भी विचार करना चाहिए। निःसन्देह, विधि मंत्रालय उन पर विचार कर रहा होगा, परन्तु इस मन्त्रालय को चाहिए कि वह पीड़ित महिलाओं को कानूनी अथवा अन्य सहायता उपलब्ध करे। मेरे विचार में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

मजूरी के पहलू पर मैं यह कहूंगा कि हमने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर एक कानून बनाया है, परन्तु क्या उसे क्रियान्वित किया जा रहा है? अभी भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस कानून को क्रियान्वित नहीं किया जाता है। मैं मंत्री से इस पहलू पर विचार करने और उसकी जांच करने का अनुरोध करता हूं।

साक्षरता के बारे में क्या स्थिति है? संसद में दिए गये एक उत्तर के अनुसार पता लगता है कि 1983 में महिलाओं की साक्षरता की दर पुरुषों की साक्षरता की दर की तुलना में काफी कम थी। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। महिलायें साक्षरता के मामले में बहुत पीछे हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क होने जा रही है। यह बहुत स्वागत योग्य घोषणा है। और इसे आगामी वर्ष से ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए। केरल राज्य में पिछले दस वर्षों से शिक्षा निःशुल्क है और पुरुषों तथा महिलाओं में साक्षरता के अनुपात में कोई खास अन्तर नहीं है। इस सम्बन्ध में सभी राज्य केरल राज्य के उदाहरण अनुसरण कर सकते हैं।

संसदीय प्रश्नों में से एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि 1983 में लगाए गए अनुमान के अनुसार काम करने वाली महिला केवल 12.5 प्रतिशत हैं, परन्तु ऐसी महिलाओं की प्रतिशतता 50 से अधिक है। मैं यह सब यह बताने के लिए कह रहा हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्ष के बाद भी, इन सभी घोषणाओं के बाद भी, हमारी महिलायें हर तरह से पीछे हैं; और अनेक मामलों में, हमारी महिलाओं के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। जब तक हम महिला कल्याण और शिशु विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम अपेक्षित राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पायेंगे।

दिल्ली में श्रम जीवी महिलाओं के संबंध में, पिछले वर्ष अपना अनुभव बताता हूं। पिछले वर्ष एक लड़की को दिल्ली में नियुक्ति मिली और वह दिल्ली में किसी होस्टल में ठहरना चाहती थी। उसने इसके लिए मुझसे सम्पर्क किया। वह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में थी। मुझे उसके लिए आवास प्राप्त करने हेतु श्रम जीवी महिलाओं के दो या तीन होस्टलों में जाना पड़ा। किसी ने आवास नहीं दिया। एक होस्टल में मुझे बताया गया कि आवास प्राप्त करने के लिए मुझे छह महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राजधानी में भी किसी को श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल में आवास नहीं मिल सकता है।

अतः, मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सातवीं योजना के अन्त तक नौकरी पेशा महिलाओं के होस्टलों में स्थान की प्रायोजित आवश्यकता का सर्वेक्षण कराना चाहिए। और इन होस्टलों का निर्माण स्वयं मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए। यदि स्वयं सेवी संस्थायें आगे नहीं आ रही हैं, तो मंत्रालय को स्वयं ही इन होस्टलों का निर्माण करने के लिए तैयार होना

चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और चूंकि हमारी मंत्री महोदया बहुत ही वयोवृद्ध एवं अनुभवी महिला हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, कि वह इस ओर ध्यान देंगी और इसके लिए अधिक धन जुटायेंगी।

समाज कल्याण बोर्ड तथा मंत्रालय स्वयं सेवी संगठनों को सहायता दे रहे हैं। उन्हें धन भारत के समेकित निधि से प्राप्त होता है। किन्तु क्या हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि ये संगठन किस प्रकार कार्य कर रहे हैं ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ संगठन धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ संगठन लोकतांत्रिक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके यहां पदाधिकार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं, और धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायतें हैं। मैं मद्रास राज्य से ही एक उदाहरण दे सकता हूं। मद्रास में एक विश्वविद्यालय सेवा केन्द्र है जिसका संबंध मद्रास विश्वविद्यालय से है। यह कालेजों के शिक्षकों तथा छात्रों का एक स्वयं सेवी संगठन है। इस संगठन का अध्यक्ष इस विश्वविद्यालय के कुलपति ही हैं। उदाहरणार्थ यह संगठन विभिन्न कालेजों से चन्दा एकत्र कर रहा है किन्तु वहां ठीक प्रकार से हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। कुछ शेयरों और चन्दों को वापस करना होता है, किन्तु उन्हें वापस नहीं किया जाता है और उचित हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। पदाधिकारियों को लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित नहीं किया जाता है, वे योग्यता प्राप्त व्यक्ति भी नहीं होते हैं।

छात्रों के सहकारी भण्डारों का संचालन विश्वविद्यालय सेवा केन्द्र द्वारा किया जाता है। वे शेयरों को एकत्र कर रहे हैं। यह जानकर आश्चर्य होता है कि इन शेयरों को बिलकुल भी वापस नहीं किया जाता है, उन्हें कुछ निश्चित अवधि के बाद वापस करना होता है। लाभांशों का भुगतान भी नहीं किया जाता है।

परन्तु उपकुलपति इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद उनकी इसमें रुचि नहीं है। उपकुलपति के पद पर इतने उच्च-अर्हता प्राप्त व्यक्ति के होने पर प्रजातांत्रिक चुनाव होने चाहिए थे। अतः, विश्वविद्यालयों जैसे स्थानों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हो सकता है इनकी ही तरह और भी कई संगठन हों। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि स्वैच्छिक संगठनों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में छानबीन या जांच की जानी चाहिए। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम उनके आवेदनों की जांच करके उन्हें धनराशि स्वीकृत करें। ये संस्थान किस प्रकार कार्य करते रहे हैं और ये राशि का किस प्रकार आवंटन कर रहे हैं, क्या ये राशि का सही लेखा-जोखा रख रहे हैं—इन सभी चीजों की जांच की जानी चाहिए और केवल तभी इन संस्थाओं को सहायक अनुदान स्वीकृत किए जाने चाहिए। आशा है कि माननीय मंत्री इस ओर विशेष ध्यान देंगे और इन संस्थाओं की गतिविधियों की जांच करायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों को नोट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य।

श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे मेरे प्रिय विषय, अर्थात् समाज कल्याण के बारे में कुछ शब्द बोलने की अनुमति दी है।

मैं अपने प्रधान मंत्री का भी धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इसके लिए एक महत्वपूर्ण मंत्रालय बनाया है और इसका दायित्व एक महिला मंत्री को दिया है।

समाज और महिला कल्याण का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं केवल इसमें शामिल की गई एक योजना के बारे में ही बोलूंगी। यह योजना छोटी हो सकती है, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है। यह योजना समेकित शिशु विकास सेवा योजना है जिसका उद्देश्य उन रिक्तियों को भरना है, जिनसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का स्वस्थ विकास अवरुद्ध होता है।

अतः, यह योजना अनेक सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें पूरक पोषण, स्वस्थ जांच, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की गैर-औपचारिक शिक्षा और गर्भवती माताएं और धायें शामिल हैं।

जब यह योजना सर्वप्रथम शुरू की गई थी, उस समय इसमें स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या मूल रूप से 820 थी, जिसमें 620 परियोजनाओं के पूर्णतः परिचालित होने की सम्भावना थी और शेष क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में थीं।

इस योजना के अन्तर्गत सेवाएं मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों और पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी गन्दी बस्तियों की महिलाओं और बच्चों के लिए होती हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और देश में इसके मेडिकल कालेजों को आरम्भ से ही स्वास्थ्य और पोषण का सर्वेक्षण कार्यक्रम और मेडिकल और गैर-मेडिकल स्टाफ के प्रबोधन के लिए समेकित बाल विकास योजना में सहयोजित किया हुआ है।

'देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की सेवाएं' नामक योजना के अन्तर्गत बेसहारा उपेक्षित, अनाथ और बेघर बच्चों को गृहस्थल, शिक्षा और कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इस योजना के अन्तर्गत लगभग 25,500 बच्चों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और थोड़ी सी अवधि में हिताधिकारियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। श्रमजीवी और बीमार माताओं के लिए 'क्रेच' (शिशु-गृह) योजना का शनैः शनैः विस्तार किया गया है। विकलांग बच्चों के लिए भी साधारण विद्यालयों में शिक्षा का प्रबंध किया गया। इन योजनाओं को आमतौर पर आंगनवाड़ी नामक निकायों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। एक आंगनवाड़ी लगभग 1000 बच्चों और माताओं के लिए होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय वयस्क स्त्री होती है, जो अवैतनिक रूप से काम करती है, परन्तु उसे मानदेय दिया जाता है।

आंगनवाड़ी की सेवाओं द्वारा बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की देखभाल की जा रही है। मार्च, 1985 तक छठी योजना में 600 परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं, परन्तु लक्ष्य 1,000 परियोजनाओं तक बढ़ा दिया गया और उसे 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था।

सातवीं योजना के दौरान सरकार का विचार राज्य सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिला कार्यकर्ताओं के लिए आवास सुविधाएं प्रदान करने और तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनुपूरक पोषण हेतु उपयुक्त स्थानीय खाद्य पदार्थ तैयार करने में सहायता देने का है।

चूंकि हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े गांवों और शहरी गंदी बस्तियों में रहता है, इसलिए इन अभागे लोगों के लाभार्थ अनुदानों की मांग उचित है। फिर भी इस बात को ध्यान में रखना भी संतोषजनक है कि सरकार उपेक्षितों और पद-दलितों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही है और भारत के इतिहास को भली-भांति पढ़कर और राष्ट्र की नब्ज को पहचान कर मेरी धारणा यह है कि असली भारत उन्हीं में है।

मैं माननीय समाज और महिला कल्याण मंत्री को इन लोगों की बेहतरी के लिए प्रशंसनीय कदम उठाने के लिए धन्यवाद देती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे उन राज्यों, जो इस योजना के बारे में अभी भी पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, को अपनी सहानुभूति और सक्रिय सहायता दें।

प्रत्येक पद-दलित में यह आशा भर दें कि उन्हें भुलाया नहीं गया है और उन्हें सही मायनों में जीने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की मांगों का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए मैं अपने मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस राष्ट्र में प्रोहिबिशन समाज कल्याण का एक अंग है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजन उद्धार का कार्य हाथ में लिया था, सत्य और अहिंसा का उनका व्रत था। इसके साथ-साथ उन्होंने राष्ट्र में नशा बंदी का भी एक व्रत लिया था। स्वतंत्रता के बाद देश के महान् नेताओं ने जब संविधान बनाना आरम्भ किया, तो कांस्टीट्यूशन में भी इसका प्रावधान रखा गया कि राष्ट्र में प्रोहिबिशन होगा और इसी के तहत बहुत सी कमेटियां बनीं और सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने एक सेण्ट्रल प्रोहिबिशन कमेटी का भी निर्माण किया। सेण्ट्रल प्रोहिबिशन कमेटी राष्ट्र के हर कोने में जाकर देखेगी और अपनी फाइंडिंग्स भारत सरकार को देगी। राष्ट्र में नशाबंदी होनी चाहिए। नशाबंदी इसलिए भी जरूरी थी कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे वे हरिजन हों, चाहे वे आदिवासी हों, चाहे वे पिछड़े वर्ग के लोग हों, नशाबन्दी का शिकार होकर समाज में इतने जर्जर हो गए थे कि इनका समाज कल्याण का कोई कार्य नहीं हो सकता था और इसीलिए प्रोहिबिशन का कार्यक्रम भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया और संविधान में इसकी व्यवस्था और प्रावधान किया गया।

समाज कल्याण के बहुत से कार्य हुए हैं, मैं भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि समाज कल्याण की दिशा में वृहद कार्यक्रम हुए हैं और विशेष कर इन्दिरा जी जब प्रधान मंत्री बनीं उसके बाद महिला कल्याण, बाल कल्याण और हैंडीकैप्ड के जितने कार्यक्रम हुए हैं वह इतने वृहद हुए हैं और इतने सराहनीय हुए हैं कि हम कभी उतनी आशा नहीं कर सकते थे।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो प्रोहीबीशन जिसके लिए गांधी जी और राष्ट्र के महान नेताओं ने तपस्या की थी कि हम गरीब तबके का उद्धार करना चाहते हैं तो नशाबंदी के कार्यक्रम हमको लागू करने पड़ेंगे। एक तरफ तो हमारे संविधान में प्राहीबिशन का कांस्टीट्यूशनल प्रावीजन है और वही दूसरी तरफ राष्ट्रपिता की उन भावनाओं पर कुठाराघात करके जब राज्य सरकारें मात्र रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अगर शराबखोरी चालू करें तो

हम कहेंगे कि यह बापूजी के उन सपनों के विरुद्ध है जो वह देखते थे और वह संविधान के भी विरुद्ध है, इसलिए ऐसी राज्य सरकारें जो मात्र रेवेन्यू के लिए उन गरीब तबके के लोगों को जो हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनका कल्याण भारत सरकार के द्वारा होता है, जस्ट कांटररी शराब पिलाने की योजना करते हैं और मात्र रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, उनको देखें।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष बिहार में जब प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रांची गई हुई थीं, हमने एक मैमोरेंडम तैयार किया था और रांची में गवर्नमेंट हाऊस में उनके हाथ में सौंपा था और हमारे मुख्यमंत्री भी वहीं थे। मैंने कहा था कि एक तरफ तो आप शराबबन्दी की बात करते हैं और गरीबों का उद्धार करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बिहार में बजाय इसके कि इसे बन्द करें या कम करें, आज नई शराब की दूकानें खोली जा रही हैं और वह भी ऑपशन बेसिस पर जिसमें कि बड़े तबके के लोग आयें और शराबखोरी अधिक से अधिक करायें। मैं मंत्री महोदया से कहूंगा कि यह समाज कल्याण का बहुत बड़ा अंग है और अगर हम चाहते हैं कि गरीब हरिजनों का, आदिवासियों का और पिछड़े वर्ग के लोगों का हम उद्धार करें तो उद्धार करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम होगा कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उन सिद्धान्तों को जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के साथ हरिजन उद्धार के सम्बन्ध में प्राहीबिशन का कार्यक्रम स्वतंत्रता के पहले भी किया था और संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, उसे सख्ती से लागू किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां आदिवासियों का बाहुल्य है। आदिवासी क्षेत्रों में शराबखोरी की बंदी जरूर हुई है, लेकिन अगर आगे चलकर देखें तो अदालत में, बाजारों में राइस बियर जो कि एक नशीला पदार्थ है, वह सड़कों में बिक्री हो रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। एक तरफ हम समाज कल्याण का कार्य करना चाहते हैं और दूसरी तरफ खुले आम हम गरीबों को शराब पिलाकर, हड़िया पिलाकर, उसको नशे में चूर कर नीचे गिरा दें तो हम कल्याणकारी योजनाओं के विरुद्ध काम करेंगे और कल्याणकारी कार्यों को पूरा नहीं कर पायेंगे, इसलिए जरूरी है कि उन सारे सिद्धांतों को सख्ती से लागू करें चूंकि समाज कल्याण एक बहुत बड़ा अंग है।

इसके बाद मैं एजुकेशन वैलफेयर हैंडीकैंप्ड की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसके लिए मैं अमिताभ बच्चन की स्त्री श्रीमती जया बच्चन को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हैंडीकैंप्ड बच्चों और बच्चियों का मावलंकर हॉल में एक आयोजन किया। अंधी लड़कियों को उन्होंने इतने सुन्दर ढंग से ट्रेनिंग दिला कर कल डांस का कार्यक्रम रखा जिसको देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या अंधी लड़कियां भी स्टेज पर साधारण लड़कियों की तरह कल्चरल कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकती हैं। इसलिए जो इस प्रकार के सोशल आर्गेनाईजेशन्स हैं, सरकारी लेविल पर या उनके अलावा, जोकि हैंडीकैंप्ड लोगों की सेवा करती हैं, उनको अधिक से अधिक अनुदान देने का प्रयास होना चाहिए ताकि वहां पर ऐसे हैंडीकैंप्ड लोगों को ट्रेनिंग देकर समाज में उपयोगी बनाया जा सके। ऐसे हैंडीकैंप्ड लोगों को ट्रेनिंग देकर सरकारी नौकरियों में लगाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारे यहां बिहार में दरभंगा तथा पटना के इलाके में सरकारी स्तर पर ब्लाइंड स्कूल हैं तथा डेफ एंड डम स्कूल हैं। रांची में गांधी जी के चेले ने, उनके शिष्य ने डेफ व डम एंड

को आरम्भ किया था और उस क्षेत्र में इस प्रकार का यह केवल एक ही स्कूल है। सरकार द्वारा उसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ताकि वहां पर डेफ एंड डम स्कूल में हरिजन आदिवासियों के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका कल्याण हो सके। वह संस्था गांधी जी की यादगार है, गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था। यदि सरकार उसको ले ले या आप उसको अनुदान दें तो उससे वहां पर पिछड़े वर्ग के लोगों, गरीब हरिजनों आदिवासियों की बहुत बड़ी सेवा हो सकेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने के साथ साथ वहां पर छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए।

वहां पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज कार्य कर रही हैं उसके लिए वे धन्यवाद की पात्र हैं। वे वहां पर बहुत अधिक कार्य कर रही हैं। विशेष रूप से ब्लाइन्ड बच्चों तथा डेफ एंड डम बच्चों के लिए जो भी वहां पर संस्थायें हैं उनको सरकार की ओर से अधिक से अधिक अनुदान मिलना चाहिए ताकि वे अधिक सेवा कर सकें तथा विकलांगों का उद्धार हो सके। यह संस्थायें हैं—नेशनल इंस्टीट्यूट फार विजुअली हैंडीकैप्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट फार फिजिकली हैंडीकैप्ड। बिहार प्रान्त में हरिजन आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों का बाहुल्य है। वहां पर गरीब तबके के लोग अधिक संख्या में हैं। ऐसे परिवार में यदि कोई हैंडीकैप्ड हो जाता है तो वह परिवार तथा समाज के लिए अभिशाप हो जाता है। या दुर्भाग्य से यदि किसी के यहां कोई विकलांग बच्चा पैदा हो गया तो वह अभिशाप बन जाता है। अतः ऐसे बच्चों को मानव समाज में स्थान दिलाने के लिए इन संस्थाओं को सहायता एवं प्रोत्साहन देने तथा छात्रवृत्तियों का प्रावधान करने की नितान्त आवश्यकता है।

हमारे यहां छोटा नागपुर में गरीब लोग, जो सोशली और एकोनामिकली बहुत बैकवर्ड हैं उनके बच्चे खास तौर से मेन्टली डेप्रेस्ड और आप्रेस्ड रहते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा उनके मानसिक विकास की योजनायें चलाई जायें, उनके मानसिक विकास का प्रयत्न किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे वर्ग के लोगों के लिए इस प्रकार की अधिक से अधिक संस्थायें खोली जायें और उनको अनुदान दिया जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपका बोलने का समय पूरा हो गया है। आपने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम : उपाध्यक्ष महोदय, महिलायें मानव समाज की जननी हैं, मानव समाज को वे जन्म देती हैं।

6.00 म० प०

यदि आज हम मानव समाज में महिलाओं को तिरस्कृत रखेंगे, तो हमारा समाज और हमारा राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है, जो राष्ट्र की जननी है, जो मानव समाज की जननी है, ऐसी महिलाओं को तिरस्कृत रखकर हमारा देश, हमारा समाज और हमारा

राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए महिलाओं को समाज में स्थान मिलना चाहिए। अधिक से अधिक उनको स्थान मिले, अधिक से अधिक इनको इन्स्टीचूशन मिले और ऐसे गरीब वर्ग की महिलाओं को हम देश और समाज के सामने खड़ा कर सकें और बता सकें कि देश की प्रगति के लिए महिलायें अपना योगदान प्रदान कर रही हैं।

इन शब्दों के साथ मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 3 मई, 1985/13 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

1985 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक ए० जे० प्रिन्टर्स, नई दिल्ली-2 द्वारा मुद्रित।

2224